मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा तृतीय सत्र

जून-जुलाई 2014 सत्र

मंगलवार, दिनांक 15 जुलाई, 2014

(24 आषाढ़, शक संवत् 1936)

[खण्ड- 3] [अंक- 12]

मध्यप्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 15 जुलाई, 2014

(24 आषाढ़, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय **(डॉ.सीतासरन शर्मा)** पीठासीन हुए.}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रश्न क्रमांक -1 (अनुपस्थित)

महिदपुर वि.स. क्षेत्र में राजीव गांधी व अटल ज्योति योजना

2. (*क्र. 3744) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना व अटल ज्योति योजना में कितने ट्रांसफार्मर स्वीकृत हुए? किन-किन ग्रामों में लगाए गए व कितने शेष हैं? सूची ग्रामवार, ट्रांसफार्मर क्षमता के अनुसार देवें? (ख) महिदपुर वि. स. क्षेत्र में ऐसे कितने ग्राम हैं, जो इस योजना से लाभान्वित होने से बचे हैं? उपरोक्त योजना से ग्राम कब तक जुड़ेंगे? समय-सीमा बतायें? (ग) क्या उपरोक्त योजनाओं में लगने वाले विद्युत पोल (खम्बे) गुणवत्ताहीन होने की जांच कराई गई है? यदि नहीं, तो कब तक कराई जावेगी?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत महिदपुर विधान सभा क्षेत्र के 248 ग्रामों में कुल 290 वितरण ट्रांसफार्मर (16 के.व्ही.ए. के 132 एवं 25 के.व्ही.ए. के 158) स्वीकृत हुए थे जिनकी क्षमतावार/ग्रामवार सूची पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''अ'' में दर्शाए अनुसार है. उपरोक्त वितरण ट्रांसफार्मरों में से 201 ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं तथा उपलब्ध/संभावित नये कनेक्शनों के भार के परिप्रेक्ष्य में तकनीकी एवं वित्तीय रूप से साध्य नहीं पाये जाने के कारण शेष 89 ट्रांसफार्मर नहीं लगाए गए हैं. उक्तानुसार स्थापित किये गये 201 वितरण ट्रांसफार्मरों की ग्रामवार/क्षमतावार सूची पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''ब'' में दर्शाए अनुसार है. अटल ज्योति अभियान (अटल ज्योति योजना नहीं) के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का विद्युत अधोसंरचना विकास का कोई भी कार्य किया जाना प्रावधानित नहीं है. (ख) महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में, उत्तरांश ''क'' में दर्शाए अनुसार, तकनीकी/वित्तीय साध्यता के अनुरूप, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत सम्मिलित सभी ग्रामों में वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किये जा चुके हैं. (ग) उपरोक्त योजना में उपयोग किये गये विद्युत पोल निर्धारित मानकों/गुणवत्ता के अनुरूप पाये जाने पर ही लगाये गये हैं, अत: जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता.

श्री बहादुर सिंह चौहान-- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न शुद्ध रूप से किसानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है . मैं सीधा सीधा प्रश्न करूंगा इसमें मुझे आपके संरक्षण चाहिये. 248 गांव में 290

ट्रांसफार्मर स्वीकृत हुये उसमें से विभाग द्वारा 201 ट्रांसफार्मर लगा दिये गये और 89 ट्रांसफार्मर के बारे में विभाग ने कहा कि तकनीकी और वित्तीय साध्यता के कारण इनको अस्वीकृत कर दिया गया है. प्रपत्र (अ) एवं (ब) में जो जानकारी आई है उसमें 78 गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी इस योजना का लाभ किसानों को नहीं मिला है. मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारा पश्चिमी क्षेत्र लगता है, सीएमडी, इंदौर क्या वहां एक समिति बनाकर के वरिष्ठ अधिकारी से मंत्री जी इसकी जांच एक माह में करवा लेंगे.

श्री राजेन्द्र शुक्ल -- अध्यक्ष महोदय, करवा लेंगे.

श्री बहादुर सिंह चौहान-- एक प्रश्न ओर है. जांच के उपरांत दोषी पाये जाने पर कार्यपालन यंत्री और अधीक्षण यंत्री के खिलाफ कार्यवाही करके उनको हटा दिया जायेगा.

श्री राजेन्द्र शुक्ल -- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह काल्पनिक प्रश्न है. जांच हो जाये रिपार्ट आ जाये.

श्री बहादुर सिंह चौहान-- अध्यक्ष महोदय, मैंने जांच के उपरांत दोषी पाये जाने पर पूछा है.

श्री राजेन्द्र शुक्ल-- अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई अनियमितता नहीं है.

श्री बहादुर सिंह चौहान-- अध्यक्ष महोदय, मैंने जांच के उपरांत दोषी पाये जाने पर पूछा है.

अध्यक्ष महोदय-- उत्तर आ जाने दें.

श्री राजेन्द्र शुक्ल -- अध्यक्ष महोदय, सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जो प्रावधान था राजीव गांधी विद्युतिकरण योजना में 290 ट्रांसफार्मर का , विभाग का यह कहना है कि जो हमें कवरेज करना था क्षेत्र का वह 211 ट्रांसफार्मर में पूरा हो गया. अब सदस्य का कहना है कि और भी ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता है , यदि आवश्यकता प्रतिपादित होती है तो लगाने में कोई हर्ज नहीं है.

श्री बहादुर सिंह चौहान-- मंत्री जी 78 ग्रामों में 6 माह में ट्रांसफार्मर को स्थापित करवा देंगे.

श्री राजेन्द्र शुक्ल -- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी विद्युतिकरण योजना के अलावा फीडर सेप्रेसन की योजना में भी वहां पर काम चल रहा है. उसका काम कुछ बचा हुआ है, हो सकता है कि आपकी आवश्यकता उस योजना के पूरी होने से अपने आप ही पूरी हो जाये.

श्री बहादुर सिंह चौहान -- धन्यवाद.

पुरातत्वकालीन स्थलों पर पर्यटन विकास

3. (*क्र. 1733) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आलोट जिला रतलाम में कितने स्थल, धार्मिक स्थल पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण माने गये हैं? (ख) क्या अनादि कल्पेश्वर मंदिर आलोट, सिपावड़ा मंदिर (जो रियासत समय चंबल व क्षिप्रा नदी संगम रमणीक स्थल पर निर्मित हुआ) तथा प्रसिद्ध मनूनिया महादेव मंदिर ताल पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं? (ग) यदि हां, तो शासन इन स्थानों के विकास, पर्यटन महत्व, धार्मिक महत्ता की दृष्टि से रमणीक पर्यटन स्थलों में सम्मिलित करेगा? (घ) यदि हां, तो इनके विकास एवं पर्यटन महत्व के लिए शासन क्या कदम उठा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल निर्धारित किये जाने की विभाग में कोई नीति नहीं है. (ख) धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाने हेतु विभाग में कोई नीति नहीं है. विभाग द्वारा स्थल के महत्व एवं पर्यटकों के आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटक स्थलों पर जन-सुविधाएं विकसित की जाती हैं. (ग) वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है. (घ) उत्तरांश ''ग'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री जितेन्द्र गेहलोत -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि धार्मिक स्थलों पर जो पुरातत्व विभाग अंतर्गत हैं आलोट जिला रतलाम के अंदर जो अनादि कल्पेश्वर मंदिर मनोनिया महादेव और सिपावड़ा मंदिर है उनको विभाग पर्यटक स्थल के रूप में कब तक लेगा.

राज्य मंत्री, संस्कृत एवं पर्यटन (श्री सुरेन्द्र पटवा)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल निर्धारित किये जाने की विभाग की कोई

नीति नहीं है पर फिर भी माननीय विधायक जी से बात करके उसका परीक्षण करके उसमें जैसी व्यवस्था करना होगी हम लोग कर लेंगे.

श्री जितेन्द्र गेहलोत-- अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर से संतुष्ट हूं. धन्यवाद.

ग्वालियर जिले में संचालित खनिज खदानें

4. (*क्र. 3399) श्री लाखन सिंह यादव : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जून, 2014 की स्थिति में ग्वालियर जिले में खनिज विभाग द्वारा कौन-कौनसे खनिज की खदानें कहां पर, किस अवधि से किस अवधि तक, लीज पर या ऑक्शन पर किस व्यक्ति या फर्म के नाम से, किस सर्वे नं. पर कितने ऐरिया में, किस ग्राम पंचायत में, किस प्रकार के खनिज के उत्खनन के लिये स्वीकृत होकर वर्तमान में संचालित हैं? (ख) क्या प्रश्नांश ''क'' अनुसार जो खदानें स्वीकृत होकर संचालित हैं? क्या उनसे स्वीकृत खसरा नं. एवं निर्धारित स्वीकृत रकबा में ही उत्खनन किया जा रहा है यदि नहीं तो 1 अप्रैल, 2013 से प्रश्न दिनांक तक किस अधिकारी द्वारा किस खदान पर किस दिनांक को स्वीकृत रकबा एवं सर्वे नं. में ही खनिज उत्खनन करने का निरीक्षण किया गया, उन्होंने सही उत्खन्न करना पाया? यदि हां, तो उक्त अवधि में उनकी निरीक्षण टीप दिनांक सहित सम्पूर्ण जानकारी स्पष्ट करें? (ग) 1 अप्रैल, 2013 से प्रश्न दिनांक तक खनिज का कोई अवैध उत्खनन करते हुये पकड़ा गया? यदि हां, तो उक्त अवधि में कौन-कौन व्यक्ति किस-किस खदान सर्वे नं. एवं रकबा से अवैध उत्खनन करते हुये किस वाहन के साथ पकड़ा गया? वाहन का नाम, नम्बर एवं किस खनिज के साथ पकड़ा गया उनके प्रति अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की स्थिति में गौण खनिज के उत्खनिपट्टों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है. मुख्य खनिज के खनिपट्टों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है. घोष विक्रय खदानों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है. (ख) प्रश्नांश अनुसार स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन का निरीक्षण अनुसार दर्ज अवैध उत्खनन प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार है. (ग) प्रश्नाधीन अवधि में दर्ज अवैध उत्खनन प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ई'' अनुसार है. अवैध उत्खनन करते हुए, वाहन पकड़े जाने का कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है. अतः प्रश्नांश के शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री लाखन सिंह यादव-- अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अवैध उत्खनन का कार्य पूरी तरह से फल-फूल रहा है

अध्यक्ष महोदय-- कृपया भाषण न दें. सीधे प्रश्न पर आ जायें. आप वरिष्ठ सदस्य हैं. आप लंबे-लंबे प्रश्न पूछते हैं.

श्री लाखन सिंह यादव-- अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि यह मेरे स्वयं के गांव की पंचायत से जुड़ा प्रश्न है. प्रदेश में अवैध उत्खनन की जो स्थिति है उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे वरिष्ठ अधिकारी दोषी हैं. प्रदेश के बड़े-बड़े ठेकेदारों से पैसों का लेन-देन वह अनुबंध करते हैं और ठेकेदारों के अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी हैं. उनका ड्रायवर है....

अध्यक्ष महोदय-- सीधे प्रश्न पर आ जायें.

श्री लाखन सिंह यादव-- प्रश्न पर ही आ रहा हूं. वे इतने निरंकुश हो जाते हैं उसी की परिणिति है कि मुरैना के बामौर में नरेन्द्र कुमार सिंह के साथ घटना हुई. अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव में भी यह स्थिति बनी हुई है. भीतरवार विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पार में लगातार 4 साल से अवैध उत्खनन. मैं इसकी लिखित शिकायत कलेक्टर, खनिज अधिकारी को कर चुका हूं. वहां पर न कोई लीज़ है , न कोई पट्टा है, न कोई रायल्टी है फिर भी वहां से प्रतिदिन 80-100 ट्रेक्टर खंडा-फर्शी लेकर निकल रहे हैं. मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि क्या इस अवैध उत्खनन को आप रोकने का काम करेंगे. इसकी पूर्व में भी शिकायत कर चुका हूं. दूसरा, यदि आप उसको नहीं रोकना चाहते तो मेरा निवेदन है कि ऐसी कोई नीति निर्धारित करें जिससे आप वहां पर पट्टा, लीज़ दे सकें जिससे शासन को राजस्व की भी वसूली होगी और जो अवैध उत्खनन है उस पर रोक लग सकेगी. मेरे दो प्रश्न हैं. एक, आज ही आप तत्काल आदेश करें कि अवैध उत्खनन बंद हो जाये या दूसरा, आज ही वहां आप आगे की कार्रवाई करें.

श्री संदीप जायसवाल-- अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रदेश में वर्षावृष्टि के लिए कल ही आप महाकाल गये थे और भगवान महाकाल ने आपकी प्रार्थना सुनकर कल से ही प्रदेश में वर्षा शुरु हो गई है. सदन की तरफ से मुख्यमंत्रीजी को बहुत बहुत साधुवाद.

श्री राजेन्द्र शुक्ल-- अध्यक्ष महोदय, अवैध उत्खनन को लेकर शासन बहुत ही संख्त है और किसी भी प्रकार की गलत गतिविधियों की कोई भी छूट शासन की ओर से नहीं है. चूंकि प्रश्न से आपके गांव का मामला सीधे उद्भूत नहीं होता लेकिन आपने सदन में आपने बात उठायी है तो हम वहां पर डायरेक्टोरेट से वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर उसकी जांच करायेंगे कि जो उत्खनन हो रहा है वह वैध हो रहा है या नहीं हो रहा है. और आपके गांव से किसी ने वैध खदान के लिए कोई

आवेदन किया है इसकी जांच करा लेंगे और यदि आवेदन किया है तो उसको खदान देने के खनिज नियम में जो प्रावधान है, उस अनुसार करेंगे.

श्री लाखन सिंह यादव-- अध्यक्ष महोदय, अभी तक न तो किसी खदान के लिए कोई आवेदन दिया है, न वहां कोई खदान है. वहां वन और राजस्व की सीमा है. उस सीमा पर से यह अवैध उत्खनन लगातार 4 साल से हो रहा है. मैं चार साल में कई बार आपके वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित में भी दे चुका हूं और मौखिक भी कह चुका हूं और एक-दो बार वे जांच करने के लिए गये भी थे लेकिन जाने से पहले उन उत्खनन करने वालों को पहले से मैसेज पहुंच जाते हैं तो उस दिन बंद हो जाता है. मेरा निवेदन यह है कि आज ही आप कलेक्टर,ग्वालियर और खनिज अधिकारी को निर्देशित करें कि आज से ही वह कारोबार बंद हो जाये और यदि यह नहीं कराना चाहते हैं तो फिर आप विधिवत् लीज़ करा दें.

श्री राजेन्द्र शुक्ल-- अध्यक्ष महोदय, इन दोनों मांगों को पूरा कर दिया जायेगा.

सागर नगर की वेस्ट वेयर मोंगा बंधान बाढ़ नियंत्रण योजना की प्रगति

5. (*क्र. 2693) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सागर नगर में वेस्ट वेयर मोंगा बंधान बाढ़ नियंत्रण योजना के तहत प्रस्तावित कार्य हेतु 5.87 करोड़ की राशि स्वीकृति की गई थी? यह कार्य कब तक पूर्ण होना था? वर्तमान में कार्य की क्या प्रगति है? (ख) क्या यह कार्य समयबद्ध गति से चल रहा है और समय पर पूर्ण हो जायेगा? यदि नहीं, तो कार्य की धीमी गति का कारण क्या है तथा इसके लिए कौन दोषी है? (ग) उक्त प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में बाढ़ नियंत्रण अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सागर तालाब पर स्कोरिंग स्लूज Scouring sluice के निर्माण हेतु डी.पी.आर. में शामिल किये जाने पर विचार किया जावेगा? यदि हां, तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हां. सितम्बर, 2014 तक. निर्माण कार्य लगभग 25 प्रतिशत पूर्ण है. (ख) जी नहीं. नाले के दोनों किनारों पर अतिक्रमण होने एवं एक निर्माण एजेंसी द्वारा अनुबंधित कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण. दोषी निर्माण एजेंसी का अनुबंध विखण्डन कर नई निविदा आमंत्रित की गई है. (ग) जी नहीं. शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है.

श्री शैलेन्द्र जैन-- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न से संबंधित जो परियोजना है वह फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम के तहत लगभग 1 वर्ष पूर्व स्वीकृत की गई थी. सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्रीजी का और विभागीय मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होने इस महत्वपूर्ण योजना को स्वीकृति दी.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न करिये.

श्री शैलेन्द्र जैन-- अध्यक्ष महोदय, इस योजना के क्रियान्वयन में अति विलंब हुआ है. लगभग एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर है और माननीय मंत्रीजी का यह कथन है कि लगभग 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है. अध्यक्ष महोदय, यह लोगों के जीवन से संबंधित योजना है. आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि हमारी यह परियोजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ताकि जनता को इसका लाभ मिलना शुरु हो जाये.

श्री जयंत मलैया - अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इस योजना को पूर्ण होने में अतिरिक्त समय लग रहा है, उसका कारण है कि सागर नगर के अंदर का यह कार्य है और इसमें नाले के दोनों तरफ अतिक्रमण है. अतिक्रमण हटाने में समय लग रहा है. परन्तु आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम यह कार्य शीघ्र ही पूरा करेंगे. इसके दूसरे चरण का भी हमने टेण्डर करा दिया है. चूंकि पहले ठेकेदार ने कार्य नहीं किया था, उसकी राशि लगभग 13 लाख 80 हजार रुपए की थी, वह राजसात भी कर ली है. इसका कार्य हम अतिशीघ्र समाप्त करेंगे.

श्री शैलेन्द्र जैन - अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद.

विद्युत ट्रांसफार्मर एवं पोलो की स्थापना तथा किसानों से लिये जाने वाले परिवहन शुल्क

6. (*क्र. 3208) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र सुसनेर में विगत 1 वर्ष में कितने नवीन विद्युत ट्रांसफार्मर किस क्षमता के कहां-कहां पर स्थापित किये गये हैं? ये ट्रांसफार्मर किस कंपनी के द्वारा निर्मित हैं? (ख) क्या विद्युत ट्रांसफार्मर कृषि उपयोग के लिए अलग से हैं? यदि हां, तो इनके खराब होने/जलने पर पुन: कैसे स्थापित किया जाता है? क्या इसका खर्च किसानों से लिया जाता है? क्या विभाग के डिपो से ट्रांसफार्मर के स्थापित होने वाले स्थान तक लाने का परिवहन खर्च भी किसान से लिया जाता है? (ग) यदि हां, तो फिर किसानों से ट्रांसफार्मर की कीमत एवं बिल क्यों लिया जाता है और यदि परिवहन खर्च नहीं लिया जाता है तो प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में ऐसा क्यों हो रहा है? जिम्मेदार कौन है? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही होगी जिन कर्मचारियों ने इस प्रकार की अवैध वसूली की है?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) विधान सभा क्षेत्र सुसनेर के अन्तर्गत विगत एक वर्ष में कुल 2 पॉवर ट्रांसफार्मर एवं 254 वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये हैं, जिनकी प्रश्नाधीन चाही गई जानकारी क्रमश: पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''अ'' एवं प्रपत्र ''ब'' में दर्शाए अनुसार है. (ख) जी हां. वितरण ट्रांसफार्मर खराब होने/जलने पर उन्हें उनके स्थान से निकालकर कंपनी के क्षेत्रीय भंडार को लौटाया जाता है तथा वहां से अच्छे ट्रांसफार्मर जारी करवाकर संबंधित स्थान पर पुन: स्थापित किये जाते हैं. जी नहीं, कृषक उपभोक्ताओं को परिवहन सहित ट्रांसफार्मर बदले जाने हेतु कोई भी खर्च वहन नहीं करना होता है. (ग) कृषक उपभोक्ताओं से उत्तरांश ''ख'' में दर्शाए अनुसार वितरण ट्रांसफार्मर की कीमत/परिवहन खर्च नहीं लिया जाता तथापि ऐसी अनियमितता का कोई प्रकरण प्रकाश में आने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी. विधान सभा क्षेत्र सुसनेर के अन्तर्गत विद्युत उपभोक्ताओं को केवल उनके विद्युत उपयोग के आधार पर म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार विद्युत देयक जारी किये जा रहे हैं.

श्री मुरलीधर पाटीदार - अध्यक्ष महोदय, आज मेरा पहला प्रश्न लगा है. मैं सौभाग्यशाली हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां पर उपस्थित हैं. मेरा प्रश्न में माननीय मंत्री का जो जवाब आया है कि जो ट्रांसफार्मर किसानों के खराब हो जाते हैं तो विभाग खुद उनको बदलता है. लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं. मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह एक व्यावहारिक चीज है कि अगर मेरा ट्रांसफार्मर खराब है तो मैं मदद करूं. लेकिन उत्तर ऐसा नहीं आया है. उत्तर आया है कि विभाग यह कराता है. वास्तव में विभाग के पास जब सीजन होता है तो इतने संसाधन नहीं होते हैं, भारी मात्रा में ट्रांसफार्मर जलते हैं. मेरा निवेदन है कि रमेश पिता वल्लभ जी, यह मेरी विधान सभा के लोलकी गांव के थे. इनका ट्रांसफार्मर जल गया तो उसको बदलवाने के लिए आगर डिवीजन में जा रहे थे और जो इनकी प्रायवेट पिक-अप थी, उसका एक्सीडेंट हुआ और उनकी मृत्यु हो गई. मेरा निवेदन है कि अगर वह एमपीईबी का कर्मचारी होता तो निश्चित तौर पर विभाग उसको मुआवजा देता, मेरा विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार से एमपीईबी के कर्मचारी को मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है...

अध्यक्ष महोदय - यह प्रश्न उद्‌भुत नहीं हो रहा है.

श्री मुरलीधर पाटीदार - अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ट्रांसफार्मर बदलने के लिए वाहन की व्यवस्था खुद करने की बात कही है और निजी वाहन इन्होंने बुलवाया की आ जाओ आपका ट्रांसफार्मर बदल देंगे. बीच में गाड़ी पलटती है और वह मर जाता है. अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि इसमें जांच करा लें.

श्री राजेन्द्र शुक्ल - अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार कोई ट्रांसफार्मर जलता है तो उसको 3 दिन में बदलना चाहिए और 3 दिन में बदलने के लिए जो साधन की आवश्यकता है, वह हर सर्किल में इतना पर्याप्त रहता है कि अगर किसान थोड़ा धैर्य रखें तो 3 दिन में वह ट्रांसफार्मर बदला जा सकता है. आपके शाजापुर सर्किल में जो हमारे पास गाड़ियों की उपलब्धता है, वह पर्याप्त है.

अध्यक्ष महोदय, लेकिन कभी-कभी जब कृषि का समय रहता है तो किसान सोचता है कि जिस दिन ट्रांसफार्मर जला है उसी दिन जाकर उसको यदि डीसी में हमने पहुंचा दिया और वहां से दूसरा ट्रांसफार्मर मिल जाएगा तो हम उसको ला सकते हैं. व्यावहारिक रूप से यही होता है. इसलिए ऐसी परिस्थितियां कभी-कभी निर्मित होती हैं कि किसान खुद ही जल्दी ट्रांसफार्मर बदलने के चक्कर में अपनी गाड़ियां, अपने ट्रेक्टर का इंतजाम करके जाते हैं. लेकिन इस प्रकार का प्रतिशत बहुत कम होता है. माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं वह दुर्घटना की है, जैसा आपने कहा कि यह प्रश्न से उद्‌भुत नहीं होता है. इसमें इसके बारे में अभी जवाब देना संभव नहीं है. लेकिन उनसे चर्चा करके और उसकी हम जांच करा लेंगे.

श्री मुरलीधर पाटीदार - अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि उसकी जांच करा लें, उसके आदेश दे दें.

अध्यक्ष महोदय - उन्होंने यह बोल दिया है. आप उनसे चर्चा कर लीजिए, वे जांच करा लेंगे.

श्री मुरलीधर पाटीदार - अध्यक्ष महोदय, यहां पर घोषणा कर दें.

अध्यक्ष महोदय - उन्होंने कहा कि जांच करा लेंगे. आप उनसे मिल लें, विवरण दे दें.

श्री मुरलीधर पाटीदार - धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने कहा मतलब माननीय मंत्री जी ने कहा.

सतपुड़ा पॉवर हाऊस सारणी क्र. 2 इकाई क्र. 6 का संधारण

7. (*क्र. 2293) **श्री चेतराम मानेकर : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतपुड़ा पॉवर हाऊस क्रमांक-2, इकाई क्रमांक-6 के वार्षिक संधारण हेतु दिनांक 8 अगस्त, 2013 से 31 अक्टूबर, 2013 तक, किस कम्पनी को ठेका दिया गया था, उसकी लागत राशि क्या थी? जिस कम्पनी को वार्षिक संधारण का ठेका दिया गया था, उसने कौन-कौनसे उपकरणों का संधारण का कार्य किया? कम्पनी को कितना भुगतान किया गया? (ख) क्या कम्पनी ने संधारण कार्य पेटी ठेके में दिया? यदि हां, तो उस पेटी ठेकेदार का नाम बतायें? क्या उस पेटी ठेकेदार के पास संधारण हेतु पर्याप्त योग्यता थी? (ग) क्या कम्पनी ने संधारण के सभी कार्य पूर्ण किये? क्या कम्पनी ने निर्धारित समय-सीमा में कार्य किये? यदि नहीं, तो उसे कार्य का भुगतान क्यों किया गया? (घ) इकाई का संधारण का कार्य पूर्ण होने के बाद इकाई को चालू करने में कितना समय लगा? संधारण कार्य करने के बाद कितनी बार इकाई बंद हुई और किन-किन कारणों से इकाई बंद हुई?**

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) सतपुड़ा पॉवर हाउस क्रमांक-2, सारनी की इकाई क्रमांक-6 के वर्ष 2013 में किये गये वार्षिक संधारण/रख-रखाव की वास्तविक अवधि 10-8-2013 से 30-9-2013 तक थी. इस वार्षिक संधारण कार्य हेतु मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिनांक 26-3-2013 को आदेश दिया गया था. उक्त आदेश में इकाई क्रमांक-6 के साथ इकाई क्रमांक-8 का संधारण कार्य भी सम्मिलित था, जिसमें इकाई क्रमांक-6 के संधारण कार्य हेतु आदेशित राशि रुपये 9,09,83,510/- थी. मेसर्स- बी.एच.ई.एल.द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध इकाई क्रमांक-6 में निम्नलिखित उपकरणों के संधारण/रख-रखाव कार्य किये गये :— 1. बॉयलर प्रेशर पार्ट का वार्षिक रख-रखाव. 2. बर्नर सिस्टम का वार्षिक रख-रखाव. 3. आई.डी./एफ.डी./पी.ए. फेन का वार्षिक रख-रखाव. 4. डक्ट, डेम्पर्स, गेट्स एवं एक्सपानसन ज्वाइंट का वार्षिक रख-रखाव. 5. बाऊल मिल का वार्षिक रख-रखाव. 6. रॉ कोल फीडर का वार्षिक रख-रखाव. 7. वॉल्व एवं एक्च्यूटर्स का वार्षिक रख-रखाव. 8. ईएसपी. का वार्षिक रख-रखाव. 9. रेडियंट रूफ सुपर हीटर ट्यूब के कंपलिट सेट का रिप्लेसमेंट. 10. प्लेटन सुपर हीटर की 29 क्वाईल में से 16 क्वाईल का रिप्लेसमेंट. उपरोक्त कार्यों के विरुद्ध मेसर्स बी.एच.ई.एल. को रु. 5,83,07,260/- का भुगतान किया गया. (ख) जी हां, मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा मेसर्स यूनीफाईड पॉवर लिमिटेड, नई दिल्ली को पेटी ठेके पर कार्य दिया गया था. जी हां, पेटी ठेकेदार के पास पर्याप्त योग्यता थी, जिसका निर्धारण मेसर्स बी.एच.ई.एल. द्वारा किया गया. उक्त कार्य मेसर्स बी.एच.ई.एल. द्वारा अपनी देख-रेख में करवाया गया. उल्लेखित है कि संधारण कार्य पेटी ठेके दिये जाने पर कार्यादेश अनुसार मूल ठेकेदार (मेसर्स बी.एच.ई.एल.) अपनी जवाबदारी से विमुक्त नहीं हो सकता है तथा संधारण कार्य की अंतिम जवाबदारी मूल ठेकेदार की होती है. (ग) मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा इकाई क्रमांक-6 के वार्षिक संधारण के दौरान आदेश में वर्णित कार्यों में से उत्तरांश ''क'' में उल्लेखित कार्य निर्धारित समय में पूर्ण किये गये तथा कंपनी को, किये गये कार्य के विरुद्ध भुगतान किया गया. इकाई क्रमांक-6 बाबत् आदेश में उल्लेखित निम्नलिखित कार्य नहीं कराये जा सके एवं इसके विरुद्ध फर्म को कोई भी भुगतान नहीं किया गया. 1. री-हीटर क्वाईल विरुद्ध (फ्रंट एवं रियर) का पूर्ण रिप्लेसमेंट. 2. प्लेटेन सुपर हीटर की क्वाईल नं. 13 के कंपलिट सेट का रिप्लेसमेंट. 3. री-हीटर हेडर नं. 1 का रिप्लेसमेंट (सी.आर.एच.). (घ) इकाई क्रमांक-06 के वार्षिक संधारण/रख-रखाव के उपरांत दिनांक 30-9-2013 को वाष्पयंत्र प्रज्वलित कर इकाई क्रियाशील करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर इकाई को. दिनांक 2-10-2013 को क्रियाशील किया गया, जिसमें लगभग 36 घंटे का समय लगा. वार्षिक संधारण/रख-रखाव कार्य पूर्ण कर इकाई क्रमांक-06 को क्रियाशील करने के पश्चात् दिनांक 31 मार्च, 2014 तक यह इकाई 11 बार विभिन्न तकनीकी कारणों से बंद हुई, जिसे आवश्यक सुधार के पश्चात् पुनः क्रियाशील कर लिया गया. इकाई की बंद होने की दिनांक एवं उसके कारण †संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है.

श्री चेतराम मानेकर - अध्यक्ष महोदय, बीएचईएल कंपनी को अधिकारियो ने ठेका दिया और बीएचईएल ने मेसर्स यूनीफाईड पॉवर लिमिटेड, नई दिल्ली को पेटी ठेके पर कार्य दे दिया. मेसर्स यूनीफाईड पॉवर लिमिटेड, नई दिल्ली ने वहां के लोकल 8-10 ठेकेदारों को पेटी ठेके पर कार्य दे दिया, जिससे 5 माह में 11 बार यूनिट बंद हुई और लगभग 5 माह में 20 दिन यूनिट ने उत्पादन नहीं किया. माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि क्या इसकी जांच कराकर संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही करेंगे?

श्री राजेन्द्र शुक्ल –माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है.जो काम बी.एच.ई.एल. को दिया गया,उस काम में जितना कार्य हो सका उतने कार्य का ही भुगतान किया गया है और उससे पहलो जो काफी ज्यादा ट्रिपिंग होती थी उसमें काफी कमी आई है और जब जब आवश्यकता पड़ी है उस यूनिट से बिजली का उत्पादन हुआ है और 9 करोड़ का जो काम दिया है उसमें पांच करोड़ का ही भुगतान हुआ है. जितना काम हुआ है उतना ही भुगतान हुआ है. हम सब जानते हैं कि बी.एच.ई.एल.एक ऐसी कंपनी है जो बिजली के संयंत्रों के रखरखाव के काम में सबसे बेहतर कंपनी मानी जाती है और वह ठेके के द्वारा ही लोगों से काम कराती है. तो इसमें किस प्रकार की जांच आप चाहते हैं वह स्पष्ट कर देंगे उस तरीके से वहां के जो इंजीनियर और वहां के अधिकारी हैं उनको बोल कर करा लेंगे.

श्री चेतराम माने—माननीय अध्यक्ष जी, बी.एच.ई.एल. कंपनी तो बहुत अच्छी है और उन्होंने पेटी पर कांट्रेक्ट भी दिया. लेकिन उस पेटी कांट्रेक्टर ने 8-10 ठेकेदारों को,स्थानीय लोगों को पेटी पर काम दे दिया ,जिनको कोई कार्य का अनुभव नहीं था. इस वजह से यूनिटें बंद हुईं और संधारण कार्य सही नहीं हो पाया. हम चाहते हैं कि इसकी जांच करायी जाय.

श्री राजेन्द्र शुक्ल- ठीक है.

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत राज्य शासन से दी जाने वाली अनुमतियों को शामिल किया जाना

8. (*क्र. 1554) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उन सभी मामलों में जिनमें किसी अधिकारी, विधायक अथवा मंत्री के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार अथवा अन्य मामलों में मुकदमें चलाने के लिये राज्य शासन से अथवा मुख्यमंत्री से अनुमति की आवश्यकता होती है ऐसी अनुमतियां देने के लिये क्या एक निश्चित समय-सीमा तय करने पर सरकार विचार करेगी? (ख) क्या अन्य कार्यों की तरह उक्त बातों को भी लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत एक समय-सीमा में निर्णय करने हेतु प्रावधान किये जायेंगे तथा निर्णय में देरी होने पर प्राधिकृत व्यक्ति से वेतन की कटौती के प्रावधान किये जाएंगे?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हां. प्रस्ताव पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है. (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है.

सुश्री हिना लिखीराम कावरे- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न-उन सभी मामलों में जिनमें किसी अधिकारी,विधायक अथवा मंत्री के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार अथवा अन्य मामलों में मुकदमा चलाने के लिए राज्य शासन से अथवा मुख्यमंत्री से अनुमति ...

अध्यक्ष महोदय- ये तो इसमें लिखा है. आप तो हमेशा तैयारी करके आती हैं , आप सीधे प्रश्न पर आ जाएं.

सुश्री हिना लिखीराम कावरे- अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि मेरे प्रश्न के उत्तर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह अवगत कराया है कि ऐसे सभी मामलों में निर्णय करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने पर राज्य़ शासन विचार कर रहा है. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि इसकी अधिकतम समयसीमा कितनी होगी तथा इस पर राज्य शासन कब तक निर्णय ले लेगा.

राज्य मंत्री,सामान्य प्रशासन विभाग(श्री लाल सिंह आर्य)- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुश्री हिना जी ने जो अपनी भावना रखी है ,मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूं कि शासन की चलने वाली यह सतत प्रक्रिया है. आने वाले समय में संभावनाएं देखने के बाद आवश्यकतानुसार सरकार विचार करती रहती है. और इसलिए आपको कहा गया है कि इस पर विचार किया जाएगा. तो सरकार इस मामले में गंभीर है.

श्री राम निवास रावत- भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगे इसके लिए माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है . आखिर विचार की समय सीमा भी तो होना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय—वे विचार कर रहे हैं. समय सीमा नहीं बता सकते.

सुश्री हिना लिखीराम कावरे—अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था कि विचार कब तक हो जाएगा. कुछ तो समय सीमा आप हमको बताईए.

श्री रामनिवार रावत—आपके उत्तर में ही आया है कि शासन विचार कर रहा है, पेण्डिंग प्रकरण कितने हैं , कब से लंबित हैं और एक समय सीमा निर्धारित करने की व्यवस्था हो जानी चाहिए.

अध्यक्ष महोदय—ये उदभूत नही होता, आप वरिष्ठ सदस्य हैं

सुश्री हिना लिखीराम कावरे—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अगला प्रश्न जो था , मेरे प्रश्न के माध्यम से दूसरे भाग में मैने मुकदमा चलाने की अनुमतियों को लोकसेवा ग्यारंटी अधिनियम में शामिल करने के लिए प्रश्न किया था जिसके जवाब में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है. मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि ऐसे हजारों मामले होते हैं जो राज्य शासन के पास अनुमति तथा निर्णय के लिए भेजे जाते हैं जिनमें अधिकांश मामले तो केवल औपचारिक अनुमतियों के होते हैं किन्तु राज्य शासन के पास अनावश्यक रूप से लंबे समय तक लंबित पड़े रहते हैं. क्या मुख्यमंत्री जी ऐसे सभी मामलों को लोक सेव ग्यारंटी अधिनियम में शामिल करेंगे ताकि एक निश्चित समय सीमा में इन मामलों का निपटारा किया जा सके.

श्री लाल सिंह आर्य – अध्यक्ष महोदय, बहुत विचार करने के बाद शासन ने 102 सेवाओं को लोक सेवा ग्यारंटी के अधीन लिया है. जो जनकल्याणकारी हैं, विकास कार्य से संबंधित हैं, पहली ही ले चुके हैं . माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विकास कार्य, जनकल्याण कारी के अलावा भी पूर्व निर्धारित जो विषय है वे ले लिये गए हैं और इसलिए आपसे कहा गया है कि आने वाले समय में भी अगर कुछ शासन को ऐसा लगेगा उस पर विचार करेंगे.

अध्यक्ष महोदय—आपकी बात आ गई है. यह कोई इतना लंबा प्रश्न नहीं है.

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से पूछना चाहता हूं कि अभी तक शासन के पास जितने भी अनुमति के प्रकरण पेन्डिंग हैं, उनकी अनुमति कब तक प्रदान कर देंगे? क्योंकि यह बरसों से लंबित हैं, इसलिए माननीय सदस्या ने प्रश्न पूछा है. भ्रष्टाचार को बढ़ावा इसीलिए मिल रहा है कि शासन से अनुमति नहीं मिल पाती है.

अध्यक्ष महोदय—यह इससे उद्भूत नहीं होता है. सीधा सीधा प्रश्न है.

श्री रामनिवास रावत—उद्भूत हो रहा है. आप मंत्रीजी से पूछ लें कि वह जवाब देना चाहते हैं कि नहीं.

अध्यक्ष महोदय—उन्होंने लिख दिया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

प्रश्न संख्या—(9)

बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र के खनिजों का दोहन

9. (*क्र. 3486) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में मुख्य खनिज, गौण खनिज की खदानें कहां-कहां, कब से स्वीकृत हैं, चालू हैं, उनका स्थान व नाम, खसरा नं., रकबा, स्वीकृति क्रमांक, दिनांक, खनिज का नाम, किसके नाम स्वीकृत है अथवा अनुबंध हुआ है, बताएं? (ख) खदान में कार्य करने की अनुमति/अनुज्ञा देने से पूर्व तथा बाद में कौन-कौनसी, अनुमतियां, अनापत्ति प्रमाण-पत्र अन्य विभाग जारी करते हैं? (ग) भू-प्रवेश की अनुमति कब, किस स्टेज पर और किस लिये दी जाती है? उपरोक्त प्रश्नांश ''क'' और ''ख'' में उल्लेखित खदानों को उनके संचालनकर्ता को भू-प्रवेश की अनुमति किस तिथि को जारी की गई? तिथि के क्रम में उसका क्रमांक, खदान/अनुमति/प्रोवाइडर/फर्म का नाम सहित बतायें? (घ) क्या विभाग प्रत्येक खदान को कोई आई.डी. नंबर देता है जिससे कि यह पकड़ में आ सके कि एक समान ग्राम, समान खसरे पर कौनसी खदान की अनुमति है? कौन जायज है, कौन नाजायज?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नांश के संबंध में गौण खनिज की खदानों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' एवं मुख्य खनिज से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' पर दर्शित है. (ख) खदान में कार्य करने के लिए वन भूमि होने पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन व्यपवर्तन की अनुमति एवं पर्यावरण के संबंध में ''सिया'' तथा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं राजस्व विभाग की सम्मति/अनुमति प्राप्त की जाती है. (ग) खदानों का अनुबंध निष्पादन पश्चात् खदान के संचालन हेतु कार्य प्रारंभ करने के पूर्व भू-प्रवेश की अनुमति नियमानुसार दी जाती है. वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' एवं परिशिष्ट ''ब'' पर दर्शित है. (घ) जी नहीं.

श्री आर.डी.प्रजापति—माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं. मेरे क्षेत्र में जो ग्रेनाइट

पत्थर के पहाड़ हैं, वहां क्रेशर चलते हैं और बगैर भू प्रवेश के कुछ क्रेशर वहां चल रहे हैं, जिनका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है. जबकि नियम है कि बगैर भू प्रवेश के क्रेशर नहीं चलना चाहिए. अजय ग्रेनाइटपुरा खसरा नंबर 184/2/1,रकबा नंबर 0.4101 जो अटवा में है, जो 26.6.2006 से चल रही है, आज तक उसका भू प्रवेश नहीं है. दूसरा अमर स्टोन क्रेशर खसरा नंबर 1318 में भी भू प्रवेश नहीं दिया गया है. मैं चाहता हूं कि इन पर कार्यवाही हो और कब तक कार्यवाही होगी और क्या बगैर भू प्रवेश के क्रेशर चला सकते हैं. दूसरा प्रश्न यह है कि मेरे यहां ग्रेनाइट का पहाड़ हैं. मरवा में किटेहरा में, सिलपतपुरा में, चंदला में जहां खनिज विभाग के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. यह गंभीर मामला हैं.

खनिज साधन मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रेशर चलाने के लिए भू प्रवेश की आवश्यकता नहीं होती है, मायनिंग करने के लिए जरूर भू प्रवेश की आवश्यकता होती है. बिना भू प्रवेश की अनुमति के किसी भी खदान को शुरू नहीं किया जा सकता है. जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, उन्होंने जो खदान की जानकारी यहां दी है, अगर बगैर भू प्रवेश के काम शुरू हुआ है तो उसकी जांच करा लेंगे.

श्री आर.डी.प्रजापति—अध्यक्ष महोदय, इस तरह की चार क्रेशरें चल रही हैं. दूसरा निवेदन यह है कि मरवा, कटेहरा, सिलपतपुरा, चंदला में ग्रेनाइट के पहाड़ हैं, जहां से ग्रेनाइट का पत्थर निकाला जा रहा है. पूरे क्षेत्र के लोगों को बालू, धूल और पत्थर के टुकड़े हवा, पानी और खाने में मिलते हैं, वहां पहाड़ मालिक पर्यावरण का ध्यान नहीं रख रहे हैं, न ही उन्होंने स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था की है, न ही मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था की गई है, जो नियमों के विरूद्ध है, ऐसे पहाड़ों की कटिंग बंद करना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय—बैठ जाईये. मंत्री जी पर्यावरण और स्वास्थ्य के संबंध में बता दें.

श्री राजेन्द्र शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा सुझाव है, इस पर जो आवश्यक कार्यवाही है, वह करेंगे.

अध्यक्ष महोदय—मंत्री जी इसका परीक्षण करा लेंगे. आप उनको जानकारी दे दें.

श्री आर.डी.प्रजापति—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम प्रश्न है.

श्री मुकेश नायक—अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो एक प्रश्न इसमें पूछ लें.

अध्यक्ष महोदय—उन्होंने वैसे ही काफी लंबा प्रश्न पूछ लिया है.

श्री मुकेश नायक—अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जो ग्रेनाइट के पहाड़ हैं, उसका गिट्टी में इस्तेमाल हो सकता है.

अध्यक्ष महोदय—आप बैठ जाएं. माननीय सदस्य को प्रश्न पूछ लेने दें.

श्री आर.डी.प्रजापति—अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में तीन तरफ से यू.पी. लगा हुआ है. महोबा, बांदा और हमीरपुर. तीन खदानें चलती हैं.

अध्यक्ष महोदय—आपका प्रश्न आ गया. आप जानकारी दे दें.

श्री आर.डी.प्रजापति—अध्यक्ष महोदय, बालू की जानकारी नहीं दी गई है. जबकि बालू की खदानें वहां फर्जी चल रही हैं. हजारों ट्रक चल रहे हैं, वहां तीन नदियां हैं, केन नदी है, उर्मिल नदी है, वहां से हजारों अवैध ट्रक बालू लेकर निकल रहे हैं और किसानों के खेतों से निकाल रहे हैं, जिससे किसान परेशान हैं. इसलिए इन खदानों को रोका जाए.

अध्यक्ष महोदय—बैठ जाएं. आपकी बात आ गई है. माननीय मंत्रीजी उस पर कार्यवाही करेंगे.

प्रश्न संख्या- 10 (अनुपस्थित)

विद्युत पंप का भार निर्धारण पूर्व वोल्टेज मापा जाना

11. (*क्र. 3692) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में किसानों पर विद्युत विभाग द्वारा बनाए जाने वाले प्रकरणों में पम्प का भार मापने से पहले क्या वोल्टेज मापा जाता है? यदि नहीं, तो क्यों? पंप का भार मापने से पहले वोल्टेज मापने के दिशा-निर्देश देंगे? (ख) हरदा जिले में मूंग की तीसरी फसल हेतु तीन माह का अस्थाई बिल दिया जाता है, चूंकि खपत दो माह की है? क्या दो माह का बिल देने के निर्देश देंगे?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) हरदा जिले में कृषि पंप कनेक्शन चेकिंग के दौरान विद्युत वोल्टेज एवं करेंट मापने के निर्देश हैं. टाँग टेस्टर के माध्यम से वोल्टेज एवं करेंट माप कर पम्प के विद्युत भार का आंकलन किया जाता है. (ख) विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं हेतु विद्युत दरों का निर्धारण म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के कार्यक्षेत्र में आता है. म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश दिनांक 23 मार्च, 2013 के टैरिफ शेड्यूल LV-5 की कंडिका क्रमांक 1.4 के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को अस्थाई कनेक्शन हेतु 3 माह का प्रभार अग्रिम राशि के रूप में जमा कराने का प्रावधान है तथा उपभोक्ता द्वारा कनेक्शन विच्छेदित कराने के पश्चात् अंतिम देयक में अग्रिम जमा राशि का, विद्युत उपयोग के अनुसार समायोजन कर, शेष राशि उपभोक्ता को वापस की जाती है. मूंग की तीसरी फसल के लिए भी उपरोक्तानुसार ही प्रावधान लागू है.

श्री संजय शाह मकड़ाई—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि टाँग टेस्टर से माध्यम से वोल्टेज नापा जाता है लेकिन इसमें मेरा कहना है कि टाँग टेस्टर के माध्यम से हमारे जिले में वोल्टेज नहीं नापा जा रहा है और सीधे ही मोटरों के एम्पीयर नापते है और उसके हिसाब से पेनाल्टी विद्युत् विभाग के कर्मचारी लगाते है. माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि यह जो वोल्टेज नापने का सिस्टम है उसको और चुस्त हमारे जिले में किया जाए.

श्री राजेन्द्र शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस उपकरण से मोटर की क्षमता नापी जाती है उसमें वोल्टेज भी आता है,उसमें एम्पीयर भी आता है, करेंट भी आता है. पॉवर फेक्टर भी आ जाता है और सीधे कितने हार्स पॉवर का वह मोटर है उसको निकाला जा सकता है,यह बहुत ही माडर्न इक्विपमेंट बुलाया गया है.हम अधिकारियों को निर्देशित कर देंगे कि अगली बार जब वे जांच क करने जाएं तो आपके साथ कुछ पम्पों की जांच कर लें .

श्री संजय शाह मकड़ाई—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और मेरा प्रश्न था, मूंग की फसल हमारे जिले में काफी तादाद में होती है और इस वर्ष अच्छी फसल रही लेकिन मूंग की फसल सिर्फ दो महीने की होती है और उसमें अस्थायी कनेक्शन किसानों को लेना पड़ता है जो कि नियमानुसार

तीन महीने का होता है. मैं मंत्री जी से चाहता हूँ कि आने वाली फसल के समय में यह इसको तीन महीने की बजाय दो महीने की इस फसल के लिए करने की कृपा करेंगे.

श्री राजेन्द्र शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, अस्थायी कनेक्शन के लिए पहले नियामक आयोग ने कम से कम 4 महीने का प्रावधान किया था. बाद में जब इस सदन में सदस्यों ने इस बात को उठाया था तो शासन ने पहल की थी और उसको 3 महीने न्यूनतम समय निर्धारित किया था लेकिन उसके साथ यह प्रावधान भी कर दिया था कि यदि एक महीने के उपयोग के बाद कोई किसान डिस्कनेक्शन चाहते हैं तो एक महीने के बाद डिस्कनेक्शन भी होगा और दो महीने का जो पैसा है वह ब्याज सहित उनको वापस कर दिया जाएगा.

श्री संजय शाह मकड़ाई—माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि फसल की आयु ही दो महीने की है.

अध्यक्ष महोदय—बिलकुल स्पष्ट आ गया. अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है. मंत्री जी कह तो रहे हैं कि आप डिस्कनेक्ट करा लीजिए, वह राशि वापस कर देंगे.

श्री संजय शाह मकड़ाई—अध्यक्ष महोदय, यह जटिल प्रक्रिया होगी.

आयोजित भोज के नाम पर भुगतान में अनियमितता

12. (*क्र. 3646) श्री आरिफ अकील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि तत्कालीन मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा विशिष्ट अधिकारियों को भोपाल की होटल अशोका लेकव्यूह में दिनांक 15 जनवरी, 2004 को भोज दिया गया था? यदि हां, तो कितने लोगों को किस उपलक्ष्य में भोज दिया गया था? बतावें? (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में होटल प्रबंधन को उक्त भोज का नगद या चेक से कितनी राशि का भुगतान किया गया? और यदि चेक से किया गया, तो चेक नंबर सहित भुगतान करने वाले का नाम, पद व विभाग सहित बतावें? (ग) क्या यह सही है कि उक्त भोज के भुगतान हेतु जो नोटशीट तैयार की गई? वह 18750/- रुपये की अपेक्षा फर्जी रूप से 32,18,750/- (बत्तीस लाख अठारह हजार सात सौ पचास) रुपये की तैयार की गई थी? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि शासन के कोष से राशि 3218750/- रुपये आहरित कर होटल प्रबंधन को मात्र 18750/- (अठारह हजार सात सौ पचास रुपये) का ही भुगतान किया गया है? (घ) प्रश्नांश "क", "ग" के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन जांच कराकर नोटशीट पर जिन भ्रष्ट अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं की मिलीभगत कर शासन के कोष से भ्रष्टाचरण कर राशि आहरित करने वालों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर राशि वसूल करेगा? यदि हां तो कब तक?

मुख्यमंत्री(श्री शिवराज सिंह चौहान)—(क) जी नहीं. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता.(ख).(ग) एवं(घ) प्रश्नांश"क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री आरिफ अकील- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न भोज से संबंधित है. मुझे 41 भोजनों से संबंधित प्रश्नों में जवाब मिला, कहीं 1744 रुपये, कहीं 1724, कहीं 1628, कहीं 399 रुपये, कहीं 2200 रुपये परहेड के हिसाब से भुगतान किया गया. इस प्रश्न के मामले में माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह तो ऐसा लग रहा है कि कोई घटना ही नहीं हुई. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ईओडब्ल्यू ने इस मामले में किस बात की जांच की थी, क्या ईओडब्ल्यू ने इस मामले में जांच की थी और यदि जांच की थी तो उसमें कौन दोषी पाये गये और उनके खिलाफ क्या क्या कार्यवाही हुई.

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन(श्री लालसिंह आर्य)—माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो इस प्रकार का कोई भोज हुआ ही नहीं है और हमने एक जगह नहीं चार चार जगह से यह जानकारी प्राप्त की है. हमने पर्यटन विभाग से जानकारी ली, आपने कहा लेकव्यू होटल, हमने मुख्यमंत्री कार्यालय से जानकारी प्राप्त की, हमने गवर्नमेंट प्रेस से जानकारी प्राप्त की, हमने अधीक्षण शाखा से जानकारी प्राप्त की. ए.जी आफिस से भी जानकारी ईओडब्ल्यू ने प्राप्त की थी. किसी प्रकार का कोई भोज हुआ ही नहीं. जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि ईओडब्ल्यू को,क्योंकि उस समय यह विषय उठा था, और ईओडब्ल्यू को 9 नवम्बर 2006 को म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ईओडब्ल्यू को जांच दी गई थी. उन्होंने जांच की, उस जांच में किसी को भी दोषी नहीं माना उन्होंने विभागीय जाँच के लिए कहा था लेकिन चूंकि अधिकारियों का स्टेटमेंट पहले ही आ चुका था फिर भी उन्होंने जो चार नाम हमने दिये थे उसके बारे में उन्होंने जाँच की और उनको दोषी नहीं पाया इसके बावजूद भी 2007 में आरएन सहाय औऱ टीएन तिग्गा की विभागीय जांच संस्थित की गई औऱ वह विभागीय जांच में निर्दोष पाये गये.

श्री आऱिफ अकील—अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि..

अध्यक्ष महोदय-- जब प्रश्न में कुछ बचा ही नहीं तो पूरक कहाँ से बनेगा वह भोज ही नहीं हुआ

श्री आरिफ अकील—अध्यक्ष महोदय, आप तो न्याय करो . ईओडब्ल्यू की जांच हो रही है ,जांच में दोषी पाये जा रहे हैं उनको बचाने के प्रयास किये जा रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय-- आप कृपा करके उसका उत्तर पढ़ लें , भोज ही नहीं हुआ उसका कोई पेमेन्ट ही नहीं हुआ अब उसमें आप क्या पूछना चाह रहे हैं.

श्री आरिफ अकील—अध्यक्ष महोदय, मेहरबानी करके मेरी बात सुन लीजिये अभी आपके सामने मंत्री जी ने कहा कि ईओडब्ल्यू ने जांच की , विभागीय जांच चल रही है. जब भोज नहीं हुआ तो जांच क्यों हो रही है. मैं तो वह नोटशीट पटल पर रखूंगा.

श्री लालसिंह आर्य—अध्यक्ष महोदय, यह भोज से संबंधित जांच नहीं थी आपने ईओडब्ल्यू का जो विषय कहा है वह कोई फाइल या कोई कैशबुक वल्लभ भवन से चोरी हुई थी , उसके मामले में थी.

श्री आरिफ अकील-- इस भोज के संबंध के कोई जांच नहीं हुई.

अध्यक्ष महोदय-- भोज हुआ ही नहीं तो उसकी जाँच कैसे होगी और इसमें कौनसा पूरक प्रश्न बनता है.

श्री आऱिफ अकील--- आप अनुमति दे तो वह नोटशीट में पटल पर रख दूंगा.

अध्यक्ष महोदय-- अभी पटल पर मत रखिये लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं तो अनुमति ले लीजिये.आज आपको हम अनुमति नहीं दे रहे हैं.

श्री आरिफ अकील-- एक मिनट का समय दे दीजिये मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा मैं एक बात बता रहा हूं. एक आदमी शिकार खेलने गया उसने कहा मैंने शेर को गोली मारी, पेट में से लग के माथे पर लगी. उन्होंने कहा कि कैसे लगी , उसने कहा कि शेर सर खुजा रहा था.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया अगला प्रश्न आने दीजिये श्रीमती झूमा सोलंकी प्रश्न करें. आप कृपया बैठ जाइए.

श्री आरिफ अकील-- आपको भ्रष्टाचारियों को बचाना है. हम नोटशीट रख देंगे तो मान जाओगे.

शिवना से आभापुरी मार्ग का लो.नि.वि. को हस्तांतरण

13. (*क्र. 1937) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगौन जिले के भीकनगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत जब अपरवेदा बांध का निर्माण किया गया तब शिवना से आभापुरी तक का मार्ग नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया था? उक्त मार्ग की लागत कितनी थी तथा वर्तमान में इसके रख-रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस मार्ग की स्थिति जर्जर है? (ख) क्या उक्त मार्ग लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया जाना था? यदि हाँ, तो अभी तक स्थानांतरित क्यों नहीं किया गया? (ग) हस्तान्तरण में विलंब हेतु कौन जिम्मेदार है, क्या जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध विभाग कोई कार्यवाही करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हां, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत अपरवेदा जालशय के डूब प्रभावित होने के कारण शिवना-आभापुरी परिवर्तित मार्ग का निर्माण कराय गया था. परिवर्तित मार्ग की लागत 216.946 लाख रु. थी. निर्मित मार्ग का रख-रखाव नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत है. सड़क निर्माण के पश्चात् अनुरक्षण कार्य न होने के कारण मार्ग जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हुआ है. क्षतिग्रस्त मार्ग के सुधार हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. (ख) वर्तमान में अपरवेदा परियोजना का कार्य पूर्ण नहीं होने से मार्ग का हस्तांतरण नहीं किया गया है. परियोजना पूर्ण होने पर ही हस्तांतरण किया जा सकेगा. (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्रीमती झूमा सोलंकी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि खरगौन जिले में भीकनगांव विधानसभा में अपरवेदा बांध का निर्माण हुआ और परिवर्तित मार्ग के रूप में शिवना से आभापुरी रोड बनाया गया चूंकि यहाँ जो जवाब आया है कि बाँध अभी पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हुआ,ये गलत है बांध बनकर तैयार हो चुका है नहरें बाकी है. किन्तु पांच सालों में वह रोड टूट फूटकर क्षतिग्रस्त है, उसको पुनः नहीं बनाया जा रहा है और वहाँ से आगे जाने वाले पन्द्रह से बीस गांव हैं जहाँ की जनता वहाँ से आती-जाती है, वह बड़ी तकलीफ में है. माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है वह सही नहीं है या तो ये एनवीडीए ने जो रोड बनाया उसको पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर करे ताकि वह उसका रखरखाव कर सके.मंत्री जी , यह बतायें कि

कब तक इस मार्ग में सुधार कर दिया जाएगा या तो एनवीडीए करे या पीडब्ल्यूडी करे दोनों में से कोई तो करे पर शीघ्र करें.

श्री लालसिंह आर्य-- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या की भावना उचित है मैं उनकी भावना से खुद को समाहित करते हुए कहना चाहता हूं कि पिछली बार बरसात ज्यादा हुई थी उसके कारण यह रोड क्षतिग्रस्त हुई थी. यह 8 किलोमीटर का लंबा घुमावदार रास्ता है 2009 में यह बना था. सुधारकार्य हेतु हमने प्रशासकीय अनुमोदन कर दिया है . 17.59 लाख रुपये का और इस कार्य को हम लोग शीघ्र पूरा करने की कोशिश करेंगे.

श्रीमती झूमा सोलंकी-- मंत्री जी, इसकी अवधि बता दें कि कब तक सुधार कर दिया जाएगा क्योंकि जनता इस रोड के कारण बहुत तकलीफ में है.

श्री लालसिंह आर्य--- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बरसात फिर शुरु हो गई है और इसलिए बरसात के तीन चार महीने नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी इसी वर्ष इस रोड को पूर्ण कर लिया जाएगा.

श्रीमती झूमा सोलंकी-- धन्यवाद मंत्रीजी.

छतरपुर जिले में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन

14. (*क्र. 1302) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मुख्यमंत्री महोदय 1 जनवरी 2012 से प्रश्न दिनांक तक छतरपुर जिले में कब-कब एवं कहां-कहां शासकीय प्रवास पर गये थे? उन्होंने कितनी घोषणायें उक्त प्रवास के दौरान की थीं? कितनी घोषणायें पूर्ण कर ली गईं और कितनी अपूर्ण हैं? (ख) क्या यह सही है कि 30 जनवरी 2013 को माननीय मुख्यमंत्री महदोय द्वारा शासकीय प्रवास के दौरान नौगांव, जिला छतरपुर में यह घोषणा की गई थी कि नौगांव को पूर्ण कृषि उपज मंडी का दर्जा दिया जावेगा? प्रश्न दिनांक तक उक्त घोषणा पर क्या-क्या कार्यवाही हुई? (ग) प्रश्नांश ''क'' के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बिजावर विधान सभा क्षेत्र में की गई घोषणाओं को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी †संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. उक्त प्रवास के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुल 44 घोषणायें की गई हैं. 34 पूर्ण तथा 10 अपूर्ण. (ख) जी हां. कृषि उपज मंडी समिति, हरपालपुर, जिला छतरपुर द्वारा कलेक्टर छतरपुर को 30.00 एकड़ भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव भेजा गया है जो प्रस्ताव राजस्व विभाग में विचाराधीन है. भूमि आवंटन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी. (ग) बिजावर विधान सभा में दो घोषणाएं की गईं :— (i) बिजावर विधान सभा क्षेत्र में बिजावर से झमटुली रोड का कार्य जारी है. घोषणा पर कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें समय-सीमा नहीं बताई जा सकती. (ii) सटई को उप तहसील कार्यालय बनाये जाने का प्रकरण भौगोलिक दृष्टि से संभव न होने के कारण अमान्य किया गया.

श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक--- माननीय अध्यक्ष महोदय, नौगांव मेरी जन्मभूमि है इसलिए उससे संबंधित जो भी प्रश्न रहते हैं वह मेरी भावनाओं से ओत-प्रोत रहते हैं. नौगांव नगर में कृषि

उपज मंडी की घोषणा मुख्यमंत्रीजी ने की थी और उसमें यह जवाब आया है कि राजस्व में मामला विचाराधीन है कलेक्टर छतरपुर कार्यालय से यहाँ पर फाईल 30 एकड़ भूमि के लिए आ चुकी है. मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि राजस्व से भूमि आवंटित होने के बाद कृषि उपज मंडी कब खोल दी जाएगी?

श्री लाल सिंह आर्य-- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने, मुख्यमंत्री जी और आपकी भावना के अनुरूप वहाँ पर मंडी खोलने के लिए, जमीन लेने के लिए कार्यवाही की गई है और कलेक्टर, छतरपुर द्वारा राजस्व विभाग को पत्र भी लिखा गया है. अब राजस्व विभाग के पास वह लंबित है और हम कोशिश करेंगे कि मंडी का काम शीघ्र प्रारंभ हो.

श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक-- आपका और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद.

जल संसाधन विभाग में अनियमितता की शिकायतें

15. (*क्र. 3073) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मन्दसौर जिले में 1 जनवरी 2012 से प्रश्न दिनांक तक जल संसाधन विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि, किन-किन कार्यों पर किस-किस स्थान पर खर्च की गई है तथा 1 अप्रैल, 2012 से प्रश्न दिनांक तक वित्तीय वर्षों में शासन द्वारा उक्त जिले को कितनी राशि आवंटित की गई, जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश ''क'' के अनुसार उक्त जिले में उक्त समयावधि में कितने अधिकारी, कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? तथा बतावें कि ऐसे कर्मचारी, अधिकारी वर्तमान में कहां पदस्थ हैं? (ग) उक्त जिले में कितने अधिकारी, कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं, कितने रिक्त हैं तथा कितनों पर अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत हैं तथा ऐसे कितने अधिकारी के पद हैं जिन पर प्रभारी दो वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं? (घ) जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित एक जनवरी 2010 के पश्चात् ऐसे कितने स्टापपडेम, तालाब या अन्य जल संधारित करने वाले कुंए जो अधिक पानी के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनके स्थान व नाम बतावें? क्षतिग्रस्त होने का कारण भी स्पष्ट करें? इस संबंध में कौन-कौन दोषी अधिकारी हैं व उन पर क्या कार्यवाही की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''क'' अनुसार है. (ख) लोकायुक्त पुलिस द्वारा जल संसाधन संभाग, मन्दसौर में कार्यरत उपयंत्री श्री रामगोपाल कुमावत को दिनांक 5-5-2014 को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है. श्री कुमावत को दिनांक 16-6-2014 को गंगा कछार, रीवा में स्थानांतरित किया गया है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''ख'' अनुसार है. कोई भी अधिकारी/कर्मचारी वरिष्ठ पद के प्रभार में नहीं है. (घ) जनवरी 2010 के पश्चात् निर्मित विभाग का कोई भी जलाशय अथवा स्टापडेम क्षतिग्रस्त नहीं है. अत: शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में प्रपत्र "क" में जानकारी मुझे प्राप्त हुई है. अध्यक्ष महोदय, मंदसौर जिले में 54 तालाब निर्माणाधीन थे उसमें से 44 पूर्ण हो गए हैं, 8 निर्माणाधीन हैं, 2 के कार्य प्रगति पर हैं. मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ

कि क्या 44 कार्य पूर्ण तालाबों की, कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र, विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है?

श्री जयंत मलैया-- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी फिलहाल यह जानकारी मेरे पास नहीं है. मैं इसको देखकर....

अध्यक्ष महोदय-- यह प्रश्न इससे उद्भूत भी नहीं होता है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि गरोठ, सुवासरा, मल्हारगढ़ और मंदसौर क्षेत्र के जो तालाब कार्य पूर्ण बताए गए हैं, उन संबंधित क्षेत्र के विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में निर्मित तालाबों की कार्य पूर्णता को लेकर क्या जिला स्तर के अधिकारियों के साथ स्थल अवलोकन करने के निर्देश देंगे ताकि हम यह भी देख लें कि उसमें से कोई टूटा-फूटा तो नहीं है, कोई रखरखाव के अभाव में डेमेज तो नहीं हो गया. ऐसी आप कोई एक व्यवस्था कर दें कि मंदसौर जिले में निर्माणाधीन 44 कार्य जो पूर्ण बताए जा रहे हैं, उनका विधिवत रूप से हम जनप्रतिनिधि, चारों विधायक जाकर के अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में उसका अवलोकन कर लें. मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि मंदसौर में लोकायुक्त में गिरफ्त उपयंत्री रामगोपाल को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया था, उनको रीवा स्थानांतरित कर दिया गया है, उनका अभी निलंबन नहीं हुआ है, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या लोकायुक्त में चालान प्रस्तुति के तत्काल बाद उनका निलंबन संभव होगा?

श्री जयंत मलैया-- अध्यक्ष महोदय, मंदसौर जिले के जो भी निर्माणाधीन तालाब हैं, जिनका कि माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनका अवलोकन वहाँ के स्थानीय विधायकों के साथ, वहाँ के जिले के अधिकारियों के साथ कर लिया जाए, इसकी व्यवस्था कर ली जाएगी, यह एक अच्छा सुझाव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. दूसरा, जो एक लोकायुक्त के द्वारा जो उपयंत्री रामगोपाल कुमावत को रिश्वत लेते पकड़ा गया था उसके लिए वहाँ से गंगा कछार रीवा में

स्थानांतरित कर दिया गया है. जहाँ तक उसको निलंबित न करने की बात है, अनुसंधान पूर्ण होने पर, अभियोजन की स्वीकृति देते समय, निलंबित करने की प्रक्रिया है. इसी के तहत अनुसंधान के दौरान किसी को निलंबित करने की आवश्यकता नहीं है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- अध्यक्ष महोदय, मंदसौर जिले में जल संसाधन विभाग में गाँधीसागर में कुल 17 पद लंबे समय से रिक्त पड़े हुए हैं. मंत्री जी, उनकी पूर्ति कब तक कर देंगे?

श्री जयंत मलैया-- अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार गाँधीसागर संभाग में इस प्रकार के कोई पद रिक्त नहीं हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है, 10 रिक्त पड़े हुए हैं, प्रपत्र क्रमांक "ख" में विभाग की ओर से जानकारी दी गई है.

श्री जयंत मलैया-- अध्यक्ष महोदय, वह बहुत छोटे छोटे से पद हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- उनकी भी पूर्ति हो जाए.

प्रश्न संख्या-- 16 (अनुपस्थित)

सिवनी जिले में मिट्टी खदानों की स्थिति

17. (*क्र. 2884) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में गत 2 वर्षों में रेत व खनिज से कितनी राशि रायल्टी के रूप में प्राप्त हुई? वर्तमान में जिले में मिट्टी की खदानें कहां-कहां संचालित हैं? वर्तमान में संचालित समस्त खदानें शासन के नियमों का पालन करती हैं? (ख) क्या यह सही है कि नवीन नियम अंतर्गत खदानों के नवीनीकरण नवीन पट्टे एवं खदान संचालन के लिये पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्देशित अनुमति लेना आवश्यक है? यदि हां, तो जिले में संचालित समस्त खदानों की पर्यावरण अनुमति की जानकारी उपलब्ध करायें? (ग) प्रश्नांश ''क'' के अनुसार संचालित सभी खदानें निर्धारित भूमि पर ही पत्थर खुदाई का कार्य कर रही हैं? यदि नहीं, तो 2 वर्ष में किन-किन खदानों पर क्या-क्या कार्यवाही हुई? (घ) क्या सिवनी जिले में खनिज लीज सिया कमेटी का गठन कर दिया गया है? यदि नहीं तो समिति का गठन कब तक कर दिया जायेगा, समय-सीमा बतावें?

खनिज साधन मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल)--

(क) प्रश्नाधीन जिले में प्राप्त रायल्टी का विवरण निम्नानुसार है :- वर्ष 2012-13 (1) खनिज रेत - 72,78,391.31 (2) अन्य गौण खनिज 4,28,52,275.69 (3) मुख्य खनिज-3,01,051.00, वर्ष 2013-14 (1) रेत 58,11,135.21 (2) अन्य गौण खनिज 3,40,55,505.79 (3) मुख्य खनिज 1,67,476.00, जिले में मिट्टी की कोई खदानें संचालित नहीं हैं। जहां तक नियमानुसार संचालन का प्रश्न है, इस बाबत् समय-समय पर जांच की जाती है। अनियमितता पाये जाने पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाती है। (ख) नवीन पट्टे की स्वीकृति एवं नवीनीकरण के मामले में पर्यावरण स्वीकृति की अनिवार्यता है, परन्तु पूर्व से स्वीकृत/संचालित खदानों के लिये पर्यावरण स्वीकृति की अनिवार्यता नहीं है। नवीन स्वीकृतियों में से मात्र दो में पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त हुई है, जिनमें कार्य संचालित है, जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ पर है। (ग) जी हां। अतः प्रश्नांश के शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। जिला स्तर पर सिया के गठन के निर्देश नहीं है। अतः समय सीमा का प्रश्न ही नहीं है।

पर्यावरण मंत्रालय (सिया कार्यालय) भोपाल द्वारा जारी पर्यावरण अनापत्ति संबंधी जानकारी

पट्टेदार का नाम पता	ग्राम का नाम	तहसील	स्वीकृत खसरा नम्बर	स्वीकृत रकबा	खदान स्वीकृत अवधि	पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अनापत्ति का विवरण
2	3	4	5	6	7	8
श्री सुरेन्द्रसिंह राजपूत खैररांजी	खैररांजी	केवलारी	133	1.03	18.4.12 से 17.4.22	प्र.कं. 1215/2013 में पत्र कं 856/सिया/13 दि. 1.6.13 द्वारा अनापत्ति जारी की गयी
श्री विनोद पारधी बारासिवनी	बिछुआरैयत	केवलारी	35/3	1.00	7.5.12 से 6.5.22	प्र.कं. 1228/2013 में पत्र कं 897/सिया/13 दि. 3.6.13 द्वारा अनापत्ति जारी की गयी

श्री दिनेश राय-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है इसमें रायल्टी के आँकड़े हैं वह लगभग मान लेता हूँ लेकिन इन्होंने कहा कि समय समय पर जाँच की जाती है. अनियमितता पाए जाने पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाती है मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति वहाँ जाँच और कार्यवाही कर रहे हैं वे ही वहाँ पर जंगल राज चला रहे हैं. वे कहते हैं हमने दो साल से किसी भी मिट्टी की खदानों की परमीशन नहीं दी है तो हमारे जिले में रोड, नाली और बंधान कैसे बन रहे हैं. हमारे यहाँ पत्थर के मामले में ग जो प्रश्न है उसको गोलमाल कर दिया है, ये बोले हैं आता नहीं है आपका. मैं क के अनुसार ही मांग रहा हूँ कि पत्थरों की खदानें,

गिट्टी खदानें, संचालित हैं कि नहीं. उसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया है. मेरा निवेदन है कि सिया कमेटी का गठन मध्यप्रदेश में नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, एमओई एक्ट के माध्यम से मध्यप्रदेश में गठित हुआ है ऐसी मुझे जानकारी है उसके ही माध्यम से पर्यावरण की परमीशन आपने दो साल से किसी को दी नहीं है जो नये क्रेशर संचालित कर रहे हैं उनको भी परमीशन नहीं मिल रही है. ऐसी दस क्रेशर मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं जिनमें अवैध उत्खनन कार्य चल रहा है और आप कहते हैं कि ऐसी एक भी नहीं है आप उनके बिजली के बिल दिखवा लीजिये तो आपको पता चल जायेगा.

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं. मेरा प्रश्न यह है कि जो अधिकारी, कर्मचारी उसमें संलग्न हैं उनकी उच्च स्तरीय जांच करवाकर इन अवैध खदानों पर कार्यवाही करेंगे या नहीं और संबंधित माइनिंग इन्सपेक्टर के ऊपर कार्यवाही होगी या नहीं ? यह मैं जानना चाहता हूँ.

श्री राजेन्द्र शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि सिया कमेटी का गठन जो पिछले 7-8 महीने से नहीं हो पा रहा था जैसे ही दिल्ली में नई सरकार बनी, पहला निर्णय हुआ और सिया कमेटी का गठन हो गया है. (टेबिलों की थपथपाहट) जहां तक इन्होंने संचालित खदानों के बारे में पूछा है उसकी जानकारी परिशिष्ट में खदानवार और खनिजवार दी गई है. अवैध उत्खनन करते हुए यदि कोई पकड़ा जायेगा उसको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जायेगा और यदि आपके पास कोई स्पेसिफिक जानकारी हो तो वह आप हमें उपलब्ध करा देंगे उसकी भी जांच कराकर यदि अनियमितता पाई जाती है तो कार्यवाही करेंगे.

श्री दिनेश राय—माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे जिले में अवैध उत्खनन हो रहा है अलग-अलग क्या जानकारी दूं. सैंकड़ों, हजारों अवैध उत्खनन चल रहे हैं. मैं कहता हूँ कि वहां पर जो माइनिंग इंस्पेक्टर है उससे जांच न करवाकर आप उच्च स्तरीय जांच करा दीजिये आपको सीधा-सीधा मालूम चल जायेगा कि क्या हो रहा है.

अध्यक्ष महोदय—यदि कोई स्पेसिफिक मामले हों तो माननीय मंत्रीजी को दे दीजिये.

श्री दिनेश राय—अध्यक्ष महोदय, दो साल से कोई खदान ही स्वीकृत नहीं है. मिट्टी, गिट्टी की कोई खदान ही नहीं है उसके बाद काम हो रहा है और कौन-सी खदान बता दूं. पूरे जिले में अवैध उत्खनन हो रहा है अलग से क्या बता दूं पूरे जिले में यह काम हो रहा है. आप सिर्फ जांच करवा दें उतने में दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा.

अध्यक्ष महोदय—किस चीज की जांच करवा दें कोई बात तो होना चाहिये.

श्री राजेन्द्र शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ. भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले खनिज राजस्व से मात्र 600 करोड़ रुपये आते थे और आज 3000 करोड़ रुपये आ रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय—बैठे-बैठे कोई नहीं बोलेंगे. (कुछ माननीय सदस्यों के बैठे बैठे बोलने पर)

श्री राजेन्द्र शुक्ल—यह इस बात का प्रमाण है कि हमने अंकुश लगाया है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—यह जरुर जितू पटवारी बोल रहे होंगे.

अध्यक्ष महोदय—आप बैठ जाइये, प्रश्नकाल में डिस्टर्ब करना ठीक बात नहीं है.

श्रीमती इमरती देवी—माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार में 300 रुपये की ट्राली और टेंकर 800 रुपये के टेंकर थे.अब 13 हजार रुपये से कम नहीं हैं.

अध्यक्ष महोदय—आप बैठ जाइये, डिस्टर्ब न करें.

श्री दिनेश राय—मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूँ कि मध्यप्रदेश में खनिज की वसूली हो रही है लेकिन मेरे जिले में तो अवैध वसूली हो रही है मंत्रीजी उसको तो रुकवाइये.

अध्यक्ष महोदय—आपका कोई स्पेसिफिक प्रश्न नहीं है. (व्यवधान) किसी को अनुमति नहीं है. (व्यवधान)

श्री रजनीश सिंह—(XXX)

श्रीमती इमरती देवी—(XXX)

श्री दिनेश राय—अध्यक्ष महोदय, हम सहमत नहीं हैं हम जांच चाहते हैं. अवैध उत्खनन हो रहा है लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं हो रही है.

अध्यक्ष महोदय—आप किस बात की जांच चाहते हैं ? इस तरह से इतने ब्राड में नहीं होती है.

(XXX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया

श्री दिनेश राय—जो क्रेशर चला रहे हैं वे खुद इनवाल्व हैं उनको मंत्रीजी बचाना चाहते हैं (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप उसमें कार्यवाही करवाइये. आप उच्च अधिकारी भेजकर जांच तो करवा लीजिये.

अध्यक्ष महोदय—मंत्रीजी ने बोल दिया है आप उनको प्रकरण दे दें वे करा लेंगे अब इसके बाद आप क्या चाहते हैं.

श्री दिनेश राय—प्रकरण देने की क्या बात है पूरा अवैध हो रहा है, इतने बड़े गोलमाल में, इतनी छोटी-छोटी बात में अपने आदमियों का आप समर्थन कर रहे हैं आप हमारी बात को सुनना नहीं चाहते हैं. मैं मंत्रीजी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं कार्यवाही चाहता हूँ, मैं बहिर्गमन करता हूं.

11.13 बजे **बहिर्गमन**

प्रश्न क्रमांक 2884 (संख्या 17) में शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन

(श्री दिनेश राय, सदस्य द्वारा मंत्रीजी से उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्न संख्या- 18 (अनुपस्थित)

एग्रीमेंट/मुख्तार आम पर रजिस्ट्री में धोखाधड़ी

19. (*क्र. 3007) श्रीमती ललिता यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर रजिस्ट्रार कार्यालय (रजिस्ट्री) में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट व मुख्तार आम हुये? (ख) उक्त अवधि में एग्रीमेंट व मुख्तार आम की कितनी शिकायतें आईं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) छतरपुर रजिस्ट्रार कार्यालय (रजिस्ट्री) में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कुल 605 रजिस्टर्ड एग्रीमेंट तथा 772 मुख्तार आम हुये. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में एग्रीमेंट व मुख्तार आम की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई.

श्रीमती ललिता यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का इस प्रश्न पर ध्यान दिला दिलाना चाहती हूँ कि मेरे मूल प्रश्न में **ख** का प्रश्न था वह विभाग द्वारा अलग कर दिया गया है. मंत्रीजी को मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि छतरपुर जिले में फर्जी मुख्तार आम और इकरार नामा के नाम पर गरीबों की बेशकीमती जमीन हड़पी जा रही है. गरीबों के राशन कार्ड के नाम पर, विधवा पेंशन के नाम पर फर्जी मुख्तार आम किये जा रहे हैं, मेरा निवेदन है कि जो मुख्तार आम होते हैं उसकी वेलिडिटी होना चाहिये और एक और निवेदन मेरा है कि रजिस्टर मुख्तार आम ही मान्य किये जाएं और एक व्यक्ति दो मुख्तार आम करता है और दोनों व्यक्ति रजिस्ट्री करते हैं इस पर रोक लगाई जाए. अगर व्यक्ति दूसरा मुख्तार आम करता है तो उसका लेख होना चाहिये और उसमें खसरा और रकबा का लेख होना चाहिये और छतरपुर जिले में डेली फर्जी मुख्तार आम हो रहे हैं. मैं यही चाहती हूं कि रजिस्ट्रार आफिस में वीडियोग्राफी होना चाहिये ताकि फर्जी मुख्तार आम न हो सकें. गरीब लोगों की बेशकीमती जमीन न हड़पी जाए.

श्री जयंत मलैया – माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 2013-14 और 2014-15 में सबरजिस्ट्रार आफिस में जो मुख्तार आम हुए हैं और इसमें ललगभग 25 आपत्तियां आई हैं और इन आपत्तियों के पंजीबद्ध मुख्तारनामे और मुख्तार आम के आधार पर रजिस्ट्री न किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया. पंजीयन अधिकारी द्वारा कायदा है उस कायदे के अनुसार आपत्ति ग्राह्य कर पंजीयन शुल्क सारणी अनुसार रुपये 10 शुल्क वसूल किया गया है किन्तु आपत्ति के आधार पर किसी पंजीबद्ध दस्तावेज की वैधानिकता पर प्रश्न चिह्न

नहीं लगाया जा सकता. यदि आपत्तिकर्ता को पंजीबद्ध मुख्तार आम या एग्रीमेंट के संबंध में कोई आपत्ति है तो उसे पंजीबद्ध दस्तावेज निरस्त कराना चाहिये. आपस में मिलकर जिन्होंने पावर आफ एटार्नी दी है उनके साथ मिलकर उसको वह निरस्त करा सकते हैं. अगर वह निरस्त कराना संभव नहीं है तो न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिये. बड़े अच्छे सुझाव बहन ललिता जी ने दिये हैं मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि प्रदेश में ई रजिस्ट्रेशन का काम हमारा हो रहा है अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है. 1 अगस्त से हमारे प्रदेश के 5 जिलों में ई रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा और इस वर्ष के अंत तक पूरे प्रदेश में ई रजिस्ट्रेन होगा जिसके कारण ये सारी जो विसंगतियां हो रही हैं यह नहीं होंगी. कुछ और आपने सुझाव दिये हैं जिनमें से 1-2 सुझाव हैं. हमारा रजिस्ट्री के लिये इसी सत्र में जो संशोधन इसी सत्र में आ रहा है तो उसमें उसका समावेश हमने किया है.

श्रीमती ललिता यादव – धन्यवाद माननीय मंत्री जी.

महेश्वर में निर्माण कार्यों के प्रस्तावों की स्वीकृति

20. (*क्र. 2852) श्री मेव राजकुमार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महेश्वर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता द्वारा निर्माण कार्यों से संबंधित कितने प्रस्ताव भेजे गये हैं? प्रस्तावों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश ''क'' के संदर्भ में महेश्वर विधान सभा क्षेत्र में तालाब निर्माण, तालाबों के सुदृढ़िकरण, नहरों के रख-रखाव, नहरों को पक्का करने से संबंधित प्रस्ताव विभाग को कब-कब भेजे गये? संबंधित प्रस्तावों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या यह सही है कि जनसुविधा की दृष्टि से महेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत झाड़ी तालाब, गोवर्धनपुरा तालाब, पांडल्या तालाब योजना, होलीमाल योजना, कालापाठा तालाब, चंदनपुरा तालाब, जेठवाय तालाब एवं जामन्या तालाब की नहरों का रख-रखाव एवं पक्की करने का कार्य स्वीकृत होकर कार्य प्रगति पर लगभग एक वर्ष से अधिक हो चुका है, किन्तु कार्य की प्रगति अत्यन्त ही धीमी गुणवत्ताविहीन होने के कारण योजना का लाभ किसानों को वर्तमान तक नहीं मिल सका है? (घ) प्रश्नांश ''ग'' के संदर्भ में निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता की जांच किन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई? जांच अथवा निरीक्षण में क्या पाया गया? क्या यह सही है कि कार्य की गुणवत्ता नियमानुसार नहीं पाई गई? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? तथा संबंधितों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) माननीय प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा प्रेषित प्रस्तावों की जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है. विभाग को माननीय प्रश्नकर्ता से दिनांक 11-12-2012 एवं 3-4-2013 को महेश्वर विधान सभा क्षेत्र में निर्मित सिंचाई परियोजानओं की नहरें पक्की करने हेतु आर.आर.आर. योजना में स्वीकृति हेतु पत्र प्राप्त हुए हैं. (ख) आर.आर.आर. योजना के तहत भारत सरकार को राज्य शासन द्वारा वर्ष 2013-14 में भेजी गई परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से नई परियोजनाओं के प्रस्ताव बनाए जाना संभव नहीं हो सका है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाना एवं किसानों को सिंचाई जल दिया जाना प्रतिवेदित है. (घ) मंडल के अधीक्षण यंत्री एवं संभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा समय-समय पर निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित की गई है. अत: शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं.

श्री चम्पालाल देवड़ा - माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय द्वारा यह बताया गया है कि आर.आर.आर. योजना के अंतर्गत भारत सरकार से स्वीकृति न मिलने के कारण हमारे तालाब का कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है. मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे इसमें कोई पहल करेंगे जिससे कि यह योजना स्वीकृत हो जाए और उस क्षेत्र में वह कार्य जल्दी स्वीकृत होकर काम चालू हो जाए.

श्री जयंत मलैया – माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो आर.आर.आर.योजना है यह केंद्र शासन द्वारा पोषित योजना है. केंद्र शासन ही इस परियोजना को स्वीकृति देता है. पिछले वर्ष हमने 161 परियोजनाएं केंद्र सरकार को भेजी थीं किन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें से एक भी योजना स्वीकृत नहीं हुई. इस वर्ष हमने फिर सरकार बदलने पर 134 परियोजनाएं पुन: हमने भारत सरकार को भेजी हैं जिनमें से 7 परियोजनाएं आपके क्षेत्र की हैं परन्तु उसकी तैयारी हम करके रखे हुए हैं कि केंद्र से हमें जब पैसा आयेगा तब आयेगा हमने राज्य शासन की मद से कार्य प्रारंभ कर दिया है.

श्री चम्पालाल देवड़ा - माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न और करना चाहता हूं कि बलसगांव,प्रेमपुरा में जो तालाब और नहर का काम चल रहा था उस समय खरगोन कार्यपालन यंत्री को माननीय विधायक जी ने 3 बार पत्र लिखे. 3 बार मोबाईल पर भी सूचना दी है लेकिन वह घटिया निर्माण कार्य चलता रहा और पिछले साल पहली बार वह निर्माण कार्य अस्तव्यस्त हो गया. नहर टूटफूट गई जो आज तक सुधारी नहीं गई क्या वह जो टूटीफूटी नहर है उसको अतिशीघ्र सुधारने का काम करेंगे और जिन ठेकेदारों ने और जिन अधिकारियों ने घटिया निर्माण कार्य में लापरवाही बरती है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री जयंत मलैया—अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि यह प्रश्न उद्भूत ही नहीं होता है. अगर इन्होंने इसमें जानकारी चाही होती तो मैं उसका उत्तर दे देता.

प्रश्न क्रमांक 21

निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थ अधिकारियों के स्थानांतर

21. (*क्र. 151) श्री हितेन्द्र सिंह सोंलकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन के विभिन्न विभागों में खरगौन जिले के अधिकारी/कर्मचारी जो मैदानी स्तर पर तीन वर्ष से एक ही स्थान अथवा जिले में पदस्थ हैं उनकी सूची (अधिकारियों/कर्मचारियों) दी जावे? (ख) खरगौन जिले के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग को प्रश्नांश ''क'' के संबंध में प्राप्त शिकायतों की सत्य प्रतिलिपि जो निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराई गई है? एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कार्यवाही की अनुशंसा की प्रति उपलब्ध कराई जावे? (ग) प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट की जानकारी दी जावे? (घ) मुख्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद भी तीन वर्षों से मैदानी स्तर पर जिले में पदस्थ प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के स्थानांतरण नहीं किये गये? राज्य शासन इन्हें कब तक वर्तमान पद से हटने की कार्यवाही करेगा. समय-सीमा बताई जावे?

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री: (क) खरगौन जिले में तीन वर्ष से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है (पृ01 से 33 तक)। (ख) निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराई गयी शिकायत की प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक) द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' के संबंध में जिला प्रशासन के द्वारा की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार है । (घ) मुख्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद भी तीन वर्षों से मैदानी स्तर पर जिले में पदस्थ चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण की कार्यवाही की गयी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं

श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी—अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब आ गया है इसके लिये मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं उनसे एक और प्रश्न करना चाहता हूं कि क्लास 1, 2 एवं क्लास 3

अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण की कोई समय अथवा नियम प्रक्रिया सीमा है दूसरा निर्वाचन आयोग में जिन अधिकारियों की शिकायतें हुई थीं उनका कब तक हटा देंगे ?

श्री लालसिंह आर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मानननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि निर्वाचन के समय जो 34 शिकायतें मिली थीं उन शिकायतों का परीक्षण किया गया है अब उसमें से 30 शिकायतें निर्वाचन से संबंधित नहीं पायी गईं उस समय एक शिकायत श्री जितेन्द्र सिंह चौहान डिप्टी कलेक्टर खरगौन के स्थानान्तरण के लिये शिकायत की गई है, यह आदेश कार्मिक विभाग से 7 अप्रैल, 2014 को निकल चुका है डिप्टी कलेक्टर खरगौन को तत्काल प्रभाव से प्रशासकीय आधार पर कुक्षी जिला धार में नर्मदा घाटी विकास विभाग में सौंपते हुए उनका स्थानान्तरण किया गया है. 34 जो अन्य शिकायतें की गई थीं 34 में से 4 शिकायतें जो सही पायी गई थीं उनका पालन भी शासन के द्वारा किया गया है.

श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी—माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार होता यह है कि अधिकारी जो अधिक समय तक रह जाता है तो वहां पर जन-प्रतिनिधियों की बात भी नहीं सुनी जाती है, इस कारण जो शिकायत आयी है उसमें मैंने यही पूछा है कि क्लास 1, 2 एवं क्लास 3 के अधिकारी/कर्मचारियों को कब तक हटाने की कोई नियम-प्रक्रिया है कि नहीं, उनको कितने साल में हटाया जायेगा ?

श्री लाल सिंह आर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि प्रक्रिया है, लेकिन मध्यप्रदेश बहुत वृहद है जहां पर कोई अच्छा काम कर रहा होता है उसके नेतृत्व में काम चल रहा होता है उसके बारे में कहा जाता है कि अच्छा काम कर रहा है इसलिये वह वहां रहे, लेकिन हां यदि कहीं कोई शिकवा-शिकायत पायी जाती है और तथ्य सही पाये जाते हैं तो उनको हटाने की प्रक्रिया होती है.

प्रश्न क्रमांक 22

देवरी विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण

22. (*क्र. 2535) श्री हर्ष यादव : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवरी विधान सभा क्षेत्र के देवरी व केसली ब्लॉक में केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत अब तक कितने ग्रामों में विद्युतीकरण किया गया है? सूचीवार ग्रामों के नाम बतायें? विद्युतीकरण का किस-किस एजेंसी द्वारा क्या-क्या कार्य किया गया है? (ख) राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत अनु. जाति, अनु. जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिये क्या-क्या सुविधा देने का प्रावधान है. क्या देवरी विधान सभा क्षेत्र में उपभोक्ताओं को यह सुविधा दी गई है? (ग) क्या यह सच है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के स्वीकृत कार्य देवरी विधान सभा क्षेत्र में अपूर्ण हैं? यदि हां, तो दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी? क्या योजना के तहत लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को ब्लेकलिस्टेड करने का प्रावधान है? यदि हां तो अब तक कितने ठेकेदार ब्लेकलिस्टेड हुये? इस कार्य में म.प्र.पू.वि.वि.कं. के अधिकारियों के पास ठेकेदार को दण्डित करने का अधिकार है? (घ) क्या यह सच है कि देवरी विधान सभा क्षेत्र में किसानों के कनेक्शन न होने पर भी बिजली के बिल आ रहे हैं? यदि हां तो इसका निराकरण कैसे किया जा रहा है?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) देवरी विधान सभा क्षेत्र के देवरी व केसली ब्लॉक में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत अब तक कुल 311 ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य किया गया है. जिनकी सूची पुस्तकालय में रखे प्रपत्र में दर्शाए अनुसार है प्रश्नाधीन क्षेत्र सहित सागर जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्य मेसर्स ईशुन रिरोल लिमिटेड, बैंगलोर द्वारा किया गया जा रहा है. उक्तानुसार पूर्ण किये गये 311 ग्रामों में 125.34 कि.मी. उच्चदाब लाईन 124.49 कि.मी. निम्नदाब लाईन तथा 191 वितरण ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य पूर्ण कर 11828 हितग्राहियों को निःशुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं. (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग सहित अन्य सभी श्रेणी के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदान करने का प्रावधान है. देवरी विधान सभा के उपभोक्ताओं को भी यह सुविधा दी गई है. (ग) जी हां. कार्य समय से पूर्ण नहीं करने के कारण अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिलों से 5 प्रतिशत तक की दर से क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जा रही है. प्रश्न दिनांक तक ठेकेदार के बिलों से रु. 151.03 लाख की राशि की कटौती क्षतिपूर्ति के रूप में की जा चुकी है. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत 'टर्नकी' आधार पर दिये गये कार्यों के ठेके में ठेकेदार का ब्लेक लिस्ट करने का स्पष्ट प्रावधान नहीं है. किन्तु पूर्व में 3 ठेकेदारों यथा मेसर्स मेटॉस इन्फ्रा हैदराबाद, मेसर्स जी.व्ही.पी.आर. इंजीनियर्स लिमिटेड, हैदराबाद एवं मेसर्स सिम्पलेक्स लिमिटेड, जबलपुर को कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण उनके कार्यादेश निरस्त करते हुए उन्हें डिबार किया गया है. किन्तु मेसर्स मेटॉस इन्फ्रा, हैदराबाद की रिट याचिका क्र. 18749/2010 पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार दिनांक 31-1-2011 को उक्त फर्म को डिबार करने का आदेश निरस्त किया गया है. कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने पर म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं. लिमिटेड के अधिकारियों को ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदार से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने एवं ठेकेदार का कार्यादेश निरस्त करने का अधिकार भी है. (घ) जी नहीं तथापि उपभोक्ता द्वारा देयक की राशि जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटा जाता है तथा कनेक्शन कटे होने पर बकाया राशि की वसूली हेतु बिल प्रेषित किए जाते हैं.

श्री हर्ष यादव—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो जवाब दिया है उस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं. राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार से करोड़ो-अरबों रूपये प्रदेश के लिये मिले हैं इसमें दुर्भाग्य का विषय यह है कि उसमें ठेकेदारों द्वारा जो घटिया कार्य हुए हैं नोडल अधिकारी की देखरेख में यह काम नहीं हो पाये हैं उसमें केबिल गलत डाली गई है, खम्बे के गड्ढे की साईज होती है वह भी कम की गई है, आज हल्की सी हवा चलती है तो खम्बे गिर जाते हैं उसके कारण कई दिनों तक लाईन बंद रहती है और गांवों में हाहाकार मचा रहता है.

अध्यक्ष महोदय—यह प्रश्न में कहां हैं.

श्री हर्ष यादव—अध्यक्ष महोदय, घटिया निर्माण कार्य के संबंध में मेरा प्रश्न है इसमें मेरा निवेदन यह है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो नोडल अधिकारी थे तथा ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री राजेन्द्र शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में क्वालिटी को लेकर टेन्डर बनाते समय ही काफी सावधानी रखी गई है उसमें चाहे मटेरियल हो, चाहे थर्ड पार्टी से परीक्षण कराने की बात हो इनके माध्यम से मटेरियल की जांच की जाती है, फैक्टरी में भी तथा माल आने के बाद भी लेब में भेजकर उसको रेन्डम सेम्पिलिंग करके उसकी जांच की जाती है और थर्ड पार्टी के द्वारा साईड पर लगातार सुपरवीजन भी किया जाता है इसके बाद भी इसकी परफारमेंस गारंटी 15 प्रतिशत जब वह एग्रीमेन्ट करता है उस समय जमा करा ली जाती है, यह बहुत बड़ी राशि होती है. तीन वर्ष के बीच में उनके काम में किसी भी प्रकार की खराबी आती है तो उसकी 15 प्रतिशत राशि जप्त हो जाती है इसलिये टेन्डर काफी फूलप्रूफ बनाया गया है और यदि इस प्रकार की कोई शिकायत आती है उसको टेन्डर पीरियड में उसको ठीक करने का प्रावधान है.

श्री हर्ष यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा के क्षेत्र का उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण में इतना निर्माण कार्य हुआ है हमारे क्षेत्र में जितना निर्माण कार्य हुआ है राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में, चाहे वह ट्रांसफार्मर हो, चाहे खंभे को गाड़ने का काम हो, चाहे केबल का काम हो, इतने घटिया किस्म का काम हुआ है कि आज भी हर गांव में स्थिति यह है कि अधिकतर लाइनें बंद हैं, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे ठेकेदार के खिलाफ और जो संबंधित विभाग का नोडल अधिकारी था, क्या मंत्री जी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री राजेन्द्र शुक्ल--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी काम चल रहा है और जैसा मैंने आपको बताया कि दिसंबर तक इस काम को पूरा होना है और इस दौरान यदि किसी प्रकार की, बल्कि 3 वर्ष तक उसका मेंटेनेन्स पीरियड भी है इसमें, तो यदि कोई खराबी आती है, तो उसको वह सुधारेगा और यदि काम पूरा नहीं हो पाता, तो उसके टेंडर को हम निरस्त कर देते हैं. यदि समय सीमा में काम पूरा नहीं होता और उसके बाद काम चलता है, तो 5 परसेंट हम उसकी लिक्विडेटेज डैमेज काटते हैं, जो उसमें आपके जवाब में हमने दिया हुआ है, तो जो भी कार्यवाही की जा सकती है, वह की गई है, लेकिन उसी एजेन्सी से हमें उस काम को पूरा भी कराना है, जैसे दिसंबर तक आपके जो 68 गांव बचे हुए हैं, 311 गांव हो गये हैं, 68 गांव बचे हैं उसको भी तो पूरा कराना है.

प्रश्न संख्या (23)--..

मेंटेनेंस कार्यों पर व्यय की गई राशि

23. (*क्र. 2225) श्री विश्वास सारंग : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल शहर में बिजली कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 में कितनी-कितनी राशि मेंटेनेंस पर व्यय की गई? वर्षवार, व्यय की गई राशिवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश ''क'' के तहत क्या यह सच है कि मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है? यदि नहीं तो भोपाल शहर में ट्रांसफार्मरों और शार्ट-सर्किट से आग क्यों लग रही है? क्यों जरा सी हवा चलने पर बिजली गुल हो जाती है? कारण दें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में शहर वृत्त भोपाल के अन्तर्गत म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मेंटेनेंस कार्यों हेतु व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण †संलग्न प्रपत्र में है. (ख) जी नहीं, शहर वृत्त भोपाल के अंतर्गत नियमानुसार मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है. भोपाल शहर में ट्रांसफार्मरों /शार्ट सर्किट से आग लगने की केवल कुछ नाममात्र की घटनाएं हुईं हैं, जो कि मेंटेनेंस की कमी के कारण नहीं अपितु अन्य तकनीकी/प्राकृतिक कारणों से हुई हैं. तेज हवा/आंधी से पेड़ों की डालियां टूटकर गिरने के कारण लाईनों में फाल्ट आने से कभी-कभी विद्युत प्रदाय में अवरोध उत्पन्न होता है, किन्तु तत्काल आवश्यक सुधार कार्य कर विद्युत प्रदाय सामान्य कर दिया जाता है.

श्री विश्वास सारंग--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि नियमानुसार मेन्टेनेन्स होता है, यह नियमानुसार मेन्टेनेन्स क्या होता है, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे और यदि नियमानुसार कोई नियम है, तो यह हर साल इसकी राशि क्यों बढ़ रही है ? राशि बढ़ती जा रही है और लाइट जाती जा रही है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हर साल मेन्टेनेन्स की कास्ट बढ़ती है और लाइट जाने की जो फ्रिक्वेन्सी है, वह भी बढ़ती है यह बताने का कष्ट करें.

श्री राजेन्द्र शुक्ल--माननीय अध्यक्ष महोदय, हर वर्ष राशि बढ़ती है, यह सही नहीं है क्योंकि 12-13 में 109 लाख रूपये खर्च हुए थे और 13-14 में 95 लाख ही खर्च हुए हैं, जो बढ़ने के बजाये घट गया है और जहां तक मेन्टेनेन्स की बात है, तो मानसून के पहले एल.टी. लाइन और एस.टी. लाइन को मेन्टेन करना पड़ता है और माननीय अध्यक्ष महोदय, भोपाल में विशेष तौर पर देखने में आया है कि यहां पर चूंकि इतनी अधिक ग्रीनरी है, इतने पेड़-पौधे हैं कि जब आंधी चलती है, अभी भोपाल में 80 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली, तो ऐसे पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गये, खंबों में 11 के.बी. की लाइन में गिर गये, 33 की लाइन में गिर गये, उसके कारण असुविधा आई थी, लेकिन हमें ग्रीनरी भी बचाये रखना है और बिजली की सप्लाई भी जारी रखना है, तो इसके लिये जो आवश्यक मेन्टेनेन्स की जरूरत होती है, वह मेन्टेनेन्स भी किया जाता है.

श्री विश्वास सारंग--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो कहा, तो इससे पहले का आंकड़ा नहीं बताया. 2011-12 में केवल 48 लाख थे, उसका जस्ट डबल हो गया है और आप देखें कि अभी 2 दिन पहले 6 घंटे लाइट गोल थी, मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल यह निवेदन है कि यह मेन्टेनेन्स जो होता है, इसका कहीं न कहीं आडिट प्रापर होना चाहिये. मेन्टेनेन्स को लेकर जो भी अभी तक खर्चा हुआ है क्या वह इन **3** सालों का ही

उसकी पूरी जांच कराके एक बार रिपोर्ट हमें भी यदि उपलब्ध करा देंगे, तो ठीक रहेगा क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में लगातार यह प्राब्लम आती है.

श्री राजेन्द्र शुक्ल--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं, इसका आडिट होता है और हर खर्च का आडिट रिपोर्ट हमारे पास रहती है, वह आपको उपलब्ध करा देंगे और जहां तक आपने खर्चा बढ़ने की बात कही है, बिजली का नेटवर्क बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जबसे सरकार ने **24** घंटे बिजली देने की बात कही है, पहली बात तो ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने **24** घंटे बिजली देने की बात तो कही.

श्री विश्वास सारंग--माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद.

श्री सचिन यादव--**24** घंटे बिजली कहीं भी उपलब्ध नहीं है.

अध्यक्ष महोदय--बैठ जाइये कृपया.

एक माननीय सदस्य--अध्यक्ष महोदय, कहीं भी नहीं मिल रही है, किसान परेशान हैं.

श्री जीतू पटवारी--अभी तो भोपाल में ही रोज बिजली जा रही है हम यहीं हैं.

प्रश्न संख्या **(24)--**(अनुपस्थित).

प्रश्न संख्या **(25)--..**

वाणिज्य कर चौकी निवाली, जिला-बड़वानी द्वारा वाहनों की नियम विरुद्ध जांच

25. (*क्र. 2725) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में सेंधवा खेतिया मार्ग पर निवाली में स्थापित वाणिज्य कर जांच चौकी कब से स्थापित है? (ख) वाणिज्य कर जांच चौकी पर प्रतिदिन कितने वाहनों की चैकिंग होती है? जनवरी, 2014 से वर्तमान तक जांच किए गये वाहनों की एवं उनसे प्राप्त कर की विस्तृत जानकारी देवें? (ग) विभाग के नियमानुसार वाणिज्य कर जांच चौकी पर किन वाहनों की जांच किए जाने का प्रावधान है? क्या खाली वाहनों की भी जांच की जाती है? यदि नहीं तो फिर निवाली में ऐसा क्यों हो रहा है? (घ) क्या विभाग द्वारा ड्रायवरों के लायसेंस आदि भी चैक करने के निर्देश दिए हैं? (ङ) क्या यह सही है कि निवाली जांच चौकी पर खाली वाहनों से भी कर लिया जा रहा है? इस पर अंकुश लगाने के लिए विभाग स्तर से कोई कार्यवाही होगी? यदि हां, तो कब व क्या?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) दिनांक 1-4-2006 से. (ख) जांच चौकी निवाली पर प्रतिदिन लगभग 15 से 20 वाहनों की चैकिंग होती है. माह जनवरी, 2014 से वर्तमान तक जांच किये गये वाहनों में से 03 वाहनों पर जांच के दौरान त्रुटि पाई जाने पर रुपये 7,52,326/- की शास्ति आरोपित की जाकर रुपये 3,00,929/- की शास्ति राशि कम्पोजिशन के तहत वसूल की गई. विस्तृत जानकारी ††संलग्न परिशिष्ट पर है. (ग) समस्त वाहनों में लदे माल से संबंधित दस्तावेजों की जांच किये जाने का प्रावधान है. किसी वाहन में माल है अथवा नहीं, इस संबंध में जांच की जाती है, परन्तु वाहन में माल नहीं होने की दशा में वाहन पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का कोई प्रावधान नहीं है. (घ) जी नहीं. (ङ) खाली वाहनों से कोई कर नहीं लिया जाता है. शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री दीवान सिंह विट्ठल पटेल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न (घ) का उत्तर आया है कि जी नहीं, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उक्त चौकी पर प्रतिदिन आये दिन ड्रायवरों के लायसेंस आदि चैक किये जाते हैं और उनको डरा-धमका कर अवैध वसूली की जाती है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस संबंध में कोई अधिकारी से, वह कर्मचारी जो है, जो इस तरह के कृत्य करते हैं, उनके खिलाफ कोई जांच करके कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री जयंत मलैया--अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई भी बात जानकारी में नहीं आई है. अगर कोई किसी चीज का यह उल्लेख करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम किसी अधिकारी से जांच करा लेंगे.

श्री दीवान सिंह विट्ठल पटेल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है आये दिन यह होता है, क्योंकि उस रूट से मेरा भी आना-जाना होते रहता है और इस सदन में हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष भी आये हुए हैं, निवाली के और वह अध्यक्षीय दीर्घा में हैं, तो मेरा इसमें एक और निवेदन है कि निवाली जांच चौकी पर खाली वाहनों की भी अवैध वसूली होती है. मेरा मंत्री जी से विनम्र निवेदनहहै कि इस दिशा में उचित जांच हो. क्या उचित जांच करने की कार्यवाही करेंगे.

श्री जयंत मलैया -- अध्यक्ष महोदय, इसमें मुझे नहीं लगता कि जांच की कोई आवश्यकता है. कोई भी ट्रक अगर वहां पर आता है, तो यह जरुर देखा जाता है कि अगर वह बता रहे हैं कि वह खाली है,तो देखा जाता है कि वह खाली है या भरा है. अगर भरा है तो उसके ऊपर जो भी कर देय होता है, वह होता है. अगर खाली होता है, तो उसे जाने दिया जाता है.

अध्यक्ष महोदय -- प्रश्नकाल समाप्त.

(प्रश्नकाल समाप्त)

श्री बहादुर सिंह चौहान -- अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में 25 प्रश्न पूरे होने पर आपको बधाई.

11.31 बजे **नियम 267- क के अधीन विषय**

अध्यक्ष महोदय -- शून्यकाल. निम्न माननीय सदस्यों की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जायेंगी.

1. श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
2. (इंजी.) प्रदीप लारिया
3. श्री रामनिवास रावत
4. श्री केदारनाथ शुक्ल
5. श्री सूर्यप्रकाश मीणा
6. श्री दिलीप सिंह परिहार
7. श्री के.के.श्रीवास्तव
8. श्री देवेन्द्र वर्मा
9. श्री कमलेश्वर पटेल
10. श्री प्रताप सिंह

श्री के.के.श्रीवास्तव -- अध्यक्ष महोदय, यह जो याचिका में मेरे नाम से दिया हुआ है उद्यानिकी विद्यालय खोले जाने का, तो उसमें उद्यानिकी विश्वविद्यालय है.

अध्यक्ष महोदय -- अभी आपका विषय नहीं आया है.

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे) -- अध्यक्ष महोदय, हम निवेदन यह करना चाहते हैं कि सदन के बाहर एक पुस्तक का वितरण हो रहा है, जिसका नाम है व्यापम का सच.

अध्यक्ष महोदय -- यह विषय कहां से, कैसे आ गया.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, यह पुस्तक बाजार में बंट रही है.

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) -- अध्यक्ष महोदय, यह किस नियम से आ गया.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, हमने इसकी सूचना दी है.

अध्यक्ष महोदय -- यह कोई नियम के अंतर्गत नहीं है. नेता प्रतिपक्ष जी, मेरा अनुरोध सुन लें. इस विषय पर अनेक चर्चाएं हो चुकी हैं.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, अब आप पूरा सुनेंगे, तब तो आपको पता चल पायेगा.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष महोदय, यह किस नियम के अंतर्गत हैं.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, इस पुस्तक का नाम है भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश द्वारा जनहित में जारी.

अध्यक्ष महोदय -- आपने बता दिया. आप यह बता दें कि क्या आपने किसी नियम या प्रक्रिया के तहत इसको यहां दिया है.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय,जी हां. हमने सूचना दी है,हमारे दल ने सूचना दी है.

अध्यक्ष महोदय -- नहीं, कोई सूचना हमारे पास नहीं आई है.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, इसमें विधान सभा की नोटशीट का हवाला है. ..

अध्यक्ष महोदय -- विधान सभा की चर्चा यहां नहीं होती. ..(व्यवधान).. मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी नियम प्रक्रिया के तहत दीजिये. मैं आपको अनुमति दूंगा. ..

(व्यवधान).. आप लोग कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें और आगे की कार्यवाही चलने दें.

..(व्यवधान)..

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, या तो यह पुस्तक सदस्यों को बंटवाई जाय. अध्यक्ष महोदय, यह है क्या. यह दस्तावेज कहां से आ गया.

अध्यक्ष महोदय -- आप किसी प्रक्रिया के तहत इसको दें, तो ठीक रहेगा.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा करवाई जाय.

अध्यक्ष महोदय -- पत्रों का पटल पर रखा जाना. श्री उमाशंकर गुप्ता.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, इसमें विशेषाधिकार भंग की सूचना दी गयी है, हमारे दल की ओर से.

अध्यक्ष महोदय -- कृपया करके बैठ जायें कार्यवाही आगे बढ़ गयी है.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है. विधान सभा सचिवालय की नोटशीट बाहर आ गयी, मंत्रालय की नोटशीट बाहर आ गयी. यह सब पुरानी नोटशीट कैसे आ गयीं. विधान सभा की नोटशीट बाहर कैसे आ गयी. मंत्रालय की नोटशीट बाहर कैसे आ गयी. (व्यवधान)..

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष के बारे में डॉ. शेजवार एवं हमने आपको विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है. उस पर चर्चा कराई जाय.

अध्यक्ष महोदय -- पत्रों का पटल पर रखा जाना के बाद में हम आपकी बात सुनेंगे.

श्री रामनिवास रावत -- चर्चा तो हो चुकी है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष महोदय, एक और दिया है.

..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- कृपया बैठ जायें. अभी कार्यवाही आगे बढ़ गयी है. कृपया बैठ जायें. शून्यकाल हो गया. वह कोई प्रक्रिया के तहत नहीं है . श्री उमाशंकर गुप्ता. गुप्ता जी के अलावा किसी का रिकार्ड में नहीं आयेगा.

..(व्यवधान)..

श्री रामनिवास रावत -- (xxx)

श्री सत्यदेव कटारे -- (xxx)

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

11.33 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

(1) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13.

श्री उमाशंकर गुप्ता (उच्च शिक्षा मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा 30 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रविवेदन 2012-13 (01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013) पटल पर रखता हूँ.

अध्यक्ष महोदय -- श्री कुंवर विजय शाह . ..(व्यवधान)..

(2) मध्यप्रदेश वेअर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन का 10 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक वित्तीय वर्ष 2012-13

कुवंर विजय शाह (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन एक्ट 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, का 10 वां वार्षिक प्रविवेदन एवं हिसाब-पत्रक वित्तीय वर्ष 2012-2013 पटल पर रखता हूँ.

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा व्यापम प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर गर्भगृह में आ गये और नारे लगाये गये.)

....व्यवधान....

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य गर्भगृह में नारे लगाते रहे)

अध्यक्ष महोदय-- मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आपकी बात आ गई. अब बार बार आप वही मांग नहीं उठा सकते . यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है. आपकी मांग पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करा दी गई. आपने बजट में चर्चा कर ली. कुछ भी कार्यवाही में नहीं आ रहा है जो गर्भगृह में आकर के बोला जा रहा है.

....व्यवधान....

अध्यक्ष महोदय --कृपया अपने स्थान पर जायें. सदन की कार्यवाही चलने दें. आपके सदस्यों के द्वारा ध्यानाकर्षण दिये गये हैं, वह भी महत्वपूर्ण विषय पर हैं. माननीय प्रतिपक्ष के नेता से अनुरोध है कि ध्यानाकर्षण में महत्वपूर्ण विषय लिये गये हैं . यह कुछ भी रिकार्ड में नहीं आयेगा जो वेल में प्रदर्शित किया जा रहा है. जो वेल में बोला जा रहा है वह भी नहीं आयेगा. 2-3 बार चर्चा हो चुकी है यह उचित नहीं है.

....व्यवधान....

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य गर्भगृह में नारे लगाते रहे)

अध्यक्ष महोदय -- नेता प्रतिपक्ष जी भी वेल में आ जायेंगे तो क्या होगा.

विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनिट के लिये स्थगित.

(11.37 बजे से 10 मिनिट के लिये विधानसभा की कार्यवाही स्थगित)

समय 1149 बजे अध्यक्ष महोदय(डॉ सीतासरन शर्मा)पीठासीन हुए.

अध्यक्ष महोदय-- ध्यानाकर्षण की सूचनाएं...

मंत्री, वन (डॉ गौरीशंकर शेजवार)-- अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री सत्यदेव कटारे के खिलाफ एक विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है. आपसे विनम्र अनुरोध है. महत्वपूर्ण मामला है. उस पर विचार करने का कष्ट करें.

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे)-- अध्यक्ष महोदय, इस विषय में हमारी प्रार्थना थी. यह गंभीर विषय है. विधानसभा की नोटशीट, मंत्रालय की नोटशीट, गोपनीय दस्तावेज इस पुस्तक में छप गये. यह गोपनीयता कानून का उल्लंघन है. मुख्यमंत्रीजी ने जो गोपनीयता की शपथ ली थी, उसका उल्लंघन किया है. इस पर कार्रवाई होना चाहिए. हमारी यह प्रार्थना है.

अध्यक्ष महोदय-- माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी से मेरा अनुरोध है कि किसी नियम के अंतर्गत आप उसको लिख कर दे दें तो उस पर विचार कर लूंगा.

श्री सत्यदेव कटारे-- धन्यवाद.

11.50 बजे **विशेषाधिकार भंग की सूचना**

वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार एवं संसदीय कार्यमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा द्वारा श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना

अध्यक्ष महोदय -

मुझे दिनांक 14 जुलाई,2014 को डॉ. गौरीशंकर शेजवार एवं डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मंत्रीगण मध्यप्रदेश शासन से माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री सत्यदेव कटारे के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना प्राप्त हुई है जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ :—

दिनांक 07 जुलाई 2014 को सदन में माननीय मुख्यमंत्री की मांगों पर चर्चा चल रही थी, नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री सत्यदेव कटारे चर्चा में भाग लेते हुए अपना भाषण कर रहे थे। भाषण के दौरान श्री कटारे ने असत्य कथन करते हुए सदन को गुमराह किया । श्री कटारे ने कहा लोक सेवा आयोग रेसीडेंसी इन्दौर के विज्ञापन क्रमांक —1, 16 मई 2006 यह 2008 की परीक्षा के लिए विज्ञापन है। इसके पृष्ठ 8 पर पॉइंट नम्बर 4 के पेराग्राफ नम्बर 4 में अंतिम पंक्तियों में यह उल्लेख है कि कोई भी अभ्यर्थी सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है, अर्थात जिन प्रमाण पत्रों में आय सम्बंधी कंडिका कटी होगी या भरी नहीं होगी वह मान्य नहीं होंगे। विवाहित महिलाएं नाम या शपथ पत्र संलग्न करें। ये पी.एस.सी के विज्ञापन की कंडीशन है और अध्यक्ष महोदय हमने पटल पर रखने की अनुमति मांगी है ये कुमारी रितु चौहान का आय प्रमाण पत्र है।

श्री कटारे ने उक्त कथन सदन में एक पेपर पढ़ते हुए कहा। श्री कटारे ने सदन में बार बार यह कहा कि हम सरकारी दस्तावेज दे रहे हैं। सारे दस्तावेज आर.टी.आई. से निकलवाये हैं। कैसे विलोपित कर देंगे। उक्त कथन श्री कटारे ने तब किया जब कुछ सदस्यों ने इन पूर्व किये गये एवं पढ़े गये कथन को विलोपित करने की मांग की ।

श्री कटारे ने आगे कहा अध्यक्ष महोदय वह मध्यप्रदेश की सेवा में हैं और सरकारी खजाने से वेतन मिल रहा है और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की भांजी है।यह उसका आय प्रमाण पत्र है, जो काटा गया है। ये तो आवेदन ही निरस्त हो जाना था यदि मुख्यमंत्री की भांजी नहीं होती ।

आगे श्री कटारे ने कहा ये लड़की यदि मुख्यमंत्री की भांजी नहीं होती तो इसका आवेदन निरस्त हो जाता क्योंकि इसने आय प्रमाण पत्र में काट–छांट की है और यह दस्तावेज मैंने पटल पर रख दिये । इसकी अनुमति आपसे मांगी है यदि अनुमति मिल जायेगी तो सदन के पटल पर आ जायेगी ।

श्री कटारे ने सदन में पूर्णतः असत्य कथन किया है। श्री कटारे यह जानते थे वो सदन में जो कथन कर रहे हैं वह पूर्ण रुप से असत्य है किन्तु जानबूझकर सोच समझकर श्री कटारे ने सदन में असत्य कथन किया है और सदन को गुमराह किया है।

श्री कटारे की माननीय मुख्यमंत्री जी पर असत्य आरोप लगाकर उनको बदनाम करने की साजिश थी, वे ऐसा करके अपनी लोकप्रियता को बढ़ाना चाहते थे । प्रतिपक्ष के नेता के रुप में अपने आप को स्थापित करने के लिए श्री कटारे ने यह साजिश की तथा जानबूझकर सोच समझकर और जानते हुए कि वो जो आरोप लगा रहे हैं असत्य है, सदन को गुमराह किया।

श्री कटारे ने जिस दस्तावेज के आधार पर जिसे पढ़कर आरोप लगाये हैं वह 2011 की परीक्षा के लिये है तथा वह राज्य सेवा परीक्षा का फार्म नहीं है। यह फार्म पर अंकित

है। इसके पॉईंट नं.3 आवेदन की अंतिम तिथि 20.06.2011 अंकित है। जबकि कु. रितु चौहान जो माननीय मुख्यमंत्री जी की भांजी है उसने 2008 में राज्य सेवा परीक्षा का फार्म भरा है।

जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है उसमें 16 मई 2006 कहीं भी नहीं लिखा तथा ना ही 2008 की परीक्षा कहीं लिखा।

श्री कटारे ने अपने कथन में कहा है पृष्ठ–8 पर पॉईंट नंबर 4, महोदय, राज्य सेवा परीक्षा 2008 का फार्म मात्र 6 पेज का है। आठ पेज का नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय राज्य सेवा परीक्षा के क्रमांक 19 प्रवेश पत्र के 11वें पॉईंट पर जाति प्रमाण पत्र मांगा है इसमें कहीं भी आय प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है।

अतः श्री कटारे ने पटल पर रखे दस्तावेज को पढ़ते समय इसकी आड़ लेकर पूर्णतः असत्य कथन किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के षडयंत्र रच कर की है।

उक्त तथ्यों एवं तर्कों के आधार पर श्री कटारे द्वारा कु.रितु चौहान पर प्रमाण पत्र में काट–छांट करने का आरोप असत्य एवं भ्रामक है तथा योजना पूर्वक सदन को गुमराह करने की नीयत से कहा गया।

कौल एवं शकधर के नये एडिशन के पेज नं. 366 के पैरा 2 में स्पष्ट उल्लेख है :–

''सभा के विशेषाधिकार का हनन अथवा उसकी अवमानना के मामले में यह साबित करना पड़ता है कि वक्तव्य न सिर्फ गलत अथवा भ्रामक था बल्कि यह सभा को गुमराह करने के लिये जानबूझकर दिया गया है। विशेषाधिकार हनन तब होता है जबकि कोई मंत्री कोई गलत

या असत्य वक्तव्य जानबूझकर,सोच समझकर और यह जानते हुए देता है कि यह गलत या असत्य है।''

श्री सत्यदेव कटारे ने सभा के पटल पर मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत किये तथा मिथ्या दस्तावेज पढ़े। श्री कटारे ने सदन के पटल पर जो दस्तावेज प्रस्तुत किया उसे राज्य सेवा परीक्षा के नाम से रखा और रितु चौहान ने इस प्रकार के फार्म में काट–छांट की, ऐसा आरोप लगाया इस फार्म को उन्होंने 2006,16 मई का बताया तथा 2008 की परीक्षा हेतु बताया । अंतिम तिथि 20.6.2011, महोदय मई 2006 के प्रकाशन की अंतिम तिथि 2011 नहीं हो सकती।

अतः यह सिद्ध होता है कि श्री कटारे ने किसी अन्य परीक्षा के फार्म को राज्य सेवा परीक्षा का फार्म बताया और नकली दस्तावेज बनाकर सदन में प्रस्तुत किया। यहां सिद्ध हो गया कि श्री कटारे ने मिथ्या, नकली तथा जाली दस्तावेज सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है।

कौल एवं शकधर ''संसदीय पद्धति एवं प्रकिया'' नया एडीशन के पेज नं. 321 एवं 322 पर स्पष्ट उल्लेख है कि ''संसद की किसी भी सभा अथवा उसकी समिति को धोखा देने की दृष्टि से उसे मिथ्या, जाली अथवा नकली दस्तावेज प्रस्तुत करना सभा के विशेषाधिकार का हनन हैं। ''

श्री सत्यदेव कटारे नेता प्रतिपक्ष म.प्र. विधान सभा जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है, ने सदन में असत्य कथन किया तथा यह कथन उन्होंने जान बूझकर और यह जानते हुए कि यह असत्य है फिर भी असत्य कथन किया।

श्री कटारे ने सदन में सदन को धोखा देने की नीयत से मिथ्या,जाली अथवा नकली दस्तावेज पढ़े, प्रस्तुत किए एवं सदन के पटल पर रखे तथा सदन को धोखा दिया ।

उक्त दोनों कृत्य सदन के विशेषाधिकार भंग की श्रेणी में आते हैं।

अतः श्री कटारे ने दिनांक 7 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री की मांगों पर भाषण करते समय जो कथन और कृत्य किया उससे सदन का विशेषाधिकार भंग हुआ।

डॉ.गौरशंकर शेजवार- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैने जो अपना लिखित आवेदन आपके सामने प्रस्तुत किया है उसमें लगभग सभी चीजें आ गई हैं. अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदय—संक्षेप में कर दें क्योंकि आपका लिखा हुआ सब आ गया है.

श्री सत्यदेव कटारे- अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या विशेषाधिकार पर चर्चा प्रारंभ कर दी गई है?

अध्यक्ष महोदय—नहीं. अभी विशेषाधिकार की सूचना मिली है उसको पढ़ा गया अब माननीय सदस्यों की इस पर राय इस पर ली जा रही है.

श्री सत्यदेव कटारे—तो यह चर्चा ही तो शुरू हो गई और चर्चा कैसे होती है?

श्री मुकेश नायक—चर्चा नहीं यह धमकी है. (व्यवधान) आप चर्चा न करें.यह नियमों के विपरीत है.

अध्यक्ष महोदय—कृपा करके बैठ जाईये. किस नियम के विपरीत है यह बता दें. नियम 164 के तहत ..(व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय, हम आपका एक निर्देश चाहते हैं . हम यहां बैठ कर , विशेषाधिकार पर मंत्री भाषण देंगे उनका भाषण सुनें या जो हमें कहना है उसके दस्तावेज लेने जाएं. उसकी तैयारी करें , आप बताईये मेरे को क्या करना है. बताईये, आपने तुरन्त लेना शुरू कर दिया.

अध्यक्ष महोदय—मैं आपको बताता हूं. (व्यवधान)

श्री मुकेश नायक—आज का कार्य सूची में यह विषय नहीं है (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे—आपने तुरन्त लेना शुरू कर दिया. आप एक घंटे बाद का भी समय देते तो हम तैयार हो जाते. एक घंटे बाद के लिए आप पूरी सरकार को बिठाल दो (xx). (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—उन्होने कुछ नियम का प्रश्न उठाया है उसका उत्तर दे दूं? (व्यवधान) वे कुछ नियम का बोल रहे हैं (व्यवधान)

श्री जितू पटवारी- अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो सदन में कथन और सदन के दस्तावेजों के आधार पर आपने विशेषाधिकार पर चर्चा करने की या उसका उपयोग करने की बात हुई है, क्या कितने मंत्री सदन में असत्य कथन या जांच में बाधित ऐसे कितने प्रकरण बनेंगे, इसकी जांच में आएंगे(व्यवधान)..यह तरीका तो डराने और धमकाने का है, कानून के सम्मत विपक्ष को डराने के लिए इस तरीके का (व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय—ये विषय यहां नहीं है. (व्यवधान) मैने मुकेश नायक जी को अनुमति दी है. आप सब बैठें.

श्री मुकेश नायक—अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की अनमति दी है.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कथन आ जाय, इसके बाद इनको समय दिया जाय. मेरी प्रार्थना है कि मैंने जो दस्तावेज लगाए हैं...

अध्यक्ष महोदय—माननीय सदस्यों को यह आश्चर्य हो रहा है कि यह कैसे आ गया तो मैं उनको बता दूं कि यह किन नियमों के तहत आया है. वह कृपा करके पढ़ लेंगे.

श्री मुकेश नायक—अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुमति दी है कि मैं दो शब्द इस बारे में कह सकूं. मैं सदन की विशेषाधिकार समिति का सदस्य भी हूं और मैंने विशेषाधिकार हनन से संबंधित पूरे दिशा निर्देश मैंने पढ़े हैं. अपने सम्मानित सदस्यों के साथ उस विषय पर विमर्श किया है. यह जो प्रस्ताव आ रहा है. बहुत ही विनम्रतापूर्वक सम्मानित मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि किस नियम के तहत आ रहा है.

अध्यक्ष महोदय—यह प्रश्नकाल नहीं है. यह आप मुझसे पूछिये न, क्योंकि मैंने यह पढ़ा है, मैं बताऊंगा, उनसे क्या पूछ रहे हैं. आप बैठ जाईये, मैं बताता हूं.

श्री मुकेश नायक—आप बता देना, लेकिन मेरी बात तो सुन लें. आपने अनुमति दी है. विशेषाधिकार हनन केवल तब आता है, जब सम्मानित सदस्यों के संसदीय नियम, संचालन और प्रक्रिया में कोई बाधा डाली जाए. मंत्री रोज असत्य जवाब दे रहे हैं, आप उनके खिलाफ हमें विशेषाधिकार की अनुमति देंगे? यह विशेषाधिकार नियम के विरूद्ध है. प्रतिपक्ष की भावनाओं को रोकने वाला है, लोकतंत्र की हत्या करने वाला है, यह विशेषाधिकार हमारे अधिकारों पर बाधा डालने वाला है.

अध्यक्ष महोदय—आप सुनेंगे. अपनी बात का उत्तर सुनेंगे. आप मेरी व्यवस्था सुन लें. आपने सारे नियम पढ़ लिए हैं. नियम 164 के तहत यह विशेषाधिकार आया है. मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम पेज 76 के अध्याय-21, विशेषाधिकार (क) विशेषाधकार के प्रश्न 164--"इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से, किसी सदस्य या सभा के या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित प्रश्न उठा सकेगा" 164 उठाने का है और 165 भी देख लीजिए कि—"जो सदस्य विशेषाधिकार का प्रश्न

उठाना चाहे वह उसकी लिखित सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन कि प्रश्न उठाने का विचार हो, प्रमुख सचिव/सचिव को देगा. यदि उठाया गया प्रश्न किसी दस्तावेज पर आधारित हो तो सूचना के साथ वह दस्तावेज भी संलग्न होगा."

श्री मुकेश नायक—आप इसकी विषय वस्तु पर प्रकाश डालें कि किस विषय को लेकर विशेषाधिकार के हनन की सूचना दी है. आप अपनी असीमित शक्तियों की बात कर रहे हैं, उससे मैं सहमत हूं.

अध्यक्ष महोदय—एक मिनट. असीमित नहीं है, यह नियम, प्रक्रियाओं में लिखा है.

श्री मुकेश नायक—आप इसकी विषय वस्तु को बताईये कि यह क्यों प्रासांगिक है?

अध्यक्ष महोदय—आप बैठ तो जाएं. विषय वस्तु मैंने पढ़ दी है, आपने नहीं सुनी तो मैं क्या करूं.

श्री मुकेश नायक—मैंने सुनी है. उससे कोई विशेषाधिकार नहीं बनता है.

अध्यक्ष महोदय—यह आपका विचार है.

श्री मुकेश नायक—इनके मंत्री असत्य उत्तर देते हैं, हम उनके विरूद्ध विशेषाधिकार लाएंगे तो अध्यक्ष महोदय आप उसे स्वीकार करेंगे?

अध्यक्ष महोदय—आप काल्पनिक प्रश्न पूछ रहे हैं.

श्री मुकेश नायक—अध्यक्ष महोदय, यह नहीं आता है, यह गलत परंपरा डाली जा रही है. यह विशेषाधिकार की सूचना प्रतिपक्ष के लोगों को धमकी है.

अध्यक्ष महोदय—जिन माननीय सदस्य ने इसे उठाया है, उनकी बात आप सुन लें. मैं नियम 168 भी पढ़ता हूं. मैं 166 और 167 नहीं पढ़ रहा हूं. 168 में है कि—"यदि नियम 167 के अधीन अनुमति दे दी जाय, तो सभा प्रश्न पर विचार कर सकेगी" आप सुन लेना आप कह रहे हैं कि आप सब पढ़कर आए हैं. "और विनिश्चय कर सकेगी या विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने वाले सदस्य द्वारा

या किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए प्रस्ताव पर उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगी. सभा-नेता या किसी अन्य सदस्य के द्वारा जिसे वह इस नियम के अधीन अपना कृत्य प्रत्यायुक्त करे, किए गए प्रस्ताव पर वह प्रश्न विशेषाधिका समिति को सौंपा जाएगा. " अभी विशेषाधिकार का प्रश्न उठा है. इसका कोई निर्णय नहीं हुआ है. यह निर्णय सभा करेगी अथवा व्यवस्था के बाद में आसंदी की ओर से आएगा. अभी इस पर कल सूचना आई थी, इसको मैंने यहां रखने की अनुमति दी और अब इस पर विचार सुनकर तब इसका निर्णय सभा करेगी अथवा बाद में व्यवस्था दी जाएगी.

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय, हम निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, आप तो आदेश दीजिए, इसको समिति को सौंप दीजिए. हमारा प्रस्ताव यह है कि आप चर्चा करवायें और फिर सदन का मत लें, इसकी आवश्यकता नहीं है . हमारा प्रस्ताव यह है कि आप तो इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दें, चर्चा की जरुरत नहीं है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—अध्यक्ष जी, चर्चा से क्यों घबरा रहे हैं.चर्चा से क्यों भागते हैं?

श्री सत्यदेव कटारे-- चर्चा से हम नहीं घबरा रहे हैं. चर्चा से आप लोग घबरा रहे हो(व्यवधान)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा- लगातार सदन में असत्य बयानी नेता प्रतिपक्ष लम्बे समय से करते रहे हैं, एक नहीं हम दस उदाहरण देने के लिए तैयार हैं.

अध्यक्ष महोदय—आपकी बात सुन ली. आप कृपा करके बैठ जाएं.

श्री सत्यदेव कटारे—हम कह रहे हैं कि समिति की भी रिपोर्ट लें(व्यवधान)

वन मंत्री(डॉ. गौरीशंकर शेजवार)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पुस्तक का उदाहरण मैं सदन के सामने देना चाहता हूँ, यह म.प्र. विधानसभा सचिवालय, विधानसभा दर्शिका प्रथम संस्करण है, माननीय काशीप्रसाद पाण्डे,अध्य़क्ष, मध्यप्रदेश विधानसभा के द्वारा यह विधानसभा दर्शिका किताब छपवायी गयी है. इसमें राज्य विधानमण्डल, उनके सदस्यों तथा समितियों की

शक्तियां, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां, इसको यदि हम पढ़ेंगे तो इसके पेज नम्बर 48 पर तीसरे पैराग्राफ में बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि जब मंत्री या सदस्य जानबूझकर और इच्छापूर्वक असत्य अथवा गलत वक्तव्य देता है तभी विशेषाधिकार भंग होता है (मेजों की थपथपाहट)

श्री सत्यदेव कटारे—डॉ. साहब, इस पुस्तक के बाद कितने नियम बदल गए.इसके बाद बहुत नियम बदल गए हैं. ताजी नियम की पुस्तक उठाओ. (व्यवधान) जिस नियम का उल्लेख किया है उस नियम से आगे चलिये.

अध्यक्ष महोदय-- हाँ, चल रहा हूँ न.

श्री सत्यदेव कटारे-- तो आधा नियम से चलेंगे, आधा पुस्तक से चलेंगे.

अध्यक्ष महोदय-- नहीं, वह परम्परा है. मैंने बार बार यह कहा कि यह नियम और परम्पराओं से चलता है. पूर्व अध्यक्षों की व्यवस्थाओं के उदाहरण दिये जाते हैं.

श्री सत्यदेव कटारे—विशेषाधिकार आप या तो नियम से तय कर लो, या परम्परा से तय कर लो.

अध्यक्ष महोदय-- कोई नियम ही नहीं बनें. माननीय नेता प्रतिपक्ष जी,प्रिविलेजेंस के कोई नियम नहीं बने, यह बार बार सभी जगह आया, कृपा करके पढ़ें तो.

श्री सत्यदेव कटारे—हम तो यह कह रहे हैं कि आप तो समिति को दे दो (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—बार बार यह आया इस पर शुरु से चर्चा हो रही है.पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस पर कितनी विस्तृत चर्चा हो चुकी है, ये कभी कोडीफाई नहीं हो पाए.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस किताब के पेज नम्बर 35 पर तीसरे प्वाइंट पर बहुत स्पष्ट लिखा है- सदन या उसकी किसी समिति को धोखा देने के इरादे से, सदन या उसकी समिति के समक्ष जाली, झूठी, बनाई गई, या गढ़ी हुई दस्तावेजों को पेश करना या करवाना अथवा सदन या उसकी समितयों के समक्ष पेश की जाने वाली दस्तावेजों अन्य व्यक्तियों के नाम से

या वैकल्पिक, काल्पनिक नाम से पेश करना या ऐसी जालसाजी या धोखेबाजी में सहभागी होना या उसका ज्ञान रखना सदन का विशेषाधिकार भंग तथा सदन की अवमानना है. अध्यक्ष महोदय, अब इसके बाद में माननीय विपक्ष के नेता जी ने जो बात कही उस पर आना चाहता हूँ, आपका कथन है कि ये नियम बहुत बदल गए. यह बिलकुल लेटेस्ट संस्करण है. इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है, कोल एण्ड शकधर की यह किताब है , यह आपके द्वारा हमें दी गई है और यह इसका सबसे लेटेस्ट संस्करण है इसके पेज नंबर 336 पर यदि हम देखेंगे तो दूसरे पैराग्राफ में बहुत स्पष्ट उल्लेख है—

"सभा के विशेषाधिकार का हनन अथवा उसकी अवमानना के मामले में यह साबित करना पड़ता है कि वक्तव्य न सिर्फ गलत अथवा भ्रामक था, बल्कि यह सभा को गुमराह करने के लिए जान बूझकर दिया गया था. विशेषाधिकार हनन तभी होता है जब कि कोई मंत्री कोई गलत या असत्य वक्तव्य जानबूझकर, सोच-समझकर और यह जानते हुए देता है कि वह गलत या असत्य है ".

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मनगढ़न्त या मिथ्या दस्तावेज जो इन्होंने प्रस्तुत किया है , उसके बारे में हम देखेंगे तो पेज नंबर 321 पर आखिरी पैरा में लिखा है -

"संसद की किसी भी सभा अथवा उसकी किसी समिति को धोखा देने की दृष्टि से उसे मिथ्या, जाली अथवा नकली दस्तावेज प्रस्तुत करना सभा के विशेषाधिकार का हनन और उसकी अवमानना है. अध्यक्ष मावलंकर ने सिन्हा मामले में सभा के समक्ष मिथ्या अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने से रोकने की अनिवार्यता पर बल देते हुए यह बात कही थी".

अध्यक्ष महोदय, मैंने चार उदाहरण प्रस्तुत किये. अब मैंने सभा के सामने, मेरे आवेदन के साथ जो मैंने दस्तावेज दिये हैं और मुझे विधानसभा से प्राप्त हुए हैं, वह और एक फार्म मैंने अलग से अपनी तरफ से लगाया है . इनको अटेस्ट किया है, यह आपके सामने प्रस्तुत किये हैं और उदाहरण के लिए आप हमें अनुमति देंगे इसीलिए मैंने यह प्रस्तुत किये हैं पहला, जो नेता प्रतिपक्ष ने कार्यवाही के दौरान अपने भाषण किये हैं, जिनका उल्लेख मेरे पत्र में आ गया है औऱ आसंदी की

तरफ से बताया जा चुका है. अध्यक्ष महोदय, दूसरा वह फार्म है,जो फार्म हैं, दोनों फार्मों में विसंगतियाँ हैं.

श्री सुंदरलाल तिवारी--- वह तो पढ़ दिया है. जो अनुमति दी है वह पढ़ दिया अब उसका विश्लेषण करने का क्या मतलब है.

अध्यक्ष महोदय-- जो फार्म लगा है वो है.

श्री सुदंरलाल तिवारी--- अध्यक्ष महोदय, 164 में स्पष्ट है आपके अनुमति से वह उसको पढ़ेंगे औऱ अब उसके बाद बहस कहाँ से शुरु हो गई?

अध्यक्ष महोदय--- बहस शुरु नहीं हुई है. 168 देखें.

श्री सुंदरलाल तिवारी--- 168 से पहले 166 आएगा, उस पर ध्यान दें. 164 में सम्मति देंगे तब वह अपना पढ़ेंगे. 168 में अभी आगे मत बढ़िये. मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि 166 पर विचार करें और देखें.

अध्यक्ष महोदय--- मैं आपको समय दूंगा.

श्री सुंदरलाल तिवारी--- मेरा निवेदन है कि जब वह सारी बातें कह लेंगे.

अध्यक्ष महोदय--- वह प्रस्तुतकर्ता हैं उनको बोलने का अधिकार है.वह बाद में अपनी बात भी कह सकते हैं.जो प्रस्तुतकर्ता है वह अपनी बात कह लें उसके बाद आपको सुनूंगा.मंत्री जी, जल्दी अपनी बात पूरी करें. ..(व्यवधान)...

श्री सोहनलाल बाल्मीक—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि विशेषाधिकार की सूचना पढ़ना था आपने चर्चा औऱ बहस की बात इसमें नहीं थी.

अध्यक्ष महोदय--- आप बैठ जाइए.वह उनका प्रश्न पूछ रहे हैं , उसी पर बात कर रहे हैं.

श्री सत्यदेव कटारे---- अध्यक्ष महोदय, आप तो यह बता कि इस विशेषाधिकार भंग की सूचना पर डेढ़ घंटा सत्ता पक्ष बोलेगा? प्रतिपक्ष को बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है.

अध्यक्ष महोदय-- प्रतिपक्ष भी बोलेगा.

श्री सत्यदेव कटारे--- अध्यक्ष महोदय, हमने तो बोल दिया कि आपको जो निर्णय लेना है आप निर्णय लो . आपने निर्णय क्या लिया वह बता दो.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—यह बोलने तो दें , बोलने दे नहीं रहे हैं. कह रहे हैं विपक्ष नहीं बोलेगा.

अध्यक्ष महोदय—सभा की राय जानने के बाद निर्णय करेंगे.

श्री सत्यदेव कटारे--- अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव लाने वाले यह हैं और हम बोल रहे हैं कि हम सहमत हैं अब आप क्यों मना कर रहे हैं .

अध्यक्ष महोदय-- अभी सभा की राय जानेंगे सदस्यों का मत लेंगे. अभी आपके दल के सदस्य ही आपत्ति उठा रहे हैं.

श्री सुंदरलाल तिवारी-- हाँ, अध्यक्ष महोदय, हमने आपत्ति उठाई है.

अध्यक्ष महोदय--- अभी आपके दल के सदस्य ही आपत्ति उठा रहे हैं. फिर सभा की राय नहीं जानें क्या...(व्यवधान)..

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट...

अध्यक्ष महोदय-- डॉक्टर साहब, आप एक मिनट बैठ जाएँ, 15 सेकंड के लिए बैठ जाएँ. 166,

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- जी हाँ 166....

अध्यक्ष महोदय-- आप बैठ जाइये.

एक माननीय सदस्य-- (नेता प्रतिपक्ष श्री सत्यदेव जी कटारे के अपने अपने आसन से उठकर बाहर जाने पर) कटारे जी, कहाँ जा रहे हों थोड़ा सुनिए.

अध्यक्ष महोदय-- आप बैठ जाएँ. 164, 165 हो गया. 166, यह मेरे पास है...(व्यवधान).... अभी वे 166 की बात कर रहे हैं 166 का उत्तर दे देता हूँ...(व्यवधान)..फिर 167 भी है...(नेता प्रतिपक्ष श्री सत्यदेव जी कटारे अपने आसन पर वापस आ गए)..(व्यवधान)..एक मिनट...

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष महोदय-- मैं उनकी बात का उत्तर दे दूँ.

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात और बता दीजिए हमें यहाँ बँध कर बैठना है क्या.

अध्यक्ष महोदय-- बंध कर बिल्कुल नहीं बैठना है. आप स्वतंत्र हैं.

श्री सत्यदेव कटारे-- आप निर्देश दीजिए कि मुझे जाना है वहाँ जाऊँ.

अध्यक्ष महोदय-- भाई उनको जाने दीजिए. टोकेगा कोई नहीं...(व्यवधान)..आप बैठ जाइये. माननीय मंत्री जी, आप 15 सेकंड के लिए बैठ जाइये...(व्यवधान)..तिवारी जी....

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- हम 166 पढ़ना चाहेंगे.

अध्यक्ष महोदय-- मैं पढ़कर सुना देता हूँ. अच्छा आप पढ़ दीजिए, फिर बहस वही, आप अपने समय पर बोलना. एक मिनट, 166 का विषय, आप बड़े वकील हैं.

166 का विषय यह है कि इन शर्तों के अधीन होगा, आप एक मिनट ठहर जाइये, जल्दी माइक को नीचे मत करिए.

166 यह है कि उनमें शर्तें दी हैं वे तीन बताई हैं, वह आप जब अपना समय आएगा तब बोलिएगा. मैं आपको बता देता हूँ तीसरा, दूसरा देख लीजिए, प्रश्न हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय से संबंधित होगा. तीसरा, विषय में सभा का हस्तक्षेप अपेक्षित हो.

अब 167 को पढ़ना पड़ेगा, 166 सह पठित 167, यदि अध्यक्ष, नियम 164 के अधीन सम्मति दे और यह ठहराए कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है, अनुमति दे दी.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा-- इसमें बहस नहीं होगी.

अध्यक्ष महोदय-- एक मिनट आप सुन लीजिए.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- बहस नहीं, अपनी अपनी बात रखेंगे.

अध्यक्ष महोदय-- 167, यदि अध्यक्ष नियम 164 के अधीन सम्मति दे और यह ठहराए कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है, तो वह संबंधित सदस्य को पुकारेगा जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति मांगते हुए उससे संगत एक संक्षिप्त वक्तव्य देगा...(व्यवधान)..एक मिनट ठहर जाइये, 167 के बाद में...

श्री उमाशंकर गुप्ता-- इसलिए तो ये बड़े वकील नहीं बने.

अध्यक्ष महोदय-- नहीं, वे बड़े वकील हैं. 167 के बाद में अब उसकी व्याख्या पर नहीं जाता. सदस्य ने अनुमति दे दी, सदस्य ने अपना वक्तव्य दे दिया, अभी वह चल रहा है. उनके विशेषाधिकार की सूचना मैंने पढ़ दी, उसको वे पढ़ सकते थे. यहाँ यह परंपरा है, बाकी वह पढ़ सकते थे. फिर 168 पर आ जाइये. अब 166 से आगे बढ़ गए, 167 पर आ गए, अनुमति हो गई....

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- 167 पर अभी नहीं बढ़े.

अध्यक्ष महोदय-- 168 पर आ गए, अब कैसे नहीं आए.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, 166 में लिखा है....

अध्यक्ष महोदय-- 166 पर नहीं जाएँगे.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- विशेषाधिकार प्रश्न उठाने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा....

अध्यक्ष महोदय-- इसी पर तो चर्चा हो रही है. नहीं, वह पढ़ दिया मैंने.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- एक ही बैठक में...

अध्यक्ष महोदय-- डॉ.शेजवार साहब, तिवारी जी, अब आपका समय आएगा तब... (व्यवधान)...

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत तरीका है. मुझे घोर आपत्ति है...(व्यवधान)..

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- एक ही बैठक में एक अधिक प्रश्न नहीं उठाए जाएँगे...(व्यवधान)..

श्री उमाशंकर गुप्ता-- अध्यक्ष महोदय, हर विषय में गलत बयानी..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- वह समझ नहीं रहे हैं...(व्यवधान)..एक मिनट समझा देता हूँ...(व्यवधान)..

श्री उमाशंकर गुप्ता-- इनको समझ में ही नहीं आता इसलिए वकालत चली नहीं...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- वह कह रहे हैं एक नंबर है उनका 166 में...(व्यवधान)..मेरा अनुरोध यह है कि उनकी बात सुन लें. एक बैठक में एक ही विषय उठाया जाएगा यही है, तो इसमें एक ही तो उठाया.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- अब मैं एक बार विशेषाधिकार हनन....(व्यवधान)..

श्री उमाशंकर गुप्ता-- इस विषय पर नहीं आया...(व्यवधान)..अलग विषय है...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- आप देखो तो क्या लिखा है..(व्यवधान)..

श्री उमाशंकर गुप्ता-- समझ ही नहीं है..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- तिवारी जी का नहीं लिखा जाएगा...(व्यवधान)..आपको बाद में अवसर देंगे. (व्यवधान) डॉ. शेजवार अपनी बात कहें.

श्री सुन्दरलाल तिवारी (XXX)

डॉ. गौरीशंकर शेजवार—दो फार्म रखे हैं एक तो मुझे आसंदी से, सदन के पटल से प्राप्त हुआ है और दूसरा फार्म (व्यवधान) व इसके कुछ अंश माननीय कटारे जी ने सदन के पटल पर रखे हैं इसका विज्ञापन 16.5.2011 का है जिसका इन्होंने उल्लेख किया है. इसमें इन्होंने वह अंश पढ़े हैं इन अंशों को मैं सदन के सामने पढ़कर सुनाता हूँ. विवाहित महिला का अपने नाम के साथ पिता के नाम का उल्लेख का जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जायेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहित

आवेदिका जाति प्रमाण-पत्र हेतु पिता के नामयुक्त स्थायी जाति प्रमाण-पत्र के साथ ही विवाह के पश्चात् क्रीमीलेयर में न आने के प्रमाण स्वरुप...

अध्यक्ष महोदय—यह आपकी सूचना में आ चुका है.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार—यह इन्होंने पढ़ दिया है और यह इसमें है. अध्यक्ष महोदय, वास्तव में रितु ने यह फार्म ही नहीं भरा है. 2011 का जो फार्म है यह तो..

श्री जितू पटवारी—यह रितु का हिसाब आजकल इतना क्यों ध्यान रखते हो.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार—यह तो सहायक वन संरक्षक के लिये फार्म भरा है इन्होंने उसमें मेनीपुलेट करके...

अध्यक्ष महोदय—जितू पटवारी ने जो बोला है उसे विलोपित कर दें.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार—जालसाजी करके पटल पर रखा है यह 2011 का फार्म है इन्होंने कहा है कि यह 2008 में भरा गया है. 2008 का दूसरा फार्म था इस फार्म पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र इंदौर है और राज्य सेवा परीक्षा 2008 यह डिप्टी कलेक्टरों के लिये है और यह बहुत स्पष्ट है और रितू ने यह फार्म भरा है इस फार्म को छुपाकर नकली फार्म बनाकर सहायक वन संरक्षकों के लिये जो फार्म था उले मेनीपुलेट करके और असत्य जानकारी करके कटारे जी ने यहां सदन के पटल पर रखा है.

(XXX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

अध्यक्ष महोदय, मेरे दोनों पाइंट सही हैं सदन में इन्होंने जानबूझकर असत्य कथन किया है यह जानते थे कि यह कथन असत्य है और फिर भी सदन के सामने रखा. मैंने उदाहरण प्रस्तुत किये हैं. इन दोनों फार्मों को मिलाकर और इनके कथन को मिलाकर सदन में यह सिद्ध करने का पूरा

प्रयास किया है कि कटारे जी ने राज्य सेवा का जो फार्म था उसे छुपाया और उसके स्थान पर सहायक वन संरक्षक का फार्म रखा और उसमें मेनीपुलेशन किया और पेज नंबर गलत बताये और यह कहा कि यह 2008 का फार्म है जबकि यह 2011 का फार्म है. मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रकरण को विशेषाधिकार समिति को आप जांच के लिये अवश्य सौंपें.

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा)—अध्यक्ष महोदय, लगभग सारे बिंदु डॉ. शेजवार जी, आपके पढ़ने में और किताबों से उद्धृत होकर आ गये हैं.

अध्यक्ष महोदय, हमको यह विशेषाधिकार पुन: लाने की जरुरत क्यों पड़ी इस बिंदु पर संक्षेप में सदन का और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा. मैं 5-7 बिंदुओं पर ही बोलूंगा.

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी केवल विशेषाधिकार की जो विषयवस्तु है उस तक सीमित रहें. क्यों लाया गया, कैसे लाया गया, क्या कारण रहे इसमें न जाते हुए आपने जो विशेषाधिकार दिया है केवल उस तक सीमित रहें.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष का पद बहुत सम्मान का पद है. हम सब इस सदन की गरिमा के लिये प्रतिबद्ध हैं क्योंकि हमें इसी सदन से ताकत मिलती है मैंने पिछली बार जब यह रखा गया था तब भी यह बात कही थी, पर कोई भी व्यक्ति लगातार समाचार में स्थान पाने के लिये, सनसनी फैलाकर, सदन को गुमराह करके इस सदन का और समाचार का गलत ढंग से प्रयोग करे और सदन की मर्यादा खंडित हो तो हमें पीड़ा होगी. भाई मुकेश जी ने कहा कि हम दबाना चाहते हैं, सच में मुकेश जी बिलकुल यह भाव कहीं नहीं है, आप भी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं आप भी जानते होंगे कि इस सदन की गरिमा है और इससे ही हम सबको ताकत मिलती है. असत्य जानकारी चाहे वे इस पक्ष के लोग दें चाहे उस पक्ष के दें चाहे कोई भी पक्ष के दें, इस सदन की गरिमा का हम सब को ख्याल रखना पड़ेगा. यह बहुत पवित्र मंदिर है लोकतंत्र का मंदिर है और हम सब को इसका संवर्द्धन करना है. अध्यक्ष महोदय, आप प्रारंभ से देखें तो ताज की हत्या

होने वाली है, ताज की हत्या कर दी गई है, यह गलत जानकारी सदन के अंदर प्रारंभ में ही दे दी गई और खुद नेता प्रतिपक्ष उससे मिलने के लिये पहुंच गये. क्या आवश्यक्ता थी कहने की हम बिना जानकारी के कोई भी बात सदन में कह दें. सदन की जो भी सम्पत्ति बनती है वह स्वाभाविकरूप से समाचार बनता है लेकिन नेता प्रतिपक्ष जैसा जिम्मेदार व्यक्ति एक बार कह दे कोई बात नहीं. हो सकता है कि प्रारंभ के दिन थे वह शुरूआत की बात थी 11.1.2001 की बात थी. वह नहीं होना चाहिये था. ऐसा मेरा मानना है. ओला-पाला पर चर्चा हो रही थी नेता प्रतिपक्ष जी ने कह दिया कि प्रधानमंत्री देश में ही नहीं थे और मुख्यमंत्री सदन को और प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया.

डॉ.गोविन्द सिंह - अध्यक्ष जी, यह विशेषाधिकार का विषय है.

श्री जीतू पटवारी – अध्यक्ष महोदय, यह कौन सा तरीका है.

(..व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय - कृपया विषय तक सीमित रहें माननीय मंत्री जी. आपकी बात स्वीकार की बोला कि विषय तक सीमित रहें.(..व्यवधान.) कृपया विषय पर आएं.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण देने ही खड़ा हुआ हूं और इस पर भाषण ही दिया जाता है. मैं आपसे यह निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि इसको समिति को क्यों सौंपा जाए. इसके संबंध में मैं अपने तर्क दे रहा हूं. मैं वह तर्क नहीं दूंगा कि इस सदन के अंदर जो विषय आए हैं इस सदन की जो प्रापर्टी है मैं सिर्फ उनका उल्लेख कर रहा हूं और इसलिये कर रहा हूं और उसि सि वशेषाधिकार के लिये कर रहा हूं जो इस सदन में दिया गया है . उसका उल्लेख नहीं करने देंगे.

(..व्यवधान.)

डॉ.नरोत्तम मिश्रा – माननीय अध्यक्ष महोदय, और उसके बाद में एक विषय को लेकर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने आंदोलन किया उनका अधिकार है करना भी चाहिये विपक्ष जितना सबल होगा उतना लोकतंत्र मजबूत होगा. वह बनियान पहनकर बेरीकेट पर चढ़ गये. चढ़ सकते थे. पानी की धार से वह गिर गये. वह भी गलत था लेकिन अखबार में दे दिया कि मुख्यमंत्री से मेरी जान को खतरा है. यह बयान क्यों दिया और उस पर सितम यह कि मुख्यमंत्री को ही पत्र लिख दिया इस बात के लिये जिससे जान को खतरा है उसी को लिख दे कि सदन के अंदर अभी पिछले हफ्ते कमण्डल लेकर आ गये, भगवा लेकर आ गये, इस सदन के अंदर और उसके बाद कहते हैं कि हम पर दबाव डाल रहे हैं. हम दबाव नहीं डाल रहे. दबाव डालते मुकेश भाई तो हिन्दुस्तान की लोकसभा गवाह है कि बड़े-बड़े लोग जो प्रधानमंत्री तक रहे हैं उन पर विशेषाधिकार के मामले में उनको सदन की सदस्यता से भी निलंबित करने की नौबत आई है. इसी सदन के अंदर दो सदस्यों को सदस्यता से निलंबित किया गया. हम ऐसा नहीं चाहते. हम चाहते आपका पक्ष यहां भी आए और समिति के सामने भी आए. आपके पास जो तर्क हैं दलील हैं लेकिन मेरे मित्रों इस सदन की गरिमा हम सबको रखना पड़ेगी. हम कहीं दबाव नहीं डालना चाहते. आप हमको इस सदन की मर्यादा में बंधकर चलना है. इस प्रदेश की जनता के मुद्दे और जनहित से जुड़े हुए मुद्दे जितने माननीय सदस्य उठा सकते हैं जब चाहे उठा सकते हैं और जिस विषय या पर सम्मानित सदस्य चर्चा करना चाहते हों हम हर विषय पर चर्चा करने के लिये तैयार हैं. दबाव तो इसको कहते हैं कि आपने मांग की स्थगन लाने की उन्होंने स्थगन स्वीकार किया और स्थगन स्वीकार किया तो मुख्यमंत्री का जवाब सुनने आप तैयार नहीं हुए और मुख्यमंत्री का जवाब सुने बिना आप चले गये. यह दबाव कहलाता है. यह दबाव नहीं कहलाता है कि हमको बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है और आपको मिल रहा है. विशेषाधिकार पर चर्चा हो ही है और यह फ्लोर हमको सिर्फ चर्चा के लिये मिला है. यह फ्लोर हमें संवाद के लिये मिला है. लोकतंत्र में संवाद एक सशक्त माध्यम होता है. हम

संवाद नहीं करके हम चर्चा से पलायन करें. मैं यह नहीं कर रहा हूं मैं उसकी विषयवस्तु से बाहर नहीं गया हूं यह क्यों ग्राह्य किया जाना चाहिये मैं इसी बात पर हूं कि कमण्डल लेकर नहीं आना चाहिये. यह सनसनी नहीं फैलाना चाहिये. अभी आज ही की बात है कल नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिया कि मुख्यमंत्री जी चर्चा से भाग रहे हैं सदन में नहीं आ रहे. आज मुख्यमंत्री जी आपके सामने हैं. 10 साल तक इस जगह पर तकिया रखा रहा.

अध्यक्ष महोदय – कृपया समाप्त करें. यह बात ठीक नहीं है.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा - यह लगातार असत्य बयानी. यह बात कहकर अपनी बातसमाप्त करूंगा कि लगातार असत्य बयानी और उनका नाम सत्यदेव. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर भी विचार किया जाना चाहिये. बहुत-बहुत धन्यवाद.

. श्री गौरीशंकर शेजवार—अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दो मिनट लूंगा मुझे राईट ऑफ रिप्लाई में कुछ कहना है.

अध्यक्ष महोदय—इसमें राईट ऑफ रिप्लाई आया ही नहीं.

श्री सुन्दरलाल तिवारी—अध्यक्ष महोदय, इसमें राईट ऑफ रिप्लाई नहीं है.

अध्यक्ष महोदय—स्वीकार कर लिया नहीं है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि और इस सरकार से कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दो बार एक बैठक में विशेषाधिकार हनन का नोटिस सरकार के पक्ष से दिया गया है.

श्री के.के.श्रीवास्तव—अध्यक्ष महोदय, उसके विषय अलग अलग हैं.

श्री गौरीशंकर शेजवार—अध्यक्ष महोदय, बैठक का मतलब एक सत्र से होता है. इन्होंने मुझे नहीं बोलने दिया मैं भी इनको नहीं बोलने दूंगा.(व्यवधान)

श्री के.के.श्रीवास्तव—अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इनके बोलने का कोई अर्थ ही नहीं है वह शून्य पर बोल रहे हैं.(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आप लोग कृपया बैठिये.

श्री सुंदरलाल तिवारी—अध्यक्ष महोदय, क्या विशेषाधिकार जो इस सदन को दिया गया, सदस्यों को दिया गया है (xx) , रोज उठ-उठ कर खड़े होकर के इसको सदन में पेश करना यह अधिकार हो सकता है, लेकिन इस कानून का नाम है विशेषाधिकार और इस एक सप्ताह के अंदर दोबारा सदन में आ गया और वहीं हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय कटारे जी के विरोध में आ गया. (व्यवधान)

कुंवर विजय शाह—अध्यक्ष महोदय, (xx) विशेषाधिकार आया है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—कृपया करके उनको सुन लें.

श्री के.के.श्रीवास्तव—जब जब उनके अधिकारों का हनन होगा तो विशेषाधिकार तो आयेगा ही और बार-बार आयेगा. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—श्रीवास्तव जी कृपया बैठें तिवारी जी अपनी बात जारी रखें.

श्री सुंदरलाल तिवारी—अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा यह कहना है कि इस विशेष कानून को (xx) बार बार उपयोग करने का क्या कारण हो सकता है मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं. विपक्ष अपनी कोई बात कहता है और जिम्मेदारी के साथ कहता है, सदन में कई तरह की बातें आती हैं और (xx), सरकार के विरोध में भ्रष्टाचार को लेकर के कोई बात आती है तो यह सीधे से—

अध्यक्ष महोदय—इसका यह विषय कहा हैं. (व्यवधान)

व्यापम से संबंधित सारी बातों को कार्यवाही से निकाल दें. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य—आप किसी की बात को सुनना चाहते ही नहीं हैं. असत्य कथन कहते हैं सदन में.

श्री सुंदरलाल तिवारी—अध्यक्ष महोदय, बार बार कोड किया गया है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—यह सर्विस कमीशन की बात है उसमें फर्क होता है कि नहीं होता है. (व्यवधान)

श्री सुंदरलाल तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं. मेरा यह कहना है कि अगर विपक्ष ने मुख्यमंत्री जी के जवाब का विरोध किया, क्योंकि हमारी मांग केवल एक थी कि(xx). (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—इसको विलोपित करें. यह नहीं चलेगा आप इस तरह से विषय से हटकर के नहीं बोलेंगे और आप अपने बोलने के अवसर का दुरूपयोग नहीं करेंगे, यह बात बिल्कुल गलत है आपको विशेषाधिकार पर अपना मत रखने के लिये कहा गया है. (व्यवधान)

श्री सुंदरलाल तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मैं पूरा का पूरा उपयोग करूंगा.

अध्यक्ष महोदय—आप अन्य विषय पर नहीं जा सकते हैं.

श्री सुंदरलाल तिवारी—क्या मुख्यमंत्री जी के जवाब का माननीय मंत्री जी ने नाम नहीं लिया क्या बोला कि मुख्यमंत्री जी को जवाब नहीं देने दिया. दोनों मंत्रियों ने यह बात कही है.

अध्यक्ष महोदय--आपका विषय नहीं है वह. यहां का विषय नहीं है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी--अगर उनको अनुमति है, तो हमको भी अनुमति बात करने की जवाब देने की है.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, उनको भी नहीं है और आपको भी नहीं है. विषय के बाहर बात करने की अनुमति किसी को नहीं है.

डा.नरोत्तम मिश्रा--अध्यक्ष जी, जो बोल रहे हैं बोल लेने दो, प्रदेश की जनता भी देखेगी कि कार्यवाही तो पूरी की पूरी उस पर डल रही है.

एक माननीय सदस्य--अगले बार तिवारी जी भी नहीं आयेंगे.

श्री सुन्दरलाल तिवारी--हमें बात करने दें.(व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय--आप लोग बैठें.

श्री जीतू पटवारी—(xx)

अध्यक्ष महोदय--कृपा करके आप बैठ जायें पटवारी जी. आप बारबार यही बात बोलते हैं, यह ठीक नहीं है आप बैठें. श्री जीतू पटवारी कृपया मर्यादायें रखें. जैसे आप बोल सकते हैं, ऐसे वह भी बोल सकते हैं. एक सदस्य के नाते दोनों जगह को अधिकार है और वह सुझाव भी दे सकते हैं. इस तरह से आप बार-बार यही बात बोलकर के ठीक नहीं कर रहे हैं, कृपा करके जीतू पटवारी जी, आप बैठ जायें और वह विलोपित कर दें जीतू पटवारी वाला (व्यवधान) यह बात ठीक नहीं है. जीतू पटवारी जी, आप बैठ जाइये (व्यवधान) आपको अवसर देंगे (व्यवधान) आपको अवसर देंगे बोलने का.

श्री जीतू पटवारी--मैं तो जो देखता हूं, वही बोलता हूं (व्यवधान) जैसा देखता हूं वह आपके सामने पेश करता हूं.

अध्यक्ष महोदय--श्री जीतू पटवारी का नहीं लिखा जायेगा (व्यवधान).

श्री जीतू पटवारी--(XX)

एक माननीय सदस्य--अगली बार नहीं आ पाओगे, चिन्ता मत करो अगली बार नहीं

(XX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

आ पाओगे.

श्री सुन्दरलाल तिवारी--अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का कई बार नाम लेकर सदन में...

अध्यक्ष महोदय--आप विषय पर आयेंगे कि नहीं आयेंगे ?

श्री सुन्दरलाल तिवारी--नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं जो कह रहा हूं, गलत है क्या, असत्य है ?

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--और क्या. (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल तिवारी--मंत्रियों ने मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं लिया ?

अध्यक्ष महोदय--सुसंगत नहीं है रेलीवेन्ट नहीं है (व्यवधान).

श्री सुन्दरलाल तिवारी--मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय कि जिस तरह यह विशेषाधिकार कानून को एक सामान्य कानून की तरह सदन के अंदर यह पेश कर रहे हैं, इसमें सदन की गरिमा नहीं बन रही है, बल्कि गरिमा को चोट पहुंच रही है. अब हम कानून में आ जायें कि माननीय मंत्री जी ने नियम 164 में यह विशेषाधिकार की नोटिस यहां दिया और इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय ने उसमें चर्चा प्रारंभ कराई. मेरा आपकी ओर ध्यान आकर्षित मैं कर रहा हूं कि नियम 166 को देखा जाये, जिसमें लिखा है विशेषाधिकार प्रश्न उठाने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा. उसमें 1 पर है सबक्लॉज 1 में कि 1 ही बैठक में 1 से अधिक प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे. यह 1 बैठक जो है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 1 बैठक....

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--इनको बैठक का और सत्र का अंतर समझा दें अध्यक्ष महोदय.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, वह समझा दूंगा मैं. वह मेरा काम है.

श्री उमाशंकर गुप्ता--नहीं, वह समझने को तैयार हैं तभी तो समझा पायेंगे न आप. वह समझने को तैयार ही नहीं हैं. (व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय--नहीं, मैं समझा दूंगा.

एक माननीय सदस्य--तिवारी जी को नहीं समझ आयेगी.

श्री सुन्दरलाल तिवारी--अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं इस विशेषाधिकार कानून को नियमों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल कही गई है, लेकिन यह

दुर्भाग्य है कि रोज-रोज सत्ता पक्ष विशेषाधिकार कानून, विशेषाधिकार के कानून का उपयोग करके विपक्ष को डरवाना चाहता है. मैं शैजवार साहब, कहना चाहता हूं.(xx)

कुंवर विजय शाह—(xx) (व्यवधान).

श्री सुन्दरलाल तिवारी—(xx) (व्यवधान).

श्री गोपाल भार्गव--अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है.

अध्यक्ष महोदय--आसंदी के विषय में इस तरह की बातें नहीं की जातीं. यह अनुचित है, यह कार्यवाही से निकाल दें आप. आसंदी के विषय में इस तरह की बातें नहीं की जाना चाहिये, चाहे कोई भी उस पर हो. माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, लोकसभा में रह चुके हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिये (व्यवधान).

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) -- अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, चूंकि पूर्व स्पीकर, श्री श्रीनिवास तिवारी जी की चर्चा हुई. मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि विधान सभा के एक ही सत्र में दो दो, तीन तीन बार विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं दी गयी हैं. इसलिये इस बात का उल्लेख करना ठीक नहीं है. लेकिन आप यह सही नहीं बोल रहे हैं कि एक सत्र में एक ही..

श्री सुन्दरलाल तिवारी -- यह जो नियम कह रहा है, वह मैं बता रहा हूं.

अध्यक्ष महोदय -- मंत्री जी, मैं उनको वह बता रहा हूं.

श्री गोपाल भार्गव -- अध्यक्ष महोदय, बैठक से तात्पर्य एक कार्य दिवस है.

अध्यक्ष महोदय -- मंत्री जी, यह मैं उनको समझा दूंगा, आप बैठ जायें. उनको समझ में आ जायेगा.

श्री उमाशंकर गुप्ता-- अध्यक्ष महोदय, समझ में आ जाय, तब न. उनको समझ में नहीं आ रहा है.

अध्यक्ष महोदय -- समझ में आ जायेगा. कृपया बैठ जायें. तिवारी जी, अब आप एक मिनट में समाप्त करें.

श्री सुन्दरलाल तिवारी -- अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि कम से कम हम लोग यहां 230 सदस्य हैं. अगर इस सदन से किसी (xx) के संबंध में चर्चा हो रही हो. ..

अध्यक्ष महोदय -- नहीं, इसको विलोपित कर दें.

श्री सुन्दरलाल तिवारी -- अध्यक्ष महोदय, कोई भी वह आदमी बचेगा नहीं. चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो. ..(व्यवधान).. अध्यक्ष महोदय, हमने आरोप लगाया हैं, (xx) , तो जांच करा लें.

अध्यक्ष महोदय -- आप बैठ जायें.

श्री सुन्दरलाल तिवारी -- अध्यक्ष महोदय, इनको विशेषाधिकार भंग चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिये.

अध्यक्ष महोदय -- आप क्या किसी और सदस्यों को नहीं बोलने देंगे.

श्री सुन्दरलाल तिवारी -- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद.

(xx) आदेशानुसार विलोपित.

श्री रामनिवास रावत (विजयपुर) -- अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय मंत्री जी और डॉ. गौरीशंकर शेजवार जी ने हममारे नेता प्रतिपक्ष के विरुद्ध विधान सभा की नियम तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम पुस्तक के नियम 165 के अंतर्गत विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है. पहले भी यह बात आई कि हमारे यहां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत विशेषाधिकार की व्याख्या, विशेषाधिकार की बात कही गयी है. यह भी कहा गया है कि विधान

सभा अपने नियम संहिताबद्ध करे या नहीं करे. तो अभी तक मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार के नियम कहीं भी संहिताबद्ध हुए नहीं है. अनुच्छेद 105 के अंतर्गत ही यह कौल शकधर की किताब, जिसका उल्लेख मंत्री जी के द्वारा किया गया और उद्धरण भी दिये गये. मैं पहले से ही शुरु होना चाहूंगा, जैसे ही इनका यह अध्याय शुरु होता है- "सदनों, उनकी समितियों और सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां. यह जैसे ही शुरु होता है,तो पेज नंबर 243 पर है कि विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के प्रश्न पर यह कह गया है कि "संसद के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 में दी गयी हैं. इस अनुच्छेद में संसद में वाक् स्वातंत्र्य का विशेषाधिकार और सदस्यों को संसद या उसकी किसी समिति में उनके द्वारा कही गयी किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी न्यायालय की कार्यवाही से उन्मुक्ति प्रदान की जायेगी." यह आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत दिया गया है. अध्यक्ष महोदय, अब मैं आगे चलना चाहूंगा. इसी पुस्तक के पृष्ठ 256 पर दिया हुआ है. संसद के मुख्य विशेषाधिकार. इसमें दिया हुआ है कि - "संसद, उसके सदस्यों तथा समितियों के कुछ विशेषाधिकारों को संविधान, कुछ कानूनी तथा सभा के प्रक्रिया नियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है, लेकिन बाकी विशेषाधिकार ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के पूर्वोदाहरणों पर और इस देश में विकसित परिपाटियों पर आधारित है. इनमें से कछ अधिक महत्वपूर्ण विशेषाधिकार ये हैं- संविधान में विनिर्दिष्ट विशेषाधिकार." यह संविधान में चिह्नित किया गया है, संविधान से प्राप्त है. "संसद में वाक् स्वातंत्र्य. संसद में या उसकी किसी समिति में संसद सदस्य द्वारा कही गयी किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसे किसी भी न्यायालय की कार्यवाही से उन्मुक्ति." और आगे कहा गया है कि - किसी भी व्यक्ति को संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में किसी न्यायालय में कार्यवाही से उन्मुक्ति." ..

श्री उमाशंकर गुप्ता -- अध्यक्ष महोदय, यह सारी धाराएं जो पढ़ी जा रही हैं, केवल न्यायालय में सदन की कोई विषय वस्तु नहीं जा सकती, लेकिन सदन में अगर कोई असत्य बात कही है, तो यह भी लगातार गलत बयानी हो रही है. आप पढ़ रहे हैं .

अध्यक्ष महोदय-- मंत्री जी , वह उनकी व्याख्या है और वह उनको व्याख्या करने का अधिकार है.

श्री रामनिवास रावत-- आपको बोलने का अवसर मिलेगा.

श्री अनिल फिरोजिया-- अध्यक्ष महोदय, कमंडल की बात हो रही है. यह तो कमंडल लेकर के आये थे, उस पर विशेषाधिकार का मामला है.

अध्यक्ष महोदय-- यह दूसरा विषय है, कृपया बैठें.

श्रीमती इमरती देवी-- बाहर जाकर के कमंडल का विरोध करो, फिर कमंडल वाले बतायेंगे .

एक माननीय सदस्य-- बहन जी जनता ने दिखा दिया . कमंडल तो आपको जनता ने पहले ही पकड़ा दिया है.

अध्यक्ष महोदय-- आप लोग बैठें. उनको बोलने दें.

श्री रामनिवास रावत--अध्यक्ष महोदय कौल एंड शकधर की किताब के पेज नंबर 258 पर संसद सदस्यों को वाक् स्वातंत्र्य का विशेषाधिकार तथा न्यायालयों में कार्यवाहियों से उन्मुक्ति, ऐसा नहीं है कि न्यायालय की कार्यवाहियों से उन्मुक्ति है. सदन में कही गई किसी भी बात के लिये उन्हें यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि उनके खिलाफ ऐसी कोई बात हो. इस संविधान के संसद सदस्यों को वाक स्वतंत्रता का विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 के खंड (1) और (2) में दिया गया है और इन खंडों में कहा गया है कि" इस संविधान के उपबंधों और संसद की प्रक्रिया के विनियमन करने वाले नियमों और स्थाई आदेशों के अधीन रहते हुये संसद में वाक् स्वातंत्र्य का अधिकार प्राप्त होगा".

श्री गोपाल भार्गव -- अध्यक्ष महोदय, सर्वविदित है कि बाहर न्यायालयीन कार्यवाही नहीं हो सकती है ,

श्री रामनिवास रावत-- मैं संसद में कही गई बात के लिये कह रहा हूं.

श्री गोपाल भार्गव-- इसके लिये हमारी आंतरिक व्यवस्थायें हैं , सदन की समितियां हैं. हमारी आंतरिक न्याय व्यवस्थायें हैं यह तो सर्वविदित है कि न्यायालय में नहीं जा सकते.

अध्यक्ष महोदय-- आप उनको अपनी बात रखने दें.

श्री रामनिवास रावत-- माननीय अध्यक्ष महोदय, पृष्ठ 266 पर है"संसद की कार्यवाही" या "संसद में कही गई किसी बात" या किसी उद्धरण के बारे में पूरी तरह से उसे पदावली में प्रश्न पूछना, उस प्रश्न का प्रस्ताव, विधेयक अथवा अन्य लिखित सूचना देना शामिल है और भाषण भी इसमें पूरी तरह से शामिल है. माननीय मंत्री जी ने पृष्ठ 321 का उल्लेख किया है. मैं वह भी बताता हूं कि 321 में यह है कि सभा अथवा उसकी समितियों को मिथ्या, जाली अथवा नकली दस्तावेज प्रस्तुत करना - इसमें संसद के किसी सभा या उसकी किसी समिति में धोखा देने की दृष्टि से उसे मिथ्या, जाली अथवा नकली दस्तावेज प्रस्तुत करना सभा के विशेषाधिकार का हनन और उसकी अवमानना है. (डॉ. नरोत्तम मिश्रा द्वारा बैठे बैठे कहने पर यही तो हम कह रहे है) आप सुन तो लें. अध्यक्ष मावलकर ने सिन्हा मामले में प्रथमत: लोकसभा में दस्तावेज प्रस्तुत करने से रोकने की अनिवार्यता पर बल देते हुये लोकसभा में कहा था प्रथमत: यह आवश्यक है कि इस बात की जांच की जाये कि डॉक्टर सिन्हा द्वारा सभा पटल पर रखे गये दस्तावेज असली हैं अथवा नहीं. ऐसी जांच इसलिये भी आवश्यक है कि इस सभा के समक्ष ऐसे दस्तावेज जो असली नहीं है ...

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- रामनिवास जी आप कटारे जी के पक्ष में हो या विरोध में.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, क्या आपने दस्तावेजों की जांच कराई.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा --वह समिति ही दस्तावेजों की जांच करेगी. यही तो हम भी कह रहे हैं.

श्री गोपाल भार्गव -- रामनिवास जी यह फर्जी दस्तावेज पटल पर रखना और जाली नोट चलाना एक जैसा अपराध है.

अध्यक्ष महोदय-- कृपा करके उनको अपनी बात कहने दें.

श्री रामनिवास रावत-- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में सभा का विशेषाधिकार भंग तथा अवमानना का अभिप्राय: यह होगा कि सभा की कार्यवाही को जान बूझकर एवं गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है. यदि कोई सदस्य या मंत्री सभा में कोई ऐसा वक्तव्य देता है जो किसी अन्य सदस्य के विचार में असत्य , अपूर्ण या गलत है तो वह विशेषाधिकार हनन नहीं है. यह 336 पर है." यदि कोई गलत वक्तव्य दिया जाता है तो उस मामले का निपटारा करने के दूसरे उपाय हैं".

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन स्थगन प्रस्ताव आया, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई, स्थगन प्रस्ताव पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यह बात कही. माननीय अध्यक्ष महोदय आपको यह अधिकार है और आपने अपने अधिकारों का प्रयोग भी किया और यह दस्तावेज पटल पर रखने की अनुमति आपने प्रदान नहीं की और आपने उसे कार्यवाही से भी निकलवा दिया उसके बाद यह दस्तावेज कहां से प्राप्त हुये, क्या आपने अनुमति दी थी.

अध्यक्ष महोदय-- यह स्थगन के समय की बात नहीं है, यह सामान्य प्रशासन विभाग की मांगों पर चर्चा चल रही थी यह तब का विषय है .

श्री रामनिवास रावत-- उस समय पटल पर रखने की अनुमति दी थी क्या ?

अध्यक्ष महोदय-- दी थी.

श्री रामनिवास रावत - और पटल पर रखे गये थे.

श्री उमाशंकर गुप्ता-- माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है. जानकारी ले लें.

श्री रामनिवास रावत-- मेरी जानकारी के अनुसार नहीं रखे गये . आप कार्यवाही निकलवा लें.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- रखे गये. उन्होंने खुद ने रखे. उनको बुला लें. आपने उनको यहां से हटा क्यों दिया. आप बुलाओ ना. आपकी बात कोई मानता नहीं है.

श्री रामनिवास रावत-- ना तो अनुमति प्रदान की गई थी. उन्होंने आपकी बिना पूर्व स्वीकृति के एक-दूसरे को कागज सौंप दिये जिन कागजों को आपने पटल पर रखने की अनुमति प्रदान नहीं की थी. वह पटल पर रखे ही नहीं गये. जो शब्द उन्होंने कहे वह कार्यवाही निकाल दिये.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया एक मिनट मेरी बात सुन लें. आप जरा कार्यवाही पढ़ लीजिएगा. उन्होंने कहा आपसे अनुमति ले ली है. मैंने कहा अनुमति नहीं ली. दी नहीं 'दी' और 'ली' में फर्क है. अनुमति ले ली है, मैंने कहा अनुमति नहीं ली. उन्होंने कहा कि मैं रखता हूं. मैंने कहा कि आप दे दें उसके बाद मैं देखकर निर्णय करुंगा. आप कृपा करके कार्यवाही देख लेना. शब्दों में फर्क हो सकता है. (व्यवधान) परन्तु बात यही है कि उन्होंने सभा के पटल पर कागज रखे. उन्होंने पत्र दिया..

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- अच्छा आप बताओ उन्होंने रखे कि नहीं. उन्होंने प्रेस को दिये या नहीं. (व्यवधान)

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्षजी की बिना अनुमति के कोई क्या कोई कागज पटल पर आ सकता है.

अध्यक्ष महोदय-- उन्होंने रखे हैं.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- आपने मीडिया को दिये, प्रेस को दिये. (व्यवधान)

श्री उमाशंकर गुप्ता-- आपने आरोप लगाये कि नहीं. (व्यवधान) आरोप क्यों लगा रहे हैं. चर्चा करो ना. अगर आरोप लगाये तो चर्चा करो. (व्यवधान)

श्री रामनिवास रावत-- आपके जोर से बोलने से रुकेंगे नहीं.

श्री उमाशंकर गुप्ता-- आपके जोर से बोलने वाली बात नहीं सुनेंगे. आपकी बात गलत है. हम आपकी गलत बात बिलकुल नहीं मानेंगे.(व्यवधान)आपको गलत बोलने का अधिकार मिल गया? असत्य आरोप लगाने का और फिर आखरी वक्त पर चर्चा नहीं करोगे.(व्यवधान)चर्चा क्यों भाग रहे हो. यहां चर्चा की बात हो रही है. इस पर चर्चा होने दो.

अध्यक्ष महोदय-- रावत जी, आपको और कोई बात कहना है क्या? उसकी अनुमति है. उन्होंने भी मांगी थी और मैंने दी है और उन्होंने यहां पेपर्स रखे थे. वह कॉपी उसी की है.बैठ जाईये.

श्री आरिफ अकील-- अध्यक्षजी, कार्यवाही तो देख लें कि रखे हैं या नहीं रखे हैं.

अध्यक्ष महोदय-- उन्होंने उसकी सर्टिफाईड कॉपी लगायी है.

श्री आरिफ अकील-- मैं बार बार कह रहा हूं कि कार्यवाही तो देख लें.

अध्यक्ष महोदय-- उन्होंने कार्यवाही की सर्टिफाईड क़ॉपी लगायी आप देख लेना. बैठ जाईये.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, कौल और शकधर की पुस्तक में भी कहा है कि 'सभा में किसी सदस्य द्वारा या मंत्री द्वारा कहे गये किसी दिये गये वक्तव्य, दिये गये कागज जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि वह जानबूझकर सदन को गुमराह करने के लिए गलत ढंग से प्रस्तुत किये गये हैं , तब तक इस तरह की कार्यवाही, इस तरह का विशेषाधिकार भंग नहीं हो सकता. अतः अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि अनुमति प्रदान नहीं की जाये. (व्यवधान) अनुमति नहीं दी. अध्यक्ष महोदय, उस दिनांक की कार्यवाही और निकलवा दें.

अध्यक्ष महोदय-- उसकी सर्टिफाईड कॉपी है.

श्री रामनिवास रावत-- कार्यवाही सर्टिफाईड कॉपी हमें निकलवा दें. हम कार्यवाही की कॉपी चाहते हैं. हम जानना चाहते हैं. हमारे भी ध्यान में है.

अध्यक्ष महोदय-- आपका अधिकार है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, उस पर चर्चा हो रही है हमें कोई आपत्ति नहीं है. मेरा कहना है कि आज ही सुबह दिया है. आपको भी उतना समय नहीं मिला. आप विधिवत उसको देख लें. कल बहस हो जाये. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- बैठ जाईये. मुझे सब समय मिल गया. व्यवस्था के समय आपकी सब बातों का उत्तर दूंगा.

डॉ गोविन्द सिंह-- अध्यक्ष महोदय, जो विषय संसदीय कार्यमंत्री और डॉ शेजवार जी ने रखा है उस विषय को सदन की अनुमति नहीं मिलना चाहिए और चर्चा भी नहीं होना चाहिए. संविधान में है कि विशेषाधिकार हनन जब होता है, जब विधानसभा की कार्यवाही में बाधा हो. इसमें कहीं कोई बाधा हुई नहीं. दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मुझे कम से कम 25 वर्ष हो गये और आपको भी करीब 20-22 साल हो गये इस सदन के संसदीय कार्य में भाग लेते हुए. आजादी के बाद मध्यप्रदेश की विधानसभा का यह पहला उदाहरण है जब इस विषय पर किसी के पटल पर या वक्तव्य देने पर यह विशेषाधिकार का प्रश्न उठा है.

अभी तक एक भी इस प्रकार का प्रश्न मध्यप्रदेश की विधानसभा में नहीं उठा है. इसके साथ ही साथ इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि प्राप्त जानकारी के अनुसार तमाम रोजाना, प्रतिदिन अनेकों प्रश्न, ध्यानाकर्षण में मंत्री महोदय का जवाब असत्य आता है. अगर इस प्रकार से विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी मंत्री विशेषाधिकार से बचेगा नहीं. लगातार प्रश्न उठते हैं, लेकिन इस बार भी कभी अनुमति नहीं मिली. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस गलत परम्परा को आपका सरकार को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए. हमें उम्मीद है कि आप न्याय करेंगे. दूसरी बात भविष्य में इस प्रकार की बात न हो. यह बात कहीं भी नहीं है. अगर प्रश्न के गलत उत्तर आते हैं तो प्रश्न एवं संदर्भ समिति को मामला सौंपा जाता है. यह प्रकरण किसी

भी समिति में आता नहीं है. केवल मानसिक रूप से दबाव, विपक्ष को दबाओ और(xx). (शेम-शेम की आवाज)... अतः हमारा आपसे अनुरोध है...

श्री गोपाल भार्गव - अध्यक्ष महोदय, जब कोई मंत्री शपथ लेते हैं या विधान सभा के सदस्य यहां आपके सामने शपथ लेते हैं..

डॉ. गोविन्द सिंह - ..अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा है तो इस सदन में असत्यबयानी का पुलिंदा दे देंगे, असत्य जवाब देने का.

श्री रामनिवास रावत - आप जानबूझकर भ्रामक जानकारी देते हैं, एक भी नहीं बचेगा विशेषाधिकार के मामले में क्योंकि आप सरकार के मंत्री हैं.

डॉ. गोविन्द सिंह - रोजाना गलत जानकारी, गलत बयानी, गलत पटल पर जानकारियों प्रस्तुत करते हैं.

श्री गोपाल भार्गव -..हम लोग सत्यनिष्ठा के साथ (व्यवधान)..जो विषय मेरी जानकारी में होगा..(व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय - माननीय मंत्री जी कृपया बैठ जायं.

डॉ. गोविन्द सिंह - विधानसभा के पटल माननीय मंत्री महोदय अपने जवाब में अनेक दस्तावेज रखते हैं और अनेकों दस्तावेज ऐसे हैं जो असत्य दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं तो क्या मैं यह अपेक्षा रखता हूं कि इस प्रकार का अगर विशेषाधिकार है तो मुझे भी ऐसे दस्तावेज रखने की अनुमति हो और जिस व्यक्ति में, जिसके ऊपर गलतबयानी के बाद लिखा है, गलत सर्टिफिकेट दिया है तो मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रियों का काम, सरकार का काम वकील बनकर यहां पैरवी करना है, इस प्रकार की वकालत यहां पर करेंगे. सदन का समय और सदन की कार्यवाही को रोकने का काम, विपक्ष को दबाने का यह काम है, इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस प्रकार

की परम्परा जो अभी तक नहीं चली है, अब दोबारा प्रारंभ नहीं हो, यही हमारा आपसे अनुरोध है. (मेजों की थपथपाहट)..

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - अध्यक्ष महोदय, यह जो बात आई है, मैं बात करना चाहता हूं, "अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र के लिए अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो...

श्री सुन्दरलाल तिवारी(गुढ़) - रिप्लाई देने का कोई अधिकार नहीं है. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति प्रस्ताव लाया है, पढ़कर सदन को सुना चुके हैं, उनको रिप्लाई देने का कोई अधिकार नहीं है कानून में, नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि रिप्लाई दिया जाय.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -...मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा. विवाहित महिलाओं का अपने पिता के नाम का लगा जाति प्रमाण-पत्र मान्य किया जायेगा. अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाणन हेतु पिता का नाम लगा जाति प्रमाण पत्र के साथ ही विवाह के पश्चात् क्रीमीलेयर के अंतर्गत न आने के प्रमाणन हेतु अपने पति के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र भी संलग्न करें. (प्रमाण-पत्र केवल मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें.)"

श्री सुन्दरलाल तिवारी - अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - दूसरा जो मैं पढ़ना चाहता हूं जो कटारे जी ने बात कही थी उसको "विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जायेगा. अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहित आवेदिकाएं...

श्री सुन्दरलाल तिवारी - ..अध्यक्ष महोदय, क्या उनको रिप्लाई करने का अधिकार नियमों में है?

अध्यक्ष महोदय - आप पेपर रख दें.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - ..जाति प्रमाणन हेतु पिता के नाम युक्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ ही विवाह के पश्चात् क्रीमीलेयर में न आने...

श्री सुन्दरलाल तिवारी - अध्यक्ष महोदय, क्या उनको रिप्लाई करने का अधिकार नियमों में है?

अध्यक्ष महोदय - नहीं है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी - नहीं है तो उनको रोका जाय और उसको विलोपित किया जाय.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - ..के प्रमाणस्वरूप अपने पति के नाम युक्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करें. (प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें.) अन्य पिछड़ा वर्ग में..

अध्यक्ष महोदय - कृपया आप समाप्त करें, जो पेपर आप देना चाहते हैं वह यहां दे दें. आप कृपया समाप्त करें.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - ..क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है अर्थात् जिन प्रमाण-पत्रों में आय संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे. विवाहित महिलाएं विवाहोपरांत नाम, उपनाम परिवर्तन (पिता/पति) का शपथ पत्र संलग्न करें."

डॉ. गोविन्द सिंह - अध्यक्ष महोदय, वे पढ़ते चले जा रहे हैं. (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - आपकी बात हो गई.

श्री सुन्दरलाल तिवारी -(व्यवधान).. अध्यक्ष महोदय, यह नियम विरुद्ध है. इसे विलोपित किया जाय.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - अध्यक्ष महोदय, मैंने दोनों जाति प्रमाण पत्रों का हवाल दिया. एक जाति प्रमाण पत्र का जो मैंने हवाला दिया वह उसका दिया है जिसका माननीय श्री कटारे जी ने हवाला दिया है, उसका ऋतु चौहान से कोई संबंध नहीं है, वह वर्ष 2011 का प्रमाण पत्र है इन्होंने यहां पर रखा है और यह उल्लेख किया है कि यह वर्ष 2008 का प्रमाण पत्र है. .(व्यवधान)..

जिस कंडिका का उल्लेख किया है, 19 का उसमें बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि न कहीं कांट छांट की गई, न कहीं गलत प्रमाण पत्र दिया गया ऋतु चौहान द्वारा
(व्यवधान) और इन्होंने दस्तावेज को गढ़ के और जाली दस्तावेज प्रस्तुत किया है.

अध्यक्ष महोदय—डॉक्टर साहब सूचना पढ़ने दें. आज भोजन अवकाश नहीं होगा. माननीय सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है . माननीय सदस्यों से अनुरोध है , सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें. माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाहेंगे?

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष जी,इसमें चर्चा पूरी हो चुकी क्या?

अध्यक्ष महोदय—चर्चा और कोई करना चाहे तो, वैसे अब मैं लंबी चर्चा के लिए अनुमति नहीं देना चाहता.

श्री सत्यदेव कटारे—पूरे दिन चर्चा करवाओ अध्यक्ष महोदय, अखबारों में तो अभी इतना सा ही छपेगा. पूरा छपना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय- आप अपनी बात कुछ विषय के बारे में कहना चाहते हैं तो करें, गुस्से में मत बोलिए.

श्री सत्यदेव कटारे- मैं जरूर कहूंगा.

अध्यक्ष महोदय- आप गुस्से में मत बोलिए, संसदीय प्रक्रियाएं हैं.

श्री सत्यदेव कटारे—मोहब्बत से ही बोल रहा हूं, अध्यक्ष महोदय. पहले मैं सब सदस्यो को सुन लूं उसके बाद कहूंगा. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—लगभग सब सदस्य हो गए हैं.

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय, मेरा ही बोलने का नंबर है तो फिर मैं बोलता हूं. अध्यक्ष महोदय, जो दस्तावेज हमने उस दिन प्रस्तुत किए थे , उस दिन की कार्यवाही आप निकलवा कर देख लें. दस्तावेजों को हमको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी थी. हमने उल्लेख किया कि , अध्यक्ष महोदय हमने पटल पर रख दिये हैं तब भी आसंदी से ये निर्देश हुआ कि आपने रख दिए हैं पर हमने स्वीकृति नहीं दी है. जब आपने स्वीकृति नहीं दी,आपने अनुमति नहीं दी, वे दस्तावेज फिर सरकारी सदस्यों को उपलब्ध कैसे करवा दिए. एक तो अध्यक्ष महोदय ये विपक्ष के नाते और एक पार्टी होने के नाते क्योकि अब मेरे को ही इन्होंने प्रतिपक्ष बना दिया है तो उस नाते जिज्ञासा है, सवाल है उसका उत्तर मिलना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, दो बातें हैं, सरकार से मैं पहले यह पूछना चाहूंगा जिसके बाद मैं अपना कथन करूं. एक तो मंत्री जी यह जानना चाहता हूं आप यह बता दें, जो रितु चौहान हैं जिनको लेकर विषय उठा है वे ओ.बी.सी. क्रीमी लेयर में हैं या नहीं , सिर्फ हां या ना में बता दें.

अध्यक्ष महोदय—ये प्रश्नकाल नहीं है. आप अपनी बात कहें.

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय, झगड़ा तो यहीं से शुरू हुआ है.

अध्यक्ष महोदय—जो आपको बोलना है आप बोल दीजिए.

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय, जो दस्तावेज मैने रखे हैं वो दस्तावेज ये हमारे हाथ में हैं. इसमें 2008 का रोजगार निर्माण में निकला हुआ विज्ञापन भी है. अध्यक्ष महोदय, मैं इसको पढ़ कर सुनाना चाहूंगा.

(डॉ गौरीशंकर शेजवार द्वारा बैठे बैठे कुछ कहने पर)

श्री सत्यदेव कटारे—डॉक्टर साहब आपके पढ़ने के बाद कॉलेज बन्द नहीं हो गए तो ओर भी लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं. धोखे से ही सही, गलतफहमी में मत रहिए ,बैठे रहिए.
अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग..रेसीडेन्सी इन्दौर...

डॉ. गौरीशंकर शेजवार—यदि मेरा नाम लेकर बोलते हैं तो मेरी बात को इनको सुनना पड़ेगा.

अध्यक्ष महोदय—नहीं, आप बैठ जाईए. अब आपने उठाया है तो कुछ तो आपका नाम लेंगे.

श्री सत्यदेव कटारे- अध्यक्ष महोदय, हम जिस दस्तावेज का उल्लेख कर रहे हैं वह मध्यप्रदेश शासन का दस्तावेज है. इसका नाम है रोजगार और निर्माण. मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग, इन्दौर. रेसीडेन्सी क्षेत्र इन्दौर. विज्ञापन क्रमांक (3) . लिख लो नहीं तो फिर गलतफहमी हो जाएगी. विज्ञापन क्रमांक (3)/परीक्षा/2008/11.8.2008 . अध्यक्ष महोदय, इसमें राज्यसेवा परीक्षा 2008 के लिए विज्ञापन निकाले गए थे. यह बहुत बड़ा 37-38 पेज का दस्तावेज है. अध्यक्ष महोदय, ये मैने इसका पहला पृष्ठ पढ़ कर बता दिया. इसमें 20-21 तरह के पदों के विज्ञापन निकले हैं. अध्यक्ष महोदय, इसका पृष्ठ 25 ..

डॉ.गौरीशंकर शेजवार - अघ्यक्ष महोदय, क्या है कि फिर हड़बड़ी में ये गलत दस्तावेज रख देंगे और फिर हमको इन पर विषय उठाना पड़ेगा. (व्यवधान) देख लो, समझ लो और प ढ़ लो. इसके बाद रखो. (XXX)

अध्यक्ष महोदय—डॉक्टर साहब बैठ जाओ, जो डॉक्टर साहब ने कहा है उसको कार्यवाही से निकाल दो.

(XXX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—अध्यक्ष महोदय, यह जो पढ़ रहे हैं, यह सदन के पटल पर रखेंगे, नहीं तो फिर यह पलट जाएंगे कि मैंने नहीं रखे.

श्री रामनिवास रावत—अनुमति मिलेगी तो रखेंगे. सदन आपके निर्देशों पर नहीं चलेगा. आप आसंदी पर नहीं हो.

अध्यक्ष महोदय—कृपा करके डाक्टर साहब आप बैठ जाएं. आपने प्रश्न उठाया. अब प्रतिपक्ष के नेता जी को कृपा करके बोलने दीजिए. आप बैठ जाईये.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—रावत साहब, आप कटारे जी को बोलने नहीं दे रहे हैं. उनको बोलने दीजिए, बड़ी मुश्किल से तो वह सदन में आए हैं.

अध्यक्ष महोदय—आप लोग उनको कृपा करके बैठने दें.

श्री सत्यदेव कटारे—डॉक्टर साहब आप इधर आना चाहते हो कि प्रमोशन चाहते हो.(xx). सही सही बताओ. अच्छा विभाग चाहते हो या एक नंबर पर आना चाहते हो.

श्री मनोज पटेल—आप नेता प्रतिपक्ष बने रहना चाहते हो, या पीछे की सीट पर जाना चाहते हो.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—अभी तो आप पर संकट के बाद दिखाई दे रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय—आप लोग कृपा करके बैठ जाईये.

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय, जिस रोजगार एवं निर्माण का मैंने अभी उल्लेख किया था, उसके पृष्ठ 25 पर कंडिका-3 में लिखा हुआ है कि "कोई भी कालम खाली न छोड़े, अधूरा भरा आवेदन पत्र आयोग द्वारा अमान्य कर दिया जायगा." फिर से रिपीट करूं.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—इसमें नेता प्रतिपक्ष के पद का भी विज्ञापन है?

अध्यक्ष महोदय—उनको बोलने दें. उनको जो बोलना है, बोलने दें. कोई व्यवधान नहीं करेगा. माननीय प्रतिपक्ष के नेता जो कहना चाहते हैं, वह कहें. बैठ जाईये.

श्री सत्यदेव कटारे—मैंने कहा कंडिका-3 में लिखा हुआ है कि "कोई भी कालम खाली न छोड़े, अधूरा भरा आवेदन पत्र आयोग द्वारा अमान्य कर दिया जावेगा." इसी के 14 नंबर प्वाइंट के

कालम-1 में लिखा है, उसकी मैं अंतिम डेढ़ लाईन पढ़ रहा हूं, क्योंकि वह 6 लाईन का है और लंबा हो जाएगा--"समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ प्राप्त कर परीक्षण उपरांत आवेदक की अर्हता (eligibility) की जांच की जाएगी." इसी के आगे और बताना चाहता हूं कि पृष्ठ 29 के 21 नंबर में लिखा है जिसकी हैडिंग है, अनुसूचित जाति, जनजाति...

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है. मेरी जरूरी बात है. आज जिस विषय पर चर्चा चल रही है, वह 2011 का जो कागज इन्होंने दिखाया था, यह 2008 पर चर्चा नहीं चल रही है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आप उनको बोलने दें. उनको सब बोलने का अधिकार है. वह जिसका हवाला देना चाहते हैं, वह दें. वह विषय से बाहर नहीं जा रहे हैं. यहां पर सिर्फ प्रश्न यही है कि वह विषय से बाहर नहीं जा रहे हैं. अब वह कोई दस्तावेज.....

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—2011 का जो कागज उन्होंने रखा, उस पर बोलें.

अध्यक्ष महोदय—2008 का वह पढ़ रहे हैं. अभी आप बैठ जाएं.

श्री जितू पटवारी—धन्यवाद, अध्यक्ष जी, जो मेरी भावना थी, उसके विपरीत आज अच्छा हुआ, इसके लिए आपको बधाई और उनको भी सीख लेनी चाहिए.

अध्यक्ष महोदय—हमेशा ऐसा ही होता है, आप अपनी भावनाएं ठीक करें.

डॉ.गौरीशंकर शेजवर—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है.

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय, हमको संरक्षण दीजिए.

अध्यक्ष महोदय—आप बैठ जाएं. प्वाइंट आफ आर्डर उनके भाषण के बीच में नहीं आएगा. कृपा करके बैठ जाएं. उनको पढ़ने दीजिए, इससे आपको क्या दिक्कत है.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—मेरा निवेदन यह है कि यह जो पढ़ रहे हैं, वह भी सदन के पटल पर रखवा लिया जायगा ताकि यह विषय विशेषाधिकार समिति को जाता है तो इस पर भी जांच होनी चाहिए.

श्री सत्यदेव कटारे—यह निर्णय आसंदी करेगी. यह निर्णय आप करोगे या आसंदी करेगी? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—बैठ जाइये आप. वह जो बोल रहे हैं वह भले ही उसको पटल पर नहीं रखें पर उस पत्र का उन्होंने हवाला दिया और यहां वह रिकार्ड में आ रहा है. इतना काफी है.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार-- यह जांच समिति में भी जाएगा यह रिकार्ड, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—जायेगा तो जायेगा. (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे—हम कह रहे हैं कि सीबीआई को जांच दो. अगर हिम्मत है तो आज ही प्रस्ताव करो (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—बैठ जाइये.आप विषय पर आइये.

श्री रामनिवास रावत—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घोर आपत्तिजनक है कि विशेषाधिकार की सूचना पर चर्चा चल रही है और माननीय सदस्य गौरीशंकर शेजवार कह रहे हैं कि समिति को जाएगा. क्या इन्होंने निर्णय पहले से ही कर दिया है?

अध्यक्ष महोदय—नहीं, निर्णय मुझे करना है. उनका प्रस्ताव है.

श्री रामनिवास रावत—प्रस्ताव है,लेकिन इनके कहने से क्या विशेषाधिकार समिति को चल जाएगा?

अध्यक्ष महोदय—इनके कहने से नहीं जाएगा.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार—नहीं, मैंने यह नहीं कहा था, यदि यह विशेषाधिकार समिति को जाता है तो (व्यवधान)

श्री रामनिवास रावत—मैं इसकी घोर निन्दा करता हूँ, आप आसंदी को निर्देश दे रहे हो

डॉ. गौरीशंकर शेजवार—(XXX)

अध्यक्ष महोदय—यह निकालिये, इसको विलोपित करिये, नहीं चलेगा(व्यवधान) विलोपित कर दिया. आपके बिना कहे विलोपित कर दिया. विलोपित कर दी उनकी बात. अलाऊ नहीं की. (व्यवधान) आप कृपा करके प्रतिपक्ष के नेता जी को बोलने दें.रावत जी, आपकी आपत्ति स्वीकार तो कर ली.

श्री रामनिवास रावत—उनको सावधान तो करें कि ऐसे शब्दों को दुबारा रिपीट न करें

अध्यक्ष महोदय-- अब वो नहीं बोलेंगे दुबारा.सावधानी बरतेंगे.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार—(XXX) ..(हंसी)..

अध्यक्ष महोदय—कृपा करके इसको निकाल दें कार्यवाही से.(व्यवधान)आज की कार्यवाही में इस तरह का कोई शब्द नहीं आएगा. यहां कोई रेपटाइल की चर्चा नहीं होगी.

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था हो गई हो तो आगे बोलूं.अध्यक्ष महोदय, इसी रोजगार और निर्माण के पृष्ठ क्रमांक 29 के कालम 21 में आखिरी तीन लाइन पढ़ रहा हूँ,बहुत लम्बा है करीब 22-25 लाइन का है,-- "म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलियर में आने वाले उम्मीदवारों को आरक्षण आयु सीमा में शिथिलीकरण एवं अन्य लाभ अनुज्ञेय नहीं होंगे". अध्यक्ष महोदय, एक दस्तावेज और उल्लेख करना चाहता हूँ, यह भी रोजगार और निर्माण है, चूंकि लोक सेवा आयोग के विज्ञापन इसी में निकलते रहे हैं, इसका क्रमांक पढ़ दूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, डॉ. साहब फिर कहेंगे कि बदल दिया. यह अदलाबदली का खेल वहीं

होता है डॉ. साहब आपके इधर, इधर नहीं होता है. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 25, अंक 30 प्रति सोमवार को प्रकाशित..

(XXX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार—यह आप दुबारा पढ़ रहे हैं. एक बार इसको पहले भी पढ़ चुके

श्री सत्यदेव कटारे-- 11.8.2008 से 17.8.2008 तक, यह दुबारा नहीं पढ़ रहे,ओरीजनल की फोटो कापी अलग होती है, हम भी जानते हैं. अध्यक्ष महोदय, इसके पृष्ठ क्रमांक-4 कालम नं.6, प्वाइंट नं.6, इसको थोड़ा लम्बा पढ़ना पड़ेगा .इसमें लिखा है—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है. छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के रुप में विचार किये जाएंगे.अतः मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के इस श्रेणी के आवेदकों को स्वयं अनारक्षित श्रेणी में दर्शायें हैं जिन पदों पर अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद आरक्षित नहीं हैं उन मामलों में आरक्षित वर्ग के आवेदकों को अनारक्षित उम्मीदवारों को...

श्री विश्वास सारंग-- अध्यक्ष जी, इस तरह से पेपर पढ़ने की अनुमति है क्या.मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है, अध्यक्ष जी, हमें भी तो बोलने दीजिये, मुख्य सचेतक रावत जी ने बोला , जब डॉ. शेजवार और नरोत्तम मिश्रा जी बोल रहे थे कि इस विषय से बाहर नहीं बोलेंगे , विषय तो यह है

कि क्या उस दिन विशेषाधिकार हनन हुआ था , जो पटल पर रखे थे उसके अलावा दस्तावेज क्यों पढ़ेंगे.उस दिन के जो विषय़ हैं उस पर बात करें.

अध्यक्ष महोदय-- वह रोजगार निर्माण पढ़ रहे हैं. वह पुष्टि कर रहे हैं कि वह जो कुछ उन्होंने कहा था , वह सही था. आप बैठ जाएं. वह पेपर्स पढ़ रहे हैं क्योंकि पेपर्स के ऊपर ही बात हो रही है. दस्तावेजों पर ही बात हो रही हैं. इसलिए दस्तावेज पढ़ रहे हैं.

श्री विश्वास सारंग-- अध्यक्ष जी, जो उस दिन पटल पर रखे थे उस पर बात हो.

अध्यक्ष महोदय-- उससे संबंधित भी पढ़ सकते हैं....(व्यवधान)...

श्री विश्वास सारंग--- उस दिन जो पटल पर रखे हैं, वह पढ़ें.

अध्यक्ष महोदय-- उससे संबंधित पत्र पढ़ सकते हैं..(व्यवधान).. चर्चा कर सकते हैं, संबंधित बात कर सकते हैं, यह रेलीवेंट बात है.

श्री विश्वास सारंग--- अध्यक्ष महोदय, अभी तो केवल औऱ केवल विशेषाधिकार हनन हुआ है या नहीं हुआ है उसके ऊपर चर्चा हो रही है. यह तो उनको भाषण देने का पूरा मौका मिल गया.

अध्यक्ष महोदय—मैंने आपके प्वाइंट ऑफ ऑर्डर पर व्यवस्था दे दी है अब आप बैठ जाएं. यह बात ठीक नहीं है उन पर आऱोप भी लगाएंगे औऱ सुनेंगे भी नहीं.

श्री सत्यदेव कटारे--- अध्यक्ष महोदय,कोई बात नहीं नये सदस्य हैं,कुछ पुराने भी हैं, सब सदस्य समझना चाहते हैं. अध्यक्ष महोदय, हम इसमें पढ़ रहे थे,उन मामलों आऱक्षित वर्ग के आवेदकों को अनारक्षित उम्मीदवारों के साथ अनारक्षित रूप से विचारित किया जाएगा. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछ़ड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आत़े वाले आवेदकों आरक्षण आयुसीमा में छूट एवं अन्य लाभ देय नहीं होंगे. अध्यक्ष महोदय, इसी रोजगार निर्माण के पृष्ठ क्रमांक 7 और कॉलम नंबर 10 इसमें और लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछ़ड़ा वर्ग के स्थाई जाति प्रमाणपत्र अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति

प्रमाणपत्र के लिए अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो,मुख्य परीक्षा के आवेदनपत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा. विवाहित महिलाओं को अपने पति के नाम का लगा जाति प्रमाणपत्र मान्य किया जाएगा. अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक मुख्य परीक्षा के आवेदनपत्र के साथ जाति प्रमाणपत्र हेतु पिता का नाम लगा जाति प्रमाणपत्र के साथ ही विवाह के पश्चात् क्रीमीलेयर के अंतर्गत न आने के प्रमाणपत्र हेतु अपने पति के नाम लगा जाति प्रमाणपत्र भी संलग्न करें. अध्यक्ष महोदय,इसके आगे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है बोल्ड अक्षरों में लिखा है कि प्रमाणपत्र केवल मुख्य परीक्षा के आवेदनपत्र के साथ संलग्न करें. अध्यक्ष महोदय, यहाँ तीन सवाल खड़े होते हैं जो मैंने किये थे ,जिनको लेकर के यह विषय चल रहा है. अगर आप कहेंगे तो एक और रोजगार निर्माण है, यह भी पढ़कर बता सकता हूं.

अध्यक्ष महोदय-- यदि पढ़ना चाहें तो रेलीवेंट पढ़ दीजिये.

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, यह रोजगार निर्माण है 2009 की परीक्षा के लिए . इसमें लिखा हुआ है कि 2008 के नियम मान्य होंगे. मैं रोजगार निर्माण का क्रमांक पढ़ देता हूं . विज्ञापन क्रमांक 5/परीक्षा/2009/2112/2009 ऊपर तारीख डली है भोपाल 4.1.2010 से 10.1.2010 तक. अध्यक्ष महोदय, इसके पृष्ठ क्रमांक 7 , हालांकि यह भी 37-38 पेज का है और जब आप 35 वें पेज पर जाओगे, तो डॉक्टर साहब आप चाहो तो फोटो खींच लो , यह देख लो, क्या लिखा है. मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 , 2009 में भी 2008 के नियम ही लागू रखे गये हैं. अध्यक्ष महोदय, अब इसके नियम की एक बात आपको पढ़कर सुना देते हैं जिसको लेकर यह विवाद कर रहे हैं , पृष्ठ 7 प्वाईंट नंबर 6, बड़ा है इसलिए इसकी अंतिम तीन पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ, अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेअर में न आने का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है, अर्थात् जिन प्रमाण पत्रों में आय संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे.

विवाहित महिलाएँ, विवाहोपरांत नाम, उपनाम, परिवर्तन ब्रैकेट में लिखा है पिता ऑब्लिक पति का शपथ पत्र संलग्न करें. अध्यक्ष महोदय, हमने जो दस्तावेज दिए थे...

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- कटारे जी, बहुत अच्छी बहस हो रही है और आनंद आ रहा है.

श्री सत्यदेव कटारे-- डॉक्टर साहब, मेरे को फिनिश कर लेने दीजिए. अध्यक्ष महोदय, कृपया यह व्यवधान आप रोकिए.

अध्यक्ष महोदय-- बात आ जाने दें...(व्यवधान)..

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, फिर व्यवधान हो जाएगा...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- आप उनकी बात आ जाने दें...(व्यवधान)..

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- फिर मौका देंगे साहब?

अध्यक्ष महोदय-- नहीं आपको मौका नहीं देंगे..(व्यवधान)..

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- नहीं ऐसा नहीं...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- सिर्फ उनका मौका है...(व्यवधान)..

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- सही बात नहीं रखेंगे तो उसे हम कंट्राडक्ट करेंगे...(व्यवधान)..

श्री सत्यदेव कटारे-- नहीं डॉक्टर साहब, अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल नहीं...(व्यवधान).. कंट्राडक्ट कर रहे हैं तो मैंने सवाल पूछे जवाब दो..(व्यवधान)...

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- हम जवाब दे रहे हैं आप बैठ जाओ...(व्यवधान)..

श्री सत्यदेव कटारे-- क्रीमी लेअर में हैं कि नहीं हैं. प्रमाण पत्र अलग से लगाया कि साथ में लगाया बताओ. आप जवाब दें.

अध्यक्ष महोदय-- आप जवाब मत मांगिए फिर जवाब सवाल शुरू हो जाएँगे...(व्यवधान)..

श्री सत्यदेव कटारे-- तो रहने दो हम तो आपकी व्यवस्था सुन लेंगे...(व्यवधान)..आपकी जो व्यवस्था है हम उससे बंधे हैं..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- आप उनको बोलने दें...(व्यवधान)..

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है....(व्यवधान)..

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, आप मुझे अनुमति देते हैं, अब इनको रोक नहीं पा रहे हैं...(व्यवधान)..

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- ऋतु चौहान ने...(व्यवधान)..वे मान्य नहीं होंगे..(व्यवधान)..

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, अभी तो मेरा वक्तव्य पूरा नहीं हुआ...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- आप उनको बोलने दें..(व्यवधान)..कृपा करके उनको बोलने दें...(व्यवधान)..

श्री सत्यदेव कटारे-- आपने अनुमति दी है..(व्यवधान)..रोक नहीं पा रहे हैं...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- अनुमति नहीं दी है..(व्यवधान)..आपको अनुमति दी है...(व्यवधान)..

श्री सत्यदेव कटारे-- फिर इनको रोकिए...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- डॉक्टर साहब, आप कृपया बैठ जाएँ..(व्यवधान)..

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- कहीं उल्लेख नहीं है..(व्यवधान)..मैंने पढ़कर सुना दिया और रिकार्ड में आया है....(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- रिकार्ड में आ गया...(व्यवधान)..

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- अलग अलग कंडिकाएँ हैं..(व्यवधान)..गलत तरीके से..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- रिकार्ड में आ गया..(व्यवधान)..

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- कहीं कोई यह लिखा ही नहीं है जो आप कह रहे हैं...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- रिकार्ड में आ गया...(व्यवधान)..

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, पहले तो मेरी प्रार्थना यह है कि बिना आपकी परमीशन का बोला है इसे कार्यवाही से निकाल दें.

अध्यक्ष महोदय-- वह सुनाई ही नहीं पड़ा, निकाल ही दिया होगा वह तो, निकला ही निकला है.

श्री सत्यदेव कटारे-- दूसरा मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय...

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- शेजवार साहब का सारा कथन निकाला जाए..(व्यवधान)..,

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, हमने उल्लेख यह किया था कि ॠतु चौहान का जो जाति प्रमाण पत्र है..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- कृपया बैठ जाएँ...(व्यवधान)..डॉक्टर साहब कृपया बैठ जाएँ...(व्यवधान)..उनकी बात पूरी होने दें..(व्यवधान)..

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- (xx) .(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- इसको विलोपित कर दें...(व्यवधान)..

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, हमने उस दिन भी जो दस्तावेज रखे थे, उस दिन भी हमने उल्लेख किया था इस केस में 3 जगह अलग अलग खंडन हुआ पहले मंत्री ने उत्तर दिया, मंत्री ने स्वीकार किया कि प्रमाण पत्र में त्रुटि है, इसके लिए वह उत्तरदायी नहीं है, ॠतु चौहान उत्तरदायी नहीं है, अधिकारी उत्तरदायी हैं. फिर दो मंत्रियों ने बाहर पत्रकार वार्ता की, सदन में वक्तव्य देने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे. लोक सेवा आयोग अलग से स्पष्टीकरण दे रहा है, जो उसकी वेबसाइट पर डला हुआ है. अध्यक्ष महोदय, हमने उस दिन भी जो बात उठाई थी मैं आज फिर उठा रहा हूँ कि ॠतु चौहान का जाति प्रमाण पत्र, जिसमें आय का कॉलम है, वह काटा हुआ है और सरकार यह भी कहती है अगर सरकार यह कहती है...

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- बिल्कुल नहीं काटा है, सही है और जो प्रमाण पत्र दिया गया है वह सत्य है..(व्यवधान)..मैं प्रामाणिक रूप से सदन में यह बात कहता हूँ.

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, आप देखते नहीं ये मुझे रोक रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय-- डॉक्टर साहब, कृपा करके बैठ जाएँ.

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, और सरकार यदि यह कहती है कि आय प्रमाण पत्र पृथक से लगाया गया था तो लोक सेवा आयोग के तीन विज्ञापन मैंने पढ़े हैं, किसी में यह नियम में वह व्यवस्था नहीं है कि कोई आवेदक पृथक से आय प्रमाण पत्र लगा सकेगा इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह प्रकरण गंभीर है. दोष उस लड़की का हमने कभी नहीं बताया दोष उस लड़की के मामा का है(xx)..(व्यवधान)...मुख्यमंत्री या तो इस प्रकरण को सीबीआई जांच को सौंप दें (व्यवधान) तीन-तीन खंडन आ गये हैं खंडन आपस में एक दूसरे को खंडित कर रहे हैं.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि यह भी अपने प्रमाण दे रहे हैं हमने भी अपने प्रमाण दिये हैं आप समिति से जांच करा लें दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—प्रतिपक्ष के नेता की बात पूरी हो जाने दें. (व्यवधान) आप कितना समय और लेंगे. (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे—2-4 मिनट.. (व्यवधान)

डॉ. गौरीशंकर शेजवार—सदन में वाद-विवाद की सीबीआई से जांच की मांग करना यह सदन की अवमानना है. सदन में वाद विवाद हो रहा है तो सदन की समिति इसकी जांच करेगी.. (व्यवधान) सीबीआई से जांच की मांग करना, मैं आपको फिर स्मरण कराता हूँ कि आप सदन की अवमानना कर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय—प्रिवीलेज की सीबीआई से जांच की उन्होंने मांग के लिये नहीं बोला है.. (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय, यह आगे वाली लाइन के दो तीन लोग तो यह चाहते हैं कि ... (व्यवधान)

डॉ. गौरीशंकर शेजवार—आप अध्यक्ष की आसंदी की अवमानना कर रहे हैं.. (व्यवधान) अध्यक्ष की आसंदी की अवमानना कर रहे हैं..सदन की अवमानना कर रहे हैं, सदन में यदि चर्चा होगी (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—वे इस प्रकरण की नहीं बोल रहे हैं .. (व्यवधान) प्रिविलेज की सीबीआई से जांच कराने के लिये नहीं बोल रहे हैं.. (व्यवधान)

डॉ. गौरीशंकर शेजवार—अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि प्रिवीलेज की सीबीआई से जांच कराई जाये..सदन की अवमानना कर रहे हैं.. अध्यक्ष की आसंदी का अवमानना कर रहे हैं(व्यवधान) मेरा आरोप है इनके ऊपर (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—माननीय सदस्य सदन के बीच में खड़े होकर कोई बात नहीं करेंगे नियम पढ़ना है तो अपनी आसंदी पर जाकर पढ़ें. कृपया अपने आसन पर जायें.

डॉ. गोविन्द सिंह—(XXX)

श्री गोपाल भार्गव--(XXX)

अध्यक्ष महोदय—आप बैठ जाइये यह ठीक बात नहीं है. इसको कार्यवाही से निकाल दीजिये. यह कार्यवाही में नहीं आयेगा. आप लोग बैठ जायें. (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारे पास तीन धमकियां आईं एक धमकी यह आई की कोर्ट में अवमानना लगाई जायेगी अभी तक नहीं लगी है अगर लगती है तो हम स्वागत करने को तैयार खड़े हैं. दूसरी धमकी यह प्रिवीलेज सामन आ ही गया है. मेरा निवेदन है कि जो

दस्तावेज मैंने प्रकट किये हैं आपने तो स्वीकार नहीं किये थे मेरे पास मौजूद हैं कॉपी चाहिये तो मैं डॉ. शेजवार जी को दे दूंगा. मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूँ कि रितु चौहान मुख्यमंत्री की भांजी है इसलिये उसके गलत प्रमाण-पत्र होते हुए भी आवेदन मंजूर किया गया और मुख्यमंत्री ने यह अन्याय किया है इसलिये मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिये या इस रितु चौहान के प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंप दो. हमारे दस्तावेज चले जायेंगे.. (व्यवधान) यह लोग चाहे जितने स्पष्टीकरण दें.(xx)... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—यह कार्यवाही से निकाल दीजिये.

श्री सत्यदेव कटारे—हम फिर कह रहे हैं कि इस तरह से घपले घोटाले करने के लिये व्यापम से लेकर यहां तक हमने उस दिन सिद्ध किया था कि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कैसे बनाया गया और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने अपना ऋण चुकाकर इनकी भांजी को डिप्टी कलेक्टर बनवा दिया. अब यह भागते फिर रहे हैं स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हैं अगर साहस था तो सामना मुख्यमंत्री करते आप लोगों को लगा दिया है आप तो अपने प्रमोशन कराने के लिये सीआर बनाने में लगे हो, (xx) लेकिन मुख्यमंत्री को सामना करना चाहिये.(xx). हम कहते हैं की है.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार—(xx). (व्यवधान)

(XXX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

श्री सत्यदेव कटारे—मेरा यही कथन है और मेरा अनुरोध है कि मेरी आसंदी से प्रार्थना है कि यदि आसंदी निष्पक्ष रहना चाहती है यदि आसंदी चाहती है कि सदन में न्याय हो तो इतना देखने के बाद यह प्रकरण यहीं सजा देने योग्य है और सत्यदेव कटारे यहां सजा लेने के लिये तैयार है और अगर आप यहां भी सजा नहीं दे पा रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ. लेकिन यह भरोसा

रखो नरोत्तम जी पूरे लोगों से कह देना मामाजी तक खबर पहुंचा देना सत्यदेव कटारे वह प्राणी है जो हिम्मत नहीं हारेगा.(xx)..(व्यवधान)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—(xx)

(..व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय - ये सभी विलोपित कर दें आखिरी के. इनके भी,इनके भी, दोनों पक्षों के विलोपित कर दें.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा - (XXX)

अध्यक्ष महोदय – यह कृपया उचित नहीं है.

श्री जीतू पटवारी – अध्यक्ष महोदय, इसको विलोपित किया जाए.

(..व्यवधान..)

डॉ.गौरीशंकर शेजवार – अध्यक्ष जी, कटारे जी पर मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि पहलवान जो है चित्त पड़ा है हाथ थौऔर पांव दोनों ऊपर हैं फिर भी कह रहा है कि मैं जीत गया.

श्री रामनिवास रावत – अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है.

अध्यक्ष महोदय – प्वाइंट आफ आर्डर अलाऊ नहीं है परंतु आप बोल दीजिये. अपने सदस्यों को पहले बैठा दीजिये.

श्री रामनिवास रावत – माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा पूरे देश में जानी जाती है. अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जैसा कहा.

(..व्यवधान.)

अध्यक्ष महोदय – वो सभी जो कुछ भी कहा गया वह विलोपित कर दिया गया. वह विलोपित कर दिया वो. रिकार्ड में नहीं आया वह.

(..व्यवधान..)

डॉ.नरोत्तम मिश्रा – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने क्रिया पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. मैं अपने शब्द वापस लेता हूं.

(XXX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

(..व्यवधान.. कांग्रेस पक्ष के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आए.)

अध्यक्ष महोदय – बैठ जाएं कृपया. आप व्यवस्था सुनना चाहते हैं कि नहीं. (..व्यवधान..) उन्होंने उत्तेजना में कह दिया. विलोपित कर दिया सब.

(कांग्रेस पक्ष के सदस्य अध्यक्ष महोदय के समझाने पर अपनी आसंदी पर वापस गये.)

अध्यक्ष महोदय—आप लोग कृपया करके बैठ जायें. माननीय रामनिवास रावत जी ने यह विषय उठाया उत्तेजना में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा वह शब्द उन्होंने वापस ले लिये हैं और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि यह उत्तेजना में मैंने कह दिया है मैं सोचता हूं कि इसके बाद में यह बात यहीं समाप्त हो जाना चाहिये.

श्री के.के.श्रीवास्तव—अध्यक्ष महोदय, यह क्रिया की प्रतिक्रिया है, विपक्ष की तरफ से भी घुटने टेकने की बात कही गई है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आप कृपया बैठ जायें.

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाह रहा था कि मैंने हालांकि पूरी बातें कहीं ही नहीं हम आपसे कुछ बातें कहना चाहते हैं जो कि सदन के ज्ञान में नहीं हैं. यह नेता प्रतिपक्ष से संबंधित है, नेता प्रतिपक्ष से संबंधित होंगी बातें, विधायी कार्य से संबंधित होंगी

बातें तो सदन में कहनी पड़ेंगी. किस नियम के तहत मंत्री जी आप बताईये कि एक इंस्पेक्टर भिंड में, एक ग्वालियर, तथा एक भोपाल में डंटा है मेरी जांच करने, किस नियम के तहत मेरे फोन टेप हो रहे हैं, किस नियम के तहत नजूल हमको नोटिस दे रहा है, यह धमकी नहीं तो क्या है ? (व्यवधान)

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—अध्यक्ष महोदय, इनके फोन टेप नहीं हो रहे हैं. (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे—इतना करने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आप नियम प्रक्रिया के अंतर्गत सारे विषय उठायें. (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे—किस नियम के तहत फोन टेप हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय, आप खड़े हो गये हैं. (व्यवधान) जब नेता सदन में बोलता है तो किस नियम के तहत उनके फोन टेप हो रहे हैं यह बता दें.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—कोई फोन टेप नहीं हो रहा है. (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे—मेरे परिवार को नोटिस दिया जा रहा है, क्यों नोटिस दिया जा रहा है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—कोई प्रश्न यहां विचार के लिये नहीं है कृपया आप लोग एक दूसरे को चैलेंज न करें. (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे—इतने के बावजूद भी कुछ नहीं होगा. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आप प्रतिपक्ष के नेता जी बैठ जायें. (व्यवधान)

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—इस तरह की सदन में बातें करते हैं, यह सदन के फ्लोर का उपयोग करते हैं. (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे—आप खंडन करो कि फोन टेप नहीं हो रहा है. (व्यवधान)

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—मैं खंडन कर रहा हूं कि फोन टेप नहीं हो रहा है. (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे—मैं कह रहा हूं कि हो रहा है.

अध्यक्ष महोदय—आप इसके प्रमाण रखियेगा.

श्री सत्यदेव कटारे—हमारे परिवार के लोगों को नोटिस दिये जा रहे हैं किस बात के? उसके बाद भी क्या कर लोगे आप इससे भी कुछ नहीं होगा. (व्यवधान)

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—यह भी आप पर विशेषाधिकार बनता है.

अध्यक्ष महोदय—आप लोग कृपया करके बैठ जाईये. बात यहां पर समाप्त हो गई है.

श्रीमती इमरती देवी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि दोनों तरफ से कि यहां पर रानी जी की कमी महसूस हो रही है. इस तरह से बातें पहले कभी सदन में सुनने को नहीं मिली.

अध्यक्ष महोदय—आप कृपया बैठ जायें. विचाराधीन सूचना पर दोनों पक्षों के विचार सुने. दोनों पक्षों ने अपने-अपने प्रमाण दस्तावेजों के जरिये अपने वक्तव्य के माध्यम से दिये. माननीय सदस्यों ने कॉल एवं शकधर का उल्लेख किया. दोनों पक्षों ने इसका उल्लेख किया मैं एक दो उनकी पंक्तियों की ओर आप सबका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय--सभा के विशेषाधिकार का हनन अथवा पहले 321 जो प्रस्तुतकर्ता सदस्य ने दिया था, उसका हैडिंग सभा अथवा उसकी समितियों को मिथ्या जारी अथवा नकली दस्तावेज प्रस्तुत करना, यह विषय प्रीविलेज में आता है, यह कोल शकधर है नया एडीशन पृष्ठ 321. माननीय रामनिवास रावत जी ने विशेषकर के यह बात रखी थी कि बहुत से दस्तावेज आते हैं और माननीय गोविन्द सिंह जी वरिष्ठ सदस्यों ने भी रखी. कोल शकधर का पेज 336 सभा के विशेषाधिकार का हनन अथवा उसकी अवमानना के मामले में यह साबित करना पड़ता है कि वक्तव्य न सिर्फ गलत अथवा भ्रामक था, बल्कि यह सभा को गुमराह करने के लिये जानबूझकर दिया गया था. जिन माननीय सदस्य ने यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाया, उन्होंने अपने इसमें लिखा है कि

जानबूझकर दिया गया. प्रमाणिकता की बात बाद में करूंगा, इसलिये इस पर विचार करना आवश्यक था. माननीय सुन्दरलाल जी तिवारी ने नियम 166 के 1 का हवाला दिया, उसमें साफ लिखा है कि 1 बैठक में 1 ही बैठक में 1 से अधिक प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे. वह शायद बैठक का अर्थ ठीक से नहीं समझ पाये, या प्रश्न का नहीं समझ पाये, 1 ही प्रश्न उठाया गया, इसी बैठक में उठाया गया. बैठक का अर्थ भी इधर आगे दिया गया है उसमें यह स्पष्ट है पृष्ठ 8, अध्याय 4 सभा की बैठकें. यह मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियम पृष्ठ 8, सभा की बैठकें अध्याय 4, 12 नियम 12--जब तक कि सभा संकल्पित न करे अन्यथा संकल्पित न करे सभा की बैठकें साधारणत: 10.30 बजे प्रारंभ होंगी और साधारणत: सांयकाल 5 बजे समाप्त हो जायेंगी 17 बजे. यह बैठक 1 है 1 बैठक में 1 ही प्रश्न लिया जायेगा. यह 1 ही बैठक है यह 166 का इंटरप्रिटेशन है. चूंकि कोल शकधर के बारे में माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी ने कहा कि नियम प्रक्रियाओं का आप हवाला दीजिये, कोल शकधर का नहीं. कोल शकधर...

श्री सत्यदेव कटारे--मेरा अनुरोध यह था कि एक विषय पर या तो नियमों से चल लें या कोल शकधर से.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, अभी व्यवस्था के बीच में कुछ नहीं बोलें. प्रक्रिया परंपरा और नियम दोनों से मैंने बार बार यहां कहा है और सदन नियम और परंपराओं से चलता है. माननीय रामनिवास रावत जी ने स्पष्ट किया है इस बात को, जब उन्होंने विशेषाधिकार का यह पृष्ठ खोला था कि इसको कोडिफाई, उन्होंने लाये हैं इसको चर्चा में कि यह कोडीफाई नहीं हुए हैं और यह बारबार सदन की समितियों में, अध्यक्षीय सम्मेलनों में भी आया है कि यह कोडीफाई नहीं किये जा सके हैं. इन्फाइनाइट्ली वेरियस है, जैसे टाट्स आर इन्फाइनाइट्ली वेरियस, ऐसे ही प्रीविलेजेज आर इन्फाइनाइट्ली वेरियस. यह अनंत है, इनकी व्याख्यायें प्रश्न के हिसाब से ही कर सकेंगे, किसी नियम में बांधकर नहीं, आज की स्थिति यही है. जब कभी कोडीफाई होगा , होगा. कोल शकधर को

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनेक अवसरों पर कोड किया है और इसलिये इसमें भी उदाहरण है सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आप पढ़िये. कोल शकधर को अनेक स्थानों पर उन्होंने कोड किया है और इसीलिये इसकी प्रमाणिकता इस संबंध में परंपरानुसार मानी जाती है, नियमानुसार नहीं और परंपराओं को मानना, के बिना संचालन बड़ा कठिन है. इन सब चर्चाओं को सुनने के बाद और प्रारंभिक आपत्तियों को सुनने के बाद...

श्री रामनवास रावत--माननीय अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष महोदय--अब व्यवस्था के बीच में नहीं. कृपा करके बैठें.

श्री रामनिवास रावत--मेरा एक निवेदन और सुन लें.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, अब नहीं. अब कोई निवेदन नहीं.

श्री रामनिवास रावत--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात जो मैंने उठाई.....

श्री राजेन्द्र फूलचन्द्र वर्मा--अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह है कि रामनिवास जी को सुनें, तो फिर मुझे भी सुन लें आप. रामनिवास जी को एलाऊ करें, तो मुझे भी सुनें आप.

अध्यक्ष महोदय--आप बैठ जायें, कृपया.

श्री रामनिवास रावत--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो वाद स्वातंत्र्य की बात उठाई थी ..

अध्यक्ष महोदय--वाद स्वातंत्र्य की, ठीक है, ठीक विषय उठाया है आर्टिकल 105 का हवाला दिया...

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, मैंने जो वाक् स्वातंत्र्य की बात उठाई थी कि वाक् स्वातंत्र्य के संबंध में..

अध्यक्ष महोदय -- ठीक है. बैठ जायें. ठीक विषय उठाया. आपने आर्टीकल 105 का हवाला दिया. मैंने पढ़ लिया.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, कौल शकधर में यह भी दिया हुआ है कि संविधान के उपबंधों एवं संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले.यह संसद के नियम नहीं हैं.

अध्यक्ष महोदय -- मैं आपकी बात समझ गया. आप उसका उत्तर सुन लीजिये. आपकी बात आ गयी.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, चूंकि अपनी प्रक्रिया में वाक् स्वातंत्र्य है...

अध्यक्ष महोदय -- मैं आप ही के विषय पर आ रहा हूं. मैं व्यवस्था दे रहा था,पर आपने जो विषय उठाया है, संविधान का आर्टिकल 105. उसकी मूल भावना शायद आप समझे नहीं. आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं. उसकी मूल भावना यह है कि जो कुछ आप यहां कहते हैं, वह न्यायालय में चेलेंज नहीं की जा सकती. उसका अर्थ यह नहीं है कि यहां आप कुछ भी कहें और उसकी कोई जांच पड़ताल ही न हो. कौल शकधर पुस्तर का पेज 257 "उपरोक्त विशेषाधिकारों और जो आर्टिकल 105 में लिये हैं, पेज 256 में है यह. "संसद के मुख्य विशेषाधिकार." इसमें मुख्य विशेषाधिकार लिखे हैं, जो कांस्टीट्यूशन में लिये हैं. उसमें पहला "संविधान में विनिर्दिष्ट विशेषाधिकार. वाक् स्वातंत्रय उसमें पहले ही है. पेज 257 नया एडिशन. उसको देखिये आप. लास्ट पैरा पर आइये. " उपरोक्त विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के अतिरिक्त प्रत्येक सदन को कुछ पारिणामिक शक्तियां प्राप्त हैं. " पारिणामिक.तत्काल, उस वक्त जो आ रहा है, उसको देखते हुए. "जो उसके विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों " फिर यही शक्तियां धीरे धीरे अपने एवोल्यूशन के समय में नियम बनती हैं. "सदन को कुछ पारिणामिक शक्तियां प्राप्त हैं जो उसके विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के संरक्षण के लिये आवश्यक हैं. ये शक्तियां निम्नलिखित हैं." उसमें आप देखिये अपनी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विनियमन की शक्ति यह है. इस पर चर्चा की जा सकती है. इस पर चर्चा कराई जा सकती है. माननीय, कांस्टीट्यूशन के आर्टीकल 105 में यहां के बाहर

इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जायेगा. पर सभा अपने सम्मान की खुद रक्षा नहीं करेगी, तो सभाएं अपनी प्रतिष्ठा खो देंगी. यहां जो बात कही जाय, यहां जो दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें, वह अविवादित रुप से सत्य होना ही चाहिये, क्योंकि उनको कहीं चेलेंज नहीं किया जा सकता, उनका निर्णय यह सभा ही कर सकती है. यह भी बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आया है .आगे है कि इसमें अनन्त अधिकार सभा को प्राप्त हैं. इसको कोई चेलेंज नहीं कर सकता. अब मैं अपनी फाइनल व्यवस्था पर आता हूं. इन सब तथ्यों के प्रकाश में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि, चूंकि इसमें दस्तावेज भी इनवॉल्व हैं, कि प्रकरण को गहराई से जांच, अनुसंधान, एक हमारे माननीय सदस्य बड़े चिंतित थे कि क्या यहां से मंत्री बोल देते हैं. यह 168 पढ़ो तो दादा. कुछ भी दे रहे हो वहां से. उसमें लिखा है. यह पढ़ते नहीं हैं. कि प्रस्तुतकर्ता सदस्य या कोई सदस्य विशेषाधिकार समिति में भेजने का प्रस्ताव कर सकेगा. वरिष्ठ सदस्य रामनिवास रावत जी भी बोल रहे थे. आप पढ़ते नहीं हैं.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, क्या बोल रहे थे.

अध्यक्ष महोदय -- कि यह पहले से तय हो गया क्या. गहराई से जांच, अनुसंधान और प्रतिवेदन के लिये विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाय. मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रकरण को गहराई से जांच अनुसंधान और प्रतिवेदन के लिये विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाय. अतः मैं डॉ. शेजवार एवं डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सदस्य की सूचना को जांच अनुसंधान औ र प्रतिवेदन के लिये विशेषाधिकार समिति को सौंपता हूं.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्षमहोदय, यह सारा रिकार्ड यहीं के यहीं हैं. मैं यह समझता हूं कि वह सब स्वयं सिद्ध है. आप ही निर्णय कर दें, विशेषाधिकार समिति को न सौंपें.

अध्यक्ष महोदय -- अब उस पर व्यवस्था हो गयी.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अब व्यवस्था हो गयी.

1.49 बजे **बहिर्गमन**

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, वह तो पहले से ही तय थी. ..(व्यवधान).. जब अध्यक्ष जी को विलोपित करने का, अनुमति नहीं देने का अधिकार है, उसके बावजूद भी इस तरह की व्यवस्था से हम कतई सहमत नहीं हैं. यह सदस्यों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात है. इस व्यवस्था के विरोध में हम बहिर्गमन करते हैं.

..(व्यवधान)..

श्री सत्यदेव कटारे -- .. अध्यक्ष महोदय, अगर गलत हैं, तो आपको जो निर्णय करना है, करिये. दस्तावेज आपके पास हैं..

अध्यक्ष महोदय -- अब व्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं हो सकती.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, नहीं, यह गलत बात है.

अध्यक्ष महोदय -- अब व्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं हो सकती.

अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय -- दिनांक 10 जुलाई 2014 को डॉ.नरोत्तम मिश्रा, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, मंत्रीगण एवं सदस्य सर्वश्री यशपाल सिंह सिसोदिया श्री शैलेन्द्र जैन और शंकर लाल तिवारी की ओर से माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री सत्यदेव कटारे तथा श्री बाला बच्चन, सदस्य विधानसभा के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचनायें प्राप्त हुई थीं. दिनांक 10 जुलाई 2014 को मैंने डॉ. नरोत्तम मिश्रा से प्राप्त सूचना को सदन में पढ़ा था उस पर माननीय सदस्यों के विचार सुने थे . विचार सुनने के बाद इस विषय में मैंने अपनी व्यवस्था बाद में देने का उल्लेख किया था. तदनुसार मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं.

यह सदन नियम प्रक्रियाओं और परम्पराओं से चलता है और उनके पालन की अपेक्षा सभी माननीय सदस्यों से की जाती है. यह भी आशा की जाती है कि इन्हीं के अनुरूप सदन में कार्य एवं सदस्यों का आचरण और व्यवहार होगा. इनके उल्लंघन अथवा अवहेलना से न केवल सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होता है बल्कि संसदीय मर्यादाएं और शिष्टाचार भी आहत होता है. इसके साथ ही इनके उल्लंघन से सदन की अवमानना और विशेषाधिकारों का भी हनन होता है.

माननीय सदस्यों से प्राप्त सूचनाओं और दिनांक 10 जुलाई 2014 को माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों के परिप्रेक्ष्य में इस विषय में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस मामले में प्रथम दृष्टया विशेषाधिकार भंग का मामला अंतर्ग्रस्त है.

अत: मैं इस प्रकरण को जांच , अनुसंधान और प्रतिवेदन के लिये विशेषाधिकार समिति को सौंपता हूं.

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग (श्री लाल सिंह आर्य) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं. पहली बार सदन में ऐसा हुआ है कि आपने कोई व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के खिलाफ बहिर्गमन किया है.

अध्यक्ष महोदय-- बात खत्म हो गई है. अब बात समाप्त हो गई है. बैठें.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष की तो निंदा के भी नारे लगाये हैं आप लोगों ने, (xx), प्रोसीडिंग उठाओ. बोलूं

अध्यक्ष महोदय-- मत बोलिये आप.

श्री सत्यदेव कटारे -- फिर. (XX) नहीं चलेगी, अध्यक्ष के खिलाफ नारे लगा रहे थे और लीड कर रहे थे डॉ.गौरीशंकर शेजवार. पर अध्यक्ष महोदय मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि जो व्यवस्था पहले से तय थी हमें मालूम था कि आप यही करेंगे, अच्छा किया आपने धन्यवाद.

नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकर्षण

1. डिण्डोरी जिले की तरच निवासी आदिवासी छात्रा द्वारा आत्महत्या की जाना.

श्री ओमकार सिंह मरकाम (डिण्डोरी)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है:-

डिण्डोरी जिले के वन ग्राम तरच विकास खंड बजाग की आदिवासी छात्रा जो कि बी.एस.सी फाइनल में पढ़ रही थी व 2013 में पी.एम.टी. की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उक्त लड़की दिनांक 30.6.2014 को बीना के औरैया में निर्वस्त्र स्थिती में 70 फिट ऊंचे हाईटेंशन लाईट वाली टावर से कूद गई जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद पुलिस पहुंची एवं शव की पोस्टमार्टम कराई, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कहा कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पुलिस नहीं मान रही है तथा अपराधियों को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही है। पुलिस के इस रवैये से जनता में आक्रोश व्याप्त है।

मंत्री, गृह (श्री बाबूलाल गौर) -- माननीय अध्यक्ष महोदय,ध्यानाकर्षण सूचना पर विभाग का वक्तव्य निम्नानुसार है :-

दिनांक 30.06.2014 की प्रातः लगभग 08:30 बजे प्रत्यक्षदर्शी श्री संजय पारासर आत्मज श्री नर्मदाप्रसाद पारासर उम्र 24 वर्ष निवासी चंद्रशेखर वार्ड ऊरई बीना द्वारा थाना बीना में उपस्थित होकर सूचना दी कि, आज दिनांक 30.06.2014 के प्रातः करीब 06:00 बजे एक अज्ञात महिला हींगटी रोड हनुमंत वकील के खेत पर गढ़े हाईटेंशन लाइन के खम्बे पर चढ़ गई और सिगनल तार को पकड़कर नीचे कुद गई। उपरोक्त सूचना पर थाना बीना में मर्ग क्रमांक 39/14 धारा 174 जा0फौ0 कायम कर जांच में लिया गया। दिनांक 01.07.2014 को महिला के शव को पोस्ट मॉर्टम हेतु शासकीय अस्पताल बीना रवाना किया गया। मर्ग जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु शरीर के भीतरी भाग में आई चोटों के आंतरिक रक्तस्राव के फलस्वरूप होना बताया गया तथा मृतिका के शव परीक्षण में उसके साथ दुष्कर्म होने की संभावना लेख की गई। मर्ग जांच में आये साक्ष्य व तथ्यों के आधार पर दिनांक 06. 07.2014 को थाना बीना में अप0क्र0 314/14 धारा 376-घ, 306 भा0द0वि0 पंजीबद्व किया गया । आरोपीगण 1. भीम उर्फ विशाल सूर्यवंशी 2. सुशील घोष 3. शेखर मीणा, तीनों निवासी जिला इंदौर 4. रितिक उर्फ शिब्बू रैकवार निवासी रेल्वे स्टेशन के पास बीना जिला सागर को उसी दिनांक को गिरफ्तार किया गया है। उपरोक्त प्रकरण में धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बढाई जाकर अग्रिम विवेचना एसडीओपी बीना द्वारा की जा रही है ।

यह सही है कि, मृतिका जिला डिंडोरी ग्राम तरच विकासखण्ड बगाज की आदिवासी छात्रा थी, जो बी0एस0सी0 में पढ़ रही थी। मृतिका ने वर्ष-2012 में शहडोल से पी0एम0टी0 परीक्षा दी थी परन्तु उत्तीर्ण नही हुई थी। पुलिस के द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की गई है।

श्री ओमकार सिंह मरकाम(डिंडोरी)-- अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है. मैं माननीय गृह मंत्री जी से चाहता हूं कि इस पर गंभीरता से चिन्तन करते हुए माननीय मुख्यमंत्रीजी के जो शब्द हैं जिस शब्द को सुनने के बाद प्रत्येक आदमी सोचने लगता है. वह ईमान और सचाई के बहुत अच्छे शब्द हैं. वह शब्द है ' बेटी बचाओ अभियान'. जिस घर में बेटी पैदा होती है, निश्चित ही उस घर में खुशहाली होती है. और परिवार के लोग उसके भविष्य को संवारने का सपना सोचने लगते हैं. परिवार में पिता हो, मां हो या भाई हो सबका एक अटूट रिश्ता है. देश में सारे लोगों के सामने जब 'बेटी बचाओ' शब्द आता है तो सब लोग उत्साह के साथ इस शब्द का समर्थन करते हैं.

समय 0157 बजे उपाध्यक्ष महोदय (डॉ राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि उस समय जब घटना घटी, उससे जो हालात पैदा हुए तो उस घटना पर क्या कार्रवाई हो रही है. उससे पहले हमको इंसानियत के नाते, मानवीय आधार पर वहां पर जो पुलिस पहुंची. पुलिस के पहुंचने के बाद का जो घटनाक्रम है और वहां के जनमानस के द्वारा की गई मांग है इस पर यदि आप पूरी गंभीरता से चिन्तन करेंगे और देखेंगे तो मैं समझता हूं कि वहां पुलिस के द्वारा जिस तरह से इस प्रकरण को गैर जिम्मेदारी पूर्वक, बयानबाजी करते हुए कार्रवाई की गई जिस तरह की घटना हुई,उससे हमारे प्रदेश को ही नहीं, बल्कि हमारे देश में..

उपाध्यक्ष महोदय-- आप प्रश्न करिये.

श्री ओमकार सिंह मरकाम-- उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है. एक बेटी के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है. हमारी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के बाद उत्पन्न हालात पर यह विषय है. मैं आपका संरक्षण चाहता हूं. हमें इस बात पर गर्व है दुनिया के किसी भी देश..

उपाध्यक्ष महोदय-- आप भाषण दे रहे हैं. आप प्रश्न पूछिये. आप क्या चाहते हैं.

श्री ओमकार सिंह मरकाम-- उपाध्यक्षजी, मैं यह बताना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर जितने देश है उनमें किसी भी देश को 'मां' की संज्ञा नहीं दी गई है लेकिन हम हमारे भारत को अपनी 'मां' मानते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय-- किसी अन्य विषय पर आप भाषण दे दीजिएगा. प्रश्न पूछने का अवसर है. प्रश्न पूछें.

श्री ओमकार सिंह मरकाम-- उपाध्यक्षजी, प्रश्न पर आने से पहले यह बताना चाहता हूं. मैंने पहले निवेदन किया कि माननीय गृह मंत्री जी का सिर्फ गृह मंत्री के रुप में नहीं, बल्कि वे इस सदन के हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं. उनका हमको संरक्षण और गार्जियन के रुप में निर्णय चाहते हैं. हम मंत्रीजी को बताना चाहते हैं 30 तारीख को सुबह 8 बजे पुलिस पहुंच गई और 1 तारीख को पीएम हुआ. जैसा कि उत्तर में है. उपाध्यक्षजी, उसको 1 तारीख को पोस्ट मार्टम के लिए भेजा जा रहा है उस बीच में पुलिस का जो वक्तव्य है जो 3 तारीख को दैनिक भास्कर के मुख पृष्ठ पर आया है कि सबसे पुलिस ने तो यह कह दिया कि जो मृतक महिला है वह विक्षिप्त है. ऐसा कहकर मामले को किनारा करना चाहते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय-- इसका उल्लेख तो आप सूचना में कर चुके हैं. आप प्रश्न कीजिएगा.

श्री ओमकार सिंह मरकाम-- कहां पर किये हैं. हमने ध्यानाकर्षण में नहीं किया. हमने सिर्फ सामान्य रुप से विषय पर ही ध्यानाकर्षण लगाया है.

उपाध्यक्ष महोदय-- लेकिन इतनी लंबी चर्चा नहीं होती. आप प्रश्न पूछिये.

श्री ओमकार सिंह मरकाम-- उपाध्यक्षजी, अगर मध्यप्रदेश की छात्राओं की मौत पर भी अगर आप समय नहीं दे रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि आप समय मत दीजिए.

उपाध्यक्ष महोदय-- किसी दूसरे नियम के तहत आप चर्चा कर सकते हैं.

श्री ओमकार सिंह मरकाम-- यह भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का विषय नहीं है. हर घर-घर की बेटियों का विषय है.

श्री ओमकार सिंह मरकाम - उपाध्यक्ष महोदय, आप समय से लगातार वंचित कर रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय - ऐसा है कि अगर विषय महत्वपूर्ण है, आप समझते हैं किसी दूसरे नियम के तहत चर्चा मांग लीजिए.

श्री ओमकार सिंह मरकाम - उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर बेटियों से जुड़ा हुआ विषय आप गंभीरता से नहीं लेंगे, उनकी मृत्यु की बात नहीं मान रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय - यह गलत बात है, किसी दूसरे नियम के तहत चर्चा मांग लीजिए, चर्चा नहीं, अब आप प्रश्न पूछिए. नहीं तो आगे बढ़ना पड़ेगा.

श्री ओमकार सिंह मरकाम - उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है आपकी यही व्यवस्था, एक तरफ बेटी बचाओ अभियान की बात माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं और आप समय नहीं दे रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय - यह गलत बात है, आप बैठ जाइए.

श्री ओमकार सिंह मरकाम - उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि पुलिस ने पहले उस बच्ची का जो शव था उसको विक्षिप्त कहकर कार्यवाही को भ्रमित करने की कोशिश की. दूसरा अस्पताल से सूचना मिलने के बाद डॉक्टर कथौरिया ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप ले जाइए और पुलिस को यह फुर्सत नहीं कि उस बच्ची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लाकर सही जांच कर लें. वहीं पर एसपी साहब का जो बयान आता है, वह यह आता है कि रिपोर्ट से सिर्फ संबंध होने..

उपाध्यक्ष महोदय - आपका प्रश्न अभी भी नहीं आया.

श्री ओमकार सिंह मरकाम - उपाध्यक्ष महोदय, वह रिपोर्ट आने से सिर्फ संबंधों का पता चलता है, दुष्कर्म का पता नहीं. यह एसपी साहब कह रहे हैं. उसके साथ डॉक्टर कथौरिया ने कहा

कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ है उस रिपोर्ट को भी नहीं ले रहे हैं तो मैं प्रदेश के हित में माननीय मुख्यमंत्री..

उपाध्यक्ष महोदय - आप सदन चलाने में सहयोग करिए. आप प्रश्न पूछिए. आप कार्यवाही देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कितना लम्बा भाषण आपका हो चुका है.

श्री ओमकार सिंह मरकाम - उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बार सदन में आया हूं और आपके आशीर्वाद से हम लोग यहां आ पाए हैं, हम लोग आदिवासी हैं, परन्तु जिस तरह से अनावश्यक शब्दों में सदन के अंदर समय मिल जाता है और मेरी बहन बेटी जिस हालात में हैं, उनकी मौत पर भी (xx) कि हमें कैसे न्याय मिलेगा?

उपाध्यक्ष महोदय - नहीं, यह गलत बात है. हमें आगे बढ़ना पड़ेगा. आप प्रश्न पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ना पड़ेगा.

श्री ओमकार सिंह मरकाम - उपाध्यक्ष महोदय, आपको अधिकार है, आप बढ़ सकते हैं. हम लोग तो आदिवासी लोग हैं, आप जैसा समय देना चाहेंगे..

उपाध्यक्ष महोदय -आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं? आपको पर्याप्त समय दिया जा चुका है. आपको प्रश्न पूछना चाहिए, आपने पूरी घटना का उल्लेख कर दिया है.

श्री ओमकार सिंह मरकाम - उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस थाना प्रभारी ने वहां पर उस बच्ची के शव के बाद भी एक इंसानियत की जिम्मेदारी को नहीं निभाया क्या ऐसे थाना प्रभारी को निलंबित करके और प्रदेश में इस तरह से कोई घटना होती है, वहां पर जो पुलिस की सक्रियता और सहजता की हम उम्मीद कते हैं उस पर मैं माननीय गृह मंत्री जी से चाहता हूं कि क्या उस थाना प्रभारी को निलंबित करके आगे जांच कराएंगे?

श्री बाबूलाल गौर - उपाध्यक्ष महोदय, पूरी कार्यवाही तत्परता से की गई, सभी अपराधी पकड़ लिये गये, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें भी आया है कि उसके साथ दुष्कर्म की संभावना है. अब कौन-सी कार्यवाही बची है, जो करना है?

उपाध्यक्ष महोदय - आप क्या चाहते हैं, बात तो पूरी हो गई है. सारे अपराधी गिरफ्तार हो गये, यह रिकॉर्ड में आ गया कि दुष्कर्म हुआ है. अब आप एक प्रश्न और पूछ लीजिए.

श्री ओमकार सिंह मरकाम - उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपको पूरा अधिकार है आप निलंबित करेंगे, नहीं करेंगे. मैं सिर्फ एक इंसानियत के नाते आपसे प्रार्थना करता हूं कि जहां बेटियों से जुड़ा हुआ यह गंभीर किस्म की घटना है. उसको निलंबित करें, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे डिण्डौरी जिले में ही एक बच्चे के गले को काटकर मंदिर में चढ़ा दिया गया, उसमें किसी की पकड़ नहीं हुई है. एक बच्ची का मृत शरीर मिला, उसमें भी कार्यवाही नहीं हुई. मेरा माननीय गृह मंत्री जी यह कहना है कि यह 30 तारीख की घटना थी और लगातार 1 तारीख, 2-3 तारीख को खबरों में आ रहा है, 4-5 तारीख को बीना बंद हो रहा है, हम तो बीना के निवासियों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वहां नागरिकों ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है.

उपाध्यक्ष महोदय - आप तो फिर से भाषण करने लगे, आप सबको धन्यवाद दे रहे हैं. आपने स्पेसिफिक प्रश्न कर लिया, उसका उत्तर आ गया, एक प्रश्न और आप कर लीजिए और सदन की कार्यवाही कृपया आगे बढ़ने दीजिए.

श्री ओमकार सिंह मरकाम- उपाध्यक्ष जी, मैं एक प्रश्न गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं. अन्तरात्मा से सोच कर जो आप निर्णय लेंगे वह हमें शिरोधार्य होगा. परन्तु पुनः हम कहेंगे आप वरिष्ठ हैं, हमारे गार्जियन के रूप में हैं. क्या अगर वह बेटी किसी वरिष्ठ या ऐसे पूंजीवाद से जुड़े हुए लोग या सत्ता से जुड़े हुए लोंगों के घर में होता तो इस तरह की घटना पर क्या निर्णय होता? मैं

सिर्फ प्रार्थन करता हूं. आप उसको बाद में बहाल कर लेंगे , पर आपकी वरिष्टता पर हम लोगों को भरोसा है. हम चाहते हैं कि उसको निलंबित करके दूसरे अधिकारी ..(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय—डॉ.गोविन्द सिंह जी,आप पूछें.

श्री ओमकार सिंह मरकाम-माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर तो आने दें.

उपाध्यक्ष महोदय—नहीं नहीं, मरकाम जी आप तो भाषण करने लगते हैं. कई बार मैने आपसे यह निवेदन किया. अच्छा आप अंतिम प्रश्न कर लें.

श्री ओमकार सिंह मरकाम—दिल्ली में अगर कोई घटना होती है तो पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा होती है. अगर आदिवासी बेटी है तो आप हमें न्याय नहीं दिलवा रहे हैं. हम आपसे अनुरोध करते हैं. एक टी.आई. ने इतनी लापरवाही बरती. (व्यवधान)आप लगातार हमें टोंकते जा रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय—आप बैठ जाईए, कोई सीमा होती है. समय की भी सीमा है. सदन में और बहुत सारा भी बिजनेस है. अनुदान मांगे आनी हैं. अब आप बैठ जाईए. आप अपने समय का दुरूपयोग कर रहे हैं.

श्री ओमकार सिंह मरकाम—उपाध्यक्ष जी, एक उत्तर तो आने दीजिए. मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं. माननीय गृह मंत्री जी आप सहृदयता से ,आप यह सोच लीजिए . आप क्या उसको जो टी.आई. है ,जिन्होंने विक्षिप्त कहा. क्या उसको निलंबित करके उच्च अधिकारियों से इस प्रकरण की जांच करायेंगे.

श्री बाबूलाल गौर—जी नहीं.

श्री ओमकार सिंह मरकाम- माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे यही उम्मीद थी कि गृह मंत्री हमारी आदिवासी बालिका के मौत पर भी इस तरह से निर्णय लेंगे . मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट हूं.

डॉ.गोविन्द सिंह(लहार)- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में मामला बहुत गंभीर है. प्रश्न यह है कि 30 जून को सुबह छः बजे उसकी हत्या होती है. बीना शहर का मामला है. क्या कारण था कि एक दिन के बाद, 24 घंटे के बाद में दूसरे दिन उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. इस देरी के लिए क्या आपका पुलिस विभाग या पुलिस के संबंधित अधिकारी दोषी नहीं हैं? दूसरा, इसमें मेडिकल में यह भी उल्लेख है कि रक्त स्त्राव ज्यादा होने से मौत हुई है. तो एक तो यह है कि इतनी छोटी बालिका का 70 फिट ऊंचे से गिरना बताया है तो उसको और भी चोटें आई होंगी. तो क्या मेडिकल परीक्षण में और भी चोटं आना बताया है. और आपने संभावना व्यक्त की है कि संभावना है. इसी में एक प्रश्न और है कि जो अपराधी हैं वे अलग अलग हैं. जो अपराधी हैं उनमें से तीन इन्दौर के हैं और एक बीना का है. तो क्या ये वहां के छात्र थे. आखिर उस लड़की को पकड़ कर कहां ले गए ,कहां उसके साथ रेप किया. यह पूरी विस्तृत जानकारी कृपया देने का कष्ट करेंगे.

श्री बाबूलाल गौर—उपाध्यक्ष महोदय, मामला यह है कि ये जो लड़की है उन्हीं के साथ बीना आई. और बीना आने के बाद वह दुखी थी और उसको शॉक था कि मेरे साथ दुष्कर्म हो गया. और वह अपने सारे कपड़े उतार करके टॉवर पर चढ़ गई. और वहां से कूद गई.

एक माननीय सदस्य – मंत्री जी आपने बोला कि दुष्कर्म होआ तो वह दुखी थी.तो उस पर आप कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे है.

श्री बाबूलाल गौर—हां दुखी थी. कार्यवही तो की है. गिरफ्तार किया है. सारे लोगों को गिरफ्तार किया है.वह उपर से कूदी और उसको चोट लगी.उसकी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आई और उसका पोस्ट मार्टम हुआ है, मैं उसको पटल पर रखने को तैयार हूं.

डॉ.गोविन्द सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब आ जाने दें. मैंने जो सवाल किए हैं, उनका जवाब दे दें.

श्री बाबूलाल गौर—फिर से बोलें

डॉ.गोविन्द सिंह—फिर से रिपीट करूं. मेरा सवाल है कि जब शहर का ही मामला है तो 24 घंटे बाद पोस्ट मार्टम क्यों हुआ? उसके लिए दोषी कौन है, अगर दोषी है तो क्या आप उसको दंडित करेगे?

उपाध्यक्ष महोदय—पोस्ट मार्टम में विलंब के क्या कारण हैं. डाक्टर साहब आपका प्रश्न आ गया है. इसका जवाब आ जाने दें. एक एक पूछें नहीं तो कन्फ्युजन हो जाएगा. पोस्ट मार्टम में एक दिन का विलंब क्यों हुआ?

श्री बाबूलाल गौर—उपाध्यक्ष महोदय, पोस्ट मार्टम में देरी नहीं हुई है. मेरा निवेदन है कि जिस स्थान पर यह घटना हुई है, वह स्थान एक खेत है, यह मैंने अपने जवाब में बताया है कि चन्द्रशेखर वार्ड उरई, बीना द्वारा थाने में उपस्थित होकर सूचना दी. यह गांव के अंदर टावर में चढ़कर कूदी है. इसके बाद थाने में सूचना हुई. फिर उसको लाकर पोस्ट मार्टम कराया गया. दो चार दिन का डिले होता तो समझ में आता. एक दिन में ही यह हुआ. वहां पर दो डाक्टरों ने पी.एम. किया, उसमें एक लेडी डाक्टर और एक पुरूष डाक्टर थे, पूरी जांच करी गई और सारे अपराधियों को पकड़ा गया. इसमें तो आपको पुलिस की प्रशंसा करनी चाहिए.

डॉ.गोविन्द सिंह—अपराधियों को पकड़ने के लिए तो आपको धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय मंत्री जी वह पूछ रहे हैं कि एक दिन का विलंब क्यों हुआ. आप कह रहे हैं कि 3-4 दिन का विलंब हो सकता है. 3-4 दिन का डिले होता नहीं है. 3-4 दिन में दफना दिया जाता है और फिर मजिस्ट्रेट के आदेश से शव को निकालकर फिर पोस्ट मार्टम होता है.

श्री बाबूलाल गौर—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का यह मतलब नहीं है. 30 तारीख की घटना है और पहली तारीख को पोस्ट मार्टम के लिए गया तो कौन सा डिले हुआ है? मेरा निवेदन है कि आप इसको देखें कि अज्ञात शव होने के कारण एक दिन लगा. अगर पहिचान होती तो इतना डिले भी नहीं होता.

उपाध्यक्ष महोदय—आप इसकी जांच करवा लें कि क्यों डिले हुआ?

श्री बाबूलाल गौर—इसकी जांच करा लेंगे. आपका आदेश है तो जांच करा लेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय—ठीक है, डिले की जांच हो जाएगी.डॉक्टर साहब अब आपका आ गया है, मंत्रीजी जांच में सब आ जाएगा.

डॉ.गोविन्द सिंह—अभी तो रेप की संभावना बताई है.

उपाध्यक्ष महोदय—डाक्टर साहब जांच में सब आ जाएगा. जांच के लिए मंत्री जी ने कह दिया है.

डॉ.गोविन्द सिंह—आपने मेडीकल कराया तो मेडीकल के निष्कर्ष क्या हैं? उसमें रेप होना बताया है या संभावना बताई है. अगर संभावना बताई तो 376 कैसे लगी?

श्री बाबूलाल गौर—जो मेडीकल रिपोर्ट आई है, उसी के आधार पर 376 लगाई है.

उपाध्यक्ष महोदय—मेटीकल रिपोर्ट के आधार पर ही डाक्टर साहब धाराएं लगी हैं.

श्री सचिव यादव—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृहमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब घटना की जानकारी पुलिस को लगी और पुलिस ने इस मामले से पल्ला झाड़ने के लिए समाचार पत्रों में आया कि लड़की विक्षिप्त थी, तो क्या इस असंवेदनशीलता के लिए वहां के टी.आई. पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई और आप कार्यवाही करेंगे?

श्री बाबूलाल गौर—उपाध्यक्ष महोदय, वह दुखी होकर उसने सारे वस्त्र उतार दिये. उसे शाक लगा और टावर पर वह चढ़ गई. (व्यवधान)

श्री सचिन यादव—पुलिस विभाग और वहां के टी.आई. इस पूरी घटना से अपना पल्ला झाड़ना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ऊटपटांग ब्यानबाजी की, असंवेदनशीलता दिखाई है, इसलिए मैं गृहमंत्री जी से चाहता हूं कि उस टी.आई. के खिलाफ कार्यवाही करें.

श्री बाबूलाल गौर—इसकी आवश्यकता नहीं है.

उपाध्यक्ष महोदय—बात पूरी आ गई, लंबी चर्चा हो गई. आप एक प्रश्न पूछ लें.

श्री राम निवास रावत—प्रदेश की आदिवासी बालिका का मामला है और प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश की कन्याओं के तथाकथित मामा हैं, उनकी भांजी के साथ बलात्कार का मामला है. (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 48 घंटे पोस्टमार्टम डिले हुआ. माननीय मंत्री जी ने कह दिया.

श्री बाबूलाल गौर-- जांच करवा लेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय—उसके लिए जांच उन्होंने कह दिया है.

श्री राम निवास रावत—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1 तारीख को पोस्ट मार्टम हुआ और 1 तारीख को पोस्टमार्टम होने के बाद पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो गई. आपने पांच दिन बाद दिनांक 6 तारीख को प्रकरण की कायमी की है क्योंकि आपके पुलिस अधिकारी उसे विक्षिप्त ही मानते हैं और माननीय मंत्री जी का यह कथन कि लड़की लड़कों के साथ गयी थी. बीएससी की छात्रा थी. जबलपुर में पोस्ट आफिस विभाग में एग्जाम देने गयी थी, वहां से लौटने के बाद उसका पता नहीं लगा. उसका अपहरण हुआ. इसमें धारा 366,363,364 भी बढ़ना चाहिए.जो प्रकरण 5 दिन विलम्ब से कायम हुआ, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे और एससी, एसटी का एक्ट भी बाद में लगाया गया, क्या यह निग्लीजेंसी नहीं है और जिस अधिकारी ने यह कहा कि यह लड़की विक्षिप्त है, क्या उसके विरुद्ध जांच संस्थित करके कार्यवाही करेंगे और इस लड़की के परिवारजनों को कम से कम 10 लाख रुपय आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे और आखिरी इस प्रदेश में...(xxx)

श्री बाबूलाल गौर—उपाध्यक्ष महोदय,यह शब्द निकाले जाएं.

उपाध्यक्ष महोदय— इसको कार्यवाही से निकाल दें.(व्यवधान) आप अपने प्रश्न का जवाब ले लीजिए. माननीय गौर साहब आपने जांच के लिए कह दिया है तो दो तीन बातें और जो इन्होंने

कही हैं, जांच में उनका भी समावेश कर लें और देख लें कुछ राहत राशि दी जा सकती है तो ठीक रहेगा.

श्री बाबूलाल गौर—राहत राशि प्रदान की जाएगी.

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

श्री रामनिवास रावत—कितनी?

श्री बाबूलाल गौर—यह मैं अभी नहीं बता सकता.

श्री राम निवास रावत—एक राहत राशि तो एससी, एसटी एक्ट होने के कारण मिलती है. हम आज सरकार से चाहते हैं, पृथक से घोषणा चाहते हैं.

श्री बाबूलाल गौर—नियमानुसार दी जाएगी.

उपाध्यक्ष महोदय—देखिये, ये मंत्री जी का अधिकार है कि आज घोषणा करते हैं कि नहीं करते हैं. प्रश्न पूछने का आपका अधिकार है तो उनका भी यह अधिकार है.

श्री राम निवास रावत—नियमानुसार. तो नियम तो एससी, एसटी एक्ट में है ही.

उपाध्यक्ष महोदय—तो वो तो मिलेगा ही. बाकी और जो देंगे वह कहते हैं विचार करेंगे

श्री राम निवास रावत- वह तो कह रहे हैं कि नियमानुसार दी जाएगी.

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय मंत्री जी, इसके अतिरिक्त भी क्या देंगे.

श्री बाबूलाल गौर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विचार करेंगे.

श्री राम निवास रावत—किस वरिष्ठ अधिकारी से जांच करायेंगे.

श्री बाबूलाल गौर—यह तो हमारे ऊपर छोड़ दो. भोपाल से किसी उच्च अधिकारी को भेज देंगे.

श्री राम निवास रावत—अंतिम प्रश्न(xxx)

उपाध्यक्ष महोदय-- इसको कार्यवाही से निकाल दें. यह बार बार बात नहीं आनी चाहिए. आपका जो उद्देश्य था वह पूरा हो गया. राहत राशि दी जाएगी.

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

नेता प्रतिपक्ष(श्री सत्यदेव कटारे)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो प्रश्नकर्ता सदस्य है उन्होंने आपसे अनुरोध किया था, निश्चित रुप से हम भी जानते हैं कि आप तो पुलिस वालों को बचाने के पक्ष में नहीं हैं लेकिन उन्होंने लापरवाही बरती है और घोर लापरवाही है. एक लड़की पढ़ने आ रही है और पढ़ने जाने में रास्ते में अपहरण हो जाता है और उसके साथ बाद में क्या होता है कि उसकी डेडबाडी मिलती है. अब कपड़े उसने उतारे कि लड़कों ने उतारे, कैसे उतरे, इस विषय में तो हम नहीं जाना चाहेंगे लेकिन वह हाईटेंशन लाइन पकड़ के सुसाइड करती है और पुलिस वाले यह बयान दे देते हैं कि वह लड़की विक्षिप्त है तो मंत्री जी यह उत्तर सही नहीं है, आप उन पर कार्यवाही करें नहीं तो, यह बड़ी घटना है इसके विरोध में हमको बहिर्गमन करना पड़ेगा. (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय-- अब सब लोग एक साथ बोलेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है.

पंचायत मंत्री(श्री गोपाल भार्गव)—माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है. माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, ऐसा ऐसा उत्तर दो, ऐसा ऐसा कहो, नहीं तो हमें बहिर्गमन करना पड़ेगा. मैं मान के चलता हूँ कि यह परम्परा के हिसाब से ठीक नहीं है.

श्री सत्यदेव कटारे—उत्तर, ऐसा ऐसा नहीं कहा. मैंने कहा कि आप संवेदनशील हैं, आप नहीं चाहते होंगे कि ऐसी घटना हो. घटना हो गई आप क्यों डिफेंड करने में लगे हो, यह कहा है. जो सदस्य ने बोला है उनकी भावनाओं को देखिये, जो कानून कहता है वह कार्यवाही करिये

श्री राम निवास रावत—प्रदेश के आदिवासियों की सुरक्षा की चिन्ता है,आदिवासी बालिकाओं की सुरक्षा की चिन्ता है.

श्री गोपाल भार्गव—चिन्ता सभी को है.

...व्यवधान...

श्री रामनिवास रावत--- इतनी लापरवाही बरती गई है मैं तो यह कहता हूं कि इसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज होना चाहिए.

उपाध्यक्ष महोदय-- अभी जाँच में आ जाएगा.

पंचायत मंत्री(श्री गोपाल भार्गव)—उपाध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि मुरैना की एक अनुसूचित वर्ग की महिला के साथ में बलात्कार हुआ था बाद में पुलिस कस्टडी में उसके साथ दुबारा बलात्कार हुआ , आपने कहा 50 हजार रुपया देंगे. जब दुबारा बलात्कार हुआ तो आपने कहा कि 50 हजार रुपये और देंगे यह आपके ही समय का प्रकरण था. पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस अभिरक्षा में बलात्कार हुआ था.

श्री रामनिवास रावत-- लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही हुई थी, सब निलंबित हुए थे.

उपाध्यक्ष महोदय--- मंत्री जी, कटारे जी ने जो और पूछा है उसका जवाब दे दीजिये.

श्री बाबूलाल गौर-- उपाध्यक्ष महोदय, हमने पूरा जवाब दे दिया है.

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा गृहमंत्री जी के जवाब से अंसतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन

श्री सत्यदेव कटारे--- उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब अच्छा नहीं है, (XX) पूर्ण है हम इसके विरोध में बहिर्गमन करते हैं.

(श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा माननीय गृहमंत्रीजी के जवाब से अंसतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

2.जिला धार के लेबड़-मानपुर रोड पर टोल प्लाजा कर्मियों द्वारा जनप्रतिनिधि के साथ अभद्र व्यवहार किया जाना

सर्वश्री जितू पटवारी(राऊ), रामनिवास रावत--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

दिनांक 19.3.2014 को विधान सभा क्षेत्र कुक्षी से निर्वाचित विधायक अपने परिवार के साथ निजी वाहन क्रमांक एम.पी. 09 सी.जे. 5787 से लेबड़-मानपुर रोड से बगड़ी जा रहे थे। रास्ते में वलेचा इंजिनियरिंग द्वारा संचालित टोल प्लाजा पर माननीय विधायक के वाहन को रोका गया तो विधायक द्वारा टोल कर्मचारियों को विधान सभा सचिवालय द्वारा जारी परिचय पत्र दिखाते हुए कहा कि मैं विधान सभा का सदस्य हूँ और यह मेरा परिचय पत्र है। इस पर टोल प्लाजा के कर्मचारी और मेनेजर भड़क गए और उन्होंने क़हा बहुत देखे हैं तेरे जैसे विधायक और ऐसे नकली परिचय पत्र। इतना ही नहीं माननीय विधायक के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जाति सूचक अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उनके वाहन चालक से मारपीट की। तत्पश्चात् माननीय विधायक द्वारा थाना मानपुर में पहुंच कर रिपोर्ट की, किन्तु पुलिस द्वारा टोल संचालकों का पक्ष लेते हुए सांठ गांठ कर सक्षम दण्डाधिकारी के न्यायालय बंद हो जाने के पश्चात भी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया जो कि जांच का विषय है। पुलिस द्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के प्रति ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो आम जनता के साथ क्या व्यवहार किया जाता होगा, इसकी परिकल्पना इस प्रकरण से की जा सकती है। इस प्रकार के टोल प्लाजा पर निर्वाचित विधायक के साथ हुए दुर्व्यवहार एवं मारपीट तथा पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं किये जाने से प्रदेश के समस्त जनप्रतिनिधियों में पुलिस एवं प्रशासन के प्रति तीव्र रोष व्याप्त है।

मंत्री(श्री बाबूलाल गौर)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

दिनांक– 20.3.14 को श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, माननीय विधायक कुक्षी जिला धार अपने निजी वाहन से लेबड रोड मानपुर से जा रहे थे तब दर्जनपुरा टोल प्लाजा पर टोल टैक्स देने की बात पर माननीय विधायक व उनके वाहन चालक के साथ टोल टैक्स के कर्मचारियों ने मारपीट की घटना घटित की थी, जिसकी सूचना मान0 विधायक द्वारा थाना मानपुर में देने पर उक्त दिनांक 20.3.14 को ही थाना मानपुर जिला इंदौर में अप.क्र. 114/14 धारा 147, 294, 323, 506 भादवि का पंजीबद्व कर माननीय विधायक व उनके वाहन चालक घनश्याम पटेल का मेडीकल परीक्षण कराया गया एवं प्रकरण में नामजद 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है । प्रकरण की विवेचना के दौरान आयी साक्ष्य के आधार पर धारा 149 का इजाफा किया जाकर विवेचना पूर्ण होने पर आरोपियो के विरूद्व चालान कमांक 136/14 दिनांक 15.4.14 तैयार किया जाकर माननीय न्यायालय में फौमुन0 848/14 दि–22.4.14 पर पेश किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

जातिसूचक शब्द कहे जाने के संबंध में मान0 विधायक महोदय द्वारा प्रथम सूचना दर्ज कराते समय कोई उल्लेख नहीं किया गया था सम्पूर्ण घटना टोल टैक्स देने की बात को लेकर हुई थी जिस पर पुलिस द्वारा विधिसम्मत् कार्यवाही कर आरोपियों को गिर्फतार किया जाकर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रकरण के सभी आरोपियों के विरूद्व इस्तगासा कमाक 22/14 दिनांक 23.3.14 एवं 26/14 धारा 151, 107,116 (3) दप्रसं के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाकर बाउण्ड ओव्हर कराया गया है।

पुलिस द्वारा निष्पक्ष, त्वरित वैधानिक कार्यवाही की गई है।

श्री जीतू पटवारी-- आदरणीय उपाध्यक्ष जी, दो बातें जो मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कही, एक तो यह कि विधायक ने उस समय जब रिपोर्ट दर्ज कराई थी, प्राथमिकी दर्ज कराई थी, तब जातिसूचक शब्दों का उपयोग किया गया कि नहीं उसमें उल्लेख नहीं है. उसका अलग से एक आवेदन नहीं था. पुलिस का इसमें पूरा प्रकरण मिलीभगत से हुआ था. टोल प्लाजा चूँकि आपको मंत्री जी ध्यान नहीं होगा, मैं उसी जिले का हूँ, तो टोल प्लाजा और पुलिस थाने की दूरी सिर्फ एक किलोमीटर की है और जहाँ जहाँ टोल चलता है, वहाँ वहाँ थाने की उसकी कितनी सेटिंग होती है, मेरे से बेहतर आप इस उम्र में शायद समझते होंगे. मेरा आप से अनुरोध है कि जब उस पर जातिसूचक शब्दों का उपयोग किया गया इसकी उन्होंने सूचना टीआई को दी थी, वह लिखाने की बात कही थी, तब टीआई ने उस समय, उस बात का उसमें उल्लेख नहीं किया. इसका खुद मुझे हनी बघेल ने फोन किया, मैं खुद साक्षी हूँ, वहाँ गया और फिर एक अलग से आवेदन दिया, जिसकी कॉपी मेरे पास है. ऐसे में एक प्रकरण तो बनता है उस टोल प्लाजा के कर्मचारियों पर जातिसूचक शब्द का, जो पुलिस ने नहीं दर्ज किया और दूसरा उस टीआई का, जिस टीआई ने उसकी मिलीभगत से जिस तरीके से हनी बघेल के साथ मारपीट हुई. मैं इसको काँग्रेस बीजेपी से नहीं जोड़ता हूँ. एक भी विधायक के साथ होता है, अगर उसकी सीडी आप कहो तो मैं पेश करने के लिए तैयार हूँ तो इसी वक्त गृहमंत्री जी टीआई को पनिश तो करेंगे ही करेंगे और उसके साथ जाँच भी बिठा देंगे(मेजों की थपथपाहट) इस तरह की मारपीट की है. मेरा प्रश्न यह है कि जाति सूचक शब्दों की जो रिपोर्ट दर्ज नहीं की उसका अलग से एक आवेदन दिया है क्या वह वापस केस दर्ज होगा.

श्री बाबूलाल गौर-- नहीं, उन्होंने बाद में आवेदन दिया है...

श्री जीतू पटवारी-- बाद में नहीं उसी दिन, तारीख है.

श्री बाबूलाल गौर-- जब एफआईआर लिखी गई उस समय नहीं कहा. बाद में उन्होंने दिया है तो उसके अनुसार वह धारा बढ़ाई जाएगी...(व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय-- धन्यवाद, आपका जवाब आ गया धारा बढ़ाई जाएगी. अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत धारा बढ़ाई जाएगी.

श्री जीतू पटवारी-- मैं संतुष्ट हूँ....(व्यवधान)..

श्री वेल सिंह भूरिया-- उपाध्यक्ष महोदय..

उपाध्यक्ष महोदय-- आप कैसे बोल रहे हैं उनको प्रश्न करने दीजिए. माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि आप बाद में अनुमति लेकर बोलिएगा. अभी बैठ जाएँ. गंभीर मामला है, विधायक के साथ यह घटना घटी है. आप बैठ जाएँ, हल्के से न लें. जीतू जी, एक प्रश्न और पूछ लें.

श्री जीतू पटवारी-- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, घटना पूरी आना चाहिए. मैं जबर्दस्ती आपका समय खराब नहीं करूँगा. मुझे समय का ज्ञान है.

उपाध्यक्ष महोदय-- घटना तो आ गई है. आपने उल्लेख कर दिया है, मंत्री जी ने जवाब दे दिया. एक प्रश्न आपने पूछा उसका जवाब मंत्री जी ने दे दिया और आप जैसा चाहते थे वैसा ही उन्होंने आपकी संतुष्टि के अनुसार जवाब दे दिया. आप एक प्रश्न और पूछ लें.

श्री जीतू पटवारी-- उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आप से अनुरोध यह है कि आज इस घटना को घटे तीन महीने से ज्यादा हो गए हैं. जब उन्होंने दूसरी प्राथमिकी, जब आवेदन दिया कि मुझ पर जातिसूचक शब्दों का उपयोग किया गया इसको भी हुए, 2-4 दिन का ही अंतर था. क्या यह ढाई महीने या तीन महीने कम थे उस कार्यवाही के लिए इसके लिए दोषी कौन और फिर आज मंत्री जी कह रहे हैं कि हम फिर कार्यवाही करा देंगे. यह प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है. वह वालेचा, जिस कंपनी का मैनेजर है जिसका नाम एफआईआर में दर्ज है उसको न गिरफ्तार किया गया न किसी प्रकार की सजा दी गई. मैं खुद साक्षी हूँ इस बात का, हनी बघेल ने जब मुझे फोन किया तो दो घंटे बाद जब मैं पहुँचा तो वह वालेचा उस टीआई के साथ नाश्ता कर रहा था, सामने तीन कचोरी रखी

थी, थोड़ी मिठाई रखी थी और दो बड़े गिलास में चाय रखी थी और ऐसे आरोपी को बनाकर चाय पिलाकर...

उपाध्यक्ष महोदय-- कचोरी तीन थी, चाय दो थी.

श्री जीतू पटवारी-- दो थी.

उपाध्यक्ष महोदय-- और कचोरी तीन.

श्री जीतू पटवारी-- तीन थी और मिठाई अलग रखी थी. वही मिठाई मुझे ऑफर की गई कि विधायक जी, आप भी बैठो, आप भी खाओ, तो क्या इस तरीके का पुलिस प्रशासन का रवैया जनप्रतिनिधियों के प्रति होगा तो किसी दिन गृह मंत्री के साथ कैसे होगा, इसके लिए उत्तर चाहिए.

श्री बाबूलाल गौर-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरी कार्यवाही नियमानुसार हो रही है, सबको गिरफ्तार किया गया है और अगर कोई..(व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय-- वालेचा के बारे में बता दें वालेचा भी बैठे थे...(व्यवधान)..

श्री बाबूलाल गौर-- उपाध्यक्ष महोदय, वहाँ थाने में कौन बैठा था उसकी जानकारी लेकर मैं बता दूँगा अभी वह प्रश्न उठता नहीं है. ...(व्यवधान)..

श्री जितू पटवारी—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अगर आपकी अनुमति हो तो यह वह सीडी है (सीडी दिखाते हुए).

उपाध्यक्ष महोदय—सदन से मैं कहना चाहता हूँ कि शासन माननीय विधायकों के मान-सम्मान की चिंता कर उन्हें पूर्ण सुरक्षा दे ताकि इस प्रकार की घटनाओं की आगे पुनरावृत्ति न हो.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की पुनरावृत्ति लगातार हो रही है...(व्य़वधान)

उपाध्यक्ष महोदय—अब रामनिवास रावत जी प्रश्न करेंगे (व्यवधान)

श्री जितू पटवारी—उपाध्यक्ष महोदय, लगभग सारे सदस्य मेरी इस बात से सहमत हैं कि विधायको के साथ जिस तरीके का व्यवहार अधिकारियों का हो रहा है बार-बार उनके अपमान की पुनरावृत्ति हो रही है.

उपाध्यक्ष महोदय—आसंदी से व्यवस्था दे दी है कि भविष्य में ऐसा न हो, माननीय मंत्रीजी ने सहमति भी दी है. (व्यवधान) रामनिवास रावत जी आप प्रश्न करें..(व्यवधान)

श्री जितू पटवारी—उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, फिर मेरे साथ अन्याय होगा..(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय—आप क्या चाहते हैं, सी डी दिखा रहे हैं. ..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य—टीआई को सस्पेंड करो और क्या चाहते हैं. ..(व्यवधान)

श्री जितू पटवारी—नेता प्रतिपक्ष पर विशेषाधिकार के उपयोग के साथ अभी बहस चालू रही और आपका आसंदी का उसमें...(व्यवधान) एक भी मंत्री गलत ..(व्यवधान) कार्यवाही के साथ जो बयान अभी दिया है उसका एकदम विपरीत इस सीडी में केस है अगर आप कहें तो इसे मैं यहां सारे सदस्यों के सामने दिखाने को भी तैयार हूं कि जो जवाब आया है उसका विपरीत इसमें है.

उपाध्यक्ष महोदय—आप माननीय गृह मंत्रीजी को वह सीडी दे दीजियेगा. गृह मंत्री उसकी जांच करायेंगे. अब आपकी बात पूरी आ गई है. सीडी का भी कागरीजेंस ले लिया गया है आप माननीय गृह मंत्री जी से मिल लीजियेगा. ..(व्यवधान) आप बैठ जाइये..जिनका नाम है उनको बाद में प्रश्‍न पूछने दूंगा.. ..(व्यवधान)

श्री कालू सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, सीडी दिखाने से अच्छा है कि अधिकारी को सस्पेंड कर दो. ..(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय—एक-एक माननीय सदस्य अपनी बात रखें तो उस बात का निराकरण भी होगा. सब साथ बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा. ..(व्यवधान) आप लोग बैठ जायें रावत जी को प्रश्न

करने दें. कृपा करके बैठ जायें. आपके दल के सचेतक खड़े हैं वे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं उनको पूछने दीजिये..(व्यवधान) कृपा करके बैठ जाइये ..(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल—पुलिस घर में जा-जाकर जमानत दे रही है अपराधियों के घर जाकर जमानत दे रही है. तीन-चार महीने हो गये हैं मेरे ऊपर हमला हुये आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.. ..(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय—पटवारी जी यह तो गलत है आपने अपना प्रश्न पूछ लिया अब आप रामनिवास रावत जी को नहीं पूछने दे रहे हैं. ..(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल—उपाध्यक्ष जी यह वारदातें सिर्फ एक जगह नहीं हुई हैं.

श्री रामनिवास रावत (विजयपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला सदन के सम्मानित सदस्य से जुड़ा हुआ है. सदन का सदस्य सत्ता पक्ष का हो या प्रतिपक्ष का सदन का सदस्य, सदन का सदस्य होता है और उसका सम्मान करना चाहिये. हमारे सदन के सदस्यों की ही सुरक्षा नहीं हो पाएगी तो प्रदेश में हम किस तरह से जनता के हित की लड़ाई लड़ पाएंगे. माननीय विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल जी ने एफ.आई.आर. दर्ज कराई 20.3.2014 और इसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि मेरे साथ भूपेन्द्र अश्लील, नंगी गंदी गालियां देने लगा एवं मैंने उन्हें गाली देने से मना किया तो टोल प्लाजा पर काम करने वाले लोग एक होकर आ गये और बोले कि पैसे लिये बगैर जाने मत देना इन लोगों को ठिकाने लगा दो. सी.डी. की चर्चा इसलिये आ रही थी मेरी इच्छा थी कि यहां सदन में न दिखाएं मंत्री जी अलग से देख लें. इस तरह का सम्मानित सदस्य के साथ व्यवहार किया जबकि राज्य शासन को विधायक को टोल प्लाजा पर लगने वाले टैक्स से छूट प्राप्त है. यह सब जानते हैं और टोल वाले भी जानते हैं. एक तो इसमें एट्रोसिटी कायम होनी चाहिये थी. उसी समय यह क्यों नहीं किया गया. दूसरी बात दिनांक 20.3.14 को अपराध क्र.114/14/147,294,323,506 कायम किया और फिर परीक्षण के बाद आपने 149 बढ़ाई.

जब उनकी संख्या 12 से अधिक थी आपराधिक कृत्य किया तो क्या उसी समय 149 नहीं लगाना चाहिये थी. आपने 22 तारीख को 149 लगाई और 22 तारीख को सुरेन्द्र सिंह बघेल ने पत्र दिया कि मेरे साथ जातिसूचक अपमान भी किया जो भद्दी-भद्दी गालियां होती हैं. 22 तारीख की प्राप्ति है. 22 तारीख को 149 बढ़ाई लेकिन एस.सी.,एस.टी.एक्ट नहीं लगाया गया इस प्रकरण में जानबूझकर बहुत जल्दी क्योंकि पुलिस की मिलीभगत से टोल नाके चलते हैं टोल नाकों पर गुंडे रहते हैं और बहुत जल्दी उन्होंने दि.23.3.14 को चालान प्रस्तुत करदिया. मैं समझता हूं कि मध्यप्रदेश की पुलिस इतनी तत्पर नहीं है कि 3 दिन में चालान प्रस्तुत कर दे क्या जल्दी थी. 22 तारीख को एट्रोसिटी एक्ट की दरकार थी कि धाराएं नहीं बढ़ जाएं इसलिये पुलिस ने 3 दिन के अंदर चालान प्रस्तुत कर दिया. अगर इस तरह का व्यवहार माननीय सम्मानित विधायक चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों उनके साथ होगा वे अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो प्रदेश की जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे. मेरा सीधा सीधा प्रश्न है कि जो थाना प्रभारी उस समय था जिसने धारा 149 नहीं लगाई उसी समय जिसने एट्रोसिटी एक्ट कायम नहीं किया और 3 दिन के अंदर चालान प्रस्तुत किया. आवेदन को संज्ञान में न लेकर चालान प्रस्तुत कर दिया गया उसके खिलाफ निलंबित कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही और जांच करेंगे और ऐसे टोल नाका जो लोग जानते हैं कि विधायक ने अपना परिचयपत्र भी दिखाया परिचयपत्र दिखाने के बाद भी विधायक के साथ यह घटना घटित की उस टोल नाके को तत्काल निलंबित करेंगे उनके अनुबंध को उनको वहां से हटाएंगे.

श्री बाबूलाल गौर – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चालान तीन दिन में नहीं बल्कि 22.4.14 को पेश किया गया. यह घटना है 20 की.

उपाध्यक्ष महोदय – माननीय मंत्री जी इनका कहना यह है कि चालान जल्दबाजी में पेश किया गया. चालान दो दिन,तीनदिन में पेश किया गया जो अमूमन होता नहीं है. उसमें अतिरिक्त धाराएं नहीं जोड़नी पड़ें यह आशय है उनका संभवत:

श्री बाबूलाल गौर – वह मैं तारीख ठीक से नहीं बता सका. घटना है 20.3.14 और चालान पेश किया गया है 22.4.14 को.कहने में त्रुटि रह गई.

श्री रामनिवास रावत - एट्रोसिटी एक्ट और भारतीय दण्ड विधान की धारा 149 उसी समय नहीं लगाने के लिय क्या टी.आई. दोषी है टी.आई. को निलंबित करेंगे और क्या टोल नाके का अनुबंध निरस्त करेंगे. उसने नियमों का पालन नहीं किया जबकि मध्यप्रदेश के विधायक को राज्य के अंदर आने वाले टोलों पर छूट प्राप्त है.

श्री बाबूलाल गौर – पूरी नियमानुसार कार्यवाही की गई.

उपाध्यक्ष महोदय – यह जानते हुए कि माननीय विधायक अनुसूचित जनजाति के हैं उसी समय एट्रोसिटी की धारा लगा देना चाहिये था.

श्री बाबूलाल गौर—उपाध्यक्ष महोदय, जानकारी के अभाव में गलती हुई है, इसलिये उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी. (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय—वहां पर विधायक के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल गौर—जाति के बारे में जानकारी नहीं थी.(व्यवधान)

घनश्याम पिरोनिया—इसकी जानकारी दे दी गई थी उसी वक्त.

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय मंत्री जी यह गंभीर मामला है बघेल साहब जी हमारे माननीय सदस्य हैं, इनके पिताजी भी मंत्री रहे हैं, हम लोगों के साथ थे तो मैं समझता हूं कि उस इलाके में करीब करीब सब लोग जानते हैं कि कौन हैं ? इस तरह से अवहेलना करना अथवा टीआई द्वारा नजर-अंदाज करना यह उचित नहीं है, इस मामले में आपको संज्ञान लेना चाहिये.

श्री के.के.श्रीवास्तव—टीआई पर कार्यवाही होना चाहिये.(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय मंत्री जी यह गंभीर मामला है विधायक जी के साथ घटना घटित हुई है. आप लोग बैठ जायें माननीय मंत्री जी कुछ जवाब दे रहे हैं और वह समझ रहे हैं कि विधायक, विधायक होता है उनका सत्तापक्ष अथवा विपक्ष से लेना-देना नहीं है.

श्री बहादुर सिंह चौहान—माननीय उपाध्यक्ष महोदय मुझे आप सुन लें.

उपाध्यक्ष महोदय—यह मुद्दा आप हल हो जाने दें उसके बाद में आपको सुन लेंगे. मंत्री जी का जवाब आने दीजिये, उसके बाद आपको मौका दिया जायेगा.

श्री बाबूलाल गौर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस पर पूरी पूरी कानूनी कार्यवाही की जायेगी उनके खिलाफ आरोप-पत्र दिया जायेगा और उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी.

उपाध्यक्ष महोदय—आप उसको निलंबित करेंगे क्या ?(व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह चौहान—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में पूर्णतः संरक्षण चाहूंगा. मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूं मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन के समस्त सदस्यों की उपस्थिति में कि क्या टोल नाके का व्यक्ति विधायक के परिचय-पत्र लेने का राईट्स है, पहले तो यह तय करें. विधायक के परिचय पत्र पर सदन द्वारा नियम में क्या क्या पॉवर दिये गये हैं माननीय हनी साहब मुझे सदन प्रारंभ होने से पहले मिले इन्होंने कोई बात छिपाई है जो कि मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं उन्होंने कहा कि बहादुर सिंह जी मुझे आपका सहयोग चाहिये आप भाजपा के विधायक हैं, मैं कांग्रेस पक्ष का हूं मुझे दौड़ा-दौड़ाकर के वहां पर मारा है, ऐसा हनी जी ने बयान किया है. (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय—आपकी बात यहां पर आ गई है. आपकी भावना से सदन अवगत हो गया है.

श्री बहादुर सिंह चौहान—उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने जांच के आदेश दे दिये हैं और क्या उसी थाने में रहकर क्या वह जांच को प्रभावित नहीं करेगा ? मैं चाहता हूं कि आप टीआई को हटाकर के इस मामले की जांच की जाये. (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय—आप लोग कृपया बैठ जायें.

श्री बहादुर सिंह चौहान—उपाध्यक्ष महोदय,उसको निलंबित करके जांच की जाये.

(व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह चौहान—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि टीआई को हटाकर के जांच की जाये और दोषी पाये जाने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाये.

श्री बाबूलाल गौर—उपाध्यक्ष महोदय,उसको हटाने का कुछ नहीं है. उनके खिलाफ जांच के बाद कार्यवाही की जायेगी. (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय--एक मिनट बैठ जायें और बात आ जाने दें और माननीय सदस्यों को सुन लेने दें..(व्यवधान) एक मिनट, बैठ जाइये..(व्यवधान) एक मिनट, बैठ जाइये (व्यवधान) हम भी कुछ कहना चाहेंगे आप बैठ जाइये न (व्यवधान) हमको माननीय सदस्य को सुन लेने दीजिये, उसके बाद मैं भी कुछ कहूंगा, बैठ जाइये आप (व्यवधान).

श्री जीतू पटवारी--वह सी.डी. अगर सदन देख लेगा तो इससे भी आगे कार्यवाही हो जायेगी (व्यवधान).

उपाध्यक्ष महोदय--आप सी.डी. दे दीजियेगा गौर साहब को. बैठ जाइये कृपा करके बैठ जाइये (व्यवधान).

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई माननीय सदस्य अपने आसन पर खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने लगे)

उपाध्यक्ष महोदय--बैठ जायें. अपने-अपने स्थान पर बैठ जायें (व्यवधान) प्लीज, अपने-अपने स्थान पर बैठ जायें (व्यवधान) प्लीज, कृपा करके बैठ जायें.

श्री दिलीप सिंह शेखावत--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे सदन को अवगत कराते हुए मेरा प्रश्न यह है कि सबसे पहले हमारे माननीय बाबूलाल गौर साहब इस सी.डी. को देखें और अगर वास्तव में हमारे सदस्य को दौड़ा-दौड़ा कर मारा है, तो सबसे पहले टी.आई.पर तो जो आप कार्यवाही करेंगे, कार्यवाही करें ही लेकिन उस टोल नाके वाले पर गंभीरता से विचार करना चाहिये और इसलिये करना चाहिये कि अगर टोल नाके के लोग विधायक को, क्योंकि विधायक जब पिटेगा, तो विधायक निश्चित ही कहेगा कि मैं विधायक हूं और उस विधायक ने यह कहा होगा, यह मैं मानता हूं और इसमें मेरा आपसे बहुत विनम्रता से प्रश्न है कि उस टोल नाके को तुरंत अगर सी.डी. देखने के बाद उसकी गलती है, तो उसको निरस्त करना चाहिये, यह हम सब लोगों की मांग है.

श्री बाबूलाल गौर--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की भावना के अनुसार वहां से उस अधिकारी को हटा करके जांच की जायेगी.

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय--अब मैं समझता हूं समाधान निकल गया है. उसको वहां से हटा कर जांच होगी..(व्यवधान).

एक माननीय सदस्य--हटाना कोई दंड नहीं है. टोल का कांट्रेक्ट खतम होना चाहिये.

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय--आप सभी लोग बैठ जाइये. (व्यवधान) दिलीप सिंह शेखावत जी, आपका प्रश्न आ गया और उसका जवाब भी आ गया, आप कृपा करके बैठ जाइये. (व्यवधान) श्री राजेन्द्र फूलचन्द्र वर्मा, आप एक प्रश्न कर लें.

श्री राजेन्द्र फूलचन्द्र वर्मा--मेरा माननीय उपाध्यक्ष जी, एक ही आग्रह है कि सारे पक्ष, विपक्ष के सदस्यस्यजब इस बात पर सहमत हैं कि वहां टी .आई. का सस्पेंशन होना चाहिये, तो उसमें क्या दिक्कत है, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है. उसका सस्पेंशन कर दीजिये और दूसरी बात यह है कि जब ट्रायवल का विधायक है, तो प्रिवेन्शन आफ एट्रोसिटी एक्ट में उस टोल मालिक के खिलाफ कार्यवाही होना चाहिये. जब पुलिस ने चालान पेश कर दिया, तो चालान में उसकी धारा लगायें और उस टोल मालिक को आगे के लिये ब्लैक लिस्टेड किया जाये और यदि सी.डी. में भी दोषी पाया जाता है, तो उसका ठेका निरस्त किया जाये, यह सदन की सर्वसम्मत राय है.

(व्यवधान)

श्री विश्वास सारंग--माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं 2 सीधे-सीधे मामले हैं. एक तो यह है कि दोषी अधिकारी पर कार्यवाही हो, जिस पर अमूमन मंत्री जी...

उपाध्यक्ष महोदय--वह सहमत हैं, मंत्री जी सहमत हैं उस पर.

श्री विश्वास सारंग--मंत्री जी सहमत हो गये पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है जैसा आपने भी आसंदी से कहा था, मुख्य मुद्दा यह है कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये. इस पर कहीं न कहीं हमें निश्चित रूप से आज सदन में यह विचार रखना ही पड़ेगा..

श्री बहादुर सिंह चौहान--सदन की व्यवस्था चाहिये इसके लिये आसंदी से व्यवस्था चाहिये उपाध्यक्ष महोदय(व्यवधान).

श्री विश्वास सारंग--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी विधायक के साथ यदि यह घटना घटी है दौड़ा कर मारा, नहीं मारा माननीय उपाध्यक्ष जी, वह जांच का विषय है, पर यदि यह घटना हुई है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सभी शक्तियों का उपयोग करते हुए आज

यह कहीं न कहीं यहां पर व्यवस्था बननी चाहिये कि यह पुनरावृत्ति न हो और निश्चित रुप से कार्यवाही सख्त से सख्त हो. टीआई इतनी बड़ी चीज नहीं है, जिसको लेकर इतना ईगो वाली बात हो.

उपाध्यक्ष महोदय -- विश्वास जी, यह व्यवस्था तो हम काफी पहले दे चुके हैं कि ऐसी घटना की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो.

श्री विश्वास सारंग -- उपाध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक व्यवस्था होनी चाहिये कि पुनरावृत्ति न हो.

..(व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय -- कृपया बैठ जायें. मंत्री जी, आपने जांच का आश्वासन दे ही दिया है. लिखित आदेश जारी करने का आश्वासन दे दीजिये आप.

..(व्यवधान)..

श्री रामनिवास रावत -- उसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया जाय.

उपाध्यक्ष महोदय -- रावत जी, एट्रोसिटी का वह तो दर्ज करने की बात हो गयी. वह तो दर्ज होगा ही होगा. ..(व्यवधान)..मंत्री जी, सदन की भावना को देखते हुए क्या आप उस इन्सपेक्टर को जो दोषी है तथाकथित रुप से, उसको आप निलंबित करके जांच करा लेंगे.

श्री बाबूलाल गौर -- उपाध्यक्ष महोदय, आपका आदेश है, तो निलंबित कर देंगे.

उपाध्यक्ष महोदय -- मंत्री जी ने निलंबित कर दिया.

..(व्यवधान)..

श्री जितू पटवारी -- उपाध्यक्ष महोदय, टोल वाले पर कार्यवाही होनी चाहिये.

उपाध्यक्ष महोदय -- वह अलग मुद्दा है. ..(व्यवधान).. सभी माननीय सदस्य बैठ जायें. ..(व्यवधान).. आप लोग कृपया बैठ जायें. मुझे व्यवस्था देने दीजिये. आपकी भावनाओं के अनुरुप, मैं खड़ा हुआ हूं, आप लोगों को बैठ जाना चाहिये. (श्री रामनिवास रावत के खड़े होने पर) रावत जी, आप नियम और प्रक्रिया का ज्ञान अच्छी तरह रखते हैं. जब आसंदी से अध्यक्ष,उपाध्यक्ष या सभापति खड़े हों, तो आपको बैठ जाना चाहिये. यह आसंदी की व्यवस्था है कि ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो, इस बाबत स्पष्ट दिशा निर्देश शासन सभी संबंधितों को जारी कर दे.

श्री बाबूलाल गौर -- बिलकुल, उपाध्यक्ष महोदय.

2.52 बजे { अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- विषय समाप्त हो गया. आसंदी से निर्देश आ गये.

2.53 बजे याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय -- आज की कार्यसूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी जायेंगी.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, हम इसी विषय में आधा मिनट लेंगे. पूरे सदन की भावना यह आई कि जो ठेकेदार है और वह थाना प्रभारी है, जिन्होंने एफआईआर में दर्ज होते हुए, एफआईआर में लिखा है कि गंदी- गंदी गालियां दी गयीं. उसके बाद एससी, एसटी एक्ट नहीं लगाया. ठेकेदार और इन दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हो, इस प्रकरण को विशेषाधिकार समिति को सौंप दें, यह मेरी प्रार्थना है. यह विधायक से जुड़ा हुआ सवाल है. कृपया इसको विशेषाधिकार समिति को सौंप दें.

अध्यक्ष महोदय -- आसंदी ने निर्देशित कर दिया है. नहीं, हो गयी कार्यवाही.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, संबंधित सदस्य को तो बोलने दीजिये.

अध्यक्ष महोदय -- मेरा अनुरोध है कि पर्याप्त कार्यवाही हो गयी है इस पर और इसलिये अब इसको यहीं समाप्त किया जाता है. वक्तव्य. श्री सरताज सिंह, लोक निर्माण मंत्री जी, वक्तव्य देंगे.

..(व्यवधान)..

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, संबंधित सदस्य को बोलने दें.

अध्यक्ष महोदय -- नहीं. इस पर व्यवस्था आ चुकी है.

(श्री रामनिवास रावत, सदस्य संबंधित माननीय सदस्य को सुनने की बात कहते हुए गर्भगृह में आ गये.)

अध्यक्ष महोदय -- अब क्या है कि आगे बढ़ गये हैं. कक्ष में बुलाकर बात करेंगे.

श्री सत्यदेव कटारे -- नहीं, यहां बात करें.

अध्यक्ष महोदय -- अब वापस नहीं जा सकते. (श्री रामनिवास रावत से) आपको इतनी देर में बोल लेना था. यह कितने बजे प्रारंभ हुआ.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य पीड़ित है, उस सदस्य को सुन लीजिये.

अध्यक्ष महोदय-- आप सुन लीजिये मेरी बात 1 घंटे से यह विषय चल रहा है आपके माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी को और मुख्य सचेतक जी को चाहिये था कि वे उनको सुनवाते. अब 1 घंटे वो बोले नहीं और जब आसंदी से निर्देश आ गये शासन को, शासन ने कार्यवाही कर दी इसके बाद में अब यह बिल्कुल उचित नहीं है . आपको माननीय सदस्य की सारी बात सुनकर के ही यह ध्यानाकर्षण लिया था अब नहीं सुना जायेगा.

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय 2 माननीय सदस्य जिनके साथ में यह घटना घटी ही उनको भी सुन लिया जाये.

अध्यक्ष महोदय-- 2 मिनिट में नहीं होगा.

श्री सत्यदेव कटारे- आप उनको मौका तो दें, सदस्य की पीड़ा तो जान लें.

अध्यक्ष महोदय-- इतनी देर में क्यों नहीं बोले 55 मिनिट हो गये थे.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष जी बुलवा लीजिये, पीडित पक्ष को सुन लें.

अध्यक्ष महोदय -- यदि आप यह अनुरोध कर रहे हैं तो आप यह भी नियमित कीजिये कि वे कितनी देर बोलेंगे.

श्री सत्यदेव कटारे- एक दो मिनिट, आप जितना समय देंगे .

अध्यक्ष महोदय-- अब सब बैठ जायें शांत हो जायें, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा. आप सिर्फ 2 मिनिट में अपनी बात कहें.

श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल(कुक्षी) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात आपके समक्ष और जितने मंत्री और सदस्य बैठे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के उन सबके सामने मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त करने जा रहा हूं. जिस दिन मेरे साथ झगड़ा हुआ तो मेरी मां, मेरी 6 साल की बच्ची 2 साल का बच्चा और मेरी पत्नी ने मुझे मार खाते हुये वहां पर देखा. उस टीआई का हाथ पकड़कर मैंने, अध्यक्ष महोदय मैं सच बोल रहा हूं और अपनी बात रखते हुये मुझे आंखों में आंसू आ सकते हैं. मैंने उस टीआई को हाथ पकड़कर मुझे जो चोंटे लगी थी वह दिखाई, और वहां पर जो टोल टेक्स वसूल करने वाले थे, मेरी गाड़ी में विधानसभा से जो पाई ईश्यू होता है वह लगा हुआ था, विधायक वाला पास लगा था. उन कर्मचारियों ने गेट खोलते ही मुझसे बोला कि चुनाव के समय आप कटोरा लेकर के भीख मांगते हो, और आज 20 रूपये के लिये हमसे बोल रहे हो. गाड़ी से निकलने के बाद में जितने भी टोल वाले थे मैंनेजर उसने सबको अंदर से बुलाया और मेरी दौड़ा दौड़ा कर पिटाई करवाई. यहां पर जितने भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं अधिकारी दीर्घा में , डीजीपी हों या बड़े अधिकारी हों. किसी ने भी यह नहीं सोचा समझा कि विधायक से पूछ लें कि बेटा तुम्हारे साथ में

क्या हुआ, उनके बेटे की उम्र का हू मैं (रूआंसे होकर) न इंदौर के आई जी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ , और दूसरे दिन जब मैं थाने में गया तो जिन लोगों ने मुझे दौड़ा दौड़ा कर मारा था वही लोग टीआई के साथ मे बैठकर के चाय पी रहे थे. मेरे पर क्या बीती होगी आप समझ सकते होगे, जितने भी विधायक हो आप . और उसके अलावा जो टोल का मालिक है जो मुंबई में बैठा है , उसने भी यह नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ है तो मैं Sorry feel कर रहा हूं. हो सकता है कि मैं मान जाता और कार्यवाही के लिये नहीं बोलता. आज विधायकों के अधिकार की बात है. आदरणीय गौर साहब मेरे पिता जी भी आपके साथ में रहे हैं, कभी उनका नेचर नहीं रहा है कि कभी सदन में भी किसी से कुछ गलत बोलें और मेरा भी विधानसभा में ऐसा नेचर नहीं है कि मैं कभी किसी से गलत बोलूं. आप किसी पुलिस वाले से पूछ लें मैंने आज तक उनसे तू करके भी नहीं बोला होगा. और आज मेरा आपसे हाथ जोड़कर के विनम्र निवेदन है कि आज मेरे साथ में हुआ है हो सकता है कि आपके साथ में भी हो जाये तुकोजीराव पवार जी के साथ में भी ऐसी घटना हुई थी उस समय वे मंत्री थे , उस समय आप कार्यवाही कर देते, टोल वाले पर एफआईआर दर्ज करवा देते तो कहीं न कहीं मैसेज जाता प्रदेश में कि टोल वाले पर एफआईआर दर्ज हुई है तो आज इस प्रकार की घटना नहीं घटती.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिये गया तो वहां के पुलिस वालों ने मेरी एक नहीं सुनी, किसका दबाव था मुझे नहीं पता. जिस जाति शब्द के उपयोग की आप बात कर रहे हैं मैंने उस समय भी वहां पर कहा और आज भी मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे साथ में जाति सूचक शब्द जो इस्तेमाल किये थे लोगों ने मैंने उसका उल्लेख किया था पर वहां पर जो मिश्रा एसडीओपी बैठे थे, मैं कमरे के अंदर पहुंचता उसके पहले टीआई भी वहां पर पहुंच गये और टीआई ने एसडीओपी के कान में कुछ बोला उन्होंने कहा कि आप आवेदन एन्ट्रोसिटी एक्ट में जाकर के वहां दे दो हम दिखवा लेंगे इस तरह का व्यवहार मुझसे किया गया है सर मैं आपसे असत्य

बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं. मैं आपसे कहना चाहता हूं . अध्यक्ष जी वो सीडी आप भी देखें मैं विधानसभा के सभी सदस्यों को भी यह सीडी भेजूंगा कि किस तरह से मेरी मां मेरा बचाव कर रही है.घर पर जाकर मेरी बच्ची ने मेरी चोटें देखी हैं. उसने मुझसे कहा कि 'पापा आपके साथ क्या हुआ'(माननीय सदस्य रुआंसे हो गये) आपको इस पर विचार करना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय-- माननीय नेता प्रतिपक्षजी, माननीय सदस्य को समझा लीजिए.

श्री जितू पटवारी-- मध्यप्रदेश की कानून-व्यवस्था की यही सचाई है. एक विधायक के साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो आम जनता के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है. यह बहुत गंभीर विषय है.(व्यवधान)

श्री रामनिवास रावत-- टोल बूथ का अनुबंध खत्म होना चाहिए.

श्री जितू पटवारी-- टोल बूथ का अनुबंध खत्म होना चाहिए. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- अब, सब बात हो गई. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य-- एक विधायक के साथ अधिकारी इस तरह का बर्ताव करते हैं तो आम जनता के साथ किस तरह से बर्ताव करते होंगे. (व्यवधान)

श्रीमती इमरती देवी-- अध्यक्ष महोदय, अभी निर्णय होना चाहिए.

श्री जितू पटवारी-- टोल टेक्स प्लाजा के खिलाफ भी कार्रवाई हो.

अध्यक्ष महोदय-- टीआई को सस्पेंड कर दिया है.

श्रीमती इमरती देवी-- टोल निरस्त हो और एससी/एसटी धारा लगनी चाहिए. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- कृपया कार्यवाही आगे बढ़ने दें. (व्यवधा)

श्री रामनिवास रावत-- टोल प्लाजा का तत्काल निरस्त करें. नियमों में प्रावधान है. यह जानते हुए भी कि शिकायतकर्ता एससी/एसटी के हैं तो एससी/एसटी का प्रकरण क्यों नहीं बनाया गया. तुरंत एससी/एसटी का प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय-- आपकी बात रिकार्ड में आ गई. यह बात ठीक नहीं है.

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य कथित टोल प्लाजा निरस्त करने की मांग करते हुए गर्भगृह में आ गये.)

वक्तव्य.

अध्यक्ष महोदय :- अब श्री सरताज सिंह, लोक निर्माण मंत्री -

(क) नवगठित जिला आगर-मालवा में लोक निर्माण विभाग (वि./यां.) का उप संभाग कार्यालय स्थापित किये जाने; तथा

(ख) एशियन विकास बैंक की सहायता से मध्यप्रदेश में मुख्य जिला मार्गों के उन्नयन हेतु प्रस्तावित परियोजना के संबंध में वक्तव्य देगें.

निर्णय लिया गया है कि नवगठित जिला आगर–मालवा में लोक निर्माण विभाग (वि0/यां0) का एक उप संभाग कार्यालय स्थापित किया जाए तथा उक्त कार्यालय हेतु 07 नवीन पद निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जावे, जो निम्नानुसार हैं–

1– सहायक यंत्री (वि0/यां0)	– एक पद
2– उप यंत्री (वि0/यां0)	– दो पद
3– सहायक ग्रेड–III	– दो पद
4– सहायक मानचित्रकार	– एक पद
5– भृत्य	– एक पद
कुल	– सात पद

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित मार्गों के उन्नयन हेतु प्रस्तावित परियोजना "Madhya Pradesh District Connectivity Sector Project" के प्रथम चरण में 378.653 कि0मी0 लम्बाई के सात मार्गों के उन्नयन का कार्य म0प्र0 सड़क विकास निगम (लि0) द्वारा कराया जायेगा, जिसके लिए मंत्रि–परिषद् द्वारा रूपये 854.43 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी है।

(गर्भगृह में उपस्थित सदस्य नारेबाजी करने लगे.)

अध्यक्ष महोदय-- प्रतिपक्ष के नेताजी, आपको इस वक्तव्य पर कुछ कहना है?

(व्यवधान)

समय 303 बजे अनुदानों की मांगों पर मतदान(क्रमशः)

अनुदानों की मांग के बारे में प्रस्ताव

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को-

अनुदान संख्या - 14	पशुपालन के लिए छः सौ अठानवे करोड़, नौ लाख, बासठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 16	मछली पालन के लिए उनहत्तर करोड़, पचपन लाख, पैसठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 20	लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी के लिए एक हजार एक सौ इक्यावन करोड़, छप्पन लाख, पैतालीस हजार रूपये
अनुदान संख्या - 29	विधि और विधायी कार्य के लिए एक हजार दो सौ उनचास करोड़, उन्नीस लाख, तैतालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए चार सौ चौदह करोड़, तिरपन लाख, छब्बीस हजार रूंपंये, तथा
अनुदान संख्या - 56	ग्रामोद्योग के लिए एक सौ अठानवे करोड़, अठासी लाख, इक्यानवें हजार रूपये

तक की राशि दी जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) - अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत गंभीर है. हमारे माननीय विधायक के साथ जो भी घटना हुई है, उससे यह पूरा सदन दुखी भी है. अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने विस्तार से सारी बात रखी है. हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य चाहते थे कि वहां के टाआई को निलंबित किया जाय. टीआई को निलंबित करने के बारे में भी माननीय मंत्री जी ने कहा है. मेरा माननीय सदस्यों के आग्रह है कि सरकार इस विषय को लेकर गंभीर है. आपसे मेरा आग्रह है कि आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के साथ इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर लें और इसका कुछ न कुछ रास्ता माननीय अध्यक्ष जी, जरूर निकलेगा.

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्य गर्भ गृह से अपने आसन पर वापस गये.)

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे) - अध्यक्ष महोदय, सरकार के उत्तर पर हम बताना चाहते हैं. (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - अब बात खत्म करें, नहीं तो वाद-विवाद रुकेगा ही नहीं.

(व्यवधान)..

श्री सत्यदेव कटारे- अध्यक्ष महोदय, अब आप सुनना ही नहीं चाहते हैं तो मैं क्या करूं? हम कह रहे हैं कि सरकार ने जो बोला है तो हम कुछ बताना चाहते हैं. उनको आपने बोलने दिया, हमें आप बोलने नहीं दे रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय - आप बैठ तो जाएं. हर बात में वाद-विवाद कहां तक कराएंगे? हो गई है बात. आप समाप्त होने देना चाहते हैं कि नहीं? आप निराकरण चाहते हैं कि नहीं चाहते कि सिर्फ वाद-विवाद करना चाहते हैं?

श्री जीतू पटवारी - अध्यक्ष जी, मेरा ध्यानाकर्षण का विषय था.

अध्यक्ष महोदय - सब बात आ गई.

श्री सत्यदेव कटारे- सरकार से जो बात आई है, उस पर कुछ बोलना पड़ेगा.

अध्यक्ष महोदय - नहीं, कुछ मत बोलिए आप.

श्री सत्यदेव कटारे- अब आप आधा मिनट सुन तो लें. जो सदस्य पीड़ित हैं, उन सदस्य के साथ आप मुख्यमंत्री जी को बुला लीजिए, हम आपसे चर्चा कर लेंगे. लेकिन इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दे, यह हमारी प्रार्थना है.

अध्यक्ष महोदय - यह प्रकरण नहीं बनता.

(व्यवधान)..

श्री रामनिवास रावत- अध्यक्ष महोदय, सदस्यों का संरक्षण आपको करना है. आप सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा?

(श्री रामनिवास रावत के साथ कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा अपनी बात कहते हुए गर्भ गृह में आए.)

श्री सत्यदेव कटारे - (व्यवधान)...अगर मंत्री इस तरह से चले जाएंगे (व्यवधान)..ये सदस्य जाएंगे कहां? (व्यवधान)..यह गंभीर मामला है.

श्री भूपेन्द्र सिंह - आपसे चर्चा करेंगे.

श्री सत्यदेव कटारे - वह कुछ बोले तो, वे कुछ बोल नहीं रहे हैं आसंदी से. उन्हें बोलना चाहिए. (व्यवधान)..

श्री बहादुर सिंह चौहान - इसमें पर्याप्त कार्यवाही हुई है, आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल लेना. अब मामला पटाक्षेप हो गया.

अध्यक्ष महोदय - (गर्भ गृह में उपस्थित श्री रामनिवास रावत, माननीय सदस्य के कुछ कहते रहने पर) अब सारी बात हो गई. अब आप चाहते क्या हैं? उन्होंने बोल दिया है..कैसे करेंगे? आप वरिष्ठ सदस्य हैं. कृपा करके ऐसी मांगें मत करिए, जिसको डिनाई करना पड़े. कैसे करेंगे? माननीय मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? (कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े रहने पर) अब आप कृपा करके बैठ जायं. इस पर

बहुत चर्चा हो चुकी है, माननीय विधायक जी की बात सुन चुके हैं. इसमें सारी कार्यवाहियां हो गई हैं, आगे की कार्यवाही के लिए रास्ता खुला हुआ है. आपको प्रतिपक्ष के नेता जी के नेतृत्व में जाने केलिए भी उन्होंने कहा है, जब सदन में यह बात आ गई उसके बाद भी आप नहीं सुनना चाहते?

एक माननीय सदस्य - अध्यक्ष महोदय, आज टोल निरस्त करने की घोषणा कीजिए. तभी बात बनेगी.

बहिर्गमन

नेता प्रतिपक्ष श्री सत्यदेव कटारे के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा शासन के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन

श्री सत्यदेव कटारे - अध्यक्ष महोदय, सदन में विधायकों को सुरक्षा नहीं मिलेगी, ऐसे सदन में बैठने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं, बिल्कुल नहीं बैठेंगे, जहां हमारी सुरक्षा ही नहीं है, वहां हम कैसे बैठेंगे? चलिए बाहर.

(नेता प्रतिपक्ष श्री सत्यदेव कटारे के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा शासन के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.)

अध्यक्ष महोदय - अब, इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है, प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे.

मांग संख्या - 14	पशुपालन
श्री रजनीश हरवंश सिंह	1
श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल	2
श्री रामनिवास रावत	3
श्री आरिफ अकील	4
श्री बाला बच्चन	5
कुंवर विक्रम सिंह	6
श्री हर्ष यादव	7
डॉ. रामकिशोर दोगने	8

मांग संख्या - 16	मछली पालन
श्री रामनिवास रावत	1
श्री बाला बच्चन	2
श्री हर्ष यादव	3
श्री आरिफ अकील	4
डॉ. गोविन्द सिंह	5

मांग संख्या - 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
श्री हरदीप सिंह डंग	2
श्री कमलेश्वर पटेल	3
श्री हर्ष यादव	4
कुंवर विक्रम सिंह	5

श्री रामनिवास रावत	6
श्री निशंक कुमार जैन	7
श्री रजनीश हरवंश सिंह	10
श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया	11
श्री जयवर्द्धन सिंह	12
श्री लाखन सिंह यादव	13
श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर	15
श्री सचिन यादव	17
प्रो. संजीव छोटेलाल उइके	19
श्री आरिफ अकील	20

मांग संख्या - 29	विधि और विधायी कार्य
श्री रामनिवास रावत	1
श्री बाला बच्चन	2
श्री हर्ष यादव	3
श्री आरिफ अकील	6

मांग संख्या - 50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण
श्री रामनिवास रावत	1
श्री हर्ष यादव	2

श्री बाला बच्चन	3
श्री आरिफ अकील	4
मांग संख्या 56	ग्रामोद्योग
श्री आरिफ अकील	1
श्री हर्ष यादव	4
श्री बाला बच्चन	5
श्री रामनिवास रावत	6

उपस्थित सदस्यों को कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

अब मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ चर्चा होगी.

अध्यक्ष महोदय - पशुपालन मंत्री की अनुदानों की मांग संख्या 14, 16, 20, 29, 50 एवं 56 पर चर्चा हेतु कार्यमंत्रणा समिति ने एक घंटे का समय निर्धारित किया है. तद्नुसार दलीय शक्ति के आधार पर निम्नानुसार समय आवंटित किया है.

भारतीय जनता पार्टी	43 मिनट
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	14 मिनट
बहुजन समाज पार्टी	2 मिनट
निर्दलीय	1 मिनट

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा (मुंगावली)- अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 14, 16, 20, 29 50 एवं 56 का विरोध करने और कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं. अभी 17 वीं पशु संगणना वर्ष 2003 और 18 वीं पशु संगणना वर्ष 2007 में 5 साल बाद हुई थी. उसके अनुसार गौ वंशीय पशु 2 करोड़ 19 लाख, भैंस वंशीय 91 लाख, बकरे 90 लाख, लेकिन 5 साल गुजरने के बाद भी आपने पशु संगणना नहीं की. जबकि प्रति 5 वर्ष में यह होना चाहिए. 15 अक्टूबर 2012 जरूर 19 वीं पशु संगणना भारत सरकार के निर्देश पर आपने कराई है. लेकिन उसके आंकड़ें आपने रिपोर्ट में प्रस्तुत नहीं किये हैं.

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) - श्री महेन्द्र सिंह जी हम आपका बहुत सम्मान करते हैं कि आपने विरोध के बाद भी कम से कम विषय को इतने महत्वपूर्ण तरीके से ले रहे हैं, हम आपका आदर करते हैं.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा- अच्छा होता, अगर वह एससी, एसटी एक्ट उन दोनों पर लग जाता, टीआई पर और टोल वाले पर, यह घोषणा यहां हो जाती तो ज्यादा अच्छा होता. अभी भी रास्ता खुला है, यदि आप मदद करें. अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़ें अगर रिपोर्ट में आ जाते तो बहुत बेहतर होता. 17 जुलाई, 2000 राष्ट्रपति माननीय डॉ. अब्दुल कलाम, विधान सभा में आए थे, उन्होंने हर विभाग को कुछ टारगेट दिये थे. उसमें एक टारगेट यह था कि इंडक्ट हाईक्वालिटी एनिमल और उसमें टाईम लिमिट दी थी वर्ष 2010. आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन एंड वेक्सिनेशन, टाईम लिमिट दी थी वर्ष 2010. स्प्रेड द प्रोग्राम इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, नॉट डन. यह नहीं हुआ है. Bring additional 5.5 lac members in three years time, 3 साल का समय आपको दिया था. लेकिन वर्ष 2012 तक सदस्य संख्या आपकी मुश्किल से 1 लाख 76 हजार पहुंची है. उस मामले को 5-7 साल गुजर गये हैं. यह भी टारगेट दिया था कि Increase the per capita availability of milk from 230 gram a day to 500 gram per day. अभी वर्ष 2013 के आंकड़ें बताते हैं कि आप इसको 325 ग्राम तक ले जा पाए हैं, जबकि आपको टारगेट 500 ग्राम का दिया था. मध्यप्रदेश इसमें कितना कम है? पंजाब में 945 ग्राम है, गुजरात का आंकड़ा 445 ग्राम है, हरियाणा 700

ग्राम है, हिमाचल प्रदेश 447 ग्राम है, आंध्र प्रदेश 391 ग्राम है, और हमारा 325 ग्राम है. इसमें भी हम बहुत पीछे हैं. इसलिए इसमें आपको बहुत कुछ करने की गुंजाईश है.

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बाद में आता हूं कि वर्ष 2009 में एक एक्सरसाईज हुई थी, मंथन. उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में काफी विचार-विमर्श हुआ. मंथन की आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पेज 28 में बिन्दु 8 यह पशुपालन से संबंधित है 1 से 15 तक. अध्यक्ष महोदय, उसमें यह भी कहा गया था कि सीधी जिले में केसला में महिलाओं द्वारा कुक्कुट पालन योजना का सफल संचालन है. उसका पूरे प्रदेश में विस्तार किया जाय. यह सिफारिश की गई थी. आपने यह काम नहीं किया. झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गा होता है, उसको पूरे प्रदेश में प्रचलित कर सकते हैं और उससे काफी लोगों को जीवन-यापन में सहायता मिल सकती है. वह काम भी कई बार सदन में यहां पर आपको राय दी गई, लेकिन नहीं किया गया. बकरी पालन, चारा उत्पादन और मिल्क रूट बनाकर अधिक दूध समितियां बनाई जाएं यह भी उसमें कहा गया था लेकिन कई जिलें ऐसे हां जहां दुग्ध समितियां नहीं हैं. वह काम ठीक से नहीं कर रहा है. उसी में पेज 29 पर मत्स्य पालन के बारे में भी सिफारिश है. जिनको आपने लागु नहीं किया है. मंथन में पेज-30 पर फल, फूल, सब्जी मंडियों को ताकत देना और विपणन की व्यवस्था करना. फसलोत्तर प्रबंधन, कोल्ड चैन, पंप हाऊस, वेक्सीन प्लांट,राईपनिंग चेम्बर, आदि की व्यवस्था करना चाहिए. इस दिशा में भी आपने कोई प्रयास नहीं किया है. आपने वेटरनिटी यूनिवर्सिटी बनवा दी , हालाकि उसको आपको महू को हेडक्वार्टर बनाना था. क्योंकि वहां का वेटरनिटी कॉलेज सबसे पुराना है और सबसे ज्यादा जमीन उनके पास है. वेटरनरी कॉलेज की बहुत दुर्दशा है. महू,जबलपुर,रीवा सभी वेटरनरी कॉलेज की आर्थिक हालत खराब है. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वेटरनरी कौंसिल ऑफ इंडिया,) ने इनकी मान्यता खत्म करने की चेतावनी भी दी थी. स्टाफ की कमी. 3 साल पहले तो महू कॉलोज में 110 का स्टाफ होना था परन्तु 35 ही पद भरे थे. कई बार शासन को लिखा गया ,लेकिन नहीं भरे गए. जबलपुर में 34 प्रतिशत स्टाफ की कमी है. रीवा में स्टाफ की कमी है, भवन नहीं, लेबोरेटरी नहीं . महू में 280 एकड़ भूमि है. इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां

पर है. गर्ल्स,ब्वाईज होस्टल वहां है. आवासीय परिसर है, आवास गृह हैं. उसके बाद भी 280 एकड़ के बजाय जबलपुर में 166 एकड़ जमीन और कम इन्फ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर बना दिया गया. अध्यक्ष महोदय, पशु पालन का महत्व बहुत अधिक है और भारत दूध उत्पादन में अग्रणी है. लेकिन अभी इसमें प्रतिव्यक्ति दूध की खपत बहुत कम है इसको पूरा करने की जरूरत है और पशु पालन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है कि अभी ओला पड़ा शीत लहर चली, अभी सूखा हो गया. अभी मक्का और सोयाबीन की फसल काफी बड़ी हो जाती. ये नुकसान तो हो गया. अब आपको सोयाबीन की जल्दी आने वाली फसल लेनी पड़ेगी, वह बीज बेकार चला गया. ऐसी सूरत में पशु पालन सबसे अच्छा बिजनेस किसान के लिए है. क्योंकि पशु खरीदने के बाद में उसका बीमा करा दिया जाता है. इसमें सांप ने काट खाया, किसी तरह से पशु मर गया तो किसान को कोई नुकसान नहीं , फसल बीमा तो नहीं मिलता .लेकिन ये बीमा मिल जाता है. घर की महिलाएं पशुओं की देखरेख कर सकती हैं. और प्रतिदिन उनको आमदनी होती है और जो रासायनिक खाद के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हुई है , वो जैविक खाद के लिए भी यह बहुत उपयोगी है. गौ-मुत्र भी उपयोगी है, जिसको कीट नाशक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है. तो इस प्रकार की जो नेचरल केलेमिटीज हैं इनके देखते हुए पशु पालन का महत्व बहुत अधिक है. पशु नस्ल सुधार और दूग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए एक तो आपको पशु स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए,संतुलित पशु आहार होना चाहिए. पशु चिकित्सालय ज्यादा होना चाहिए. डिस्पेन्सरीज ज्यादा होना चाहिए. प्रयोगशालाएं ज्यादा होना चाहिए, मोबाईल यूनिट्स ज्यादा होना चाहिए. प्रदर्शन फार्म होना चाहिए, आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन (artificial insemination) के साथ साथ उन्नत नस्ल के साण्ड ,पाड़े, भैंस, गायें, इतने उपलब्ध हों इसकी व्यवस्था करनी चाहिए. और सिन्थेटिक दूध की जो बीमारी फैल रही है इसको खतम करना चाहिए. लेकिन आपके विभाग में कभी पशु दवा घोटाला होता है ,कभी बुन्देलखंड में घोटाला होता है और जो सरकारी प्रयोगशालाएं हैं उनमें सेम्पल न भेज कर आप दूसरी प्रायवेट प्रयोगशालाओं में भेज देते हैं. ये सब बंद होना चाहिए और इसमें सुधार की जरूरत है. पशु

पालन के लिए एक कामधेनु योजना आई थी. वह 11 जिलों के लिए थी और केन्द्र शासन से लगभग 40 करोड़ रूपया खर्च कर 21746 गायें एस सी, एस.टी. बी.पी.एल. वालों को दी गई थी. उसमें से 13591 गायें बची. 8155 गायें मृत हो गयीं. भूसा खरीदने के नाम से 7 करोड़ रूपये की धन राशि ले ली गई,फूंक दी गई, जबकि इतनी सारी गायों की मौत , मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा, बहुत सारे जिलों में यह योजना थी . छिन्दवाड़ा का. जिसमें ऑडिट आबजेक्शन भी आया है. इसमें 17 गांवों में हितग्राहियों को 1050 गायें प्रदान की गई थीं. 81.50 लाख में खरीदीं, 489 गायों की मृत्यु हो गई. ये क्या तमाशा है. और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन गायों की मृत्यु हुई उनका बीमा नहीं कराया, अगर कराया तो आधा अधूरा कराया ,तो वह बीमे की राशि भी नहीं मिली. देखभाल के अभाव में गायों की मृत्यु हुई. हितग्राहियों को ट्रेनिंग देना था , मध्यप्रदेश दुग्ध संघ का कैटल फीड बहुत अच्छा होता है. उसका उपयोग करना था. लेकिन यह नहीं किया गया. जो हो गया सो हो गया लेकिन दोषियों को आज तक दंडित भी नहीं किया गया. गंभीर ऑडिट आपत्ति के बाद भी. अध्यक्ष महोदय, दुग्ध महासंघ के सभी दुग्ध संघ अच्छा काम कर रहे हैं. खासतौर से उज्जैन का जिक्र करना चाहूंगा जिसके बारे में ND TV ने कहा. – The Ujjain milk shed as well as its access to substantial markets, make the Unions potential one of the greatest in the country. It should rank with Mehasana, Kaira (Anand), Kohlapur, Chitoor, North Arcot and other Mega Unions. लेकिन उज्जैन दुग्ध संघ में आज फायदे होने के बाद भी उसको न तो कैटल फीड प्लान्ट दे रहे हैं और न पावडर प्लान्ट दे रहे हैं. और आप कैटल फीड प्लान्ट्स को अन्य जगह भेज रहे हैं. मै समझता हूं कि आपको बहुत ही प्रायारिटी से उज्जैन दुग्ध संघ को कैटल फीट प्लान्ट देना चाहिए,

हार्टिकल्चर, अध्यक्ष महोदय, यहां भी कलाब साहब ने हार्टिकल्चर मिशन का जिक्र पेज 35 से 38 पर किया था. और उसमें यह आशा की थी कि हार्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग मिशन पर लक्ष्य दिये थे कि 4000 करोड़ रूपये की रेवेन्यु जेनरेशन होगी और 6 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष का रोजगार सृजन होगा. और मध्यप्रदेश को हार्टिकल्चर का हब स्टेट बनाया जाय. यह काम दस साल में करने

का टॉरगेट था. आपने कुछ भी नहीं किया. मंथन 2009 में भी 5,6, 14 अक्टूबर 2009 को ,इसमें पेज 17 पर सिफारिशें देखिये. हायब्रीड बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं, बीज के डी एन ए का परीक्षण , नर्सरी विकास, प्लान्टिंग मटेरियल्स, की गुणवत्ता आदि के बारे में जिक्र किया गया है लेकिन कुछ नहीं किया गया . हालत यह है कि रतलाव जैसे जिले में अंगूर होता है, पीपरी गांव में और आसपास के गांव में और वहां वायनरी (vinery) भी खोली है एक व्यक्ति ने, लेकिन आज वह वायनरी बंद होने की कगार पर है और अंगूर की खेती को आप प्रोत्साहन नहीं दे पा रहे हैं. वहां पर स्ट्राबेरी भी हुई. लेकिन चूंकि आपके पास पैकेजिंग का और एक्सपोर्ट का माध्यम नहीं था . अगर आप निर्यात करते तो बहुत सारा पैसा मिलता. तो उसको उनको ठेलों में बेचना पड़ा और स्ट्राबेरी की खेती बंद करनी पड़ी. अध्यक्ष महोदय, अत्थर का सेरीकल्चर, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सप्लाय चैन , प्रोसेसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर ,रीजनल हब का विकास, फूड प्रोसेसिंग इन्फारमेशन सेन्टर्स, ये सब चीजें होनी चाहिए. केन्द्र पोषित योजनाएं हैं , माईक्रो एरीगेशन की . बहुत दुख की बात है कि मुख्यमंत्री के जिले सीहोर में और तत्कालीन विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के जिले महू में स्प्रिंकलर्स का बहुत घोटाला हुआ और वह घोटाला पकड़ा भी गया , लेकिन इस प्रकार के घोटाले कई जगह हैं . आंवले की फसल लोगो ने बोयी लेकिन चूंकि आंवले का मार्केटिंग नहीं हुआ उसके कारण लोगों ने आंवले की फसले भी बोनी बंद कर दी.

अध्यक्ष महोदय, पी.एच.इ. के बारे में यह निवेदन करूंगा किप्रदेश में लगातार जलस्तर नीचे गिरता जा रहा है , 32 हजार नलकूप सूख गए हैं, या बन्द पड़े हैं और नल योजनाए 1621 विभिन्न कारणों से बंद हैं. बिजली का भुगतान नहीं होने पर पेयजल गांव में नहीं रोका जाना चाहिए लेकिन उसके बाद भी पेयजल रोक दिया जाता है और लोगों को परेशानी होती है. भूजल स्तर इतना नीचे गिर गया है कि पिपलौदा में 200 करोड़ रूपये की एक योजना है, जिससे भूजल स्तर ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है, उसकी गति अत्यंत धीमी है. मैं समझता हैं कि आपको

प्रत्येक जिले में भूजल स्तर ऊपर उठाने के लिए ध्यान देना चाहिए. अनुसूचित जाति, जनजाति के जो मजरे हैं उनमें ज्यादातर सरपंच लोग अपने गांव में हैण्ड पंप लगा लेते हैं. बड़े मोहल्लों में लगा लेते हैं. लेकिन गांव से दूर जो SC ST के मजरे हैं , मेरे मुंगावली क्षेत्र में तो इन सब मजरो में हैण्ड पंप नहीं लगाये जाते हैं ,तो आपको एक विशेष ध्यान देना चाहिए कि ग्रीष्म काल में पेयजल की एक विशेष योजना बनायें और खास तौर से जो 1 –लाख 27 हजार बसाहटे हैं उसमें से 40 हजार ग्रामीण बसाहटों में आपको 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन पानी देना चाहिए. ये काम नहीं हो रहा है,इसमें आपको विशेष रूप से इनमें ये काम करना चाहिए. धन्यवाद.

श्रीमती अर्चना चिटनिस (बुरहानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 14,16,20,29,50 व 56 के समर्थन में बात करने के लिए खड़ी हुई हूं और आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह कहते हुए अपनी बात प्रारंभ करना चाहूंगी कि यह जो विभाग हैं, जिन पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, यह समस्त विभाग रोजगार बढ़ाने वाले प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने वाले, जी.डी.पी. का इनहान्समेन्ट करने वाले, भूख और प्यास मिटाने वाले, स्वावालंबन बढ़ाने वाले, न केवल स्वयं की बल्कि प्रदेश की समृद्धि बढ़ाने वाले, सस्टेनेबल और स्टेबल डेव्हलपमेन्ट की ओर हमारे डेव्हलपमेन्ट का रोड मैप आगे बढ़ाने वाले और माल न्युट्रीशन को दूर करने वाले यह सारे विभाग हैं और मुझे लगता है कि मध्यप्रदेश का देश और दुनिया में रिलेवेन्स स्थापित करने की स्ट्रेन्थ रखने वाले यह सारे विभाग हैं और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुसुम महदेले जी को उनकी वरिष्ठता और क्षमता को देखते हुए उन्हें इन विभागों की जिम्मेदारी से नवाज़ा है. मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यह कहना चाहूंगी कि पशुपालन और कृषि दोनों परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है और इनकी एक दूसरे से दूरी ही कृषि में आने वाली अनेक समस्याओं का कारण बना है. इस वर्ष हम अलनीनो के प्रभाव से पीड़ित हैं. मानसून के डिले से हम लोग परेशान हैं. ऐसे समय में माननीय कालूखेड़ा जी ने ठीक कहा कि जब खेती किसान का साथ छोड़ देती है, तब भी पशुपालन

किसान का साथ नहीं छोड़ता और उसके परिवार की आजीविका आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है 70 प्रतिशत ग्रामीण पशुपालन पर निर्भर हैं. मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगी कि 2012-13 में राष्ट्र की दुग्ध उत्पादन वृद्धि 3.5% थी और वहीं प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालन पर दी जाने वाली प्राथमिकता और प्रोत्साहन के फलस्वरूप दुग्ध उत्पादन की वृद्धि दर 8.5% थी, यह उल्लेखनीय है कि यह वृद्धि देश में सबसे अधिक थी और अधिकझ होनी चाहिए, यह बात ठीक है. वर्ष 2012-13 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 325 ग्राम प्रतिदिन है, जैसी अपेक्षित थी, उससे निश्चित तौर पर और होनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय औसत 295 ग्राम है, उससे हमारे प्रदेश की औसत अधिक है. कई प्रदेशों से हम पीछे हैं, लेकिन राष्ट्रीय औसत से मध्यप्रदेश ने बढ़त हासिल की है जो अपने आप में प्रशंसनीय है, अपने आप में गौरव देने वाला है. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पशुपालन मंत्री जी को पशु चिकित्सा हेतु 933 पशु चिकित्सालयों की वृद्धि के लिए बधाई देना चाहती हूं और 1608 पशु औषधालयों को कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र के रूप में उन्नत करने के लिए उप केन्द्र बनाए जाने के लिए मैं उनको बधाई देना चाहती हूं. पशु चिकित्सा के कवरेज में 9.5 की वृद्धि हुी है, जिसके लिए यह सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं. एक बात जो रखी गई, उसके संचालन में और बेहतरी की आवश्यकता है, लेकिन यह अपने आप में एक बड़ी बात है कि पहली बार मध्यप्रदेश 79 आदिवासी विकासखंडों में अनुबंधित पशु चिकित्सा इकाई का संचालन हो रहा है, यह इकाईयां जी.पी.एस. के माध्यम से इनकी मानीटरिंग की जा रही हैं और आवश्यकतानुसार यह समय पर पहुंच कर पशुपालकों के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है. मैं आगे कहना चाहूंगी कि भारतीय देसी गौवंश को प्रोत्साहन देने के लिए गोपाल पुरस्कार का आयोजन किया गया, जिसके अतर्गत 1435 पशु पालकों को पुरस्कृत किया गया. इसमें मेरा एक सुझाव है कि यह जो गोपाल पुरस्कार हमारे गौवंश के नस्ल सुधार में इनके बछड़े और बछड़ियों की पेडिग्री को हमने फालोअप करना चाहिए और

उनसे प्राप्त सांडों को हमें अपनी नस्ल को बेहतर करने में उपयोग करना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बात कहकर अगले विभाग पर अपनी बातों को रखना चाहूंगी. ब्रीडिंग पालिसी आज भी जो हमारे स्टेट की है, उसमें अधिकांश एक्जोक्टिक ब्रीड सेन्टर हैं और इसमें हमारे सरकार की नंदीशाला योजना रही है, उस नंदीशाला योजना का क्रियान्वयन और बेहतर करते हुए, उसमें किसानों को इन्वाल्व करते हुए हमारे जो अपने फार्म्स हैं, उनको इन्वाल्व करते हुए जो हमारी रिक्वायरमेन्ट है, वह 15325 बुल्स की 2018-19 तक है और 15325 बुल्स की रिक्वायरमेन्ट हमारे कुक्कुट विकास निगम के माध्यम से सांड खरीदकर उसकी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें अपने आप विदिन स्टेट किसानों को और फार्म्स को इन्वाल्व करते हुए उसकी कार्य योजना बनानी पड़ेगी. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि इस देश में भैंस पर यहां तक जर्सी और हालस्टीन गायों पर, भेड़, बकरी, सूकर, खरगोश, मुर्गा मुर्गी इत्यादि सब पर रिसर्च सेन्टर हैं, लेकिन भारतीय नस्ल की गौवंश पर रिसर्च सेन्टर देश में कहीं भी विद्यमान नहीं है. माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय सदन में उपस्थित हैं. मैं आपके माध्यम से उनसे भी अनुनव विनय करना चाहूंगी कि मध्यप्रदेश में इंडेजिनस टाइप केटल ब्रीड पर रिसर्च सेन्टर स्थापित हो, इसके लिए देश की सरकार से, हम इसके लिए मांग करें और मध्यप्रदेश में एक नेश्नल लेवल का रिसर्च सेन्टर इंडेजिनस केटल पर स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध कराएं और उसको आगे बढ़ाएं. माननीय अध्यक्ष महोदय एक दो बात और इसी विभाग के विषय में कहना चाहूंगी कि ICAR का एक पब्लिकेशन है, इन्वेन्टरी आफ इन्डेजिनस नालेज, उसके सात वाल्यूम हैं. माननीय मंत्री जी अपने विभाग के जितने भी डाक्टर्स हैं उनको इन्डेजिनस नालेज के ऐसे तरीके हैं, जिनसे नस्ल सुधार भी हो सकती है, इलाज भी हो सकता है और वर्तमान अवेलेबल साइंस में कई बीमारियों का जिनका इलाज नहीं है, ICAR के पब्लिकेशन में किसान के नाम के साथ उन्होंने पब्लिश किया है और साइंटिफिक वेलीडिटेशन भी उसका किया है. उस पब्लिकेशन का विभाग इस्तेमाल करे. एक बात

पर और ध्यान रखना आवश्यक है कि जो पंचायत आक्शन करके बैल बाजार आवंटित करती हैं और जहां पर पशुधन का विक्रय होता है, वहां पर विभाग को चौकस रहना जरूरी है कि किसान की उपयोगी गाय और किसान के उपयोगी बैल का विक्रय तो हो, लेकिन वह बाजार कसाई के लिए उपयोग होने वाले गौवंश के लिए उपयोग में न आए. इसके लिए विभाग को बहुत चौकस रहने की आवश्यकता है. मैं बकरी पालन के विषय में महत्वपूर्ण बात रखना चाहूंगी कि बकरी पालन इस देश में परंपरागत तौर पर बहुत पुराने समय से चल रहा है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूं कि जितना पोटेन्शियल बकरी पालन में है. हम बकरी के दूध के इस्तेमाल की कोई व्यवस्था बनाएं. हम बकरी की जो मेंगनी है, वह अपने आप में प्रोसेस मेन्योर है. एक अध्ययन के अनुसार अगर बकरी द्वारा प्रोड्यूस आर्गेनिक फर्टीलाइजर का उपयोग किया जाय तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से जो सब्सीडी का बिल है, उसमें एक लाख करोड़ की सेविंग हो सकती है. बकरी पालन को बढ़ाने के लिए अगर हम आस्ट्रेलिया का उदाहरण लें तो आस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति 14 भेड़ हो सकती हैं तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में प्रति घर प्रति परिवार 10 बकरियां अगर हुईं तो हर व्यक्ति का रोजगार बढ़ेगा, उसका स्वावालंबन बढ़ेगा, उससे माल न्युट्रीशियन बेहतर होगा और बकरी की खाल से लेकर उसका मेन्योर तक हर चीज काम में आएगी और बकरी के दूध का इस्तेमाल हमारे दूध की रिक्वायरमेन्ट और दूध के अवेलेबिलिटी का जो अंतर है, उसमें बकरी का दूध भी एक बहुत बेहतर रोल प्ले कर सकता है और मेरा माननीय मंत्रीजी को एक और सुझाव है कि जो स्टाल फीडिंग लेने वाली बकरियां हैं, उनको हम प्रपोगेट करें, क्योंकि जंगलों पर बायोटिक प्रेशन इतना है कि हम जंगल में जाकर चरने वाली बकरियों की बजाय स्टाल फीडिंग वाली बकरियों पर जोर देंगे..

अध्यक्ष महोदय—आप कितना समय और लेंगी.

श्रीमती अर्चना चिटनिस—अध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन मिनट में अपनी बात पूरी करूंगी. एक बहुत चिंता का विषय है कि पावडर अवेलेबिलिटी बहुत अलार्मिंगली कम है. गाय पावडर की

कमी 40 परसेन्ट है और ग्रीन पावडर की अवेलेबिलिटी 36 परसेन्ट की है और कन्सन्ट्रेट में कमी 57 परसेन्ट की है इसलिए मध्यप्रदेश की चारा नीति बनाते समय पंचायतों का और वन विभाग का, पशुपालन विभाग का, इन सबका आपस में को-आर्डीनेशन होना और चारा विकास के लिए केन्द्र सरकार से शतप्रतिशत अनुदान होता है, उस योजना का उपयोग हो, ताकि आने वाले समय में हम एनीमल हसबेंड्री को प्रॉमीसिंग बना सकें.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मै थोड़ी सी बात पीएचई के विषय में और उद्यानिकी के विषय में करके अपनी बात समाप्त करने का जल्द से जल्द प्रयास करुंगी. हिन्दुस्तान में 21 से लेकर 25 करोड़ वेल्स और बोरवेल्स हैं और आज के समय में हम लगभग 230 क्यूबिक किलोमीटर ग्राउंड वाटर प्रतिवर्ष इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सारी दुनिया में जितना ग्राउंड वाटर का उपयोग हो रहा है उसका ¼ हमारे देश में ही हो रहा है और यही परिस्थिति आगे अगर बढ़ती रही, हम अगर देखें तो 60 प्रतिशत हमारा इरीगेशन भी ग्राउंड वाटर से हो रहा है. हमारा 85 प्रतिशत पेयजन भी ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंड है. शहरी बसाहटें बहुत अधिक ग्राउंट वाटर पर डिपेंडेंड होती जा रही है और मैं फिर से अलनीनो का उल्लेख करते हुए यह बात कहना चाहूंगी कि ग्राउंड वाटर से मानसून की कमी पर से आने वाले प्रभाव किस कदर कम हुए हैं कि 1963-66 में जब सूखा पड़ा तो 20 प्रतिशत खाद्य की उपलब्धता में कमी आयी लेकिन वहीं जब 87-88 में सूखा पड़ा, तब यह कमी नहीं आयी. ग्राउंड वाटर इतना महत्वपूर्ण है. जो काम माननीय मंत्री जी के जिम्मे हैं उस काम का महत्व खाद्य सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है. 29 प्रतिशत ग्राउंड वाटर ब्लाक्स आज या तो सेमीक्रिटीकल हैं, या क्रिटीकल हैं या ओवर एक्सप्वाइटेड है इसलिए मेरा आग्रहपूर्वक निवेदन है आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि वाटर एकाउंटिंग का एक सिस्टम बनना चाहिए. हम ग्राउंड वाटर रीचार्ज कितना करते हैं और ग्राउंड वाटर इस्तेमाल कितना करते हैं उसका बेलेंस मेन्टेन करना बहुत जरुरी है नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्यासा रहने के लिए और पूरे

जनजीवन को नष्ट करने के लिए इतना हमारा कंजम्पशन बढ़ा है कि हमारा ग्राउंड वाटर रीचार्जिंग पर हमारे फोकस उस हिसाब से बहुत कम है. यह ठीक बात है जल निगम की स्थापना हुई, जल निगम उस दिशा में आगे काम करेगा लेकिन उस काम में मुस्तैदी, उस काम में गति बढ़ाने की

बहुत सख्त आवश्यकता है. मैं एक छोटी सी इतिहास की घटना बताते हुए अपनी इस बात को पूरा करुंगी कि जब पहला ओव्हरहेड टेंक एक अंग्रेज बसाहट में दिल्ली में हुआ तो उस समय के पालीवाल समाज के लोगों ने उसका विरोध किया क्योंकि उनकी आजीविका का साधन था पानी भर भर के घरों में देना पर उनके घर की महिलाओं को अंग्रेजों ने अपने घर में काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए लगा लिया और जब अंग्रेज महिला एक चम्मच धोने के लिए नल खोलती तो वहां पालीवाल समाज की जो महिला काम करती थी तो उसका दिल घबराता कि एक चम्मच धोने के लिए इतना सारा पानी खराब जा रहा है और राजस्थान के लोक गीतों में गीत आ गया कि अंग्रेजों हम पर जो मर्जी जुल्म करना पर हमको नलका मत देना, नहीं तो धरती पर पानी नहीं बचेगा. पानी की सुरक्षा की तरफ ध्यान देना इस देश की परम्परा में रहा है और आज के समय में भी हमको अपने सारे लोक यांत्रिकी विभाग में पानी के रीचार्ज पर चिन्ता करनी होगी.माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि रीचार्ज शाफ्ट्स बनाये, हर मौसमी नदी में बनाये ताकि रीचार्ज शाफ्ट्स से नदियों से जो बहने वाला वर्षा का पानी है उससे ग्राउंड वाटर रीचार्ज अधिक से अधिक हो सके.

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा कुटीर उद्योग वाला विषय है, दरअसल में कभी भी हमारा देश मात्र कृषि प्रधान देश नहीं रहा, हर परिवार अपने आप में उद्योग था. हर परिवार में कुछ न कुछ मेनीफेक्चरिंग होता ही था, तभी इस देश की समृद्धि चरम पर थी. मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि विभाग ने बहुत सारी सपोर्टिव्ह योजनाएं प्रारम्भ की हैं लेकिन इस प्रदेश में कुटीर उद्योग को लेकर एक शार्ट एनालॉसिस बनायें, हमारी जो स्ट्रेग्थ है उसको

और आगे बढ़ाते हुए हम मोर एण्ड बेटरि क्रिर वथलेस इस दिशा में आगे बढ़ें और मेरा यह निश्चित मानना है कि जितना रोजगार उद्योग विभाग खड़ा कर सकता है उससे बहुत अधिक रोजगार माननीय मंत्री जी का जो यह ग्राम और कुटीर उद्योग है वह विभाग निश्चित तौर पर खड़ा कर सकता है और मैं यह कहना चाहूंगी कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा उसका अनुपालन करने के लिए आज माननीय शिवराजसिंह जी के नेतृत्व में यह सरकार चल

रही है उसमें उसका अनुपालन करते हुए हम मॉस प्रॉडक्शन बाय द मॉसिस एण्ड फॉर द मॉसिस करते हुए अधिक से अधिक लोगों के हाथों में काम मिले, उस ओर हम आगे बढ़े.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और सुझाव जो इसी विभाग से संबंधित है.हमारे यहां सेरीकल्चर को बढ़ावा दिया गया और सेरीकल्चर के कोकून्स की, मध्यप्रदेश में उत्पन्न कोकून्स की बेंगलूरु के मार्केट में मांग है, यह अपने आप में बड़ी बात है. एक कमजोरी जो पूरी सेरीकल्चर में आ रही है कि किसान को पैसा हम देते हैं मड-हाउस बनाने के लिए, किसान उस पैसे से अच्छा मड-हाउस नहीं बनाता, जिससे वर्म्स का प्रापर डेव्हलपमेंट नहीं हो पात और कोकून कमजोर बनता है, किसान की आमदनी कम होती है . जो सब्सिडी देने वाली एजेन्सी है और किसान है उसके साथ में मड-हाउस बनाने वाली किसी एजेन्सी को जोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पर मड-हाउस क्वालिटी के बनेंगे और सेरीकल्चर में बढ़ोतरी होगी.

माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्यानिकी विभाग को लेकर केवल एक दो अपने सुझाव देते हुए मैं अपनी बात पूरी करुंगी.जो हमारी फल पौधरोपण की सब्सिडी है उसमें हार्टीकल्चर मिशन के अंतर्गत तो 50 प्रतिशत सब्सिडी है लेकिन स्टेट पोषित जो योजनाएँ हैं उसमें 25 प्रतिशत है. काम एक ही है लेकिन सब्सिड़ी का अन्तर है . इसमें सामंजस्य बनाया जाए, मेरा यह आग्रह है.मेरा अपना जिला जहां पर केला बड़ी तादाद में होता है , वहां पर टिश्यू कल्चर पहले तो किसान अपने आप टिश्यू कल्चर के पौधे जहां से चाहता था, वहां से लेता था और उसको उसकी अनुदान राशि

का चेक मिल जाता था .अब एक ही एजेन्सी विभाग ने सुनिश्चित कर दी उसी से टिश्यू कल्चर के पौधे लेना अनिवार्य है. वह व्यक्ति किसान को मिलता नहीं, उसके पास टिश्यू पौधे पर्याप्त संख्या में नहीं है .किसान को यह फ्रीडम होना चाहिए जो क्वालिटी का टिश्यू कल्चर का पौधा जहां से चाहे वहां से ले और उसके अकाउंट में सरकार चेक दे दे तो बेहतर होगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मौसम आधारित बीमा अगर हमने किया तो फल उद्यानिकी हमारी आगे बढ़ सकेगी, बेहतर हो सकेगी और मध्यप्रदेश में बहुत अधिक गुंजाइश अभी भी इसमें काम करने की आगे है खासकर जो हमारा छोटी जोत का किसान है, जब तक छोटी जोत का किसान कम्पोजिट खेती नहीं करेगा जिसमें कृषि सम्बन्धित उत्पाद भी हों, हार्टीकल्चर भी

हो, पशुपालन भी हो, जब तीनों एकत्रित होंगे तभी छोटी जोत का किसान अपने पैरों पर खड़ा होकर एक सम्मानजनक जीवन जी सकेगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये जो विभाग हैं, ये विभाग ऐसे हैं कि मध्यप्रदेश की जितनी जनकल्याणकारी योजनाएँ हैं उन पर मध्यप्रदेश के आम व्यक्तित का डिपेंडेंस दूर कर देने वाले, अविलम्बन दूर कर देने वाले ये डिपार्टमेंट्स हैं. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी से यह दो शब्द कहते हुए, दो पंक्तियां कहते हुए अपनी बात पूरी करुंगी —"आंसू पौंछे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया, हमने श्वांस किये हैं पूरे, जीवन अपना नहीं जीया" लेकिन यह सरकार लोगों के आंसू पौंछने वाली सरकार है इसलिए अपने समय को गंवाने वाली यह सरकार नहीं है. "सिर्फ देवता थे शिवशंकर,महादेव इसलिए हो गए, लोकधर्म की जय हो जग में अमृत माता जहर पी गए, काली घनी रात के अन्दर जो औरों को राह दिखाये, लाख चन्द्रमा उनके आगे छोटा सा वो एक दीया है" माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन सभी विभागों के माध्यम से हरेक की भूख और प्यास मिटाने के लिए लाख चन्द्रमाओं की तुलना में अधिक बड़े बड़े विभागों की तुलना में ये छोटे दिखने वाले विभाग अधिक इफेक्टिव

हैं, आम व्यक्ति के जनजीवन को अधिक प्रभावित करने वाले हैं. मध्यप्रदेश को समृद्ध करने वाले हैं इसलिए इसमें जो काम हो रहा है वह उल्लेखनीय है, प्रशंसनीय है लेकिन उसमें और गति बढ़ाते हुए प्रदेश में बेहतर काम करें.इतना कहते हुए अपनी बात को पूरा करुंगी,बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री रजनीशसिंह(केवलारी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बैठे हमारे इस सदन के नेता सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जब वह पिछले दिनों सिवनी आए और मैंने जब आवेदन दिया तो राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन से सिवनी जिले को उन्होंने जोड़ा उसके लिए मैं उनका बारम्बार आभार व्यक्त करता हूँ.

3.44 बजे उपाध्यक्ष महोदय(डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह)पीठासीन हुए

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन से जुड़ जाने से हमारे जिले को निश्चित रुप से लाभ मिलेगा. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जिले को ज्यादा से ज्यादा फण्ड दिया जाए ताकि हम खेती को लाभ का धण्धा बना सकें और जो ड्रिप सिस्टम एरीगेशन है उसको बढ़ावा मिल सके ताकि हम पानी की बचत भी कर पायेंगे. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ब्लाक छपारा विकास खण्ड लगता है जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और मेरे क्षेत्र में सीताफल बहुतायत में होता है और नेचुरल होता है, पहाड़ों में होता है, इसे कोई खाद पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती औऱ यह फ्रूट नेचरली तैयार होता है और इसको दिल्ली, बंबई,कलकत्ता व मद्रास के व्यापारी आकर के औने-पौने दामों में, सस्ते दामों में खरीद लेते हैं उसके कारण से हमारे इलाके के लोगों को इसका भरपूर लाभ नहीं मिल पाता है. मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि हमारे यहाँ पर अगर फूड प्रोसेस सेंटर खोल दिया जाये या कोल्ड स्टोरेज खोल दिया जाये तो इस सीताफल की फसल को हम लंबे समय तक स्टॉक कर सकेंगे और इसको अच्छे से अच्छे दामों में बेचने की हमारे क्षेत्र के किसानों की और लोगों की व्यवस्था बन सकती है .दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है औऱ जल ही जीवन है , जल है तो कल है. मैं इस

विषय पर मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे जिले में 10910 हैंडपंप हैं जिसमें से 1100 हैंडपंप बंद पड़े हुए हैं . मेरे यहाँ पर नल जल योजना 953 हैं जिसमें से करीब 175 नल जल योजना मौजूदा हालत में बंद पड़ी हुई हैं और 38 नल जल योजनायें ऐसी हैं जिनका कार्य 5 वर्षों से अपूर्ण है और 92 टंकियों में से मात्र 12 टंकियाँ ही पूर्ण रूप से बनी हैं, करीब 9 टंकियाँ का कार्य प्रगति पर हैं और 6 पेंडिंग हैं और 57 के टेंडर तक नहीं लगे हैं. ना जाने क्यों हमारे जिले में टंकियों की निविदा नहीं आती हैं और ठेकेदार काम करने से कतराते हैं यह बड़ा चिंता का विषय है . माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसी की मंत्री महोदया की औऱ मुख्यमंत्री जी की चिंता है और इनके वार्षिक प्रतिवेदन के मैंने पढ़ा है कि 55 लीटर पानी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता होती है . हम यह पानी तब ही दे पाएंगे जब हम इन बंद पड़ी योजनाओं को चालू कर पाएंगे. मेरा जो छपारा विकासखंड है उसमें आज के साढ़े चार साल पूर्व की पौने तीन करोड़ रुपये की एक महती जल आवर्धन योजना स्वीकृत है, मुझे इस सदन में कहते हुए बड़ी पीड़ा हो रही है , बड़ा दुख हो रहा है और एक कहावत याद आती है कि भरे तालाब में घेंघा प्यासा. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे छपारा में इतना बड़ा तालाब है, इतना बड़ा संजय सरोवर है जो लाखों लाख हैक्टेयर जमीन को सिंचित कर रहा है औऱ चालीस किलोमीटर की दूरी तय करके पेयजल की व्यवस्था सिवनी की सवा लाख जनता को दे रहा है . वही छपारा बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है और आज के साढ़े चार वर्ष पूर्व पौने तीन करोड़ की यह योजना स्वीकृत हुई . मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मात्र टंकी बनी हुई है और थोड़ा बहुत पाइपलाइन विस्तारीकरण का काम हुआ है. बाकी इस जल आवर्धन योजना का कोई काम आज तक नहीं हुआ है. छपारा बहुत बड़ा कस्बा है , माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर पंचायत की घोषणा की थी , कुछ दिनों में छपारा नगर पंचायत बनने वाला है. मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि मेरी यह बंद पड़ी जल आवर्धन योजना को तुरंत चालू करवाये

ताकि पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हो सके. एक और मेरी आपसे विनती है कि छपारा हमारे आदिवासी भाईयों का वह केंद्र बिंदु स्थान है जहाँ से 70 से 75 उस इलाके में आते हैं.

श्रीमती अर्चना चिटनिस—उपाध्यक्ष महोदय, स्वयं पूर्व पीएचई मंत्री इस जगह को रिप्रेजेंट करते रहे हैं और वहाँ पर बूंद बूंद पानी की परेशानी है यह सच में बहुत दुख की बात है.

श्री रजनीश सिंह-- माननीय महोदया , मेरे पिताजी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे औऱ उन्होंने वहाँ पर जलस्त्रोत दिये टंकियाँ बनवाई पर जैसे जैसे पानी का वाटर लेवल नीचे जा रहा है जैसे जैसे बैनगंगा में सिल्ट जमा होती जा रही है वैसे वैसे स्त्रोत बंद होते जा रहे हैं.

श्री मुकेश नायक-- अभी हमारी सदस्या ने इनके पिताजी के बारे में कहा, मैं बता दूं कि इनके पिताजी की विजन पूरे स्टेट लेवल की थी किसी एक जिले स्तर की नहीं थी.

श्री रजनीश सिंह-- माननीय उपाध्यक्ष मैं स्पष्ट करता हूं कि माननीय महोदया का यह उद्देश्य रहा होगा कि जिस जिले , जिल ब्लॉक में पीएचई मंत्री स्वयं रहे हों तो वहाँ क्या पानी की अव्यवस्था हो सकती है , इनका सोचना अपनी जगह सही है. पर बैनगंगा नदी में मिट्टी का बांध बन जाने से सिल्ट साल-दर-साल जमा होती जा रही है . तो जो हमारे नेचुरल स्त्रोत हैं, उसमें कांक्रीट से ज्यादा सिल्ट काम कर रही है सीमेन्ट से ज्यादा अगर सिल्ट जमा हो जाती है तो जलस्त्रोत कम हो जाते हैं . उसी कारण से यह दिक्कतें हुईं औऱ अब आबादी बढ़ रही है . मेरा एक निवेदन मंत्री महोदया से है कि मेरे क्षेत्र में फ्लोराइड बहुत है , छपारा, केवलारी,सिवनी, घंसौर, लखनादौन विकासखंडों में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है. सिर्फ बरघाट और कुरई ऐसे ब्लॉक हैं जिसमें कि थोड़ा कम है . बाकी ज्यादातर जगहों में फ्लोराइड की अधिकता है औऱ हमारी जीवनदायिनी माँ बैनगंगा पूरे क्षेत्र से होते हुए गुजरती है . माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शासन ने समूह नल जल योजना की व्यवस्था करी है पर मुझे बड़ा दुख है कि जिस क्षेत्र ने लाखों हजारों किसानों को खेतों में पानी दिया, सिवनी की सवा लाख जनता को शुद्ध औऱ शीतल जल उनके कंठ पर लाकर दिया उस

छपारा क्षेत्र और केवलारी विधानसभा क्षेत्र में पानी की हाहाकार मची हुई है.उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम चार समूह नल जल योजना मेरे क्षेत्र में होना चाहिए . हमारे यहाँ पानी का बारहमासी स्त्रोत नदी है, नदी के माध्यम से समूह नल जल योजना 35-35, 40-40 गांवों को पानी मुहैया कराया जा सकता है. उसका उदाहरण भी है लेकिन शायद मैं विपक्ष का विधायक हूं, असहाय हूं, शासन में नहीं हूं इसलिए हो सकता है कि मेरे साथ भेदभाव हो,कांग्रेस के क्षेत्र में पानी के लिए दिक्कत हो.

उपाध्यक्ष महोदय-- आप असहाय नहीं हैं.

श्री रजनीश सिंह--- उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे जिले के प्रभारी मंत्री इस शासन के बड़े वजनदार और वरिष्ठ नेता श्री गौरीशंकर बिसेन जी के लालबर्रा क्षेत्र में 100 गांवों की समूह नल जल योजना करोड़ों रुपये की हुई. मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता को पीने के लिए पानी की व्यवस्था कराई. उपाध्यक्ष महोदय, (xx), मैं विपक्ष में हूं.क्या मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर सकता हूं.

उपाध्यक्ष महोदय-- माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगी. अब आप समाप्त करें.

श्री रजनीश सिंह--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदया इस सदन की वरिष्ठ नेता हैं, वर्षों से हैं और मेरे स्वर्गीय पिताजी के साथ भी उन्होंने काम किया है . मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप बड़ी तेज हैं. कल इस सदन में खाद्य मंत्री महोदय गरज भी रहे थे और बरस भी रहे थे. मैंने कहावत सुनी थी कि जो गरजते हैं, वह बरसते नहीं, पर खाद्य मंत्री जी ने बदरा गरजते हैं, बरसते भी हैं वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया. वही अपेक्षा मैं मंत्री महोदया से भी रखता हूं.

उपाध्यक्ष महोदय--- अब आप समाप्त करें.

श्री रजनीश सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं छोटा सा सदस्य हूं मुझे मेरी बात कहने दी जाये. उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा गंभीर विषय है, मैं समयसीमा में ही बात करना चाहता हूं. मैं छपारा की बात कर रहा था , 70 गांवों के लोग अस्थि विसर्जन करने के लिए माँ बेनगंगा के तट पर आते हैं पर गर्मी में पानी सूख जाता है. यही स्थिति मेरे भाई दिनेश राय जी के क्षेत्र में भी है.

उपाध्यक्ष महोदय--- दिनेश जी की बात छोड़ दें वह खुद कहेंगे. आप समाप्त करें. विश्वास सांरग जी अपनी बात शुरु करें.

श्री रजनीश सिंह --- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नदी तो वही है .उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा मुझे पूरी बात कह लेने दें. वहाँ पर स्टापडैम बन जाए ताकि वहाँ पर अस्थि विसर्जन करने वाले अस्थि विसर्जित कर सके.

उपाध्यक्ष महोदय--- अब आप समाप्त करें.

श्री रजनीश सिंह--- मैं एक बड़े संवेदनशील मामले पर आपसे बात करना चाहूंगा कि इतना बड़ा बांध है, 1 लाख 4 हजार एकड़ में जिस बांध में पानी भरता हो , जिस विधानसभा में यह बांध बना हो उस विधानसभा में मत्स्य विभाग का कोई काम नहीं हो रहा है. उसमें एक बीज प्रक्षेत्र भी न खुला हो, यह कितनी दर्दनाक और दुख की बात है . वहाँ पर मछली का बीज केंद्र नहीं है.मैं आप से प्रार्थना करना चाहता हूँ, मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वहाँ बीज प्रक्षेत्र खुले. उपाध्यक्ष महोदय, 362 मछुआरे हैं उनको इतने बड़े बाँध में काम नहीं मिलता है. मेरा निवेदन है कि वहाँ पर बीज प्रक्षेत्र खुल जाने से वहाँ पर रोजगार मिलेगा.

उपाध्यक्ष महोदय-- नहीं गलत बात है. आप बैठ जाएँ.

श्री रजनीश सिंह-- मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ.

उपाध्यक्ष महोदय-- आपने बहुत ज्यादा समय ले लिया है गलत है.

श्री रजनीश सिंह-- उपाध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए. बहुत महत्वपूर्ण विषय है. मैंने दो दिन से तैयारी की है. सदन में दो दिन से यह मामला टलते आ रहा है. उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से प्रार्थना करता हूँ कि खेती को लाभ का धंधा तभी बना पाएँगे जब हम पशुपालन पर ध्यान देंगे. कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में अच्छे संकर बीज की व्यवस्था होना चाहिए. मैं एक छोटा सा फाल्ट बताता हूँ. जो अस्पतालों में जो क्रायोकेन डिब्बा जिसमें संकर बीज रखा जाता है. उसकी क्वालिटी बहुत खराब है इससे कभी कभी.....(व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय-- रजनीश जी, धन्यवाद. आपका बहुत अच्छा भाषण रहा.

श्री रजनीश सिंह-- मेरी आप से प्रार्थना है कि इसमें सुधार की जरूरत है...(व्यवधान).. बरसात आ गई तीन बीमारियाँ..(व्यवधान)..मेरी बात कह लेने दें. खुर की बीमारी चालू है...(व्यवधान)..पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन नहीं है...(व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय-- समस्याएँ तो बहुत हैं. अब आप बैठ जाएँ. सब आप ही बताएँगे क्या. नहीं गलत बात है. अब आप जो कहेंगे नहीं लिखा जाएगा.

श्री रजनीश सिंह-- (xxx)

श्री विश्वास सारंग(नरेला)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 14, 16, 20, 29, 50 एवं 56 का समर्थन एवं कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूँ. यह अच्छी बात रही कि रजनीश जी ने जब शुरू किया था तब मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया और जब अंत किया तो आपको धन्यवाद दिया. बीच में मुझे लगता है कि वे थोड़े से कन्फ्यूज हो गए थे. उपाध्यक्ष जी,

----

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

कहानी वही थी जैसे शोले में चल रही थी सब कुछ अच्छा था पर मौसी की दिक्कत थी, अच्छी बात है रजनीश जी ने बातें कीं. उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बहुत

बधाई देना चाहता हूँ. हमारी बहन अर्चना चिटनिस जी ने बहुत अच्छे ढंग से इस विषय की ओपनिंग की. उन्होंने हर विषय पर पूरा प्रकाश डाला.

उपाध्यक्ष महोदय-- वे सेंचुरी ही बनाती हैं, वे ऐसी ओपनिंग बैट्समेन हैं.

श्री विश्वास सारंग-- उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सपना देखा था स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाने का और उस काम में वे लगे हुए हैं, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम था कृषि को लाभ का धंधा बनाना. उपाध्यक्ष जी, जब कृषि की बात आती है तो कहा तो जाता है कि कृषि हमारा मुख्य धंधा है, 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर अवलंबित है पर पहले की सरकारों में यह केवल भाषण होता था उसको लाभ का धंधा बनाने के लिए या कृषि के उन्नयन के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं होता था. यह सदन भी इस बात की गवाही देगा और पूरा प्रदेश गवाही देता है कि कृषि के उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री जी ने जितना किसानों के लिए किया, जितना कृषि के लिए किया, वह शायद मध्यप्रदेश और देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ. जब हम कृषि की बात करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ एक बहुत अहम् पक्ष है पशुपालन, यह देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद इस विषय को माननीय उपाध्यक्ष जी कहीं न कहीं उतना ध्यान नहीं दिया गया इस पर जितना ध्यान दिया जाना था. हमारी बहन अर्चना जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं. जब हम बात करते हैं कृषि की, कृषि का जो वेस्टेज है, वह पशुपालन में काम आता है और पशुपालन का जो गोबर हो या गौमूत्र हो, वह कृषि को अच्छा बनाने के लिए काम आता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं. कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमें कृषि को आगे बढ़ाना है तो हमें पशुपालन को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा और इस बात का इस सरकार ने पूरी तरह से ध्यान दिया. उपाध्यक्ष जी, हमारे यहाँ पहले कहा जाता था, संपन्नता की जब बात आती थी और अभी भी कहा जाता है किसी को आशीर्वाद दिया जाता है तो यही कहा जाता है कि दूधो नहाओ, पूतो फलो और कहा जाता है किसी राज्य की, किसी जगह की संपन्नता का यदि

अलंकरण किया जाता है तो यही कहा जाता है कि उस राज्य में दूध की नदियाँ बह रही थीं और यही इस मध्यप्रदेश में भी हो रहा है. आँकड़े हमारी बहन ने बताए. निश्चित रूप से दूध के उत्पादन में....

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- कहाँ है दूध.

श्री विश्वास सारंग-- उपाध्यक्ष जी, अब तिवारी जी का मुझे नहीं मालूम वैसे भी समय हो गया दूध की बात शायद इस समय यह करते नहीं होंगे. मुद्दा यह है इसलिए इनको आपत्ति है.

श्री बाला बच्चन-- विश्वास जी, दूध की बात इसी समय होती है, चाय इस समय ही लगती है.

उपाध्यक्ष महोदय-- तिवारी जी कोई व्यसन नहीं पालते हैं.

श्री विश्वास सारंग—उपाध्यक्ष जी, सही मायने में दूध पालन में इस सरकार ने जो काम किया है वह शायद पूर्व सरकारों ने किया और उसी का परिणाम है कि लगातार हमारे यहाँ दूध का उत्पादन बढ़ रहा है 2012-13 में जहाँ मध्यप्रदेश दूध उत्पादन में सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य बना है और पूरे देश में छठवें स्थान पर रहा है. हम से आगे केवल पंजाब या एक दो राज्य हैं जो कि हमसे पहले से बहुत संपन्न थे पर हमारी जो विकास की गति है. मैं चुनौती के साथ इस सदन में कह सकता हूँ कि अगले दो साल में हम दूध उत्पादन में देश में नंबर वन स्थान पर रहेंगे. यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है. हमारी बहन अर्चना जी ने जरूर बोला मैं उसको दोहराना नहीं चाहता पर जीडीपी की अगर हम बात करें तो दूध उत्पादन शायद किसी भी जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देता है क्योंकि उसका जो रिटर्न है वह सबसे ज्यादा आता है और यह हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए जब यह सरकार दूध उत्पादन पर बहुत ध्यान दे रही है तो इसका मतलब सीधे सीधे हम आमजन की, आम किसान की, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का काम कर रहे हैं.

उपाध्यक्ष जी, कुपोषण की बात आती है. बच्चों में कुपोषण हो रहा है. यदि कुपोषण को खत्म करने का सबसे बड़े कोई उपाय है तो वह पशुपालन के माध्यम से ही संभव है. चाहे दूध की बात हो, चाहे अंडे की बात हो, इसके माध्यम से ही कुपोषण पर हम कंट्रोल कर सकते हैं और उस विषय में यह सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है. पहले की सरकारें थीं, गाय बूढ़ी हो गई, दूध देने लायक नहीं रही, निराश्रित गाय दर दर की ठोकरें खाती थीं और यह भी सत्य था कि हमारे लिए यह दुर्भाग्य की बात है, यह दुख की बात है कि बहुत स्थानों पर स्लाटर हाउस में भी गायों को पहुँचा दिया जाता था पर इस सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ काम किया और हम इस बात का श्रेय लेने में देश के नंबर वन के राज्य हैं हमने गौ अभ्यारण्य की एक नई परिपाटी को इस प्रदेश में शुरू किया है और उसके लिए मैं मध्यप्रदेश शासन को बहुत बधाई देना चाहता हूँ. सुसनेर, आगर, में गौ अभ्यारण्य की स्थापना हुई है. जिसमें हजारों निराश्रित गाय जो दूध नहीं दे पाती उनके लिए चारे और पानी की व्यवस्था है और उसके माध्यम से उनका जीवन ठीक ढंग से चल सके इसकी व्यवस्था मध्यप्रदेश की सरकार ने की है क्योंकि दूध की जब हम बात करते हैं तो यह लाइव हुड है इसका संकलन अपने आप में एक चुनौती है केवल उत्पादन से काम नहीं चलेगा, हमें संकलन की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी और मैं माननीय मंत्री कुसुम महदेले जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इस विषय में इस विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है. हमने यदि उत्पादन बढ़ाने की बात की तो हमने दूध के संकलन को भी बढ़ाने की व्यवस्था की है और उसी के कारण 2003 में जो मध्यप्रदेश में दूथ का संकलन था वह 2 लाख 91 हजार किलोग्राम प्रतिदिन था. जो बढ़कर 2013-14 में 8 लाख 25 हजार किलोग्राम प्रति दिन हो गया है. हमने अपने दूध उत्पादन को और संकलन को एक लाइन में किया है. दोनों को कोऑर्डिनेट किया है. दोनों को सिंक्रोनाइज किया है और इसके लिए मैं मध्यप्रदेश शासन को बहुत बधाई देना चाहता हूँ. दूध संघों का केवल दूध नहीं दूध से बने हुए प्रोडक्टस और वह एक रोजगार का बड़ा उपाय हो सकते हैं और उसके लिए लगातार दूध संघों का टर्न ओव्हर बढ़ा

है.वर्ष 2002-03 में जहां 190 करोड़ रुपये का दूध संघों का टर्न ओवर था वह बढ़कर अब 1275 करोड़ रुपये हो गया है. हमने सिर्फ दूध उत्पादन पर ही काम नहीं किया बल्कि पशुओं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया है. वैक्सीन और दवाइयों के उत्पादन में भी हमने कीर्तिमान स्थापित किया है. महू स्थित जैविक उत्पाद संस्थान में हमने 12 प्रकार के वैक्सीन डेवलप किये हैं जिनका हम निर्यात भी कर रहे हैं. यह अपने आप में बहुत अच्छी बात है.

उपाध्यक्ष महोदय, पीएचई बहुत महत्वपूर्ण विभाग है. रहीम जी कहकर गये हैं—

रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून,
पानी गये न ऊबरे मोती मानुस चून.

सरकार ने इस विषय में पूरा काम किया और उसी का परिणाम है कि लगातार हम लोगों को पेयजल पहुंचाने में सफल रहे हैं. सरकार की पांच वर्षीय योजना है जिसमें 2018 तक हम ग्रामीण क्षेत्रों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्ध करायेंगे और शहरी क्षेत्र में 135 लीटर पेयजल उपलब्ध करायेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग में भी माननीय मुख्यमंत्रीजी और मंत्रीजी के नेतृत्व में बहुत काम हुआ है. गांधीजी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को स्थापित करते हुए मध्यप्रदेश की सरकार ने कुटीर उद्योगों को नया आयाम दिया है. मृगनयनी मध्यप्रदेश का ऐसा प्रकल्प है जो मध्यप्रदेश सरकार का फेसिया है. चाहे दिल्ली हो या देश के बाकी हिस्से हों मध्यप्रदेश सरकार कैसा काम कर रही है यह मृगनयनी के शो-रुम देखकर पता लगता है. मृगनयनी के माध्यम से ग्राम उद्योग व कुटीर उद्योग में बहुत अच्छा काम हुआ है.

उपाध्यक्ष महोदय, उद्यानिकी के मामले में हमारी बहन ने बहुत अच्छा वक्तव्य रखा है. इन सभी मांगों का मैं समर्थन करता हूँ. माननीय मुख्यमंत्रीजी और मंत्रीजी को बहुत बधाई देता हूँ कि उनके नेतृत्व में अपेक्षाकृत जिन विभागों पर ध्यान नहीं दिया जाता था उन विभागों पर ध्यान

दिया गया है और मध्यप्रदेश में इन विभागों के माध्यम से लगातार अर्थव्यवस्था में विकास के नये आयाम स्थापित हो रहे हैं. आपने बोलने का समय दिया उसके लिये धन्यवाद.

श्री हेमन्त खण्डेलवाल (बैतूल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 14, 16, 20, 29, 50 एवं 56 के समर्थन में एवं कटौती प्रस्ताव के विरोध में अपनी बात कहना चाहूंगा.

उपाध्यक्ष महोदय, समय कम है इसलिये आपके माध्यम से सिर्फ पशुपालन पर मुख्यमंत्री शिवराज जी एवं मंत्री कुसुम महदेले जी को धन्यवाद देना चाहूंगा. आपके प्रयास से प्रदेश में दूध के उत्पादन में साढ़े आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि राष्ट्रीय वृद्धि साढ़े तीन प्रतिशत है. मध्यप्रदेश दूध के मामले में छटवें स्थान पर आ गया है. कुल उत्पादन 2 करोड़ 42 लाख लीटर हो गया है. सरकार इसलिये भी धन्यवाद की पात्र है क्योंकि पशु, जो हमारे पालक हैं उनके लिये चिकित्सा सुविधा घर-घर पहुंचायी जा रही है.

उपाध्यक्ष महोदय—अपना देश भी दूध उत्पादन में नंबर एक हो गया है.

श्री हेमन्त खण्डेलवाल—जी. 160 पशु चिकित्सालय खोलने का प्लान है.

श्री शंकरलाल तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, यह तो होना ही चाहिये था यह कृष्ण जी का देश है जहां उन्होंने खुद गौ चराई है.

श्री हेमन्त खण्डेलवाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को इस बात के लिये भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि दूध के उत्पादकों में भी काफी वृद्धि हो रही है. टेट्रा पैक में दूध, लस्सी और मठा बेचने के लिये सरकार काफी कदम उठा रही है लेकिन इतने सब प्रयासों के बाद भी दूध संग्रहण के मामले में हमारा प्रदेश काफी पीछे है. हमारे प्रदेश में दूध उत्पादन का कुल 3.3 प्रतिशत ही संग्रहित किया जाता है, हमारे प्रदेश की स्थिति को यदि हम गुजरात से कम्पेयर करें तो वहां पर

44.61 प्रतिशत है, कर्नाटक में 34.85 प्रतिशत है और महाराष्ट्र में 44.85 प्रतिशत है. क्योंकि जब तक हम सहकारिता को आगे नहीं बढ़ायेंगे तब तक हम उत्पादकों के साथ न्याय नहीं करेंगे. मध्यप्रदेश में कुल 52117 राजस्व गांव हैं और हमारी समितियां मात्र 5000 गांवों में हैं अभी तक दूध में हमने जो कवरेज किया है वह 9.76 प्रतिशत है. इसमें भी पूरे भारत में सबसे नीचे हमारी स्थिति है और दूध के मामले में अगर हम कर्नाटक के बराबर पहुंचना चाहते हैं तो मेरे एक विधान सभा के प्रश्न के जवाब में मंत्री महोदय ने कहा है कि हर साल हम 500 नयी समितियां बनायेंगे जो प्रदेश के गांवों की संख्या की मात्र एक प्रतिशत होती है. अगर एक प्रतिशत की गति से चलेंगे तो कर्नाटक तक पहुंचने में हमें लगभग 30 वर्ष लगेंगे और अगर हम महाराष्ट्र तक दूध का कवरेज पहुंचाना चाहते हैं तो 40 साल का समय लगेगा. गुजरात के 78 प्रतिशत को टच करना चाहते हैं तो इस गति से हमें 50 वर्षों से भी अधिक का समय लगेगा. इतने अच्छे दूध उत्पादन के बाद भी सहकारिता में मात्र दो लाख किसान जुड़े हुए हैं इसमें भी गुजरात के 29 लाख के मुकाबले हम बहुत पीछे हैं. मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब तक हम बाय-प्रोड्क्ट में आगे नहीं आते हैं तब तक हम उत्पादक व उपभोक्ता दोनों को लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं. दूध के जो बाय प्रोड्क्ट हैं उसमें भी मध्यप्रदेश की स्थिति मात्र 10 प्रतिशत है. जबकि अमूल का जिला गुजरात 28 प्रतिशत पर है, मदर डेयरी 25 प्रतिशत पर है, महाराष्ट्र 25 प्रतिशतत पर है और स्वीडन जैसे देश 40 प्रतिशत पर हैं. जब तक हम बाय-प्रोडक्ट बनाकर ज्यादा लाभ नहीं कमायेंगे तब तक हम उत्पादक को ज्यादा लाभ नहीं दे पायेंगे. मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारे कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनसे हमें उदाहरण लेना चाहिये जैसे कर्नाटक में 2 रुपये लीटर का अनुदान दिया जाता है हरियाणा में भी 50 प्रतिशत का अनुदान उपकरणों पर दिया जाता है और गुजरात में जो महिला समितियां हैं उनके लिये बहुत सी योजनाएं हैं. अब मैं अपने जिले बैतूल सहित प्रदेश में 9 दुग्ध संघ बनाने के लिये मंत्री महोदया से अनुरोध करूंगा क्योंकि जब तक विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे जब तक समितियों की संख्या नहीं बढ़ेगी

और जब तक समितियों की संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक हम छोटे-छोटे उत्पादक के पास नहीं पहुंच पाएंगे. मेरे जिल बैतूल में दूध का उत्पादन लगभग 80 हजार लीटर है जो पूरे प्रदेश के कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत है. महाराष्ट्र से लगा हुआ जिला होने के कारण अगर दुग्ध संघ बनाया जाता है तो मुलताई से अमरावती दूध मात्र 60 पैसे में पहुंचता है और भोपाल दुग्ध संघ लाने में 1 रुपये 80 पैसे का खर्च आता है. यह 1 रुपये 20 पैसे का लाभ हम कृषकों को दे सकते हैं. मैंने कल कृषि विकास के बारे में बहुत सारी बातें कहीं कि कैसे यहां वल्लभ भवन में बैठकर कृषि विकास योजनाएं बन जाती हैं आज उस विषय को नहीं कहना चाहता मैं यह कहना चाहता हूं कि दूध उत्पादन के मामले में कृषि योजना का एक प्रोजेक्ट बैतूल से हमारे विभाग को भेजा गया है जिसमें चिलिंग प्लांट और पशु आहार प्लांट और कृषकों को मदद की भी उसमें बात है. मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारा यह प्रोजेक्ट सरकार स्वीकार करती है तो बैतूल जिला भी छोटे मोटे गुजरात और महाराष्ट्र की तरह आगे जा सकता है. दूध का जितना उत्पादन है उतना ही ध्यान अगर सरकार संग्रहण पर देगी तो सही में उत्पादक कोऔर उपभोक्ता दोनों के साथ हम न्याय कर पाएंगे . अंत में आपने मुझे बोलने का समय दिया धन्यवाद.

<u>श्री शैलेन्द्र पटेल(इछावर)</u> – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 14,16,20,29,50 और 56 का विरोध करते हुए कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं. मध्यप्रदेश में 2011 की जनगणना में लगभग 407 लाख पशु थे जिसमें से लगभग 219 लाख गौवंश और 19 लाख भैंस वंश के थे. मैं यह आंकड़े इसलिये प्रस्तुत कर रहा हूं कि इस गौवंश और भैंस वंश में पिछले 10 वर्षों में कुछ खास बढ़ोत्तरी नहीं हुई है मामूली सी बढ़ोत्तरी हुई है और 10 साल पहले लगभग 6 लाख लीटर दूध प्रतिदिन कोआपरेटिव्ह सेक्टर द्वारा इकट्ठा किया जाता था और बढ़ती हुई जनसंख्या के बाद भी आज मात्र 8 लाख लीटर के लगभग दूध प्रतिदिन कापरेटिव्ह सेक्टर द्वारा इकट्ठा किया जाता है इसमें भी कुछ खास वृद्धि नहीं हुई है. और 10 साल पहले भी 5 दुग्ध संघ थे अभी

खण्डेलवाल जी कह रहे थे कि 9 दुग्ध संघ होने थे और आज भी स्थिति जस की तस है आज भी 5 दुग्ध संघ जो बहुत पहले से चले आ रहे थे उनकी भी कोई उल्लेखनीय या एक की भी बढ़ोत्तरी उसमें नहीं हुई है और दुग्ध संघों की जो हालत है वह हम सब जानते हैं. यह विषय इसलिये मबहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और खेती के साथ चाहे पशुपालन हो चाहे फल सब्जी का काम चाहे ग्राम उद्योग का काम हो अगर ये सब मिलजुलकर काम करेंगे तो हमारे गांव आगे बढ़ेंगे. जब तक गांव आगे नहीं बढ़ेगा मैं नहीं मानता कि हम आगे बढ़ पाएंगे तरक्की कर पाएंगे. सहकारिता मंत्री जी अभी नहीं है उनके सागर में बुंदेलखण्ड पेकेज में काफी पैसा पिछली यूपीए सरकार ने दिया था श्वेत क्रांति के रूप में,दुग्धउत्पादन के रूप में, बुंदेलखण्ड पेकेजके रूप में और लगभग 80.10 करोड़ रुपे के प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे जिसमें से 72.70 करोड़ रुपये की राशि दी गई और 78.71 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार ने भी खर्च किये. 4 करोड़ रुपये उसमें वे खर्च नहीं कर पाए. मैं यह मानता हूं कि सागर में भी सागर दुग्ध संघ बन जाता तो निश्चित रूप से जब अलग-अलग जगह दुग्ध संघ बनेंगे तो निश्चित रूप से नीचे जो किसान होगा उसे ज्यादा दूध की कीमत मिल पाएगी. क्योंकि हालत यह है कि आज मिनरल वाटर 16 से 18 रुपये लीटर में बिकता है और जो किसानों को जो दूध बेचते हैं डेयरी के माध्यम से उन्हें मात्र 36 या 38 रुपयेलीटर का भाव पड़ता है. निश्चित रूप से दूध का व्यवसाय इतना फायदे का व्यवसाय नहीं है जब तक हम इसको फायदे का व्यवसाय नहीं करेंगे हम इस विभाग में हमारे किसानों की उन्नति नहीं कर पाएंगे. 2 रुपये लीटर का कर्नाटक सरकार किसानों को बोनस देती है. वैसे ही हमारे प्रदेश की सरकार किसानों को देगी तो हमारे बेरोजगार जो गांवों में दर-दर भटक रहे हैं वे निश्चित रूप से उसको अपनाएंगे और किसानों को उचित मूल्य मिल पाएगा. आज यह देखने में आ रहा है कि प्रदेश में कई जगह नकली दूध बेचा जा रहा है. वह जहर के रूप में बिकता है उसकी कीमत कम होती है इसलिये कहीं न कहीं हमारे दुग्ध उत्पादकों को उचित कीमत नहीं मिलती ऐसे नकली दूध

और जहरीले दूध को रोकने का हमें प्रयास करना चाहिये. जिस हिसाब से कृषि क्षेत्र में जीरो परसेंट पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है वैसे ही सहकारिता के माध्यम से जीरो परसेंट पर पशुपालकों को ऋण उपलब्ध कराना चाहिये.एक ओर होम लोन और कार लोन तो सस्ते हैं लेकिन गाय का लोन महंगा है. इस ओर भी हमें ध्यान देना होगा कि कितने कम ब्याज दर पर हम यह उपलब्ध कराते हैं. एक ओर हम उन्नयन की बात करते हैं कि जगह-जगह पशु पोलीक्लीनिक खोले गये हैं उनमें जानवरों की भर्ती नहीं होती और बहुत सी जगह जो एक्सरे मशीन और दूसरे उपकरण पहुंचाए गए हैं और वहां टेक्नीशियन के न होने से या उचित अधिकारी के न होने से उन मशीनों को आज तक खोला नहीं गया है. लगभग 3 सालों से वह एक्सरे मशीन हमारे सीहोर जिले के पशु चिकित्सालय में रखी हुई है उसका उपयोग नहीं हो पाया है. आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्रीमती ललिता यादव(छतरपुर) – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 16,20,29,50,58 का समर्थन करती हूं. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री जीको धन्यवाद देना चाहती हूं. मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रिय सरकार ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिये विशेष ध्यान दिया है. क्षेत्र कोई भी हो जीवकोपार्जन के सरल उपाय खोजे हैं. हमारी सरकार ने पशुपालन को लाभ का धंधा बनाया और इसका सबसे ज्यादा लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा है. आज प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी गांवों में बसती है और यहां महिलाओं ने पशुपालन को सबसे सरल धंधा माना और इसे रोजगार बनाकर स्वयं को सशक्त बनाया है. इसके लिये मैं मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहती हूं. हमारी सरकार ने संकल्प लिया कि प्रदेश में श्वेत दुग्ध क्रांति लाई जाए और प्रदेश ने यह करके दिखाया है. जहां 2012-13 में राष्ट्र की दुग्ध उत्पादन वृद्धि 3.5 प्रतिशत थी वहीं मध्यप्रदेश में पशु पालन को दी जा रही प्राथमिकता एवं प्रोत्साहन से मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादन दर 8.50 प्रतिशत थी. हमारा प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है और उसी का परिणाम है कि दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश 6 वें स्थान पर आ गया है. आज

प्रदेश में 5965 दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत् हैं जबकि 2003 में दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या 2767 थी. वर्तमान में समस्त दुग्ध संघों में 2 लाख 22 हजार सदस्य हैं जिनमें 80 हजार महिलाएं हैं. इनमें 72 परसेटं सदस्य अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के हैं.इतना ही नहीं 2003 में दुग्ध संघों का टर्न ओव्हर 190 करोड़ था आज 2013-14 में बढ़कर 1275 करोड़ हो गया है. आज मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार ने जनता को मजबूत कर प्रदेश में विकास किया है. इसी तरह से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में पेयजल व्यवस्था के लिये बहुत कार्य किया है. आज ऐसी कोई बसाहट नहीं है जिसमें पेयजल के स्रोत उपलब्ध न हों मेरी विधान सभा क्षेत्र छतरपुर में 17 अपर्याप्त बसाहटों में नलकूप का खनन कर पेयजल की व्यवस्था की गई है. 20 स्कूल, 10 आंगनवाड़ियों में नलकूप का खनन कर पेयजल की व्यवस्था की गई है. 35 नल-जल योजनाओं को पूर्ण कर 38 हजार जनसंख्या को लाभांवित किया गया है, इसके साथ 8 गांवों में नवीन योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं. क्षेत्र के बारे में मंत्री जी निवेदन है कि मेरे जो बाकी ग्राम नल-जल योजना से रह गये हैं जैसे गोरा, सलैया, पुरवा, अचट्ट, पिरपा कलानी, थरा, बरकोहा, गंगायण, छापर, घौरी, सोरा, हमा इनमें नल-जल योजना स्वीकृत करने की कृपा करें. मंत्री जी धसान जल आवर्द्धन योजना का कार्य छतरपुर में लंबित है उसको अतिशीघ्र पूरा कराया जाये ताकि छतरपुर की जनता को पानी की परेशानी से निजात मिल सके. छतरपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम वनगाय, गौरगाय वहां पर दुग्ध एकत्र करने के केन्द्र बनाये जायें जहां पर सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन होता है तो अतिकृपा होगी मैं मंत्री जी को बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहती हूं आपने समय दिया धन्यवाद.

कुंवर विक्रम सिंह (राजनगर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया को बताना चाहता हूं कि उनको स्वयं भी विदित हैं वह बुंदेलखंड व अंचल से हैं व पन्ना जिले से हैं जहां पर बेलों की एक नस्ल ज्ञान-काठिया जानी जाती थी आज वह नस्ल लुप्त होने की कगार पर है उस नस्ल

के जो बेल हैं खेती के लिये बहुपयोगी होते हैं उन बेलों के संरक्षण के लिये उनकी वंश वृद्धि के लिये क्या मापदंड बुंदेलखंड पैकेज में लिये गये थे और किस समय लिये जायेंगे इस प्वाईंट को व्यवस्थित रूप से लें ताकि ज्ञान-काठिया जो बुंदेलखंड की नस्ल है यह खत्म न हो जाये यह मेरा अनुरोध है. वोट फार्मिंग में अगर देखा जाये हमारे मछली पालन के क्षेत्र में सर्वाधिक वोट फार्मिंग हुआ करती थी एक समय में जब खाली जमीनें पड़ी हुई थीं, परन्तु काश्तकारी के हिसाब से जैसे जानवरों का हेवी टेक भी कम हुआ है वैसे ही चरू की जमीनें भी कम हुई हैं हमारे बुंदेलखंड की नस्ल की देसी छिरिया होती थी जिसको देशी बकरी कहते हैं जो दुधारू होती थी वह बड़ी जाति की होती थी वह दो बच्चे एक बार में जन्म देती थी जिस तरह से ज्ञान काठिया बेलों की नस्ल खत्म हो रही है वैसे ही देसी बकरियों की नस्ल समाप्त हो रही है. मछली पालन पर मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि सबसे पहले तो व्यवस्था तो यह की जाये कि मध्यप्रदेश मानसून प्रवेश 15 जून से पहले होता था, परन्तु अब 20 जून के पहले हो नहीं पाता है और कई जगहों पर 30 जून तक आ पाता है, अभी तो जुलाई में आया है जो क्लोज सीजन मछली के व्यापारियों एवं मछली पकड़ने वालों को 15 जून से 15 अगस्त तक है इसको जैसा उत्तरप्रदेश में है 30 जून से 30 अगस्त तक किया जाये. मछली पालन में कहना चाहता हूं कि बिग हेड, पंगास, हायब्रिड मांगूर, अन्य जो मत्स्य भक्षक वेराइटी की या स्केंजेर, कारनी वोरा, वेराइटी की मछलियां हैं इनको मत्स्य पालन में न लिया जाये इनके एवज में जो लोकल मेजर वेराइटी हैं जैसे सौंर है, हुड्डा है, देसी मंगूर है, पड़िन है, कटई है इनका भी कल्चर किया जाये इसके लिये कार्य करें इसके लिये मत्स्य कृषकों को फायदा भी होगा. मेरे जिले में रैकवार समाज के बहुत से लोग निवास करते हैं पूर्व में नदी खुलासा हुआ करती थी रैकवार समाज को मत्स्य आखेट करने के लिये परन्तु आज उन पर प्रतिबंध लग चुका है. मैं निवेदन करता हूं कि रैकवार समाज के लिये सम्पूर्ण केन नदी खोली जाये मत्स्य आखेट के लिये आपने बोलने के लिये समय दिया धन्यवाद.

श्री जसवंत सिंह हाड़ा (शुजालपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 14,14,20, 29, 50 एवं 56 के समर्थन में तथा कटौती प्रस्तावों के विरोध में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं. पशुपालन, मछली पालन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि एवं विधायी कार्य, उद्यानिकी और ग्रामोद्योग छः हैं माननीय मंत्री जी ने मछली पालन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उद्यानिकी विभाग में बहुत काम किया है. और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हमारे जिले में फुड प्रोसेसिंग की भी वहां पर घोषणा की है क्योंकि शाजापुर जिला इस फल उद्यान के मामले में, आलू-प्याज और लहसुन ऐसे काम में बहुत ही आगे है, इसलिये जिले को विशेष रूप से उनका आशिर्वाद मिला है माननीय मंत्री जी का भी इस बजट में उद्यानिकी विभाग में शाजापुर जिले में और जोड़ा है, यह उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत शाजापुर जिले पर भी माननीय मंत्री जी की बड़ी ही कृपा रही है. मैं तो केवल इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि पशुपालन विभाग में चूंकि जितनी बात हो रही है पशुओं के बढ़ावे के लिये, तो उनमें अपने जो औषधालय हैं, यह बहुत ही पुराने हो गये हैं और वहां पर डाक्टरों की भी थोड़ी कमी है, तो माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि मंत्री जी प्रत्येक जितने भी औषधालय हैं, इनको थोड़ा किसानों को जो इनका एक सहायक धन्धा जो पशु बने हैं उनके इलाज का समुचित और दवाइयों का थोड़ा और अच्छा हो जाये, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है.

जहां तक पेय जल योजना की बात है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने इसमें बड़ा काम किया है, हमारा मालवा तो चूंकि जल अभाव और उसका जल स्तर इतना नीचे चला गया है तो उसके लिये नर्मदा लिंक परियोजना क्षिप्रा से जुड़ी है ऐसी गंभीर नदी में भी काम शुरू होने वाला है. अब कालीसिंध और पार्वती जो मालवा की हैं 4 नदी महत्वपूर्ण नदी हैं, यह गांव-गांव तक पानी और खेत तक भी पानी पहुंचाने का काम चूंकि सरकार ने किया है, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुकरणीय प्रयास है और माल्वा चूंकि जहां कहावत है कि "पग-पग रोटी और डग-डग नीर" अब

वहां आज 600 फिट गहरा पानी चला गया है, तो पानी गांव में मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि नलों के माध्यम से प्रत्येक घर तक पानी पहुंचे, यह 5 वर्ष में सरकार का बहुत बड़ा लक्ष्य है, मैं उनको बहुत हृदय से और सरकार को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को साधुवाद देता हूं और मैं खास तौर से मेरे जिले में जो पी.एच.ई. का काम है, इसमें 2 ग्राम उदाहरण के लिये मैं बताना चाहता हूं कि आज भी फ्लोराइड का विषय जो आया था, तो मेरे यहां भी एक अय्यापुर ग्राम है, जहां पर अभी भी ऐसा पानी फ्लोराइड का है कि उनको हम अच्छा पानी नहीं दे पा रहे हैं. ऐसे ही एक खेड़ावद ग्राम है, वहां भी 4 किलोमीटर के पूरे क्षेत्र में ऐसा पानी है, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दें, यानि उनको अच्छा पानी मिले, वहां की योजनायें स्वीकृत हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा है और जितनी पेय जल की योजनायें मेरे जिले में हैं, उनमें कहीं टंकी बनी है, तो पाइप लाइन की थोड़ी कमी है, जहां पर टंकी बन गई, वहां लाइन नहीं है और जहां यह दोनों काम हो गये हैं, वहां स्त्रोत का काम पानी का जो है, इसका अभाव है, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय से मैं यह अनुरोध करूंगा कि इस पेय जल योजना को जो अधूरी हैं, इन्हें पूरी कराने में माननीय मंत्री जी का ध्यान चाहूंगा और इसी प्रकार से हमारा जो विधि विभाग का है, चूंकि शुजालपुर एक बड़ा न्यायालय परिसर है, पर वहां पर भवन नहीं है और तहसील के परिसर में ही न्यायालय परिसर लगता है, इसलिये उसकी भूमि भी आबंटन शासन ने की है और भवन भी स्वीकृत हुआ है लेकिन काम शुरू नहीं हो पा रहा है, तो वह काम वहां पर शीघ्र शुरू हो जाये, वहां पर काफी मात्रा में लोगों ने उस भूमि पर अतिक्रमण किया है, तो यह विधि विभाग का जो न्यायालयीन परिसर है, इसका निर्माण हो, आवास का निर्माण हो, यह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं, आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री सुखेन्द्र सिंह (मऊगंज)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 20 पर मैं बोलना चाहता हूं और सीधे मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात इस सदन के माध्यम से करना चाहूंगा. मैं समझता हूं कि जितनी भी मांग संख्यायें हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जो जल ही जीवन पर आधारित जल कितना महत्वपूर्ण है, आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बताना चाहूंगा शायद आप मेरे विधान सभा का स्ट्रक्चर जानते हैं, उधर सीधी जिले की हाइट और इधर उत्तरप्रदेश का बार्डर, कम से कम 2-2 हजार फुट की ऊंचाई होने के कारण पेय जल का कितना बड़ा संकट रहता है और यही तर्क दिया जाता है कि बाणसागर का पानी हमारे विधान सभा क्षेत्र को नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग दोनों तरफ से भुगत रहे हैं. पेय जल नहीं मिल पाता, बजट की बात हमने कही कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में पेय जल के लिये दुगुना बजट दिया जाये, जितने हैंड पंप और विधान सभाओं के लिये दिये जाते हैं, उससे दुगुना कम से कम मेरे यहां ज्यादा हैंड पंप दिये जायें, क्योंकि ज्यादा हाइट है, तो कहा जाता है कि नहीं, उतना ही बजट मिलेगा. नल जल योजनायें संचालित है, लेकिन उसमें बिजली के अभाव में नल जल योजनायें नहीं चल पा रही हैं, तो मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी भी बैठे हैं, उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमारे क्षेत्र के लिये नल जल योजनाओं के लिये बिजली जरूर उपलब्ध करायें, जिससे नल जल योजनायें संचालित हो सकें. हैंड पंपों में जो पाइप लगे हुए हैं, वह लोहे के पाइप लगे हुए हैं और वह जल्दी खराब हो जाते हैं. एक समय था जब प्लास्टिक के पाइप भी उस समय आये थे, जो अभी भी कुछ हैंड पंपों में चल रहे हैं, तो मेरा यह सुझाव है कि अगर वह प्लास्टिक के पाइप उसमें संचालित कराये जायें, तो शायद हैंड पंपों में ज्यादा दिन तक चल सकते हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जैसा हमने कहा कि मेरे क्षेत्र में दुगुना बजट दिया जाये हैंडपंपों के लिये तब जाकर हमारे क्षेत्र में पेय जल की समस्या का समाधान हो सकता है. मैं एक मांग पर और बोलना चाहता हूं मांग संख्या 29 हमारे यहां न्यायालय संचालित होने जा रही है, लेकिन न्यायालय में मजिस्ट्रेट क्वार्टर्स न होने के

कारण वहां पर न्यायालय संचालित नहीं हो पा रही है, अत: आपके माध्यम से अनुरोध है कि जब न्यायालय का भवन बन गया है, तो न्यायालय में मजिस्ट्रेट निवास भी अगर दे दिया जाये, तो हमारे यहां न्यायालय हो सकती है, यही मेरी आपसे गुजारिश है, धन्यवाद, जयहिन्द.

श्री के.के. श्रीवास्तव (टीकमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 14,16, 20,29, 50 और 56 का निश्चित रूप से समर्थन करता हूं और जो कटौती प्रस्ताव है उसका विरोध करता हूं. माननीय उपाध्यक्ष जी, मध्यप्रदेश के अंदर पशु पालन के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई है और सबसे ज्यादा जो क्रांति अगर हुई है, सबसे ज्यादा जो हमने अच्छा परफार्मेंस दिखाया है, वह दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में. राष्ट्र की साढ़े 3 परसेंट वृद्धि दर रही है, तो एक तरफ मध्यप्रदेश में 8.45 और फिर 8.61 और जो लक्ष्य लिया है, माननीय मंत्री महोदय जी ने वह 9 परसेंट मुझे लगता है कि बिना श्वेत क्रांति के उस समय द्वापर युग में भी देश के अंदर भगवान श्रीकृष्ण जानते थे कि देश की अर्थव्यवस्था को अगर हमें ठीक रखना है, तो गौ पालन पशु पालन बहुत जरूरी है और उस दिशा में निश्चित रूप से बहुत अच्छा परफार्मेंस देश में दूध की नदियां बही हैं, इसलिये पशु पालन को और ज्यादा बढ़ावा देने की आवश्यकता है. आज कई औषधालय पशु औषधालयों का उन्नयन हुआ है, कई अच्छी नस्लों के सांड और पाड़ा मध्यप्रदेश के अंदर आ रहे हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी इसमें और भी आवश्यकता है. जैसे गौ पालन की दिशा में गौ सेवकों की जो भूमिका गांव में माननीय मंत्री जी ने पशु पालन विभाग ने माननीय उपाध्यक्ष जी की है, इससे बेरोजगारों को निश्चित रूप से रोजगार मिला है और पशु धन को कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाते थे, वह भी कहीं न कहीं प्राप्त हुआ है. आज चलित पशु चिकित्सा इकाईयां गांव-गांव में चल रही हैं, यह भी एक बहुत अच्छा एक काम मध्यप्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है. कुक्कुट पालन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम हुआ है लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि अभी कुछ कमियां पूरे मध्यप्रदेश के साथ-साथ मेरे अपने टीकमगढ़ जिले में भी कहीं कमी रह गई है. अभी पशु पालन के क्षेत्र में

किसानों में जो जागरूकता होनी चाहिये, वह जागरूकता माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी उतनी जाग्रति के साथ किसान पशु पालन का काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिये आवश्यकता है कि हमारे टीकमगढ़ जिले में एक पशु प्रजनन परिक्षेत्र है मिनौरा, कुंडेश्वर के पास, सवा 700 एकड़ जमीन है पास में एक नदी है , वहां पर 40-50 जानवर मात्र पशु प्रजनन प्रक्षेत्र में है. पहले, पुराने समय से वह लोगों का चारागाह बनता रहा है. अब उसमें सुधार करने की आवश्यकता है. मैं पशुपालन मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि सवा सात एकड़ में वहां जो पशु प्रजनन प्रक्षेत्र के रुप में है, वहां पर एक वेटनरी कालेज खोलते हुए वहां पर पशुपालन के क्षेत्र में किसानों को कैसे प्रशिक्षित किया जाय, ताकि उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण काम हो सके. मैं यह मांग भी मंत्री जी से करना चाहता हूं. 1995 तक मिनोरा में जो प्रक्षेत्र है, उसमें हरियाणा जर्सी क्रॉस पशुधन रहा है, जिससे दुग्ध उत्पादन बहुत अच्छी मात्रा में हुआ करता था. लेकिन बाद में वह हरियाणा जर्सी का जो क्रॉस बीज था, जो संकर जर्सी गाय थी, उसको वहां से हटा दिया गया है और अब वह कहीं न कहीं केवल हरियाणा गाय वहां है, इससे वहां दुग्ध उत्पादन में भी कमी है. उसका दुग्ध उत्पादन कम है और उसके बछड़ी की खेती, अब खेती कोई हल बेल या बक्खर से तो करता नहीं. अब ट्रेक्टरों का युग है. आधुनिक मशीन और तकनीक का युग है. इसलिये अब केवल दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति की दिशा में अगर काम करना है, तो मुझे लगता है कि फिर से वह हरियाणा जर्सी क्रॉस नस्ल को न केवल उस प्रक्षेत्र में बल्कि पूरे मध्यप्रदेश में उसको लागू किया जायेगा, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हम श्वेत क्रांति की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय -- एक मिनट में समाप्त करें और विभाग तो बदलें.

श्री के.के.श्रीवास्तव -- उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय को यहीं छोड़ देता हूं, बाकी में उनको लिखकर दे दूंगा. मुझे महत्वपूर्ण बात उद्यानिकी के बारे में कहनी है कि आज बुंदेलखण्ड जो क्षेत्र है, पानी की दृष्टि से बुंदेलखण्ड पहले भी पीड़ित रहा है. वहां पर पानी की

समस्या बनी रहती है, तो मुझे यह लगता है कि बड़ी कृपा है कि बुंदेलखण्ड में ही हमारे ऐसे कुछ उद्यानिकी के क्षेत्र में काफी काम करने की दिशा में मंत्री जी ने काम लिया है. मेरा एक निवेदन है कि मेगा एग्रो सर्विस मॉल अगर पूरे मध्यप्रदेश में यह पीपीपी मॉडल के तहत ज्वाइंट वेंचर करके निजी भागीदारी बढ़ाने की बात एक तरफ हम कर रहे हैं तो निजी भागीदारी अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो उसमें कुछ भाग मध्यप्रदेश के लोग पूंजी निवेश करने वाले योग्य जो कुशल प्रशिक्षक और एग्रीकल्चर, उद्यानिकी, हर्टीकल्चर के क्षेत्र में जो जानकार हैं वह और साथ में सरकारी प्रशासन यह दोनों मशीनरी मिलकर के एक मेगा एग्रो सर्विस मॉल जिला मुख्यालय पर अगर इसको खड़ा करेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें 6 पाइंट दे सकते हैं. इसमें ही हम पॉली हाउस फार्मिंग देंगे, किसान को प्रशिक्षण केंद्र देंगे, खाद,बीज,दवाइयां और मशीनरी की व्यवस्था करेंगे. किसानों के सामने सब्जी उत्पादन की चिंता नहीं है. सब्जी उत्पादन कर सकता है, वह बाग बगीचा लगा सकता है. आम,अमरुद, अनार लगा सकता है. लेकिन उसको चिंता है, तो अच्छे मार्केट की. मार्केट यदि उपलब्ध नहीं है तो किसान बेचारा परेशान हो जाता है और परंपरागत ढंग से वही घिसी पिटी पुरानी जो गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा , मक्का, सोयाबीन इसकी फसल करने लगता है . तो उसको मार्केट की चिंता है. इसलिये हम प्रत्येक जिले में अगर यह पीपीपी मॉडल पर मेगा एग्रो सर्विस मॉल देंगे, तो मुझे लगता है कि वहीं हम खाद आदि देंगे और वहां पर हम क्वालिटी कंट्रोल लेब भी करेंगे और इमपोर्ट एक्सपोर्ट का काम उसी एक केम्पस में ही वहां पर एक केन्द्र बनाकर करेंगे. तो मेरा कहना है कि इसका पूरे डीटेल में प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया है. मेरा यह खुद का बड़ा रुचि का विषय है. मैं स्वयं बाग बगीचा लगाकर इस क्षेत्र में काम करता हूं.

उपाध्यक्ष महोदय -- यह प्रस्ताव आप मंत्री जी को मिलकर दे दें.

श्री के.के.श्रीवास्तव -- उपाध्यक्ष महोदय, जी. इसको जरुर लागू किया जाय और इसमें बहुत बड़ी लागत नहीं है. एक जिले में 6 करोड़ की लागत से एक मॉडल तैयार किया जा

सकता है. जिसमें 3 करोड़ की लागत हम पूंजी निवेश के माध्यम से, आम जनता से जन भागदीदारी के माध्यम से इकट्ठा कर सकते हैं और 3 करोड़ शासन हमें दें. 6 एकड़ की जमीन हमें आवंटित करे. एक बहुत बड़े स्तर पर मध्यप्रदेश में, अगर पूरे मध्यप्रदेश में नहीं कर सकते तो कम से कम बुंदेलखण्ड के 5-6 जिलों में इसको पायलेट प्रोजेक्ट के रुप में शामिल कर लिया जाना चाहिये. पीएचई के बारे में कहना चाहता हूं. पीएचई में बहुत अच्छा काम हुआ है. भूजल स्तर बहुत कम है. उसके बावजूद भी हमारे यहां जो 119 बसाहटों में हैंडपंप , नलकूप खनन के काम हुए हैं. उसमें 272 स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था की गयी है. 21 नल जल योजनाएं पूर्ण करके पेयजल की व्यवस्था की गयी है. मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे यहां धसान नदी पर बांध सुजारा परियोजना 900 करोड़ रुपये की संचालित होरही है. इसका काम प्रारंभ हो गया है. जैसे समूह नल जल योजना 100 गांव, 200 गांव ऐसे जोड़कर के जगह जगह जहां पानी की अत्यन्त उपलब्धता है, ऐसे ही बांध सुजारा परियोजना के आस पास ग्रामीण अंचल के लगभग ढाई सौ, तीन सौ गांव हैं. वहं का आप परीक्षण करायें. अपने अधिकारियों को भेज करके सौ,ढेढ़ सौ, दो सौ गांव की एक समूह नल जल योजना एक ही बांध सुजारा परियोजना पर संचालित हो सकती है. उसका परीक्षण कराकर वहां के गांव की प्यासी धरती को, लोगों को पानी देने का काम करें. बड़ी अच्छी बात है कि जीजी पन्ना से आई हैं. जहां पन्ना दो तीन मामलों में बड़ा प्रसिद्ध है. पन्ना का हीरा, पन्ना में टाइगर और पन्ना में छत्रसाल. जित जित छत्ता मुख करे तित तित फतह हो. ऐसे वहां से हमारी जिजी आई हैं.

उपाध्यक्ष महोदय -- कृपया समाप्त करें.

श्री के.के.श्रीवास्तव -- उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसके स्थाई समाधान के लिये नल जल योजना बनाई जाय. आपने समय दिया, यद्यपि और भी कुछ बातें मेरे मन में रह गयी थीं. मैं जिजी को दे दूंगा. बहुत बहुत आभार.

उपाध्यक्ष महोदय -- जो प्रस्ताव लिखित हैं, वह दे दीजियेगा.

श्री दिनेश राय (सिवनी) -- उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 14,16,20,,29,50 एवं 56 का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव की निन्दा करता हूं.

उपाध्यक्ष महोदय -- दिनेश जी, एक मिनिट. माननीय सदस्यों के लिये स्वल्पहार की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गयी है, माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सुविधानुसार स्वल्पहार ग्रहण करने का कष्ट करें.

श्री सत्यदेव कटारे -- उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि स्ववल्पहार की आवश्यकता नहीं है. मंत्री जी का उत्तर करवा दीजिये, जिससे 15 मिनट में हो जाय. पांच बजे के बाद हम बैठेंगे नहीं.

उपाध्यक्ष महोदय -- उसकी व्यवस्था है और इस विभाग की चर्चा तक के लिये बैठ जाइये. दूसरा विभाग नहीं लिया जायेगा.

श्री सत्यदेव कटारे -- उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का उत्तर करवा दीजिये. 15 मिनट में हो जायेगा.

उपाध्यक्ष महोदय -- अब आप ही के सब सदस्य आप ही से नाराज होंगे.

श्री सत्यदेव कटारे -- उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यों की राय ले ली है, उसी के बाद बोल रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय -- नेता प्रतिपक्ष जी, आपके और सदस्य क्या बोलना नहीं चाहते हैं.

श्री सत्यदेव कटारे -- उपाध्यक्ष महोदय, कुछ सदस्य बोलना चाहते हैं, उनको बुलवा दें. फिर मंत्री जी का उत्तर कल करवा दें. कल सवेरे सवेरे के टाइम में अच्छा रहेगा, मंत्री जी का उत्तर सुनने में.

उपाध्यक्ष महोदय -- मेरा यह अनुरोध है कि आज सिर्फ यह विभाग ले लेते हैं. दूसरे विभागों को कल ले लेंगे, लेकिन आज इसको समाप्त करेंगे.

श्री सत्यदेव कटारे -- उपाध्यक्ष महोदय, जिस पर चर्चा चल रही हैं इसी विभाग पर पूरी चर्चा ले रहे हैं. उद्योग विभाग कल ले लेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय -- जी हां, इस विभाग पर.

श्री सत्यदेव कटारे -- उपाध्यक्ष महोदय, जी, ठीक है.

श्री दिनेश राय -- उपाध्यक्ष महोदय, मैं मछली पालन के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं. जो स्पॉन उपलब्ध कराया जाता है, वह किस किस्म का है, जैसे हमारे कृषि मंत्री जी द्वारा जब भी गेहूं सोयबीन चना की फसल ली जाती है, उसको प्रमाणीकरण कर कर दिया जाता है. इसी प्रकार इन स्पॉनों का मछली विभाग द्वारा प्रमाणीकर करके दिया जाय, क्योंकि जब हम तालाब में उस बीज को डालते हैं. जब वह बड़ा होता है, तब पता चलता है कि हम लोग ठगे गये हैं कि किस किस्म का बीज दिया गया है. अतः निवेदन है कि उन बीजों को प्रमाणीकरण करके दिया जाय. मैं उद्यानिकी विभाग के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि पॉली हाउस योजना के लिये जो प्रावधान रखा है. यह वास्तव में बधाई के पात्र हैं, किन्तु मेरे जिले में 6 पॉली हाउस खोले गये हैं, किन्तु 6 पॉली हाउस दो साल हो रहे हैं, उनका जो गोविन्द ग्रीन हाउस के द्वारा इसका निर्माण किया गया है. खुद उस विभाग के संचालक के पुत्र उसमें एजेंट है. नितिन सिंह. उन्होंने इतना बड़ा घपला किया है. आज किसानों ने जेब से 10 लाख 20 लाख रुपये देकर उसमें जमा किया है. ऐसा न हो कि यह पॉली हाउस ही ऐसे ही भेंट चढ़ जाय और विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के लिये एक राशन दुकान बन जाय. अतः निवेदन है कि उसमें पारदर्शिता रखें, उसमें ऐसा काम हो, मेरे क्षेत्र के लोगों को न्याय मिल सके. आज भी दो साल से वह पॉली हाउस ज्यों के त्यों डले हैं. सबसिडी भी उनको नहीं मिली और लोन भी उनके

ऊपर चढ़ गया है. अतः मेरा निवेदन है कि इन पर अवश्य ध्यान दिया जाय. मैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पर बोलना चाहता हूं..

उपाध्यक्ष महोदय -- आप सुझाव दें.

श्री दिनेश राय -- मैं सुझाव दूंगा, लिस्ट नहीं दूंगा. इसलिये लिस्ट नहीं दूंगा, क्योंकि एक बार आपने लिस्ट दिलायी थी, लेकिन प्रोसीडिंग में मेरी लिखी नहीं गयी. और मंत्री जी को देने के लिये कहते हैं, देते हैं, तो काम होता नहीं है. तो यही एक माध्यम है, जहां हम बोल सकते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय -- होगा, बिलकुल होगा. आप यहां भी दीजिये, वहां भी दीजिये. आप अपने भाषण का जो बचा हुआ है, यहां पर दे दीजिये, कार्यवाही में आ जायेगा.

श्री दिनेश राय -- उपाध्यक्ष महोदय, हमारा सिवनी विधान सभा क्षेत्र है, अभी रजनीश जी ने भी बताया कि छपारा ब्लाक की बात कर रहे थे, इनकी 22 पंचायत हैं, मेरी 34 पंचायत हैं उस छपारा में. हमारे ऐसे सैकड़ों गांव हैं, जहां हम बारबार निवेदन करते हैं कि इन गांव में पानी की व्यवस्था करिये. उपाध्यक्ष महोदय, जो पीएचई विभाग है वह बिल्कुल राज्य परिवहन विभाग का डब्बा टाईप का उसका काम है. खटारा बस,चलना ही नहीं है सुनना ही नहीं है, इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियो में आपस में तालमेल ही नहीं है तो काम किस प्रकार का होगा. आप अंदाज लगा सकते हैं, लोग परेशान है. मजरे-टोलों में आज तक नल जल योजना चालू नहीं कर पा रहे हैं. हैंडपंप नहीं चल पा रहे हैं, वहां पर 400-500 फुट गहराई में पानी है और 300 फुट में ड्रिल करके मशीन लेकर के भाग जाते हैं, क्या मतलब है सरकार के पैसा का दुरूपयोग करने का, वहां पर दो साल से मैं कह रहा हूं कि कुंओं के लिये टेण्डर निकालिये ,लेकिन टेण्डर नहीं निकाल रहे हैं. मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कुओं का खनन किया जाये. सामूहिक योजना को शीघ्र ही प्रारंभ करने के लिये मंत्री जी से निवेदन करता हूं. फ्लोराइड वाला जो क्षेत्र उसके बारे में मैंने विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा की थी कि वहां पर फिल्टर लगाने का

प्रावधान है उसको प्रस्ताव में लेकर के फिल्टर लगा दें, मैं चाहता हूं कि भीमगढ़ योजनाओं से इनको जोड़ते हुये हमारे क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था करें. अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे गांव में पीने के लिये पानी नहीं मिल रहा है लेकिन गांव में शराब जरूर मिल रही है . ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर कि शराब न मिलती हो, कम से कम शराब बंद करवाकर के घर घर पीने का पानी दिलवाईये. उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय-- कृपया 2 मिनिट में अपनी बात को समाप्त करेंगे और सुझाव अपने क्षेत्र के संबंध में दीजिये. समय का अभाव है.

श्री बलवीर सिंह दंडोतिया(दिमनी)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 14, 16, 20, 29, 50 और 56 का विरोध करता हूं और कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं. उपाध्यक्ष महोदय , मुख्यमंत्री जी की योजना में है कि 100 व्यक्ति पर एक हैंडपंप और 40 घरों पर नल योजना लागू की जायेगी. मेरा विधानसभा क्षेत्र दिमनी चंबल से लगा हुआ है, वहां पर पानी की सबसे बड़ी समस्या है. हमारे क्षेत्र में जो झगड़े होते हैं 50 प्रतिशत झगड़े पानी को लेकर के होते हैं. मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में नल जल योजनायें प्रारंभ की जायें. क्योंकि हैंड पंप अगर आप लगा भी देंगे तो भी पानी की पूर्ति उससे संभव नहीं है. नल जल योजना वहां पर स्वीकृत की जाये. मेरे विधानसभा क्षेत्र में चंवल नदी से पानी लाया जाता है. गांव के लोग टेक्टर आदि में ड्रम रखकर के चंबल नदी से पानी लेकर के आते हैं . कड़ी कठिनाई होती है. वैसे तो पूरे मुरैना जिले में पानी की समस्या है परंतु मैं समय के अभाव में अपने विधानसभा क्षेत्र दिमनी तक ही सीमित रहकर के अपनी बात कह रहा हूं. दिमनी में एक समिति गई थी एक पत्रकार भी वहां पर गये थे वहां पर छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग सर पर पानी भरकर के लाते हैं. आये दिन अखबारों में यह खबरें निकलती रहती हैं . लेकिन शासन इस गंभीर समस्या की और ध्यान नहीं दे रहा है. इसलिये मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे जिले और क्षेत्र में पानी

की समस्या का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करें. पीएचई विभाग के द्वारा मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो हैंड पंप लगाये गये हैं उनसे पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है इसलिये क्वांरी नदी से पानी की सप्लाई की जाये या चंबल नदी से मुरैना जिले और मेरे विधनसभा क्षेत्र में पानी की सल्पाई के लिये योजना बनाई जाकर के उससे पानी की सप्लाई की जाये. 40 घरों में नल जल योजना लागू की जायेगी तभी पानी की समस्या से मुक्ति मिलेगी.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पशुपालन विभाग के बारे में कहना चाहूंगा कि आज गाय की क्या स्थिति हो रही है किसी से छिपा हुआ नहीं है. सबको पता है गाय का दूध गाढ़ा हुआ और लोग गाय को छोड़ देते है, गाय की भयंकर दुर्दशा हो रही है, शासन सिर्फ गाय के लिये थोथी घोषणायें ही करता है, घोषणाओं का पालन नहीं हो रहा है. मेरा निवेदन है कि भारत में गाय से उपयोगी कोई पशु नहीं है . गाय की समस्या देखना हो तो चाहे शहर में देख लें या गांव में देख लें , कैसी दुर्दशा हो रही है. यदि कोई गाय दूध नहीं देती है और लोग उसको छोड़ देते हैं तो उसके लिये एक कड़ा कानून बनाया जाना चाहिये उनको दंडित किया जाना चाहिये. उपाध्यक्ष जी समय का अभाव है मैं और भी बातें कहना चाहता था लेकिन आपका आदेश नहीं है इसलिये अपनी बात को समाप्त करता हूं. आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया उसके लिये धन्यवाद.

श्री प्रताप सिंह (जबेरा)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय सीमा का ध्यान रखते हुये अपने क्षेत्र तक ही सीमित रखने का प्रयास करूंगा. उपाध्यक्ष जी बुंदेलखंड के जो 7 जिले हैं उन्हीं में से एक हमारा दमोह जिला भी है और उसी में जबेरा विकासखंड है. जबेरा विकासखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है जो महाकोशल क्षेत्र से लगा हुआ है उसमें यदि 500 फिट गहरे भी हम लोगों ने बोर कराये लेकिन पानी नहीं निकला. हर गांव में बोर फेल हो गये. वहां पर नल जल योजना जो पहले से चालू है, वे नल जल योजना भी प्रारंभ नहीं हो सकी हैं. मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना

चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र की 102 नल जल योजनायें हैं उसमें से 35 मुख्यमंत्री नल जल योजना है बाकी बुंदेलखंड पैकेज की जो कि दो वर्ष में पूर्ण हुई है. लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसमें से 80 प्रतिशत नल जल योजनायें बंद क्यों पड़ी हुई हैं. पानी की भयंकर समस्या को देखते हुये हम लोगों ने मांग की कि 1000 या 500 फिट के बोर उस एरिया में करवाये जायें तो उसके लिये सागर संभाग में मात्र एक ही मशीन है, जो कि दमोह जिले के उपयोग के लिये इस वर्ष उपलब्ध नहीं हो पाई, वहां पर भी बोर नहीं हो पाये. पानी की भीषण समस्या हमारे क्षेत्र में है, लोग परिवहन से पानी लाते हैं. आदमी को 3-3 किलोमीटर दूर पीने के पानी के लिये जाना पड़ता है. मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि दमोह जिले के लिये एक पृथक से जबेरा विधानसभा के लिये जो 500 फीट से ज्यादा गहरा बोर करती है वह मशीन दिलाने की घोषणा मंत्री जी करें.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मांग संख्या 29 के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जबेरा में सिविल कोर्ट का प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है. वहां पर बहुत केस आ रहे हैं तभी सिविल कोर्ट का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो पा रहा है. मंत्री जी जबेरा में इसी वित्तीय वर्ष में सिविल कोर्ट खोलने की घोषणा करेंगी. उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात को रखने का अवसर प्रदान किया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय-- शंकर लाल तिवारी जी 5 मिनिट में अपनी बात रखें.

श्री जसवंत सिंह हाडा-- उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति है, सबको आपने 3 मिनिट का समय दिया और तिवारी जी को 5 मिनिट का समय दे रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय-- ठीक है तिवारी जी 3 मिनिट में अपनी बात रखें.

श्री शंकर लाल तिवारी (सतना) -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ईश्वर हमारे साथ है. मैं कह रहा था जलने वाले जला करें उपाध्यक्ष जी मेरे साथ में हैं.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या14, 16, 20, 29, 50 और 56 का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं. उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालन विभाग सच में प्रदेश के तमाम किसान और बेरोजगार नो जवान किसान जो गांव में हैं उनके लिये आर्थिक उन्नति और रोजगार की दृष्टि से पशुपालन विभाग रीढ़ की हड्डी है. किसानी जो निरंतर घाटे में गई उसका कारण यही रहा कि उससे संबंधित जो कार्य थे, जो जुडे हुये थे एक दूसरे पर निर्भर थे वो जब कम हुआ तो उसका नतीजा यह हुआ कि आज हम एक अलग से जैविक खेती की बात कर रहे हैं. आज हम कह रहे हैं कि हमारी जमीनें पथरा गई हैं. नतीजा यह है कि गांव के गांव में पशु घट गये . उनकी संख्या घट गई, गोबर घट गया. जबकि कहावत थी कि - -

गो धन , गज धन , बाज धन और रतन धन खान।

जब आवै संतोष धन , सब धन धूरि समान।

उपाध्यक्ष महोदय, सब धनों में एक धन था गोधन. और गो धन से कृषि का भी संवरण होता था गो धन से जीवन का खाद्यान सुरक्षा भी इससे उपलब्ध होती थी, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश की पशुपालन मंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूं कि इस विभाग को उन्होंने जिस ढंग से पिछले 10 वर्षों मे बजट देकर के और विशेष कर गो पालन के मामले में, नस्ल सुधार करके , और अनेक प्रकार के चिकित्सकीय प्रबंध करके 89 आदिवासी ब्लाक में अभी खंडेलवाल जी बोल रहे थे उन्होंने बताया कि आदिवासी क्षेत्र के 89 ब्लाकों में चलित पशु चिकित्सा इकाई है. 80 प्रतिशत लोग पशुपालन से प्रदेश के अंदर गांव में जुड़े हुये हैं.

उपाध्यक्ष महोदय-- आदरणीय तिवारी जी, आज बोलने वाले बहुत हैं, समय कम है आप क्षेत्र की मांग तक सीमित हो जायें. वैसे तो आपका भाषण बड़ा ही दार्शनिक होता है इसको आज थोड़ा सा कम कर दीजिये.

श्री शंकरलाल तिवारी-- उपाध्यक्ष महोदय, पशु चिकित्सा का कवरेज पिछले वर्षों में बढ़ा है. पिछले समय में यह 48 प्रतिशत था और अभी 57 प्रतिशत से अधिक हुआ है. मैं बताना चाहता हूं कि 2014-15 के बजट में कुल 75 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालयों के रुप में उन्नयन किया जायेगा.

उपाध्यक्ष महोदय-- सतना जिले में कितने होंगे?

श्री शंकरलाल तिवारी-- उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल इस विभाग ने प्रदेश में 10 पॉली क्लिनिक खोले थे. हमारा सौभाग्य था. मुख्यमंत्रीजी की और मंत्रीजी की कृपा थी और आपने स्वयं सतना का पशु चिकित्सालय देखा था. वह आजादी के पहले का बना था. मैं आज आपको बताना चाहता हूं आपका वहां भ्रमण अभी हुआ या नहीं, उस पॉली क्लिनिक के अंदर जब उस पशु चिकित्सालय को लिया गया तो उसके कारण आज वहां एक्स-रे मशीन है. वहां आपरेशन टेबल है. वहां पशुओं के लिए पेथालॉजी भी है. वहां 10 पॉली क्लिनिक खोले गये थे. जिला पशु चिकित्सालयों को पॉली क्लिनिक में परिवर्तित किया गया था. भविष्य में सरकार की पॉली क्लिनिक खोलने की योजना है.

उपाध्यक्ष महोदय, 36 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना भी की जाना है. 10 जिलों में रोग के निदान की दृष्टि से रोग अन्वेषण प्रयोगशाला खोली गई हैं. मैं, मंत्रीजी से उम्मीद करुंगा कि रोग अन्वेषण की स्थापना सतना में करने की कृपा करेंगी.

उपाध्यक्ष महोदय, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बढ़िया काम किया गया है विशेषकर देसी गायों के लिए गो-पालक पुरस्कार योजना जिसकी चर्चा अभी यहां पर नहीं आयी, वह इस विभाग ने प्रारंभ की है. मैं सतना में स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल रहा हूं. वर्ष 2013-14 में 1435 पशु पालकों को लाभान्वित किया गया है. वर्ष 2014-15 में 1459 पशु पालकों को लाभान्वित करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है.

उपाध्यक्ष महोदय-- आप कृपया एक मिनट में समाप्त करें.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पीएचई के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं.

श्री जसवंत सिंह हाड़ा-- उपाध्यक्षजी, श्री तिवारी जी ने मछली पालन के संबंध में बहुत तैयारी की है.

उपाध्यक्ष महोदय-- पीएचई छोड़कर मछली की चर्चा कर लें.

श्री शंकरलाल तिवारी-- उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो नल-जल योजना प्रारंभ की है वह सच में अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है. पिछले दिनों मेरी इस संबंध में मंत्रीजी से चर्चा हुई थी. मैं, निष्कपट भाव से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जब हमने नल-जल योजनाएं मांगी, हमको मिली. मेरी विधानसभा में बहुत कम ग्रामीण अंचल है. केवल 25 पंचायतें हैं. उसमें 6-7 नल-जल योजनाएं मुझे मिलीं लेकिन आज की स्थिति में एक भी चालू नहीं है. पाईप बिछाये गये. बोर में जोड़ा गया. महीने-पन्द्रह दिन वह चली उसके बाद वह बंद हो गई. मेरा इस संबंध में कहना है कि सरपंच के भरोसे यह काम संभव नहीं है. बहुत महत्वाकांक्षी योजना है. कम राशि में पूरे गांव को पानी मिलना है. बिजली का बिल जमा करने की बात तो आपने कही है लेकिन इसके संधारण की बात यदि आपका विभाग 2-4 वर्ष करे फिर आगे सरपंच के पास कोई टेक्निकल हैंड आ जाये, सरपंच के पास कोई बजट हो तो दे सकते हैं. अभी जरा सा पाईप फूट जाता है तो पूरे गांव की पेयजल योजना बंद हो जाती है.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं. शहरों की पेयजल व्यवस्था पिछली सरकार ने नगर पालिका और नगर निगमों को दे दी थी. नगर पालिका और नगर निगमों में इस तरह का कोई अमला नहीं है जो इन पेयजल योजनाओं को संचालित कर सके. इतना ही नहीं, प्रदेश में वर्तमान में 3708 करोड़ रुपये की लागत से 171 नल-जल योजनाएं निर्माणाधीन हैं लेकिन इसमें पीएचई का कोई नियंत्रण न होने के कारण न तो नल-जल योजना चल पा रही हैं और न शहरी

नल-जल योजना चल पा रही हैं. स्थिति यह है कि कई शहरों में जहां नगर निगम है, पीएचई के कर्मचारी नगर निगम में दे दिये गये हैं. उनकी सेवाओं और काम की दृष्टि से आये दिन उनमें नोंक झोंक होती रहती है. जिससे शहर की पेयजल व्यवस्था गड़बड़ रहती है. मेरी सरकार से विनती है कि शहरी पेयजल व्यवस्था का जो भी संधारण-संचालन है, नल-जल योजना के साथ-साथ पुनः विचार किया जाये और जितनी शहरी पेयजल योजना और यह जल आवर्धन योजनाएं निर्माणाधीन हैं इसकी देखरेख विभाग के माध्यम से करायी जाये अन्यथा यह योजनाएं पिछड़ रही हैं. धन्यवाद.

श्री गोवर्धन उपाध्याय(सिरोंज)-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं पीएचई पर ही बोलूंगा. सबसे पहले मैं वित्त मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जिनने मध्यप्रदेश में दो पॉलीटेक्निक कॉलेज खोले जिसमें एक पॉलीटेक्निक कॉलेज लटेरी जो मेरी विधानसभा क्षेत्र में है.

उपाध्यक्ष महोदय,मेरी विधानसभा क्षेत्र में नगर पालिका और एक नगर पंचायत आती है. सिरोंज में नगर पालिका और लटेरी में नगर पंचायत है. नगर पंचायत लटेरी में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा केन्द्रीय मुफ्त जल आवर्धन योजना अंतर्गत 12 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे. यह राशि उक्त कार्य हेतु खर्च हो चुकी है. इसके अंतर्गत नगर के वार्डों में पेयजल हेतु पाईप लाईन बिछायी गई है. वॉटर प्लांट एवं वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी कराया गया है. नगर में शेष रहे वार्डों के लिए अतिरिक्त पाईप लाईन बिछाने के लिए...

मंत्री,लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी(सुश्री कुसुम सिंह महदेले)-- उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग में नगरीय क्षेत्र नहीं आता है.

श्री गोवर्धन उपाध्याय-- पंचायत से ही संबंधित है. इस कार्य को पूर्ण कराने हेतु 2 करोड़ रुपये की और आवश्यकता होगी. लटेरी नगर पंचायत क्षेत्र में पानी का बहुत संकट है.लटेरी में लगभग 10 किलोमीटर दूर से आरी डेम से पाईप लाईन डाली गई है. इसी लाईन से बीना रिफायनरी की पाईप लाईन भी क्रास हो रही है. हमारे यहां क्रासिंग की एनओसी अभी तक प्राप्त

नहीं हुई है. इस कारण से काम बंद पड़ा है. अगर एनओसी प्राप्त होती है तो यह योजना जल्दी सफल हो जायेगी.

उपाध्यक्ष महोदय-- पीएचई की एनओसी चाहिए?

श्री गोवर्धन उपाध्याय-- जी हां. सिरोंज नगर एक ऐतिहासिक शहर है. जिसकी आबादी 50 हजार से अधिक है. पेयजल का संकट है. संकट के समय कई जगहों पर बैलगाड़ी,हैंडपंपों और टेंकरों के द्वारा पानी लाया जाता है और शहर में वितरित करते हैं. इस बार पानी की कमी के कारण पूरे नगर को गंदा पानी पीने को मिला है जिससे क्षेत्र में काफी लोग बीमार हुए हैं.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- उपाध्यक्षजी, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम हमारे विभाग में नहीं आते. आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करें.

उपाध्यक्ष महोदय-- नगर पंचायत की नल-जल योजना पीएचई विभाग में नहीं आती है.

श्री गोवर्धन उपाध्याय-- लटेरी नगर पंचायत और सिरोंज नगर पालिका है.

उपाध्यक्ष महोदय-- यह नगरीय विकास विभाग में आयेगी. आप कैलाश विजयवर्गीय जी जो इस विभाग के मंत्री हैं, उनको लिख कर दे दीजिएगा.

श्री गोवर्धन उपाध्याय-- ठीक है. मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूं. मेरे विधानसभा क्षेत्र में नल-जल योजनाओं का कार्य पिछले वर्षों से चल रहा है जिसमें कालादेव, सुनखेर,कोलुआपठार, टोंकरा,बलरामपुर,शहरखेड़ा और ओखलीखेड़ा के कार्य अभी भी कई सालों से अधूरे पड़े हैं. मंत्रीजी से निवेदन है कि इन कार्यों को पूरा करायें.और लाखों का है, चाहे तो आपको उसकी लागत भी बता दूं. दूसरी हमारी योजनाएं गरेंठा, रतनवर्दी, चांदबड़, जावती, रूसिया, रुसल्लीसाहू, उमारसीकलां, झूकर जोगी, मसूड़ी आदि हैं, ये योजनाएं भी अधूरी पड़ी हैं. मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री पेयजल योजना के अंतर्गत वर्ष 2009 में और वर्ष 2010-12 में जो योजनाएं बनाई गईं, उसमें जो योजनाएं अभी बंद पड़ी हुई हैं, कन्सी की

योजना 4 लाख 90 हजार रुपए की थी, वह अपूर्ण है. साकलोन की 4 लाख 82 हजार रुपए की थी, जबकि इन योजनाओं को पूर्ण बताया है, दिनांक 25.4.14 की जानकारी मेरे पास में है. कांसी खेड़ी..

उपाध्यक्ष महोदय - अब आप समाप्त करें.

श्री गोवर्धन उपाध्याय - बरेण्डा, महुआखेड़ा, नेकान, पैकोली, दोरला, पेठाराचांडू, सेमरामेघनाथ, बीजूखेड़ी, परवरिया, कांकरखेड़ी, ये लगभग 12-14 योजनाएं हैं, जिन पर करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, लेकिन एक भी योजना चालू नहीं है. इस तरह माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा.

उपाध्यक्ष महोदय - आप लिखित में भी माननीय मंत्री जी को दे दीजिएगा.

श्री गोवर्धन उपाध्याय - वह मैं दे दूंगा. कृपया इस ओर ध्यान दें. वैसे पेयजल का बहुत संकट है. हमारा सिंरोज तो आज भी पिछड़ा हुआ है. उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय - लारिया जी सहयोग करेंगे, तीन मिनट में समाप्त करेंगे.

इंजी. प्रदीप लारिया (नरयावली) - उपाध्यक्ष महोदय, इतने में तो क्षेत्र की बात ही नहीं आ पाएगी. फिर भी मैं प्रयास करता हूं, मैं दोहराऊंगा नहीं.

उपाध्यक्ष महोदय - एक बड़ी डिक्शनरी होती है, एक छोटी होती है, एक और भी छोटी होती है तो सबसे छोटी वाली का प्रयोग करें.

इंजी. प्रदीप लारिया - उपाध्यक्ष महोदय, एक दो योजनाओं की बात कर, मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा. मैं मांग संख्या 14, 16, 20, 29, 50 और 56 का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं. उपाध्यक्ष महोदय,

"जल से सबको जीवन मिले,

जल से होत सब काज,

कल की चिंता राखिए,

जल बचा लो आज."

हम सब जानते हैं कि जल जीवन की महती आवश्यकता है. बिना जल के जीवन अधूरा है. इसलिए कहा जाता है कि जब कभी भी तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वह जल के लिए होगा. इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, हमारी मंत्री महोदया सुश्री कुसुम महदेले जी के कुशल नेतृत्व में लगातार काम कर रही है.

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2018 तक प्रत्येक परिवार को ग्रामीण बसाहटों में 170 लीटर और शहरी क्षेत्रों में 135 लीटर पानी मिले. वर्ष 2010 में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित हुआ था, यह अलग बात है कि हमारे कांग्रेस के मित्रों ने उस सत्र का बहिष्कार किया. एक प्रकार से वह मंथन हुआ था और 70 बिन्दु उस मंथन से निकले थे. इसमें एक महत्वपूर्ण बिन्दु था, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, अभी इसका जिक्र नहीं हुआ है. यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है. कभी गांव के लोगों ने यह सोचा नहीं था, खास तौर पर जो छोटे गांव हैं, जिनकी आबादी 500 से लेकर 1000 है, ऐसे गांवों में कभी नलजल योजना की कोई कल्पना नहीं करता था, वहां पर घर में लोगों को पानी मिले, इस बात की कोई कल्पना नहीं करता था. मगर यह काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की श्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया है. मंथन वर्ष 2010 में, हम सब जानते हैं कि इस योजना के माध्यम से निश्चित तौर पर प्रत्येक विकास खण्ड में 5-5 योजनाएं स्वीकृत करने का काम किया. विधान सभा क्षेत्र में 5 से 10 योजनाएं स्वीकृत करने का काम किया. आज तक 3600 नलजल योजना इस प्रदेश में मुख्यमंत्री नलजल योजना के रूप में ग्रामीण जनों की प्यास बुझाने का काम कर रही है. मैं माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री नलजल योजना के सफल संचालन के बाद शहरी क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री पेयजल योजना बनाने का काम किया है और इससे शहरी क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा.

इसके लिए 651 करोड़ रूपये का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखा है. एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना ,हम सब जानते हैं जिस तरह से पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है. पहले सागर की बात करें वहां पहले 50-100 फिट पर पानी निकल आता था लेकिन आज 400 और 500 फिट पर भी पानी नहीं निकल रहा है. इस कारण से जो सतही जल है इसका उपयोग करने के लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए समूह जल प्रदाय योजना प्रारंभ की है. मुझे इस बात की खुशी है कि 2018 तक रहने वाले समस्त घरों में पानी पहुंच सके, घर में नल जल कनेक्शन हो सके, इसके लिए जल बोर्ड के माध्यम से समूह नल जल योजना प्रारंभ की है. मैं मंत्री महोदया को और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं . हमारे विधान सभा क्षेत्र की एक समूह नलजल योजना सानोधा , जिले में दो नल जल योजना एक खिमलासा और दूसरा सानोधा. मंत्री महोदया ने ली हैं. इसके टेण्डर भी हो गए हैं और इससे लगभग 30 से 32 गांवों को, हमारी विधान सभ क्षेत्र के और रेहली क्षेत्र के लोगों को इससे फायदा होने वाला है और इसके लिए वहां गांव के क्षेत्र के लोगों को ट्रेनिंग देने का काम भी सरकार करेगी. 10 वर्ष तक जल बोर्ड इस योजना का संचालन करेगा. ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है. जहां तक मेरे क्षेत्र का सावल है हमारे विधान सभा क्षेत्र में सिद्धगुआ औद्योगिक क्षेत्र है,सागर वैसे ही पिछड़ा हुआ है और वहां पर जो औद्योगिक क्षेत्र है उसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि वहां पानी की समस्या है. जब सागर में इन्वेस्टर्स मीट हुई थी उस समय वहां पर जल की व्यवस्था के लिए एक योजना स्वीकृत हुई थी. उसको लगभग साढ़े तीन वर्ष हो गए हैं, उस पर काम चल रहा है. मैं मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि इसमें पाईप डल गए हैं, पानी की टंकी बन गई है, लेकिन अभी जो एनीकेट बनना था और जो छोटे छोटे काम रह गए थे यदि उनको करा लेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा बुन्देलखंड पिछड़ा है ,पी.एच.ई. के माध्यम से वह काम हो रहा है. उससे पानी की समस्या का निदान हो जाएगा और उद्योग के क्षेत्र में वहां जो विकास नहीं हो पा रहा है वह हो जाएगा. उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री

नल जल योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है. लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि इस योजना के बारे में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से जुड़ी है ,बड़ी अच्छी योजना है और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इससे पानी मुहैया हो रहा है . लेकिन छोटी छोटी सी कमियां हैं जिनके कारण कई बार ये योजना बंद हो जाती है , मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने बीच में बिजली का बिल पटाने का काम किया है. लेकिन अभी भी उसमें जो छोटी छोटी दिक्कते हैं , कभी मोटर खराब हो जाती है , कभी वहां पाईप लाईन बिगड़ जाती है. मेरा निवेदन है कि उसको ठीक कराने का प्रयास करें. इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 41 नल जल योजनाए बुन्देलखंड पैकेज के माध्यम से स्वीकृत हुई थीं. उनमें भी छोटी छोटी कमियां हैं मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता,लेकिन जो तीन बड़ी योजनाएँ हैं , एक तो कनेरा निखर, दूसरा सेमराह्ट और तीसरा चानमऊ. ये बड़ी नल जल योजनाएं हैं, इनमें भी कहीं पाईप लाईन डल गई है, कहीं टंकी बन गई है. इसका भी आप किसी अधिकारी से परीक्षण करा लें ताकि जल्दी से जल्दी इन योजनाओं का काम हो सके. उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं , मेरा सुझाव है कि अभी जिन योजनाओं में 3 प्रतिशत की जन भागीदारी जनता से सुनिश्चित की है. इसके पूरे प्रदेश में लगभग 154 नल जल योजनाएं स्वीकृत हुई थीं.

5.25 बजे {सभापति महोदय (श्री मानवेन्द्र सिंह) पीठासीन हुए}

इंजी.प्रदीप लारिया (पूर्व जारी)—

मेरे विधानसभा में 15 नलजल योजनाएं स्वीकृत हुई थीं और केवल दो की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है. उसकी टेंडर की प्रक्रिया भी हो गई है, बाकी जगह जो 3 परसेन्ट की राशि है, वह गांव के लोग जमा नहीं कर पा रहे हैं. मैं माननीय मंत्री महोदया को सुझाव देना चाहता हूं कि 3 परसेन्ट की राशि बहुत ज्यादा होती है. गांव में रहने वाले लोग 3 परसेन्ट की राशि भर नहीं पा रहे हैं. मेरा आपसे निवेदन है कि इसको 1 परसेन्ट कर दें. अभी केबीनेट में शायद डिसीजन लिया है कि पहले विधायक निधि का उसमें कोई पार्ट नहीं था, अब विधायक निधि को उसमें शामिल किया है. विधायक निधि वैसे ही कम होती है. सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जन भागीदारी की दृष्टि से जनता की भागीदारी भी उसमें हो यह ठीक है, उसमें 1 परसेन्ट की राशि पर्याप्त है, 2 परसेन्ट की राशि आप विभाग के माध्यम से कर दें, जिससे जो बंद पड़ी योजनाएं हैं, जो स्वीकृत नहीं हो पा...

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम महदेले)—माननीय सभापति महोदय, विधायक, सांसद निधि से उसको कर दिया है. 3 परसेन्ट कर दिया है, आपके क्षेत्र में ही तो काम होना है.

इंजी.प्रदीप लारिया—लेकिन विधायक निधि कम होती है, 77 लाख हैं, दो-ढाई सौ गांव होते हैं. विधायकों के लिए बहुत काम होते हैं और 77 लाख में अकेले चबुतरा बन पाते हैं. मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर पुनः विचार करें. आप देख लें कि 154 जो नल जल योजनाएं और मेरे विधानसभा में जितनी नलजल योजनाएं स्वीकृत हुईं और कितनी चालू हो पाई हैं और उसका वही कारण है कि 3 परसेन्ट की राशि जमा नहीं हो पा रही है.

सभापति महोदय—अपना आखरी सुझाव देकर समाप्त करें.

इंजी.प्रदीप लारिया—मंत्री महोदया जब जवाब देंगी, तो निश्चित तौर पर वह इस बात का उल्लेख करेंगी. मैं उनकी मांग संख्या का समर्थन करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री रुस्तम सिंह (मुरैना)—सभापति महोदय, कितना समय मिल पाएगा.

सभापति महोदय—आप बोलना तो चालू करें.

श्री रुस्तम सिंह—सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, क्योंकि टोटल विपक्ष को 15 मिनट दिया था, उनको एक घंटा बीस मिनट मिल चुका है. सभापति महोदय, मैं संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत हो गया है. रिपीटेशन की आवश्यकता नहीं है और एक बात साफ है कि जो पशुपालन में इस सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी मंत्री जी बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं, उन्होंने जिस तरह के कार्य किए हैं, उसी का परिणाम है कि दूध के राष्ट्रीय स्तर के उत्पादन से तीन गुना मध्यप्रदेश में हुआ है. मैं सीधा सीधा, परसन्टेज, आंकड़े और बहुत सारी चीजें जो हुई हैं, उस पर न जाते हुए अपने क्षेत्र की बात करना चाहता हूं और अनुदान मांगों का समर्थन करना चाहता हूं. मुरैना में हार्टीकल्चर में बहुत गुंजाइश है. फूल उत्पादन, फल उत्पादन की बहुत गुंजाइश है. उस पर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. कई योजनाएं हैं, जो चालू की गई हैं, लेकिन उसको और अधिक मानीटर करने की आवश्यकता है. ग्रामोद्योग में जो काम हुए हैं, उसमें भी काफी गुंजाइश है, क्योंकि गांव की जो स्थितियां हैं, केवल कृषि के बल पर, पशुपालन के बल पर अब पूरा भरण पोषण नहीं हो सकता है. ग्रामोद्योग के पहले छोटे छोटे यूनिट गांव में होते थे. गांव का काम बढ़ई गांव में करता था, लोहार गांव में करता था, कुम्हार गांव में करता था, तेली का काम गांव में होता था. आज यह सेन्ट्रलाइज हो गए. सब शहरीकरण के कारण शहरों में चले गए. पुनः हमें वापिस गांव में जाने की आवश्यकता है, तभी ग्रामों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बेरोजगारी से लोगों को राहत मिलेगी. सभापति महोदय, मैं पी.एच.इ.के मामले में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, एक तो इस बात के लिए मैं मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी को

बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि बरसों से लंबित पी.एच.इ. के वह बिल जो नल जल योजनाओं में बिजली की बिल थे, केवल बिल न पटाने के कारण बिजली कट गई, नल जल योजना ध्वस्त हो गई. अभी सबके बिल शासन ने पटा दिए हैं और आने वाले टाइम में भी शासन ही नलजल योजनाओं में खपत होने वाली बिजली के बिल पटाएगा, इसके लिए सब जनता की ओर से खासकर उन गांवों की तरफ से जो गर्मी में परेशान थे, उनकी तरफ से साधुवाद और धन्यवाद भी मिलेगा. जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है और हैंडपंप फेल हो रहे हैं. हर वर्ष हैंडपंप लगाए जाते हैं, उतना ही पानी नीचे चला जाता है, सोर्सेज काफी नीचे चले जा रहे हैं, इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि पहले कुछ हुए थे. अब पुनः मुरैना विधानसभा में कुछ नदियां हैं, जैसे क्वारी नदी है, आसन नदी है, साख नदी है. हमारी विधानसभा में इन नदियों पर कुछ स्टाप डैम बनते हैं तो जल स्तर ऊपर आएगा और जितने भी हैंडपंप लगे हैं, वह जीवित हो जाएंगे और नलजल योजनाओं में जितने ट्यूबवैल लगे हैं, उनका पानी स्तर बढ़ने से पानी मिल जाएगा. अन्यथा हम लोग नलजल योजना के लिए ट्यूबवैल खोदते हैं, हैंडपंप लगा देते हैं, पानी मिलता ही नहीं है गर्मियों में पानी इतना नीचे चला जाता है, केवल कागजों पर रह जाता है और उसका उपयोग हो नहीं पाता है, इसके लिए जरूरी है कि हमारे यहां साख नदी पर दो तीन स्टाप डैम बने, अरूआ नाले पर बने, आसन नदी पर बने, क्वारी नदी पर बने तो मैं यह दावे से कह सकता हूं कि कम से कम 150-200 गांवों का जल स्तर बढ़ेगा. हैंडपंप में पानी आएगा और नलजल योजना भी समुचित रूप से चलेगी. सभापति महोदय आप टोकें उसके पहले मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं.

श्रीमती उमादेवी खटीक(हटा)—माननीय सभापति महोदय, मैं मांगों का समर्थन और कटौती प्रस्तावों का विरोध करती हूं. मैं अपनी बात इन दो पंक्तियों से शुरू करूंगा कि—

पेड़ पौधे हैं स्वयं शंकर भगवान, अमृत देकर करते हैं विषपान.

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के मुखिया ने माताओं, बहिनों एवं छोटे किसानों को आत्म निर्भर बनाने के लिए प्रदेश में ऐसे प्रशंसनीय काम किए, जिससे पूरे देश में उसकी सराहना हो रही है. हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में छोटे छोटे किसान एवं महिलाएं साग सब्जी उगाने का कार्य करती है और सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जाता है, वह बहुत अच्छा है, लेकिन अपने खेतों को सुरक्षित रखने के लिए क्योंकि वहां मवेशी खेतों में आते हैं और उनकी फसलों को नष्ट कर देते हैं तो खेतों को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाए, जिसमें कटीले तार या फेन्सिंग की व्यवस्था की जाए. मध्यप्रदेश सरकार ने एवं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड के विकास के लिए छतरपुर में 50 करोड़ के हार्टीकल्चर हब की योजना प्रारंभ की है, जो सराहनीय है. खाद्य पदार्थों के उचित भंडारण हेतु फसलों के प्रबंधन में आधुनिक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जा रहा है. हमारी माताओं,बहिनों और गरीब किसानों के लिए जो बहुत ही हितकारी और लाभकारी होगा. मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से कहना चाह रही हूं कि हमारे जिले में भी एक कोल्ड स्टोरेज खोला जाय,जिससे गरीब किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का मौका मिले. उद्यानिकी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की फूलों की खेती के लिए भी योजना बनाई जाए, जिससे गरीब किसान एवं हमारी महिलाएं साग भाजी के साथ साथ फूलों की खेती कर अपना भविष्य उज्जवल बनाने के साथ अपने आर्थिक स्तर में सुधार लाएंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी. माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को हटा नगर की जनता की ओर से बधाई देना चाहूंगी कि जो लगातार 40 वर्षों से एडीजे कोर्ट की मांग चल रही थी, उसकी उन्होंने स्थापना की है. मैं उनका ध्यान इस ओर भी आकर्षित कराना चाहूंगी कि 2003 में हटा जल आवर्धन योजना स्वीकृत की गई थी और फोर लेन सड़क का काम प्रगति पर है, जिससे वहां की पाईप लाईन उससे अस्त व्यस्त हो गई है, मैं निवेदन करती हूं कि जल आवर्धन योजना का काम शीघ्र पूर्ण कराने की

कृपा करें, जिससे हटा नगर की जनता को पीने का पानी मिल सके एवं स्टाफ की कमी को देखते हुए स्टाफ की भी पूर्ति की जाए. सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद.

श्री बहादुरसिंह चौहान(महिदपुर)—माननीय सभापति महोदय, मांगों का समर्थन करते हुए कटौती प्रस्ताव के विरोध में अपने विचारझ व्यक्त करना चाहता हूँ. मध्यप्रदेश शासन के जितने विभाग हैं उसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और पशुपालन विभाग दोनों ही हमारे जीवन से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं .जल के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते हैं और बिना चाय, बिना दूध के हम रह नहीं सकते हैं. बाकी विभाग विकास के लिए होंगे लेकिन ये दोनों विभाग जो हैं , हमारे जीवन से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं. नल जल योजना के विषय में काफी चर्चा हो चुकी है उसके विषय में मुझे कुछ कहना नहीं है. मैं सीधा सीधा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पास जो मशीने हैं वह बहुत ही पुरानी हो गई हैं, बाबा आदम के जमाने की हैं और इस विभाग के द्वारा दो प्रकार के बोर खनन किये जाते हैं. एक बोर डीडीएच होता है जिसको सादा बोर कहते हैं और एक बोर होता है काम्बीनेशन, जो बड़ा बोर होता है, देखने में आया है कि यदि 100 बोर डीडीएच लगते हैं और 100 बोर काम्बीनेशन लगते हैं तो 2 साल में डीडीएच बोर 100 में 90 बंद हो जाते हैं जबकि काम्बीनेशन बोर 100 में से 90 चालू रहते हैं इसलिए मेरा सुझाव है कि विभाग इसमें चिन्तन करके मात्र काम्बीनेशन वर्क ही मध्यप्रदेश के अन्दर करवाया जाए.

माननीय सभापति जी, विभाग के द्वारा उन्हीं टेन्डर और बोर खनन करने के लिए दिया जाता है जिसके पास मशीन का लायसेंस होता है, यह मोनोपाली है, यह (XX) है, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास मशीन नहीं है, कोई भी टेन्डर डाले, लेकिन उससे अपना काम करवायें, यदि समय पर वह काम नहीं करता है तो उसका फिक्स डिपाजिट आप जब्त कर सकते हैं और मध्यप्रदेश के कुछ ठेकेदारों के चंगुल में यह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति बिना मशीन वाला जाकर के किसी भी जिले में अपना टेन्डर डाल सके ताकि पारदर्शिता के साथ काम हो सके.

माननीय सभापति जी, एक बार और कहना चाहता हूँ, जिस गांव में खारा पानी मिलता है , जिस गांव में फ्लोराइड है और जिस गांव में पीने योग्य पानी नहीं मिलता है फिर भी विभाग लगातार वहां पर बोर करता जा रहा है जिससे शासन के धन का दुरुपयोग हो रहा है. जहां पीने का पानी आपको नहीं मिल

रहा है वहां बोर खनन करने की क्या आवश्यकता है. वहां पर बोर कतई नहीं लगना चाहिए और कितनी दूर से पानी हम ला सकते हैं, एक किलोमीटर, दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर पर यदि पानी का स्रोत है तो वहां से पाइप लाइन डालकर पानी लाना चाहिए , उस स्थान को चिन्हित करिये और वहां बोर करने की कतई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसी जगह पर शासन के धन का दुरुपयोग है.

माननीय सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस विभाग में भारी भ्रष्टाचार है, बोर 300 फिट होता है और 500 फिट के बिल बन जाते हैं और बोर के अन्दर जो केसिंग पाइप लगाये जाते हैं एक तो एमएस पाइप लगता है और एक जेनोलाइट पाइप लगता है. जेनोलाइट पाइप के जो रेट हैं पांच गुना अधिक होते हैं , वह नहीं लगाते हुए ठेकेदारा द्वारा सीधे सीधे एमएस लोहे के पाइप लगाये जाते हैं, दो तीन चार साल में वह सड़ जाते हैं. कुछ ठेकेदारों के अन्दर वह पूरा कार्य मध्यप्रदेश को अन्दर चलाते रहते हैं बोर के अन्दर जो भी केसिंग पाइप लगाये जाए वह एम एस पाइप न लगाते हुए सिर्फ जेनोलाइट पाइप लगाये जाएं.100 साल उसकी उम्र होती है वो सड़ता नहीं है वो बोर हमेशा 100 साल के लिए काम आ सकता है.

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ यह विभाग इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर आप जांच करायेंगे तो जो कागजों में है वह मौके पर कुछ भी नहीं है. मौके पर स्थिति बहुत खराब है. इनके पास अमला नहीं है. इनके पास हैण्डपम्प सुधारने के लिए मैकेनिक नहीं हैं. एक मैकेनिक के पास 700 हैण्डपम्प का जिम्मा है और एक मैकेनिक कितना काम करेगा. 248 गांव हमारे विधानसभा में हैं और तीन मैकेनिक हैं अब हैण्डपम्प खराब हो जाए तो सात दिन तो ऐसे ही परेशान होता रहे. मेरा निवेदन है कि अमले को अपने स्तर पर पूरी योजना बनाकर जहां मैकेनिक की आवश्यकता है, जहां इंजीनियर की आवश्यकता है, जहां टेक्नीशियन की आवश्यकता है, आप 1000-2000 जितने भी चाहिए आपको उनको भर्ती करना चाहिए , जब यह विभाग आप चला सकते हैं . मैं मानता हूँ कि वल्लभ भवन में और जिला स्तर पर आपके ईई बैठे होंगे लेकिन निचले स्तर पर आपके लोग नहीं हैं. छोटी छोटी योजनाएं हैं

आप कुछ ग्राम पंचायत को दे देते हो मेरे क्षेत्र में 1 करोड़ 11 लाख की नल जल योजना और एक 97 लाख की महिदपुर और झालडा की है, क्या ग्राम पंचायत चलायेगा. उन योजनाओं को आप ग्राम पंचायत को न देते हुए सीधे विभाग को चलाना चाहिए. एक करोड़ रुपये से ऊपर की जो नल जल योजना हो उसका दायित्व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को लेना चाहिए ताकि उसका संचालन सही तरीके से हो सके.

सभापति महोदय- कृपया समाप्त करें.

श्री बहादुर सिंह चौहान-- माननीय सभापति महोदय, मैं पीएचई के ऊपर यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं और पशुधन पर बोलना चाहता हूं.मालवा के बारे में कहाजाता है कि "मालवा माटी गहन गंभीर, डग-डग रोटी, पग-पग नीर". मालवी गेहूं मध्यप्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान में भी प्रसिद्ध है . इसी प्रकार मालवा की गाय और बैल, वह मालवी नस्ल धीरे-धीरे समाप्त हो रही है.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर-- मालवा में बहादुर सिंह भी प्रसिद्ध हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—मालवा की दाल बाटी भी प्रसिद्ध है.

श्री बहादुर सिंह चौहान--- एक दिन सभी सदस्यों को ले चलेंगे और दाल बाटी खिलाएंगे.

श्री बाला बच्चन--- यशपाल जी ,उनकी बहादुरी को आप दाद दो.

श्री रामनिवास रावत-- वह सही बात कह रहे हैं, आत्मा की बात कह रहे हैं.

श्री बहादुर सिंह चौहान--- माननीय सभापति महोदय, मैं जब भाषण देता हूं कभी कागज नहीं देखता हूं और मैं सभी विभागों पर बोलता हूं. मैं कृषि पर 35 मिनट बोला हूं, मैं बिना कागज देखे मेरे मन के जो भाव आते हैं वही बात कहता हूं.

श्री मोहन यादव-- बहादुर भाई, अपने को बातों में नहीं आना है.

श्री बहादुर सिंह चौहान--- सुनो, मोहन जी आप पहली बार आए हो यहाँ पर जो बोलते हैं उसी को लोग पहचानते हैं बाकी किसी को कोई नहीं पहचानते हैं. इसलिए जो बोलता है उसी के क्षेत्र में काम होते हैं. बाकी के नहीं होते हैं.

सभापति महोदय--- बहादुर सिंह जी समाप्त करें.

श्री बहादुर सिंह चौहान—सभापति महोदय, मैं पशुपालन पर थोड़ा सा बोलना चाहता हूं. मैं गाय और बैल की मालवी नस्ल के बारे में आपसे निवेदन कर रहा हूं मंत्री जी को आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि देवास से लगाकर नीमच, मंदसौर ,शाजापुर,उज्जैन यह सब मालवा क्षेत्र कहलाता है और धीरे धीरे मालवी गाय और बैल है वह समाप्त होते जा रहे हैं.मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं इस क्षेत्र के लिए आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाये और मालवी नस्ल को बढ़ावा दें . सभापति जी, एक और महत्वपूर्ण मामला है बिना दूध के हम लोग नहीं रह सकते हैं और हमारी गौमातायें धीरे धीरे कटने के लिए जा रही हैं इसके लिए पशुपालन मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए . मैं कहना चाहता हूं कि जहाँ-जहाँ मवेशियों के हाट बाजार लगते हैं वहाँ पर इन कट्टू गाय के नाम से बड़ी वसूली की जाती है और गायों को बेचा जा रहा है व काटा जा रहा है. मैं अंत में कहना चाहता हूं कि मंत्री जी आपको बहुत अच्छा विभाग मिला है ,आप ऐसा कानून लाये, ऐसा नियम बनाये कि कोई भी व्यक्ति गाय काटता है और अगर वह प्रमाणित हो जाये तो वह तत्काल जेल जाये. बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री दिलीप सिंह शेखावत(नागदा-खाचरौद)-- माननीय सभापति महोदय, मैं मांगों का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं. सबसे पहले मैं मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मेरे क्षेत्र के अंदर जो उद्योगों का प्रदूषित पानी चंबल नदी में जाता था और उसके कारण 14 गांवों में पीने के पानी का बहुत गंभीर संकट था मार्च में उन्होंने 18 करोड़ रुपये की योजना मंजूर करी , मैं मंत्री जी को उसके लिए धन्यवाद देता हूं. लेकिन मैं उनसे विनम्रता के साथ

में आग्रह भी करूंगा कि उसमें छह गांव छूट गये हैं जो चंबल नदी से मात्र दो-ढाई किलोमीटर की दूरी पर हैं उनके नाम हैं, खजूरिया,निपानियां, अलसीकलसी, बेरछा, रजला और टुटियाखेड़ी . इन गांवों को भी यदि आप जोड़ेंगे तो बहुत महती कृपा होगी. माननीय सभापति महोदय मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जैसे पूर्व वक्ताओं ने यह कहा कि नल जल योजना तो आप स्वीकृत कर देते हैं लेकिन हर विकासकार्य की लाइफ होती है और पीएचई के अंदर बड़ी-बड़ी योजनायें बन जाती हैं लेकिन भविष्य में कोई बजट का आवंटन नहीं होता है कि 10 साल ,15 साल के बाद में उस टंकी का क्या होगा , पाइप लाइन का क्या होगा तो निश्चित रूप से आपको इसकी एक योजना बनाना चाहिए कि आने वाले 10-15 साल में उस पाइप लाइन और टंकी के रिपेयरिंग के लिए आज बजट का प्रोविजन कर दें. मैं मंत्रीजी से यह भी निवेदन करूँगा कि जनसंख्या बढ़ रही है. आपकी योजनाएँ बढ़ रही हैं. जैसा बहादुर सिंह जी ने कहा कि स्टाफ की बहुत कमी है और उसके कारण आपका जो अमला है ठीक से उन सारी चीजों का संचालन नहीं कर पाता तो निश्चित रूप से आपको अपने अमले को बढ़ाना चाहिए. मेरा मंत्री जी यह भी निवेदन है कि मेरे यहाँ पर कुछ तालाब हैं जो मैंने अधिकारियों को कहा है, एक झिरमिरा का तालाब है, एक अंतलावासा का तालाब है, एक सितेड़ा का तालाब है, जिसमें सिंचाई के अलावा बहुत पानी का भंडारण होता है और वहाँ पर अगर समूह जल नल योजनाएँ बनाएँ तो निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र को लाभ होगा.

सभापति जी, मेरा मंत्री जी से यह भी निवेदन है कि नागदा में एडीजे कोर्ट स्वीकृत हो गया लेकिन भवनों के अभाव के कारण और माननीय न्यायाधीशों के जो रहने के आवास हैं उनके अभाव के कारण काफी समय से एडीजे कोर्ट प्रारंभ नहीं हो रहा है.

सभापति महोदय-- यह विषय नहीं है.

श्री दिलीप सिंह शेखावत-- सभापति जी, विधि विधायी है.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- सभापति जी, विधि विभाग पर बोल रहे हैं.

श्री दिलीप सिंह शेखावत-- सभापति जी, मेरा मंत्री जी से यह निवेदन है कि अगर एडीजे कोर्ट नागदा में खुलेगा तो आपकी महती कृपा होगी. मैं मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहूँगा कि नागदा एशिया का प्रसिद्ध औद्योगिक केन्द्र है जहाँ पर फायबर का एशिया का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है और वहाँ पर पहले 7 दिन के लिए श्रम न्यायालय लगता था लेकिन वह किसी कारण से बंद हो गया है. अगर आप 7 दिन के लिए पुनः श्रम न्यायालय वहाँ पर खोलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी महती कृपा होगी. मैं मंत्री महोदय से एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आपने अधिवक्ताओं के लिए बहुत सारी सुविधाएँ दीं, मृत्यु के बाद में एक लाख रुपये, उनकी बीमारी के लिए, लेकिन जब न्यायालय भवन बनता है तो उन अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती और हम देखते हैं कि 10-10 करोड़ के न्यायालय भवन बन जाते हैं लेकिन अधिवक्ता वह चद्दरों के अन्दर बैठे रहते हैं तो उनकी व्यवस्थाएँ अगर ड्राइंग के साथ में बनेगी तो आपकी महती कृपा होगी. सभापति जी, मेरा मंत्री जी से एक और निवेदन यह भी है कि नागदा बॉम्बे और देहली का सेंटर प्वाईंट है और उज्जैन में बहुत बड़ा चिलिंग प्लांट है अगर नागदा में भी उस प्रकार का अगर एक चिलिंग प्लांट होगा तो निश्चित रूप से उधर के 3-4 जिलों का बहुत भला होगा. मेरे क्षेत्र में अगर कुछ जो कलेक्शन प्वाईंट्स हैं वे कलेक्शन प्वाईंट्स भी अगर आप बढ़ाएँगे तो जैसे बेरछा, मड़ावदा, पटलावदी, इन कलेक्शन प्वाईंट्स पर अगर आप बढ़ाएंगे और वहाँ पर चिलिंग प्वाईंट लगाएँगे तो निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र को फायदा होगा. सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री मधु भगत(परसवाड़ा)-- सभापति जी, नमस्कार, मैं मंत्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ. मांग पत्र 20 की कटौती के विषय में, माननीय मंत्री जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनेक ग्राम नल जल योजना से वंचित हैं. जबकि जो बड़े गाँव हैं, जो 5 हजार से ज्यादा की आबादी वाले गाँव हैं उनके अन्दर यह योजना लागू है. मेरा मानना है कि अगर आप जिन ग्रामों की जनसंख्या एक

हजार से 15 सौ है अगर आप उनमें यह योजना लागू कर दें, सब में लागू कर दें तो काफी गाँव इससे लाभान्वित होंगे. जिनमें आबादी कम है उनको भी लाभ मिलना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ क्योंकि गर्मी के मौसम में 2-3 किलोमीटर से गाँव के बेचारे जो लोग होते हैं वे पानी लेकर आते हैं. कहीं जहाँ नाले होते हैं या कहीं एकाध कुँआ होता है, जिसमें पानी होता है, इसी संदर्भ में एक सुझाव और देना चाहूँगा, मैं माननीय रुस्तम सिंह जी से बहुत ज्यादा इंप्रेस था उन्होंने जो मुझे बोला स्टाप डेम के लिए क्योंकि हम लोगों का जंगल में पहाड़ी एरिया है. कई नदी नाले होते हैं, वहाँ अगर स्टाप डेम बनाएँ, पानी का स्तर ऊँचा रखें तो आपकी यह नल जल योजना भी सफल होगी. आप इसको लें. माननीय मंत्री जी, मांग पत्र 16 के आधार पर हमारा जो मत्स्य विभाग होता है, एक वर्ष काल में एक समय ऐसा आता है कि उनके पास कुछ समय के लिए कोई चीज नहीं होती जिसका वह जीवनयापन कर सकें उसमें दो तीन माह होता है उसमें अगर उन व्यवसायियों को, उनके लिए कोई ऐसा रास्ता निकालें कि वे दो तीन माह अपना जीवनयापन कर सकें. उनके विषय में सोचिए. मैं आपके लिए दो ही सुझाव लेकर आया था. धन्यवाद.

श्री कमलेश्वर पटेल (सिंहावल)—माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 14, 16, 20, 29, 50 एवं 56 के विरोध में एवं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं.

सभापति महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि पीएचई विभाग बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है और इसकी गांव-गांव में पहुंच है. धांधली, भ्रष्टाचार इस विभाग में है यह दिखाई कम देता है जो संबंधित अधिकारी होंगे उनको अच्छे से जानकारी होगी नहीं हो तो हम कुछ बता देते हैं और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन भी करेंगे कि कुछ सख्त कार्यवाही करें. कल विजय शाह जी ताव भी दे रहे थे कि हमारे जैसा कोई और मंत्री नहीं है जो इस तरह की कार्यवाही कर सकता हो. हम अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं प्रदेश की बात

नहीं कर रहे हैं. चौहान जी ने अभी बहुत सारी कमियों के बारे में बताया ही है. सिंहावल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सुनवरसा, सुपैला, तरका, हटवा व अन्य गांवों में वाटर रिसोर्स अन्तर्गत बोरवेल का खनन कराया गया था यह भी बताया गया कि वाटर सप्लाई हो रही है सच बात यह है कि इसमें हमारा भी एक गांव है, वाटर सप्लाई बोर जब कराते हैं, विभाग के पास प्रावधान भी है कि किसी से शोध कराकर कि कहां पर पानी अच्छा निकलेगा उसके बाद बोर कराने का प्रावधान है और उसका पैसा भी आहरित किया जाता होगा. हमने जो उदाहरण दिये हैं इसके अलावा भी बहुत सारे हैं इनमें बोर सक्सेस नहीं हुआ पानी निकला भी तो उतनी मात्रा में नहीं निकला वाटर सप्लाई आज भी बंद है. हम तो माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करेंगे कि आप तो किसी उच्च स्तर के अधिकारियों को भेजकर जांच करा लीजिये.

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले)—आप हमें शिकायत लिखकर दे दीजिये हम जांच करा देंगे. (बैठे-बैठे कहा गया)

श्री कमलेश्वर पटेल—जी. अभी तो हम आपके सामने यह बात कह ही रहे हैं लिखित में भी दे देंगे.

सभापति महोदय—यदि आप वह जगह चिन्हित करके दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा.

श्री कमलेश्वर पटेल—जी. सभापति महोदय, जहां भी बोर करने के लिये जाते हैं एक तो कार्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होता है उन आबादियों में जहां वाकई में पानी का संकट है. सच बात यह है कि जब बोर करने जाते हैं तो व्यक्तिगत बोर ज्यादा करते हैं कहीं राजनीतिक दबाव में तो कहीं अन्य कारण से. हम लोग कहीं नहीं बोलते हम लोगों की यही अप्रोच होती है कि जहां वाकई संकट है.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—सभापति महोदय, यह सजेशन है, भाषण है, क्या है ?

सभापति महोदय—परेशानी है.

श्री कमलेश्वर पटेल—सभापति महोदय, जो जनता की परेशानी है वह बता रहे हैं.

सभापति महोदय—कमलेश्वर पटेल जी आप अपने सुझाव दे दीजिये.

श्री कमलेश्वर पटेल—सभापति महोदय, सच्चाई है और अभी सत्तापक्ष के विधायक महोदय ने उल्लेख भी किया है कि किस तरह से मानक स्तर से घटिया स्तर के पाइप यूज किये जाते हैं उसमें जो केसिंग डाला जाता है.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—सभापति महोदय, कहां पर उपयोग किये गये हैं वह बता दें अनावश्यक आरोप लगाने की जरुरत नहीं है.

सभापति महोदय—आप संरक्षण दें.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—सभापति महोदय, किस बात का संरक्षण दें.

श्री रामनिवास रावत—आप अपने जवाब में बता देना जो बताना है.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—सभापति महोदय, लेकिन इस तरह से कुछ भी बोलते चले जायेंगे क्या.

श्री रामनिवास रावत—आपके सदस्य ने कितना बोला वह नहीं सुना.

श्री कमलेश्वर पटेल—हम चिन्हित करके उन गांवों का नाम भी बता देंगे. यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है पानी के बिना सब सून है. गांवों में बहुत परेशानी है एक तो हमारा विधान सभा क्षेत्र आधे से कम समतल एरिया है बाकी सब पहाड़ी एरिया है.तो 5-5,10-10 लोगों की आबादी होती है उन बस्तियों में बोर न करके अब बारिश हो गई तो मशीन घूम रही है. आपका मेकेनिकल डिपार्टमेंट है. उसका जो बोरिंग का इस्टीमेट है वह पैसा जो खर्च करते हैं उससे कम में प्रायवेट एजेंसी वाले जो बोर करते हैं दोनों में 15-20 हजार के रेट का अंतर है. इसका आप सर्वे कर लीजिये. आप मंगा लीजिये फाईल. आपकी जो मशीनें हैं या तो वे डीजल ज्यादा खा रही हैं या केसिंग मशीन ज्यादा लग रहा है.क्या कारण है यह चिंता का विषय है. सही बात को रखना मंत्री

जी के सामने जरूरी है. आनुसूचित जाति,जनजाति की आबादी सबस ज्यादा है और गरीब बस्तियां हैं वाकई में वहां पानी का संकट है आप कलेक्टर,सीधी,कार्यपालन यंत्री सीधी, कार्यपालन यंत्री सिंगरौली, कलेक्टर सिंगरौली हमने लिखित में दिया है. डेढ़ हजार से ज्यादा आवेदन हैं जहां लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं. हमने विधान सभा में प्रश्न पूछा था अतारांकित में जवाब आ गया कि वहां जल का संकट नहीं है तो इस तरह की जानकारी मंत्री महोदय आपके पास विभाग के अधिकारी देते हैं वह उचित नहीं है हम जनता की क्षेत्र की परेशानी आपके सामने रख रहे हैं यह आप पर है कि आप किस तरह से उसका निदान करेंगी. सतही नलजल योजना जो जनभागीदारी के माध्यम से था वह आपने विधायक निधि,सांसद निधि से किया है वह स्वागत योग्य है. हम उसमें पार्टीसिपेट करेंगे. विभाग को दे देती हैं तो बहुत बढ़िया. दूसरा पशु औषधालय में जिस तरह की सुविधाएं होना चाहिये उन सुविधाओं का अभाव है. डाक्टर्स नहीं हैं. अपग्रेड होना चाहिये, सुख-सुविधाएं होना चाहिये, और सपोर्टिंग कर्मचारी होने चाहिये. एक तरफ हम पशु संरक्षण की बात करते हैं तो इसमें सुधार की आवश्यकता है. दूसरा आपका जो हार्टीकल्चर डिपार्टमेंट है. इस विभाग के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम चलना चाहिये. जो आपके पौधे वगैरह जाते हैं वह भी किसानों को उपलब्ध हों. हमारे यहां जिस तरह से किसानों को इसमें पार्टीसिपेट करना चाहिये जिस तरह से उत्साहवर्धन उनका होना चाहिये. जो बातें हैं उनको आप गंभीरता से लेंगी. मंत्री जी गंभीर हैं और स्पष्टवादी हैं. हमें विश्वास हैकि हमने जो जनता का दुखदर्द यहां रखा है उससे उनको निजात दिलवाएंगी और जो भी दोषी अधिकारी हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं. बहुत दिनों से 10-10,20-20 साल से वहीं जमे हैं वहीं जे.ई. बने वहीं ए.ई. बने तो ऐसे लोगों को थोड़ा हिला-डुला दीजिये मेरा निवेदन है कि कुछ परिवर्तन कीजिये जिससे जनता का काम हो हमारा कोई व्यक्तिगत काम नहीं है.जनता का काम हो जनता ने हमें चुनकर भेजा है उनके लिये लड़ाई लड़ना हमारा काम है मुझे उम्मीद है आप आशीर्वाद देंगी. धन्यवाद सभापति महोदय.

सभापति महोदय – माननीय मंत्री जी.

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री(सुश्री कुसुमसिंह महदेले) - माननीय सभापति महोदय, मेरे विभाग की मांगों और कटौती प्रस्तावों पर जिन-जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया. श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा जी, श्री विश्वास सारंग जी, श्री हेमन्त खण्डेवाल जी, शैलेन्द्र पटेल, श्रीमती ललिता यादव, कुं.विक्रम सिंह जी, जसवंतसिंह हाड़ा जी, शंकरलाल तिवारी जी, दिनेश राय जी, श्री बलबीरसिंह डण्डौतिया, गोवर्धन उपाध्याय, प्रदीप लारिया,रुस्तम सिंह जी, ऊषा देवी खटीक, बहादुरसिंह चौहान जी.....

श्री रामनिवास रावत – सभापति महोदय, दो-दो मिनट और लोगों को भी दे दें. काफी महत्वपूर्ण विभाग हैं.

सभापति महोदय – नाम लगभग पूरे हो चुके हैं.

श्री रामनिवास रावत – सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है.

सभापति महोदय – ठीक है एक-एक मिनट दे देते हैं.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—(जारी) श्री बहादुर सिंह चौहान,

सभापति महोदय-- मंत्री जी आप बैठिये रावत जी का व्यवस्था का प्रश्न है.

श्री रामनिवास रावत—सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है. विभागों की अनुदानों मांगों पर चर्चा प्रारंभ कर दी गई है माननीय मंत्री जी के पास ग्रामोद्योग विभाग भी है बड़े दुःख के साथ कहना पड़ा रहा है कि ग्रामोद्योग विभाग का प्रशासकीय प्रतिवेदन आज तक विधान सभा के पटल पर पेश नहीं हुआ है.

श्री शंकरलाल तिवारी—सभापति महोदय, कुछ लोग विधान सभा को अपने ढंग से चलाना चाहते हैं, यह ठीक बात नहीं है. मंत्री जी के भाषण के समय माननीय सदस्यों को पूरा मौका बोलने के लिये मिला. सभापति जी आप मंत्री जी का भाषण होने दें.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—सभापति महोदय, प्रदेश की दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में--

सभापति महोदय—आप मंत्री जी कृपया बैठ जायें मैंने व्यवस्था दे दी है माननीय सदस्यगण एक एक मिनट में अपनी बात कहें. आप कृपया बैठ जायें.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—सभापति महोदय, जब कार्यवाही आगे बढ़ जाती है तो फिर कार्यवाही पीछे से शुरू नहीं होती.

सभापति महोदय—मंत्री जी आप बैठें मैंने व्यवस्था दे दी है.

श्री रामनिवास रावत—आशीष शर्मा जी बोल लें उसके बाद मुझे दो मिनट दे दीजियेगा.

सभापति महोदय—ठीक है.

श्री आशीष शर्मा(खातेगांव)—माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 14, 16, 20.29, 50 एवं 56 का समर्थन करता हूं कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं. मैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं. आज से 10-15 वर्ष पूर्व जब भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे तो महिलाएं नदी व कुओं से मटकों से पानी लाते हुए दिखाई देती थीं, लेकिन आज मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद गांवों का परिदृश्य काफी बदला है. आज गांवों में महिलाएं नल-जल योजनाओं के माध्यम से नलों से पानी प्राप्त कर रही हैं मैं सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में 1 हजार से कम आबादी की बसाहटों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की है. मैं अपने खातेगांव विधान सभा क्षेत्र की मांग रखना चाहता हूं कि खातेगांव में नर्मदा किनारे के करीबन 25 गांवों में यदि नर्मदा नदी के जल से पेयजल की एक योजना तैयार हो जाये तो इन 25 गांवों को नर्मदा नदी का जल पेयजल के रूप में उपलब्ध हो सकेगा. बिजलगांव एक स्थान है जहां से खारदा, डिबगांव, रिजगांव, बोरदा, खल, बचगाल, मुवासा, खिड़किया, नानकर, नवलगांव इन गांवों में पेयजल की गंभीर समस्या है नर्मदा नदी से एक योजना तैयार करवाकर इन गांवों में भी पेयजल की योजना का विकास किया जाये इसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदया से मांग करता हूं,

साथ हमारे नगर कन्नौद में न्यायालय का भवन काफी जीर्ण-शीर्ण हो चुका है वहां पर दो तीन बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं वकीलों पर तथा माननीय जज साहब के ऊपर प्लास्टर गिर चुका है इसलिये वहां पर नया न्यायालय भवन मंजूर होना चाहिये. कन्नौद में जो शीत गृह बना है, जो चिल सेंटर बना है उसका उन्नयन किया जाये उसको थोड़ा बड़ा बनाया जाये एवं खातेगांव में भी विभाग के द्वारा एक चिलिंग सेंटर स्थापित किया जाये, ताकि गांव-गांव में दुग्ध समितियां जो निर्मित हुई हैं, वह आसानी से कन्नौद और खातेगांव दोनों जगहों पर अपना दूध बेच सकें. आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री सोहनलाल वाल्मीक (परासिया)--आदरणीय सभापति महोदय, मैं अनुदान मांग 20 के विरोध में अपनी बात रखना चाहता हूं. मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र परासिया है और मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोयले की खदानें बहुत अधिक मात्रा में हैं, जिसके चलते, जब कोयला खदानें चलती हैं, चाहे ओपन कास्ट चलें चाहे अंडर ग्राउंड माइन्स चलें, उसके चलते पानी के स्त्रोत खतम हो जाते हैं. जिस जगह में जिस स्थान में कोयला खदानें चलती हैं, उसके आसपास के लगभग 1 किलो मीटर के पूरे रेंज के अंदर में जहां आसपास के जो गांव रहते हैं, वहां पानी की समस्या हमेशा बन जाती है. चूंकि जो गांव पानी वाले भी रहते हैं, खदानें चलने के कारण उसका पानी का स्त्रोत पूरा माइन के अंदर में चला जाता है. मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में काफी पानी की गंभीर समस्या है, मैं इस बात पर यह कहना चाहता हूं कि नलजल योजना एक मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई है, एक अच्छी योजना है, इसमें कहीं कोई 2 मत की बात नहीं है, परंतु मैं इसके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश के अंदर में जितने भी गांव हैं, उन चिन्हित गांवों में नलजल योजना चलाई जाती है. सरकार की तरफ से इस बात की स्वीकृति मिलनी चाहिये कि मध्यप्रदेश के अंदर में जितने भी गांव हैं, वहां नलजल योजना सरकार की ओर से उसको चालू की जाये, लगभग सभी गांव इससे प्रभावित होते हैं और

यह जो नलजल योजनायें हैं, इसका सीधा मेन्टेनेन्स हो, चाहे जवाबदारी हो वह पी.एच.ई. विभाग के अंदर में आनी चाहिये, क्योंकि पंचायत और सचिव के विभाग में कई बार ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि नलजल योजनायें प्रभावित होती हैं. अब मैं सीधे अपने क्षेत्र की ओर आना चाहता हूं. मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र जो है 4 नगर पंचायतें हैं, जिसमें 6 ग्राम पंचायतें हैं, पी.एच.ई. का जो चरई डैम है, उससे प्रभावित होती हैं. चरई डैम की स्थिति यह है कि 87 में उसका निर्माण किया गया, मगर उसके 10 साल के बाद से आज तक उसमें मेन्टेनेन्स नहीं किया जाता है, जिसके चलते काफी तकलीफ होती है और 20-20 दिन में पानी दिया जाता है. माननीय सभापति महोदय, यह मेरा पानी का बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर ध्यान दिया जाये, धन्यवाद.

सभापति महोदय--अब समाप्त करें.

श्री रामनिवास रावत (विजयपुर)--माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रदेश की किसी भी विधान सभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा पशुधन और विशेष रूप से गाय मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं विजयपुर में, श्योपुर जिले में. वहां अवर्षा के कारण चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है, पशुओं के लिये पीने के पानी की समस्या भी उत्पन्न हो गई है, तो चारे की व्यवस्था की चिन्ता आप अभी से करें, अगर आपको पशुओं को बचाना है और पानी की व्यवस्था भी आप अभी से करें, बाकी कई बातें आ गई हैं. पशु चिकित्सकों के 80 परसेंट पद रिक्त पड़े हैं. बी.एफ.ए. के तो 90 परसेंट पद रिक्त पड़े हैं, इनको भरें और माननीय सभापति महोदय, पी.एच.ई. की जो स्थिति है, मेरे क्षेत्र में भी मैं यह कह सकता हूं कि कभी-कभी लोग राजस्थान से पानी लाते हैं, तो मुझे बड़ी शर्म आती है. आपकी जितनी भी नलजल योजनाओं का जो संधारण ग्राम पंचायतों को दिया है, तो उन ग्राम पंचायतों से वापिस लेकर पी.एच.ई. को संधारण दें, पहले तो ग्राम पंचायतों के पास राशि होती थी वित्त

आयोग की और मूलभूत की, वह राशि अब पंच परमेश्वर में कन्वर्ट कर दी गई है, कन्वर्सेशन में चली गई है, तो आप इन सभी योजनाओं का संधारण पी.एच.ई. को दें और बाकी बात आ गई है और सेंट्रली परचेजिंग जो आपके यहां से होती है आपके विभाग में, उसको समाप्त करें. मेरे यहां के ए.ई. पी.एच.ई. ने अपने अधिकारियों के बारे में लिखा कि हमें मिलने वाला सामान बहुत घटिया स्तर का है, इसलिये हैंड पंप रोज-रोज खराब होते हैं, हम रोज-रोज ठीक करते हैं, माननीय मंत्री महोदया से मेरा यही अनुरोध है कि इन बातों को ध्यान में रखें. माननीय सभापति महोदय, मेरे व्यवस्था के प्रश्न का जवाब नहीं आया.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले--काहे की व्यवस्था ?

श्री रामनिवास रावत--ग्रामोद्योग का प्रतिवेदन नहीं आया आपका.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले--मैं बता रही हूं अभी.

श्री रामनिवास रावत--प्रतिवेदन कहां है ?

6.10 बजे {उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.}

सुश्री कुसुम सिंह महदेले -- उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामोद्योग विभाग का प्रशासकीय प्रतिवेदन 7.7.2014 को विधान सभा में दिया जा चुका है.

श्री रामनिवास रावत -- नहीं प्राप्त हुआ है. विधान सभा सचिवालय से पता करवा लें.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले -- उपाध्यक्ष महोदय, नहीं प्राप्त हुआ है, तो आप ढूंढिये. यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है. उन सभी सदस्यों को जिन्होंने आज मेरे विभाग की चर्चा में भाग लिया है, सबको धन्यवाद देना चाहती हूं. खासतौर से कालूखेड़ा जी का उल्लेख करना चाहती हूं कि जो लम्बे समय तक दुग्ध संघ में रहे हैं और पशुपालन विभाग के संबंध में बहुत ही उपयोगी और हार्टीकल्चर के संबंध में बहुत ही उपयोगी सुझाव दिये हैं. उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं और आश्वस्त करती हूं कि उन सारी बातों पर हम अमल करने का प्रयास करेंगे. उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों को, जिन्होंने उपयोगी सुझाव दिये हैं, मेरे विभागों की चर्चा में, उन सभी को धन्यवाद देती हूं. सभी जो सुझाव मिले हैं, उन पर अमल करने की कोशिश करुंगी. अब मैं पशुपालन की उपलब्धियां बताना चाहती हूं. वर्ष 2013-14 में प्रदेश की दुग्ध उत्पादन की वृद्धि दर 3.67 प्रतिशत रही है, जिसे और अधिक बढ़ाने हेतु हमारे द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं और हम इस दर को 9 प्रतिशत तक ले जायेंगे. वर्ष 2012-13 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता सिर्फ 325 ग्राम प्रति दिन थी, जो कि राष्ट्रीय औसत 295 ग्राम है. अब अनुसंधान परिषद् की अनुशंसा के अनुसार 280 ग्राम प्रति दिन से अधिक है, हमारे प्रदेश में. इस उपलब्धता को हमने 345 ग्राम प्रति दिन कर दिया है. विगत् वर्ष में प्रदेश के पशुओं की उत्पादकता में महत्वपूर्ण वृद्धि परिलक्षित हुई है. वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2012-13 के बीच में अवर्णित नस्ल की गायों की राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकता में 12.38 की तुलना में राज्य स्तर पर 30.72 प्रतिशत की और संकर गाय में 8.16 की तुलना में 17.67 प्रतिशत, भैंसों में 7.86 की तुलना में 9.51 प्रतिशत एवं बकरियों में 16.21 की तुलना में 35.33 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है. पशु स्वास्थ्य रक्षा के बारे में हमने बहुत सारे प्रयास किये हैं और बहुत सारे संस्थान खोले हैं. पशु चिकित्सा सेवाओं का कवरेज जो कि वर्ष 2012-13 में 48 प्रतिशत था, हमें बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 2013-14 में यह बढ़कर 57.50 प्रतिशत हो गया है. इस प्रकार एक वर्ष में पशु चिकित्सा सेवाओं के कवरेज

में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की गयी है. वर्ष 2014-15 में कुल 36 नवीन पशु औषधालय खोलने हेतु राशि 279 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है. वर्ष 2014-15 में 75 पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में उन्नयन हेतु राशि 1664.48 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है. इस प्रकार से हमने इतनी तरक्की की है. अब मैं विरोधी सदस्यों से पूछना चाहती हूं कि जब आप 10 साल तक पछले समय में थे, आपने क्या किया कि जो हमने इतने समय में करके दिखाया है.

श्री सोहनलाल बाल्मीक -- उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये समय निर्धारित कर दें कि हमने 10 साल में क्या किया, हम अपनी बात रख देंगे.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले -- उपाध्यक्ष महोदय, आपने नहीं किया, इसलिये तो हम तरक्की बता रहे हैं.

श्री सोहनलाल बाल्मीक -- नहीं, ऐसा नहीं है. जैसा आप बता रही हैं, वैसा नहीं है.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले -- उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में समस्त 89 आदिवासी विकास खण्डों में अनुबंधित चल पशु चिकित्सा इकाई के संचालन हेतु प्रावधान किया गया है एवं इन इकाइयों की मॉनीटरिंग जीपीएस के माध्यम से की जा रही है. प्रदेश में रोग निदान को बेहतर और तेज बनाने हेतु 2013-14 में प्रदेश के 10 अतिरिक्त जिलों में रोग अन्वेषण प्रयोगशाला की भी स्थापना की है. माननीय शंकरलाल तिवारी जी ने कहा था कि हमारे सतना जिले में भी यह खोली जाय,तो हम प्रयास करेंगे, कि सतना में भी यह प्रयोगशाला खोली जाय.

श्री शंकरलाल तिवारी -- दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले -- उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से टीकाकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ एवं पशु स्वास्थ्य रक्षा को बेहतर बनाने के लिये हमने जैविक संस्थान महू का सुदृढ़ीकरण किया है और 2014-15 में सुदृढ़ीकरण के लिये राशि 11 करोड़ का प्रावधान किया है.जो कि इससे पहले कभी नहीं था जो अभी हमने किया है. इसी प्रकार से भारतीय मूल के गोवंश

की चर्चा कालूखेड़ा जी की थी उसका मैं कुछ समाधान करना चाहती हूं, भारतीय देशी गोवंश को प्रोत्साहित करने के लिये गोपाल पुरस्कार योजना हमने चालू की है. विकास खंड स्तर तक यह योजना विस्तारित की गई है. वर्ष 2013-14 में हमने 1435 पशु पालकों को योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया है. स्थानीय नस्ल को बढ़ावा देने के लिये जो अभी नस्ल की बात हो रही थी केनकठा की बात हो रही थी, कुंवर साहब ने पूछा था तो उनकी नस्ल को बढ़ावा देने के लिये भी हमने उच्च अनुवांशिक एवं उत्पादन वाले पशुओं का डॉटाबेस एकत्रित करने के लिये बट्स पालन प्रोत्साहन योजना चालू की है.2000 पशु पालकों का लाभान्वित किया है. इसी प्रकार से हमने उच्च अनुवांशिक गुण वाले,उनका जो गो-मूत्र और गोबर आदि है उससे जैविक खाद बनायेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय,हमने जबलपुर में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय खोला है. पहले सिर्फ महू में विश्वविद्यालय था. इतने बड़े प्रदेश का काम सिर्फ एक विश्वविद्यालय से तो नहीं चलता इसलिए आवश्यक था कि एक दूसरा विश्वविद्यालय हम खोलें और उस परिप्रेक्ष्य में जबलपुर में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय खोला है. जिसके अंतर्गत गो-मूत्र एवं गोबर से कीटनाशक एवं अन्य उत्पाद तैयार किये जायेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय, गौशालाओं की नियमित ऑन लाईन मॉनीटरिंग के लिए हमने साफ्टवेयर का भी विकास किया है. अभी तक सोचा जाता था कि ढोर-पशुओं के लिए ई-मॉनीटरिंग की क्या जरुरत है, कम्प्यूटर की क्या जरुरत है लेकिन हमने वह भी कर दिखाया. हमने गौशालाओं की नियमित ऑन लाईन मॉनीटरिंग के लिए साफ्टवेयर तैयार करके मॉनीटरिंग प्रारंभ कर दी है. इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए.(मेजों की थपथपाहट)

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से प्रदेश में डेयरी सहकारिता की जो वर्तमान स्थिति है उसको भी मैं सदन के सामने रखना चाहती हूं. प्रदेश में वर्तमान में 5965 दुग्ध समितियां कार्यरत् हैं जिनमें से 823 समितियों का गठन पुनर्जीवन वर्ष 2013-14 में किया गया है जो कि उल्लेखनीय है.

वर्ष 2003 में दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या मात्र 2067 थी जो वर्तमान में बढ़कर 5965 हो गई. समस्त दुग्ध संघों में कुल 2.22 लाख सदस्य हैं जिनमें से 80 हजार महिलाएं हैं. कुल सदस्यों में से 72 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के हैं. ऐसा नहीं है कि हमने किसी वर्ग को छोड़ दिया हो. अगर सामान्य वर्ग के लोग इन समितियों में है तो अनुसूचित जाति,जनजाति के भी हैं और महिलाएं भी हैं.

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार वर्ष 2013-14 दुग्ध का औसत संकलन 8.25 लाख किलोग्राम प्रतिदिन है जबकि वर्ष 2003 में औसत दुग्ध संकलन मात्र 2.91 लाख किलोग्राम था. वर्ष 2013-14 के दौरान दुग्ध उत्पादकों को रुपये 838 करोड़ का भुगतान किया गया था जो कि 2003 की तुलना में लगभग 8 गुना है.

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में, आपको मैं यह विश्वास दिलाना चाहूंगी कि दुग्ध संघ प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में निवासरत् दुग्ध उत्पादकों को रोजगार का स्थायी साधन उपलब्ध कराने की दिशा में तथा उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता के दुग्ध उत्पादन उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रसर है. हमारा 'सांची' दुग्ध उत्पाद पूरे देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहा है. हम सांची को अमूल के मुकाबले पर ले जाना चाहते हैं. वह दिन दूर नहीं जब हम सांची के उत्पादों को अमूल के उत्पादों से बहुत आगे ले जायेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय, जिन सदस्यों ने पशुपालन विभाग की मांगों पर हिस्सा लिया है उन सबको मैं पुनः धन्यवाद देना चाहती हूं.

उपाध्यक्ष महोदय, अब, मैं मत्स्य पालन विभाग के बारे में कहना चाहती हूं. जिन सदस्यों ने इस विभाग की चर्चा में हिस्सा लिया उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं. मत्स्योद्योग विभाग में राज्य मछली पालन के विकास के लिए ग्रामीण तालाबों, जलाशयों के कुल उपलब्ध 4 लाख 1

हजार हेक्टर जल क्षेत्र में से 3 लाख 92 हजार हेक्टर लगभग 98 प्रतिशत क्षेत्र को मछली पालन के अंतर्गत लाया जा रहा है.

उपाध्यक्ष महोदय, मछली बीज के उत्पादन के बारे में सिवनी के रजनीश जी ने चिन्ता की थी. उनके यहां बहुत अच्छा मत्स्य बीज का उत्पादन हो रहा है. वहीं के रहने वाले हैं लेकिन उनको यह पता नहीं है. बड़े अफसोस की बात है.

श्री रजनीश सिंह-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवलारी विधानसभा के संजय सरोवर की बात कर रहा था. हमारे यहां पर दो बीज प्रक्षेत्र हैं एक बरघाट में और एक लखनादौन में है लेकिन सबसे बड़ा जो बांध है वह केवलारी में है.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - अगर वहां नहीं है तो वहां भी कर देंगे.

श्री रजनीश सिंह - धन्यवाद, माननीय मंत्री महोदया.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013-14 में 8680 लाख स्टेंडर्ड फ्राई मछली बीज के उत्पादन के लक्ष्य के विरुद्ध हमने 9621 लाख स्टेंडर्ड फ्राई मछली बीज का उत्पादन किया. जो कि गत वर्ष 7980 लाख स्टेंडर्ड फ्राई मछली बीज के उत्पादन की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है. आगामी वर्ष 2014-15 में हम 9080 लाख स्टेंडर्ड फ्राई मछली बीज का उत्पादन करने का हमारा प्रस्ताव है. मत्स्य उत्पादन के बारे में आपसे कहना चाहती हूं कि वर्ष 2013-14 में 96258 टन मत्स्य उत्पादन किया जा चुका है, जो कि गत वर्ष 85235 टन की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है तथा वर्ष 2014-15 में सौ हजार टन मत्स्य उत्पादन का हमारा प्रस्ताव है, अब इस लक्ष्य को हम पूरा भी कर लेंगे. (मेजों की थपथपाहट)..

उपाध्यक्ष महोदय, मछुआ सहकारिता के बारे में सभी सदस्यों ने चिंता की, उसका मैं समाधान करना चाहती हूं. मछुआ सहकारिता में मेरा निवेदन है कि राज्य में पंजीकृत प्राथमिक मछुआ सहकारी समितियों की संख्या 2057 है और सदस्य संख्या 76384 हो गई है. जिसमें 45

महिला प्राथमिक मछुआ सहकारी समितियां भी हैं और 1214 महिला सदस्य मत्स्य उद्योग कार्य में संलग्न हैं. क्रेडिट कार्ड भी हमने बनाए हैं. जिस प्रकार से किसान क्रेडिट कार्ड बनते हैं, उसी प्रकार से हमने फिशर मैन क्रेडिट कार्ड भी बनाए हैं, जिससे उन्हें कभी जरूरत पड़ जाय तो इन फिशर मैन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वे अपनी आर्थिक जरूरत को पूरा कर सकते हैं. प्रदेश के मछुआरों को मत्स्य पालन के लिए कार्यशील पूंजी हेतु अल्पकालीन ऋण के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 में 9000 फिशर मैन क्रेडिट कार्ड बनाए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध हमने 9091 फिशर मैन क्रेडिट कार्ड बनाए हैं. वर्ष 2014-15 के लिए हमारे 10000 फिशर मैन क्रेडिट कार्ड बनाने का लक्ष्य है, जिसे हम पूरा कर लेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय, अब केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूं. मछुआरों का दुर्घटना बीमा करना भी आवश्यक होता है क्योंकि नदी, तालाब में वे काम करने जाते हैं. कभी कोई दुर्घटना हो सकती है तो बीमा सुरक्षा होना चाहिए. उसकी भी हमने चिंता की है. मछुआरों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम के तहत मछुआरों की सुरक्षा एवं दुर्घटना की स्थिति में बीमा योजना में शत-प्रतिशत शासकीय दर पर वर्ष 2013-14 में 173657 मछुआरों को बीमा सुरक्षा दी गई है. जो कि एक ऐतिहासिक काम है और बड़ा सामाजिक काम है.

उपाध्यक्ष महोदय, आगामी वर्ष 2014-15 में 175862 मछुआरों को दुर्घटना बीमा का लाभ हमें देना है और वह हम देंगे. बचत सह राहत योजना के अंतर्गत भी मछुआरों के बीच में काफी काम किया है और राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण निधि से राज्य के मछुआरों के लिए बचत सह राहत योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में 15805 मछुआरों को राहत राशि उपलब्ध कराई है. वर्ष 2014-15 में 21469 मछुआरों को राहत राशि उपलब्ध कराने का हमारा प्रस्ताव है और हम यह उपलब्ध करा देंगे.

वर्ष 2013-14 की विशेष उपलब्धियां हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहती हूं. उत्कृष्ट सहकारी संस्था, सहकारिता के क्षेत्र में मछुआरों के उत्थान हेतु मत्स्य महासंघ द्वारा किये जा रहे कार्यों के लिए भारतीय राष्ट्रीय सरकारी संघ, नई दिल्ली द्वारा हमें सहकारी संस्था के रूप में पुरस्कृत भी किया गया है. जो कि हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. इसके पहले कभी यह पुरस्कार नहीं मिला था, जो अभी हमें यह प्राप्त हुआ है.

उपाध्यक्ष महोदय, मछलियों का उत्पादन नदी, तालाब में तो होता ही है. लेकिन हमारी आबादी को, हमारे लोग जो प्रोटीन की कमी से प्रभावित होते हैं, जो लोग बीमार होते हैं, उनके लिए हमने कैज कल्चर के रूप में मछली पालन का एक नया प्रयोग किया है, जो कि विदेशों में होता था, नार्वे में, जापान में, चीन में, उसी पद्धति से अपने यहां भी हमने कोशिश की है और हम सफल भी हुए हैं. कैज कल्चर के अंतर्गत अत्याधुनिक पद्धति से खंडवा जिले के इंदिरा सागर, मंदसौर जिले के गांधी सागर, रायसेन जिले के हलाली, दाहोद जलाशय तथा सागर जिले के बीना जलाशय में कैज इकाइयों की स्थापना की गई है.

श्री शंकरलाल तिवारी - उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बाण सागर को भी जुड़वा देते तो कृपा होती. मत्स्य उत्पादन बढ़ जाता, बाण सागर में भी पानी का बड़ा स्टोरेज है.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले- जल संसाधन विभाग से अनुमति मिल जाएगी तो उसको भी हम कर देंगे. जलाशयों में सेज इकाईयों की स्थापना का वित्तीय वर्ष 2013-14 से उत्पादन प्रारंभ कर दिया है .हमने प्रदेश में पशु चिकित्सा विश्व विद्यालय जबलपुर में मत्स्य विज्ञान संकाय भी प्रारंभ किया है, जो हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. इतना ही कह कर मैं मत्स्य विभाग..

श्री के.के.श्रीवास्तव- टीकमगढ़ में वेटनरी कॉलेज मांगा है ,मंत्री महोदया.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले- वेटनरी कॉलेज तो पन्ना में खुल रहा है आपके यहां हार्टिकल्चर का खुलेगा.

उपाध्यक्ष महोदय—दीदी आप सबके लिए दे रही हैं तो अमरपाटन क्षेत्र के लिए भी थोड़ा सा गुंजाईश रखेंगी.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले- जरूर उपाध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे तो हम नहीं मानेंगे ऐसा तो हो ही नही सकता. आप हमारे भाई हैं और माननीय उपाध्यक्ष भी हैं इसलिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है.

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बारे में कुछ निवेदन करना चाहती हू. क्योंकि सबसे ज्यादा सदन में अगर मेरी विभाग की मांगे में भाषण हुए हैं तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के संबंध में ही हुए हैं. इस विभाग के लिए वर्ष 2013-14 के लिए कुल रूपये 1124.54 करोड़ , राज्याशं रूपये 560.24 करोड़ एवं केन्द्रांश 564.80 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था. उपाध्यक्ष महोदय, राज्य आयोजना के अंतर्गत 2013-14 में विभाग के लिए 528.39 करोड़ एवं केन्द्र सरकार से रूपये 605.67 करोड़ , इस प्रकार कुल रूपये 1134 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ जिसकी कुल रूपये 996.98 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली जनता के लिए काम करता है. उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य अपनी नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की चर्चा कर रहे थे तो वही मैं निवेदन करना चाहती थी कि ग्रामीण बसाहट के लिए PHE विभाग काम करता है. ये विभाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली लगभग 5.25 करोड़ जनता को पानी पिलाने का कार्य करता है. अब तक प्रदेश में पेयजल व्यवस्था का मूल रूपसे हैण्ड पंपों पर आधारित था लेकिन अब हम उस पर आधारित न होकर नये उपाय भी सोच रहे हैं और प्रदेश में अधिकांश क्रियान्वित नल जल योजनाएँ भी भूजल पर ही आधारित हैं. इससे होता क्या है कि जो अण्डर ग्राऊंड वाटर है उसमें निरंतर कमी आती जा रही है और जमीन सूखती है उसमें दरारें पड़ती है और सूखे की स्थिति निर्मित होती है. इसलिए हमारे विभाग ने ,हमारी सरकार ने ,माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोकि बहुत

संवेदनशील है , अन्य उपाय भी हम लोगों ने सोचे हैं कि हम सिर्फ भूजल पर आधारित न रहें , अन्य उपाय भी हमें करना चाहिए ताकि हम धरती माता का सीना जितने कम हो सकें छेदें और उसके अंदर का पानी कम से कम निकाले. पेयजल व्यवस्था के संबंध में राष्ट्रीय नीति, अब हैण्ड पम्पों के स्थान पर नल प्रदाय योजना के घरेलू कनेक्शन देकर पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है . अब हैण्ड पंप न खोद कर नलों के कनेक्शन घरों में देंगे. वर्ष 2022 तक हम 75 प्रतिशत परिवारों को घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करा देंगे , यह हमारा टार्गेट है. वर्तमान में नलजल योजना के माध्यम से ग्रामीण आदमी को पेयजल उपलब्धता का राष्ट्रीय औसत 47.60 प्रतिशत है और प्रदेश का 26.10 प्रतिशत है. अतः इस क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत के बराबर हम वर्ष 2022 तक आ जाएँगे. बल्कि हम और जल्दी प्रयास करेंगे. भूजल के निरन्तर गिरते स्तर को ध्यान में रखते हुए अब हम सतही स्रोतों पर आधारित अब हम समूह जल प्रदाय योजना को क्रियान्वित करने का हमने उपाय किया है और इसीलिए हमने मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का गठन किया है. जिससे कि हम सतही जल का उपयोग कर सकें और हमें जल के लिए हैण्ड पम्पों का सहारा न लेना पड़े. और इस मध्यप्रदेश जल निगम का गठन हमने दिनांक 6.6.2012 को किया है, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा ये जल निगम अब बहुत अच्छी तरह से काम करने लगा है और इसी के अंतर्गत हमने समूह जल प्रदाय योजनाएं भी बनायी हैं. म.प्र. जल निगम मर्यादित द्वारा सतही स्रोतों पर आधारित समूह जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है. समूह नल जल योजनाओं के अधिकाधिक संख्या में क्रियान्वयन हेतु धनराशि की आवश्यकता है इस दिशा में हमें नाबार्ड से 905 करोड़ रुपये ऋण प्राप्त हुआ है जिससे हम जल निगम का कार्य चालू कर सकेंगे. प्रथम चरण में हमने 19 जिलों को लिया है और 889 ग्रामों की 25 समूह पेयजल योजना लागत रुपये 1337.18 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति भी हमने दे दी है. ऐसा नहीं है कि हमने जल निगम बनाया और बना के हम चुपचाप बैठ गए. हमने उस पर काम भी शुरु कर दिया है और अब तक 22 योजनाओं की निविदाएँ

प्रक्रियाधीन हैं और 3 पर कार्य चल रहा है और 11.50 लाख से अधिक ग्रामीण आबादी घरेलू कनेक्शन के माध्यम पेयजल प्राप्त कर सकेगी. द्वितीय चरण में 33 समूह जल प्रदाय योजनाऑं का चयन कर सर्वेक्षण एवं डीपीआर बनाने का कार्य किया जा रहा है जिसमें 11 योजनाओं की डीपीआर तैयार कर तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है . 22 समूह जल प्रदाय योजनाओं की डीपीआर बनाने का काम प्रगति पर हैं. इन योजनाऑं के अतिरिक्त अन्य्क्लजल प्रदाय योजनाओं को भी चिन्हित करके सर्वेक्षण एवं डीपीआर बनाने का कार्य किया जा रहा है. पिछले 10 वर्षों में विभाग ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित 5.21 लाख हैण्डपम्पों में से लगभग 2 लाख से अधिक हैण्डपम्पों की स्थापना पिछले 10 वर्षों में की गई है. प्रदेश की कुल 1 लाख 27 हजार 559 बसाहटों में से 98500 बसाहटों में से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है यानी 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से हम अभी भी पानी दे रहे हैं .वित्तीय वर्ष 2013-14 में 13050 ग्रामीण बसाहटों के विरुद्ध 13858 बसाहटों को उपरोक्तानुसार पेयजल की व्यवस्था हम कर लेंगे. इसी प्रकार से पहले भी मैंने अवगत कराया है कि क्षेत्र में जल प्रदाय की राष्ट्रीय नीति अब घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदाय की नीति बनेगी और हम हैण्डपम्पों पर निर्भर नहीं रहेंगे. इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष में हमने 1500 एकल ग्राम नल जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 426.40 करोड़ राज्यांश, यह सब बताने की जरुरत नहीं है, 426.40 करोड़ का हमने प्रावधान किया है. इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन्दौर जिले की चौरल समूह योजना जिसमें 51 ग्राम शामिल है. बालाघाट जिले की लालबर्रा समूह योजना जिसमें 101 ग्राम शामिल है, डिण्डौरी जिले की मड़िया राज्य समूह योजना,जिसमें 23 ग्राम शामिल हैं, इन योजनाओं का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और इन योजनाओं को हम जल्द से जल्द पूर्ण कर लेंगे. इसीप्रकार से सीहोर जिले में बनेटा समूह योजना जिसमें 74 ग्राम हैं और 75.41 करोड़ की योजना है. बैतूल जिले के माननीय खण्डेलवाल जी अपने

जिले की चिन्ता कर रहे थे तो बैतूल जिले की आठनेर विकासखण्ज की घनौरा समूह की 20 ग्राम जिसमें शामिल हैं, 30.99 करोड़ की योजना का कार्य स्वीकृत करके प्रारम्भ कर दिया गया है. नल जल योजनाओं की स्वीकृति और प्रावधानों में संशोधन किया गया है. अब योजनाओं की स्वीकृति जब 75 प्रतिशत गांव के परिवार कहेंगे कि हमें नल जल योजना चाहिए तभी हम नल जल योजना चालू करेंगे क्योंकि होता यह है कि हम नल जल योजना तो चालू कर देते हैं लेकिन उनका संधारण, उसकी सुरक्षा ग्रामवासी नहीं करते, इसीलिए वह फेल हो जाती हैं तो अब हमने यह निश्चित किया है कि जब 75 प्रतिशत परिवार कनेक्शन लेने की सहमति जतायेंगे और राजी होंगे तभी हम वहां नल जल योजना चालू करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे और इसके लिएहमने एक परेसेंट अनुसूचित जाति और जनजाति बसाहटों के लिए और 3 परसेंट सामान्य जाति के लिए किया है लेकिन अभी हमारे दिलीपसिंह शेखावत जी और दो हमारे विधायक महोदय...

श्री राजेन्द्र पाण्डेय-- माननीय सभापति महोदय,हमने निवेदन किया था माननीय मंत्री जी से विधायक निधि उसमें सम्मलित कर दें, 1 परसेंट विधायक निधि कर दें क्योंकि जनभागीदारी से वह राशि नहीं एकत्रित होगी. ग्राम पंचायत के माध्यम से वह राशि जमा करना है..(व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह चौहान-- माननीय मंत्री जी, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है 1 परसेंट विधायक निधि कर दें.

श्री दिलीप सिंह शेखावत--- हमारी माननीय बुआजी जरूर करेंगी.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं कि इस मामले को हम ले जाएंगे और मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे , विभाग से चर्चा करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो केबिनेट में ले जाएंगे और प्रयास करेंगे कि 1 परसेंट कर दिया जाये. माननीय सभापति महोदय, आपने सुझाव दिया है उसी की बात कर रही हूं कि नल जल योजनाओं के क्रियान्वयन में जन भागीदारी को समाप्त किया जावे,शासन यह विचार कर रहा है कि जन भागीदारी को पूर्णतः समाप्त

न करते हुए जनभागीदारी के वांछित अंश की प्रतिपूर्ति आवश्यकतानुसार अंशतः सांसद विधायक मद की राशि में से किया जावे. वित्तीय वर्ष 2014-15 में पेयजल विहीन चिन्हित 1400 सर्व शिक्षा अभियान की ग्रामीण शालाओं में हमने हैंडपंप लगाये हैं और 16 करोड़ रुपये की राशि दी है और 50 प्रतिशत राशि केन्द्रांश के रूप में भी होगी और वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासकीय भवनयुक्त आंगनवाड़ियों में भी हमने हैंडपंप लगाये है. 5794 आंगनवाड़ियां लक्षित की गई हैं और 5794 लाख का प्रावधान किया गया है और कुल 5397 आंगनवाड़ियों में पेयजल की व्यवस्था हमने उपलब्ध करवा दी है जिस पर 6869.40 लाख रुपये का व्यय हुआ है. इस वित्तीय वर्ष में हमने प्रदेश की पेयजलविहीन लगभग 4400 शासकीय भवनयुक्त आंगनवाड़ियों में पेयजल की व्यवस्था कर दी है और 45.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है . उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2014-15 में हमने 700 आदिवासी छात्रावासों में पेयजल की व्यवस्था कर दी है और 376.85 लाख रुपये का प्रावधान किया है जिसके अंतर्गत छात्रावास और आश्रमों में पेयजल की व्यवस्था हो गई है, हैंडपंप लग गये हैं. पीएचई विभाग जहाँ एक ओर पेयजल की मात्रात्मक उपलब्धता सुनिश्चित कर जलप्रदाय के स्तर में निरंतर बढ़ोत्तरी कर ग्रामीण के जीवन स्तर में उन्नयन का प्रयास कर रहा है और उसके साथ ही हम उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दे रहे हैं कि साफ पानी सबको उपलब्ध हो और दूषित जल पीकर लोग बीमार न पड़े. उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिए भी हमने उपाय किये हैं. 2013-14 में हमने 1750 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराना लक्षित था जिसके विरुद्ध हमने 1002 बसाहटों में काम पूरा कर लिया है और वैकल्पिक पेयजल की व्यवस्था हमने कर दी है. इसी प्रकार 2014-15 में गुणवत्ता प्रभावित 964 बसाहटों में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु रुपये 80 करोड़ का हमने प्रावधान किया है. उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे यह बोलते हुए बड़ी खुशी है कि धार,झाबुआ, अलीराजपुर,रतलाम, खरगौन , मंडला, डिंडौरी जिले के दूरदराज इलाके में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई-बहन गुणवत्ता प्रभावित पानी का उपयोग नहीं करेंगे और शुद्ध

पानी हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे और हम नर्मदा, माही, मान आदि नदी और जलाशयों से इन बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे . इसी प्रकार से हमने धार जिले में तीन समूह योजना क्रमशः नालछा, बदनावर और सरदारपुर तथा मंडला जिले में मोहनगांव समूह योजना प्रारंभ की है और इस तरह से 184 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों की जनता को हम शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे और बुंदेलखंड राज्य सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है. लेकिन हम इसको पिछड़ा नहीं रहने देंगे क्योंकि हम खुद बुंदेलखंड के निवासी हैं . उपाध्यक्ष महोदय, बुंदेलखंड राज्य का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ ग्रीष्मकाल में प्रतिवर्ष किसी न किसी जिले में पेयजल संकट की स्थिति निर्मित होती है तो हमने उपाय किया है कि बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत.लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के 6 जिलों में, कमशः सागर, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह एवं दतिया में 1287 पेयजल योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं (मेजों की थपथपाहट) और 1103 योजनाओं के कार्य हमने पूर्ण कर लिए हैं.

उपाध्यक्ष महोदय-- आपने ललिता जी को भी प्रसन्न कर दिया है.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- ललिता जी को भी प्रसन्न कर दिया और ललिता जी....

श्री शरद जैन-- उपाध्यक्ष महोदय, वे भी बुंदेलखंड की हैं.

उपाध्यक्ष महोदय-- मुझे मालूम है. मैं जानता हूँ. सब जानता हूँ.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- आप भी जबलपुर के हैं, वह भी बुंदेलखंड का ही हिस्सा है.

उपाध्यक्ष महोदय-- आप कहाँ झगड़े में पड़ते हों साहब उनके पिताजी ने और हमारे पिताजी ने साथ काम किया हुआ है.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- उपाध्यक्ष जी के और मेरे पिताजी ने. उपाध्यक्ष महोदय, 1103 योजनाओं के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं और 1047 योजनाओं में जल प्रदाय भी प्रारंभ कर दिया

गया है और 95.53 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है और दिसंबर 2014 तक सभी योजनाओं का काम हम पूरा कर लेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय, बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में हम केन्द्र शासन द्वारा इन 6 जिलों की 07 समूह नलजल योजनाएँ, प्राथमिक लागत रुपये 252.47 करोड़ की स्वीकृति के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं, जिस हेतु राशि रुपये 69.80 करोड़ प्रावधानित किए गए हैं एवं राशि 41.88 करोड़ रुपये विमुक्त किए जा चुके हैं. प्रदेश के 10 जिलों में क्रमशः अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, उमरिया एकीकृत कार्ययोजना के अंतर्गत आते हैं और इनमें हम काम करेंगे. इन जिलों की 1199 ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था हेतु सोलर पंपों की स्थापना कर रहे हैं. यह नया काम है, अभी तक सोलर एनर्जी के द्वारा पंपों को नहीं चलाया जाता था. लेकिन अब पीएचई विभाग सोलर एनर्जी का भी उपयोग कर इन पंपों को चलाएगा और सोलर पंप के माध्यम से हम नल जल प्रदाय योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं. योजनाओं का संचालन और संधारण व्यय कम से कम हो, ग्रामवासी योजनाएँ स्वयं संचालित कर सकें इसलिए हमने 2013-14 में 350 सोलर पावर पंप आधारित योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और इस वित्तीय वर्ष में 849 योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा.

उपाध्यक्ष महोदय-- दीदी, थोड़ा संक्षिप्त कर दें. समय ज्यादा हो गया है.

सुश्री कुसुमसिंह महदेले-- उपाध्यक्ष महोदय, अब क्या करूँ अब विभाग ही इतने हैं.

उपाध्यक्ष महोदय-- जो आवश्यक हैं वह बता दें.

एक माननीय सदस्य-- माननीय मुख्यमंत्री जी दीदी पर मेहरबान हैं.

उपाध्यक्ष महोदय-- निःसंदेह.

सुश्री कुसुमसिंह महदेले-- उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी 118 योजनाएँ हैं जिनमें जल कर की वसूली इतनी नहीं हो पाती थी कि वे संचालन-संधारण हेतु स्वशासी हो सकें इसलिए हमने 800

लाख की लागत से सोलर पावर पंपों का काम चालू किया है और 70 सोलर पंपों की स्थापना की जा चुकी है और कार्य प्रगति पर है. उपाध्यक्ष महोदय, और भी बहुत सारी छोटी मोटी योजनाएँ हैं, 115 छोटी योजनाएँ हैं जहाँ जनसंख्या 1000 से कम है, वहाँ पर भी सोलर पावर पंप काम कर रहे हैं. भूजल स्रोतों पर आधारित हैं और अब मैं इसको संक्षिप्त कर देती हूँ. इस प्रकार से हम पीएचई विभाग में अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा यह संकल्प है कि हम मध्यप्रदेश के किसी भी क्षेत्र में पानी की उपलब्धता कम नहीं होने देंगे और ग्रीष्मकाल में समुचित पेयजल व्यवस्था बनाए रखने हेतु विद्युत वितरण कंपनियों को नल जल योजनाओं के लिए 40 करोड़ रुपये के लंबित विद्युत देयकों का भुगतान भी हमने कर दिया है. अभी तक यह होता था कि नल जल योजनाएँ हैं लेकिन सरपंच बिजली का बिल नहीं देते थे तो अब यह निश्चित किया गया है कि सरकार खुद उस बिल को पटाएगी तो अब वह नल विच्छेद...

श्री वेल सिंह भूरिया-- उपाध्यक्ष महोदय, जल समितियाँ बना दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—उपाध्यक्ष जी, आज क्या डिनर की भी व्यवस्था है.

उपाध्यक्ष महोदय-- अब समाप्त हो रहा है.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मध्यप्रदेश शासन ग्रामीण नल जल योजनाओं को चालू रखने में अब गंभीरता से विचार कर रहा है. टूटे फूटे प्लेटफार्मों का भी हमने निर्माण कराया याने किसी प्रकार से हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है. अभी चिन्ता व्यक्त की जा रही थी कि सड़ी गली पुरानी मशीनें हैं तो ऐसा नहीं है हमारे विभाग के पास बहुत बढ़िया बढ़िया मशीनें हैं और हमने 38 हाईप्रेशर मशीनें क्रय की हैं. मशीनों की क्षमता 200 मीटर गहराई तक नलकूप खनन करने की है और चार और हमारी नई मशीनें आ रही हैं. जो बोल्डर, रेत, कैसी भी अर्थ हो उसकी खुदाई करने में सक्षम होंगी.अभी हमारे पास 110 क्रियाशील मशीनें हैं, 38 हाई

प्रेशर मशीनें हैं 4 पॉवरफुल रिग मशीनें हमारे पास आ रही हैं. विगत तीन वर्षों में इन मशीनों से 34394 से अधिक नलकूपों का खनन किया जायेगा और किया गया है. हम पीएचई विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में पानी की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहने देंगे. हमें पूरी चिंता है.

उपाध्यक्ष महोदय, विधि विधायी कार्य की चर्चा में ज्यादा सदस्यों ने भाग नहीं लिया है लेकिन जिन्होंने भी भाग लिया है मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं.जन प्रवर्तित योजान के अन्तर्गत प्रदेश में न्यायिक अधोसंरचना न्यायालय भवन, न्यायालय कक्ष, न्यायिक अधिकारी आवास के निर्माण हेतु 2013-14 के बजट में कुल 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 80 करोड़ न्यायालय भवन, 40 करोड़ आवासीय भवन हेतु प्रावधान किया गया है. प्रदेश में 2013-14 में पांच नवीन न्यायालय भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 16 नवीन न्यायालय भवन निर्माणाधीन हैं 23 नवीन न्यायालयों के भवनों का निर्माण शीघ्र प्रारंभ होना है और 26 न्यायालयों के कक्ष निर्माणाधीन हैं. 2013-14 में न्यायिक अधिकारियों के लिये 24 आवास गृहों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, 147 आवास निर्माणाधीन हैं. वर्ष 2013-14 में 41 करोड़ 64 लाख 30 हजार 808 रुपये की राशि न्यायिक अधोसंरचना पर व्यय कर चुके हैं. मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 5 (ख) के अधीन सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 के 51 नवीन न्यायालय मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 3 मई 2014 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 11 मार्च 2014 स्थापित किये गये हैं. यानि हमने नवीन न्यायालय भी खोले हैं. केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रदेश में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश स्तर के दो-दो न्यायालय कार्यरत् हैं जो एक नई उपलब्धि है. इंदौर एवं जबलपुर में एक-एक मजिस्ट्रीयल कोर्ट द्वारा सीबीआई के प्रकरणों की सुनवाई करने की व्यवस्था की है. विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अधीन भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु प्रदेश में आठ विशेष न्यायालय भी हमने खोले हैं. क्रमश: भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर प्रत्येक स्थान पर दो-दो न्यायालय खोले गये हैं. जिससे कि वादों की भीड़ न हो और

जनता को त्वरित न्याय मिल सके इस बात की हमने चिंता की है. 2013-14 की जो हमारी उपलब्धियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहती हूँ. विधिक सहायता/ विधिक सलाह योजना में वित्त वर्ष 2013-14 में अप्रैल माह 2013 से मार्च 2014 तक हमने 73703 व्यक्तियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराई है. अनुसूचित जाति के 17668, अनुसूचित जनजाति के 13490 और सामान्य तथा पिछड़ा वर्ग के 42545 व्यक्तियों को हमने विधिक सहायता के द्वारा लाभान्वित किया है.

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमने पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना भी चालू की है और उपरोक्त अवधि में हमने पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना अन्तर्गत 405 प्रकरणों का निपटारा किया है. जिसमें अनुसूचित जाति के 103, अनुसूचित जनजाति के 25 तथा पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के 277 प्रकरण हैं. स्थायी और निरन्तर लोक अदालतें भी हमारे यहां चल रही हैं. माह अप्रैल में 2014 तक कुल 1480 लोक अदालतें आयोजित की गईं और हमने 48893 प्रकरणों का निराकरण किया है उक्त निराकृत प्रकरणों में अनुसूचित जाति के 7275 अनुसूचित जनजाति के 6097 तथा पिछड़ा वर्ग व सामान्य के 35521 प्रकरण सम्मिलित हैं. शासन द्वारा योजना कार्यक्रम के व्यय हेतु 1 करोड़ 06 लाख 25 हजार रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें से सामान्य योजना में, यह बताने की जरुरत नहीं है, संक्षिप्त कर देती हूं या इसे पटल पर रख दूंगी.13 वें वित्त आयोग में न्याय प्रशासन में सुधार हेतु प्राप्त अनुदानों में से 14 हेरिटेज न्यायालय भवनों का हमने पुनरुद्धार किया और इसकी 11 करोड़ 69 लाख 1399 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दि.26.5.2014 को जारी की गई. न्यायिक अकादमी के सुदृढीकरण के लिये हमने न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण की योजना के अंतर्गत राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर में क्षेत्रीय केंद्र इन्दौर एवं ग्वालियर के भवनों की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और इन्दौर में भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में है और ग्वालियर के भवन निर्माण हेतु 54 लाख रुपये की राशि जारी की

जा चुकी है. मध्यप्रदेश शासन द्वारा बृजमोहनलाल के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्देश में दिये गये निर्देशों का क्रियान्वयन किया जा चुका है और इसके तहत सिविल जज वर्ग-दो, प्रवेश स्तर के 86 पद स्टाफ के 602, जिला न्यायाधीश प्रवेश स्तर 52 पद और स्टाफ के 468 पद, वर्ष 2012-13, 2013-14 में दिनांक 15.2.2013 के आदेश द्वारा सृजित किये जा चुके हैं और प्रदेश में 2013-14 में 20 जिला मुख्यालयों एवं वर्ष 2014-15 में 39 जिला मुख्यालयों में कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना की जा चुकी है और सुपर टाईम वेतनमान 39 पद, स्टाफ के 1014 पद सृजित किये जा चुके हैं और दि.1.4.2014 से

बैतूल,सतना

,मंदसौर,कटनी

,रतलाम,छिन्दवाड़ा

,सिवनी

,गुना

,देवास,भिण्ड,विदिशा

,धार,बालाघाट,छतरपुर,सिंगरौल्ली ,मण्डलेश्वर,नीमच,मुरैनना ,सीधी,मण्डला जिलों में जिला मुख्यालयों पर कुटुम्ब न्यायालय स्थापित होकर प्रारंभ हो चुके हैं. यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है. इसी प्रकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 45 विशेष न्यायालय हमने स्थापित किये हैं. सिविल जिला अशोक नगर,बुरहानपुर,उमरिया,अनूपपुर,डिण्डौरी,सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न, अलीराजपुर में उक्त अधिनियम के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अधिसूचित किया गया है. उक्त 7 विशेष न्यायालय स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. वर्तमान में प्रदेश में प्रचलित ई कोर्स की भीस्थापना हमने की है. हमने इस संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रेषित एम.ओ.यू. को क्रियान्वित

किये जाने हेतु योजना तैयार करने की कार्यवाही चल रही है. लोक अदालतों के बारे में मेरा निवेदन है कि नेशनल/ मेगा लोक अदालत- वित्त वर्ष 2013-14 में माह अप्रैल,2013 से मार्च,2014 तक की अवधि में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण,नई दिल्ली के निर्देशानुसार हमने 30.11.2013 से प्रदेश में उच्च न्यायालय समस्त जिला एवं समस्त तहसील मुख्यालयों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन कराया गया जिसमें विभिन्न प्रकार के कुल 20 लाख 3 हजार 878 प्रकरणों का निराकरण किया गया है और रुपये 6,10,62,11,647/- मुआवजा/डिक्री/वसूली/समझौता राशि के रूप में पक्षकारों को दिलवाया गया.

म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.11.13 को ही प्रदेश में मेगा लोक अदालत का आयोजन भी कराया गया जिसमें शासन के समस्त विभागों से पक्षकारों के विवाद से संबंधित कुल 33,84,500 आवेदन पत्रों का लीगल सर्विस सेंटर के रूप में निराकरण किया जाकर रुपये 4,13,87,87,035/- समझौता राशि के रूप में पक्षकारों को दिलवाया गया. इस तरह मेगा लोक अदालत में कुल 37,19,480 को लाभान्वित करवाया.

उद्यानिकी विभाग में उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहती हूं कि 2014-15 में उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिये रुपये 481 करोड़ 91 लाख का प्रावधान रखा गया है, ताकि कृषकों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके.सभी वर्गों के लिये उद्यानिकी से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया. आम किसानों को विभाग की योजनाओं की जानकारी देने के लिये विकासखण्ड एवं जिला स्तर पर प्रचार-प्रसार किया गया. वर्ष 2014-15 में 14500 कृषकों को उद्यानिकी की उच्च तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा और कार्यक्रम रोपिणी स्तर पर पर राज्य के भीतर प्रशिक्षण सह भ्रमण और राज्य के बाहर कृषकों को प्रशिक्षण सह भ्रमण कराया जाना प्रस्तावित है. उद्यानिकी विभाग में किसानों को उद्यानिकी की ओर प्रोत्साहित करने के लिये उच्च गुणवत्ता वाले पौधे एवं कीटनाशक दवाओं का प्रदाय किया जाता है. प्रदेश में अच्छी गुणवत्ता के

पौधे किसानों को उपलब्ध हो सके इसके लिये हमारी सरकार शासकीय क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र की नर्सरियों को बढ़ावा दे रही है. प्लग-टाईप सीडलिंग से उन्नत सब्जी उत्पादन हेतु योजनान्तर्गत प्रथम चरण में भोपाल, इन्दौर, मुरैना एवं ग्वालियर में स्थापित इकाइयों तथा प्रदेश के कृषकों को उच्च तकनीक से उत्पादित सब्जी, पौध सीडलिंग उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके. निजी क्षेत्र में रोपणियों की स्थापना की जाती है इस बार नर्सरी की स्थापना के लिये 5 लाख रूपये तक का बैंक ऋण देने पर सामान्य वर्ग की लागत 33 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख 75 हजार रूपये का अनुदान दिया जाता है. अनुसूचित जाति, जनजाति की लागत 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 2 लाख 50 हजार का जो भी कम हो, अनुदान दिया जाता है.

उपाध्यक्ष महोदय, गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले कृषकों के लिये बाड़ी किचन गार्डन योजना संचालित है इस योजना के अंतर्गत 75 रूपये के सब्जी बीज पैकेट प्रदान किये जाते हैं जो फ्री में दिये जाते हैं. वर्ष 2014-15 में 9 लाख, 39 हजार 881 हितग्राहियों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है. माईक एवं एरीकेशन की योजनाएं हमने प्रारंभ की है. स्प्रिंकलर एवं ड्रिप की योजना भी चालू की है, राष्ट्रीय खाद्य प्रस्संकरण मिशन भी चालू किया है और भी बहुत कुछ इस विभाग में करना जरूरी है जो कि हम कर रहे हैं. बुंदेलखंड के सभी जिलों में इस उद्यानिकी मिशन की योजना को शामिल किया है, मालवा अंचल में भी काम कर रहे हैं. प्रदेश के सभी जिलों में उद्यानिकी विभाग के काम को चालू करेंगे. खाद्य-प्रस्संकरण के मामले में तो अभी कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन हम इस पर विचार कर रहे हैं कि इसमें कुटीर उद्योग को भी शामिल करें इस उद्योग के माध्यम से खाद्य प्रस्संकरण का काम शुरू करें इसमें आलू, चिप्स, आटा मिल, कोन मिल, दूध की कोल्ड चेन परियोजना, आईल मिल, मिठाई मिल, बेकरी इत्यादि यह सब बनाये जायें, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं. उद्यानिकी में निजी भागीदारी के द्वारा हम प्रदेश के चार जिले बुरहानपुर,

शाजापुर, उज्जैन, मंदसौर को रूपये 223 करोड़ की परियोजनाएं हार्टीकल्चर के साथ प्रारंभ की जा रही है.

श्री वैलसिंह भूरिया—उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दीदी धार को भी जोड़ लें.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—उपाध्यक्ष महोदय,धार शहरी कल्चर में जुड़ा है. बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास हेतु जिला छतरपुर में 50 करोड़ रूपये के हार्टीकल्चर हब की योजना प्रारंभ की जा रही है जिसमें ट्रांजिक्शन एडवाईजर की नियुक्ति हो चुकी है. खाद्य पदार्थों के उचित भंडारण हेतु फसलोत्तर प्रबंधन में आधुनिक कोल्ड स्टोर का निर्माण किया जा रहा है इसकी लागत राशि 50 करोड़ रूपये होगी. जन निजी भागीदारी की भी परियोजनाएं हैं, खाद्य पदार्थों को सढ़ने से बचाने के लिये कोल्ड चेन की परियोजना है जिसमें 200 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है. इसी प्रकार से प्रदेश की अलाभकारी प्रक्षेत्रों को लाभकारी बनाने हेतु 60 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिसमें हम पौध उत्पादन करेंगे. निजी जन-भागीदारी की परियोजनाएं हैं प्रदेश में अधिक उत्पादकता वाले पौध सामग्री के लिये बड़ा टिशू कल्चर लेब जिला जबलपुर में निर्मित किया जा रहा है, जिसके लिये 50 करोड़ रूपये का प्रावधान है. बाजार व्यवस्था को नियंत्रित किये जाने के लिये कृषकों को उनके उत्पाद का समुचित मूल्य प्राप्त हो सके इसके लिये हम 50 करोड़ का हार्टीकल्चर इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्ज परियोजना को प्रारंभ कर रहे हैं. इस प्रकार से उद्यानिकी के क्षेत्र में हम मसाला, सब्जी तथा काफी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. कुछ फसलें जिलेवार इस प्रकार हैं—संतरा फल छिन्दवाड़ा, शाजापुर, बैतूल, होशंगाबाद, भोपाल, राजगढ़, उज्जैन, मंदसौर, केला—बुरहानपुर, खण्डवा, धार, बड़वानी, आम—रीवा, सतना, शहडोल, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल, अमरूद—जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल, सीहोर, देवास, इन्दौर,उज्जैन, धार, मसाला—धनिया—गुना, अशोक नगर, राजगढ़, मिर्च वगैरह खरगौन, बड़वानी, इन्दौर उज्जैन, लहसुन—रतलाम,मंदसौर, नीमच और सब्जी प्रदेश के सभी जिलों में पैदा कराने का प्रयास किया जा रहा है.

इस प्रकार से उद्यानिकी विभाग में बहुत काम कर रहे हैं इसमें मौसम आधारित फसल बीमा प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर रहे हैं इसमें इस वर्ष प्रीमियम की राशि 300 का प्रावधान किया गया है इसमें इतनी ही राशि केन्द्र से भी प्राप्त होगी. 20 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में हम उद्यानिकी फसलों का संतरा, केला, लहसुन, धनिया, मिर्च, आलू, प्याज, टमाटर अन्य सब्जियों के बीमा अंतर्गत आवरण किया जायेगा, जिससे कि यदि किसान की फसल नष्ट होती है, तो बीमा के द्वारा उसे कुछ राहत मिल जाये और सब्जी, फल, मसालों के विस्तार के लिये हम लगभग 5 हजार हेक्टेयर में उगाने का हमारा लक्ष्य है. थोड़ा सा मैं वित्तीय वर्ष 2014-15 में 481 करोड़, 91 लाख का प्रावधान रखा गया है, जिसमें से खाद्य प्रसंस्करण विभाग का आयोजना मद 332 करोड़, 47 लाख का प्रावधान किया गया है और 2014-15 में पिछले वर्ष की तुलना में 149 करोड़ 44 लाख की बढ़ोतरी की गई है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में हथकरघा संचालनालय बुनकर कटीर उद्योग के बारे में....

श्री के.के.श्रीवास्तव--उद्यानिकी यूनिवर्सिटी के बारे में आपने बात की थी. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्यानिकी यूनिवर्सिटी टीकमगढ़ में खोलने की आपने बात की थी.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले--टीकमगढ़ में एक खोल रहे हैं उद्यानिकी विभाग का आपको मैंने पहले ही बताया. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हथकरघा कुटीर उद्योग के बारे में थोड़ा सा बता रही हूं बुनकर स्वास्थ्य बीमा योजना हमने चालू की है. प्रदेश के हथकरघा बुनकरों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित की जा रही है. इसमें बीमित बुनकर परिवार के पति, पत्नि एवं 2 बच्चों को पूर्व/विद्यमान बीमारियों का इलाज ओ.पी.डी. अथवा आई.सी.आई.सी.आई.लोम्बार्ड के सूचीबद्ध नर्सिंग होम्स/अस्पतालों में कराया जा सकता है और राशि होगी 15,000 रूपये तक हम इनको सहायता देते हैं और उपाध्यक्ष महोदय, इनके लिये बीमा का कवरेज स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने का भी प्रावधान है. वर्तमान में यह योजना 30.9.2014 तक

लागू है. वित्तीय वर्ष 2013-14 योजना के अंतर्गत 15030 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है. वर्ष 13-14 में 1984 बुनकरों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा राशि रूपये 51.94 लाख का भुगतान आई.आई.सी. लोम्बार्ड द्वार बुनकरों को किया गया. वर्ष 2014-15 के लिये 15000 बुनकरों के बीमा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब कुटीर उद्योग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूं कि कुटीर एवं अति सूक्ष्म उद्योग के माध्यम से स्वरोजगार स्थापना के लिये यह योजना संचालित है. इसमें नाबार्ड द्वारा जारी अति सूक्ष्म लघु एवं कुटीर उद्योगों की सूची में शामिल 31 ग्रूप पात्र हैं, इन्हें प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना हेतु परियोजना लागत पर सामान्य वर्ग को 33 परसेंट एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये 50 परसेंट तक का अनुदान दिया जाता है उपाध्यक्ष महोदय, शेष राशि व्यक्तिगत हितग्राही/स्व-सहायता समूह एवं संस्था को स्वयं के स्त्रोत से या बैंक से ऋण के रूप में व्यवस्था करनी होती है. वित्तीय वर्ष 2013-14 में 821.59 लाख की सहायता स्वीकृत की गई है और योजना के अंतर्गत 8210 हितग्राहियों को रोजगार सृजन हुआ. वर्ष 2014-15 में इस योजना में 1214.98 लाख की सहायता का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें 1200 इकाईयों को सहायता दी जाकर लगभग 12145 रोजगार सृजन हेतु लाभ दिया जाना है उपाध्यक्ष महोदय. अब रेशम संचालनालय के बारे में कुछ बताना चाहती हूं मैं वर्ष 2013-14 में हमारा 10.947 लाख किलोग्राम मलबरी कोया का उत्पादन किया गया है और वर्ष 13-14 में हमने 15272 हितग्राहियों को लाभान्वित किया है. वर्ष 2014-15 में 12.79 लाख किलोग्राम मलबरी ककून उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है इससे हमें 21440 परिवार लाभान्वित होंगे उपाध्यक्ष महोदय. रेशम संचालनालय निजी क्षेत्र में मलबरी के पौधे का रोपण भी किया जाता है, जो कि वर्ष 2013-14 में 2543 एकड़ में किसानों द्वारा मलबरी पौधारोपण किया गया. बुरहानपुर में मलबरी क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है, किसानों को परंपरागत फसलों की तुलना में कहीं अधिक आय हो रही है, इससे बड़वानी एवं

खरगोन के कृषकों द्वारा रेशम खेती में अपनी रूचि दर्शायी है और वर्ष 2014-15 में निजी क्षेत्र में हमने 3430 एकड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं. वर्ष 2013-14 में 1.7.2013 से परिवार मूलक इकाई स्थापना योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना लागू की गई है और यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सहृदयता है कि कारीगरों को भी लाभ दिलाने की कोशिश की गई है और उनका जीवन स्तर उठाने का उपाय किया गया है उपाध्यक्ष महोदय. कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने के लिये 10 हजार तक की इकाई में 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रपये 5 हजार, शेष ऋण राशि पर शत प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है. रुपये 10 हजार से 5 लाख तक परियोना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 25 हजार, 5 वर्ष तक 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान तथा गारंटी शुल्क एवं सेवा शुल्क हेतु सहायता दी जाती है. इससे लगभग 10317 रोजगार के अवसर सृजित होंगे. वर्ष 2014-15 में राशि रुपये 1113.81 लाख के वित्तीय अनुदान से 5577 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है. विन्ध्या वैली परियोजना के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूं. विन्ध्या वैली योजनांतर्गत स्व सहायता समूहों के द्वारा निर्मित उत्पादों की वर्ष 2013-14 में राशि रुपये 590.992 लाख की बिक्री हुई है, जो एक हमारा बड़ा कीर्तिमान है. विन्ध्या वैली परियोजना के अंतर्गत आचार, मुरब्बा, शहद और अन्य जो उत्पाद हैं, उसको हमारी मध्यप्रदेश सरकार बिन्ध्या ब्रांड के नाम से बेचती है. यह जो आय है हमारी 590.92 लाख की बिक्री हुई है, जो गत वर्ष 2012-13 की तुलना में 35.35 प्रतिशत अधिक है.यह हमारी उपलब्धि है. इससे स्व सहायता समूहों को लाभान्वित किया जा रहा है. वर्ष 2014-15 में राशि रुपये 7.00 करोड़ बिक्री का लक्ष्य रखा गया है. इसी प्रकार से संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरधा विकास निगम बुनकरों एवं शिल्पियों को विपणन की सहायता दी

जाती है. 22 मृगनयनी एम्पोरियम हमारे देश भर में हैं और 56 प्रदर्शनियों का आयोजन किया है. 2013-14 में लगभग 46.65 करोड़ के शिल्प एवं वस्त्रों का विक्रय किया गया है. यानि 46.65 करोड़ के वस्त्र हमारे द्वारा मृगनयनी एम्पोरियम के द्वारा बेचे गये हैं. वर्ष 2014-15 में रुपये 50 करोड़ की बिक्री का लक्ष्य रखा है और 60 प्रदर्शनियों का आयोजन प्रस्तावित है. हमारी तो यह भी योजना है कि मृगनयनी एम्पोरियम की प्रदर्शनियां विदेशों में भी लगायें. इस पर अभी काम चल रहा है. इसी प्रकार बुनकरों एवं शिल्पियों को उन्नत प्रशिक्षण देने के लिये भी हम काम कर रहे हैं. वर्ष 2013-14 में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक संस्थान वर्धा (महाराष्ट्र) में 120 ..

उपाध्यक्ष महोदय -- दीदी, मृगनयनी एम्पोरियम में माननीय विधायकों को आप छूट नहीं दिलायेंगी. पहले मिला करती थी. पहले कार्ड बनता था.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- अधिकारी दीर्घा से भी इशारा मिल गया है.

श्रीमती ललिता यादव -- दीदी, महिलाओं के लिये तो कर ही दीजिये. महिलाओं को साड़ियां दीजिये.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले -- उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं को नहीं हम पुरुषों को भी छूट देंगे. कुर्ता पायजामा का कपड़ा बढ़िया सिल्क का है..

उपाध्यक्ष महोदय -- कार्ड बनवा दीजिये, उसमें छूट रहेगी, जिसको जो लेना है, ले ले.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले -- बिलकुल कार्ड बनवा देंगे.

उपाध्यक्ष महोदय -- धन्यवाद मंत्री जी.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- मंत्री जी, हम तो बजट सत्र में सपरिवार आते हैं.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले -- बजट सत्र में ही मिलेंगे. हमारा हस्तशिल्प और हाथकरघा निगम सभी सदस्य गणों को छूट का लाभ देगा और कार्ड बनेंगे, जो आप तक उपलब्ध करा देंगे.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- मंत्री जी, धन्यवाद.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले -- उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013-14 में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक संस्थान वर्धा (महाराष्ट्र) में 120 शिल्पियों को 2 माह का उन्नत प्रशिक्षण तथा केन्द्रीय लेदर इन्स्टीट्यूट आगरा में 60 शिल्पियों को 1 माह का कौशल प्रशिक्षण तथा अपेरल ट्रेनिंग तथा डिजाइन सेंटर इन्दौर में 2240 युवाओं को सिलाई प्रशिक्षण दिलाया गया. वर्ष 2014-15 में 2500 युवाओं को प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है. अब मैं माटीकला के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहती हूं. श्री यादे एक अपने प्रजापति समाज के हो गये हैं, जिनकी स्मृतति में यादे माटीकला बोर्ड बनाया गया है. माटी कला बोर्ड के अंतर्गत मिट्टी के कारीगरों को मूर्ति बनाने, घड़ा बनाने का प्रशिक्षण, सुराई बनाने का प्रशिक्षण यानि जिस तरह से जयपुर में काम होता है मिट्टी का बड़े बड़े गुलदान वगैरह आपने देखे होंगे बाजार में. अभी जयपुर से आते हैं. लेकिन हम माटी कला बोर्ड के द्वारा यह प्रयास कर रहे हैं कि जो चीजें हमें राजस्थान से खरीदना पड़ती तथी, वहां से आयातित होती थीं. हम अपने मध्यप्रदेश में ही उनका निर्माण करेंगे. वर्ष 2013-14 में हमने 725 हितग्राहियों को बैंकों से वित्त पोषण स्वीकृत कराया है. 2900 हितग्राहियों के लिये रोजगार के अवसर सृजित किये गये हैं. वर्ष 2014-15 में 680 हितग्राहियों को 340 लाख वित्त पोषण स्वीकृत कराया गया है. इस माटी कला के कारीगरों की कोई पूछ नहीं होती थी, भुखमरी के कगार पर होते थे हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने यह यादे माटीकला बोर्ड बनाया जिससे हम प्रजापति जाति के समुदाय के लोगों को इसके अंतर्गत लेकर के लाभ पहुंचा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रजापति जाति के लोगों को ही हम इसका लाभ पहुंचा रहे

हैं, बल्कि हमारी कोशिश यह है कि जो भी सेरीकल्चर में माटीकला में परांगत हो वो इस योजना का लाभ उठा सकता है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013-14 में 75 हितग्राहियों को उन्नत किस्म के टेराकोटा उत्पादों का प्रशिक्षण दिया गया और वर्ष 2014-15 में लगभग 40 हितग्राहियों को सेरेमिक टेराकोटा टाइल्स निर्माण आदि का प्रशिक्षण दिया गया . अब थोडे से आंकड़े हैं आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ देती हूं.

उपाध्यक्ष महोदय-- अब आप समाप्त करें.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार माटीकला बोर्ड हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है. हाथकरघा के लिये 277.14 करोड है जो प्रस्तावित 471.50 है, रेशम के लिये भी इसी प्रकार से है. बाकी का भाषण मैं पटल पर ऱख देती हूं तो यह कार्यवाही में आ जायेगे.

उपाध्यक्ष महोदय, सारे विभागों की चर्चा पूरी हो गई. आपने इतना मुझे समय दिया माननीय सदस्यों ने बहुत ध्यान से सुना , और बहुत बड़ी संख्या में सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है , मेरे विभागों का चर्चा में उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं . उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञ हूं . जो भी सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये हैं उन पर मैं शत प्रतिशत अमल करने का प्रयास करूंगा. उपाध्यक्ष महोदय आपने इतना समय दिया, इतनी कृपा रही आपकी , मैं आपको धन्यवाद देती हूं, सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूं.

उपाध्यक्ष महोदय-- आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद.

उपाध्यक्ष
~~अध्यक्ष~~ महोदय : मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा.

प्रश्न यह है कि मांग संख्या – 14, 16, 20, 29, 50 एवं 56 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें.

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हो वे कृपया "हाँ" कहें.

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में हो वे कृपया "ना" कहें.

"ना" की जीत हुई/"ना" की जीत हुई.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

अब, मैं, मांगों पर मत लूंगा.

उपाध्यक्ष ~~अध्यक्ष~~ **महोदय :** प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या - 14	पशुपालन के लिए छ: सौ अठानवे करोड़, नौ लाख, बासठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 16	मछली पालन के लिए उनहत्तर करोड़, पचपन लाख, पैसठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 20	लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी के लिए एक हजार एक सौ इक्यावन करोड़, छप्पन लाख, पैतालीस हजार रूपये
अनुदान संख्या - 29	विधि और विधायी कार्य के लिए एक हजार दो सौ उनचास करोड़, उन्नीस लाख, तैतालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए चार सौ चौदह करोड़, तिरपन लाख, छब्बीस हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 56	ग्रामोद्योग के लिए एक सौ अठानवे करोड़, अठासी लाख, इक्यानवें हजार रूपये

तक की राशि दी जाय.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

उपाध्यक्ष महोदय-- विधानसभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 16 जुलाई 2014 को प्रात: 10.30 बजे तक के लिये स्थगित.

सायं 7.19 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 16 जुलाई, 2014(25,आषाढ़ शक संवत् 1936) के प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी

भोपाल, प्रमुख सचिव,

दिनांक : 15 जुलाई,2014. मध्यप्रदेश विधानसभा